हिन्दी पत्रकारिता
विकास और विविध आयाम

हिन्दी पत्रकारिता
विकास और विविध आयाम

डॉ० (श्रीमती) सुशीला जोशी



राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर

प्रथम संस्करण : 1986
द्वितीय संस्करण . 1991

मूल्य : 27 00 रुपये

प्रकाशक :
राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी
ए-26/2, विद्यालय मार्ग, तिलक नगर,
जयपुर-302 004

मुद्रक :
टाइम्स प्रिन्टर्स
तिलक नगर, जयपुर
फोन : 40358

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की विश्वविद्यालय स्तरीय ग्रन्थ निर्माण योजना के अन्तर्गत, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर द्वारा प्रकाशित।

प्रकाशकीय भूमिका

राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी अपनी स्थापना के 21 वर्ष पूरे करके 15 जुलाई, 1990 को 22 वें वर्ष मे प्रवेश कर चुकी है। इस अवधि मे विश्व-साहित्य के विभिन्न विषयो के उत्कृष्ट ग्रन्थो के हिन्दी अनुवाद तथा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्तर के मौलिक ग्रन्थो को हिन्दी मे प्रकाशित कर अकादमी ने हिन्दी जगत् के शिक्षको, छात्रो एव अन्य पाठको की सेवा करने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया है और इस प्रकार विश्वविद्यालय स्तर पर हिन्दी मे शिक्षण के मार्ग को सुगम बनाया है।

अकादमी की नीति हिन्दी मे ऐसे ग्रन्थो का प्रकाशन करने की रही है जो विश्वविद्यालय के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमो के अनुकूल हो। विश्वविद्यालय स्तर के ऐसे उत्कृष्ट मानक ग्रन्थ जो उपयोगी होते हुए भी पुस्तक प्रकाशन की व्यावसायिकता की दौड मे अपना समुचित स्थान नही पा सकते हो और ऐसे ग्रन्थ भी जो अग्रेजी की प्रतियोगिता के सामने टिक नही पाते हो, अकादमी प्रकाशित करती है। इस प्रकार अकादमी ज्ञान-विज्ञान के हर विषय मे उन दुर्लभ मानक ग्रन्थो को प्रकाशित करती रही है और करेगी जिनको पाकर हिन्दी के पाठक लाभान्वित ही नही, गौरवान्वित भी हो सके। हमे यह कहते हुए हर्ष होता है कि अकादमी ने 350 से अधिक ऐसे दुर्लभ और महत्त्वपूर्ण ग्रन्थो का प्रकाशन किया है जिनमे से एकाधिक केन्द्र राज्यो के बोर्डों एव अन्य सस्थाओ द्वारा पुरस्कृत किये गये है तथा अनेक विभिन्न विश्वविद्यालयो द्वारा अनुशसित।

राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी को अपने स्थापना काल से ही भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय से प्रेरणा और सहयोग प्राप्त होता रहा है तथा राजस्थान सरकार ने इसके पल्लवन मे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, अतः अकादमी अपने लक्ष्यो की प्राप्ति मे दोनो सरकारो की भूमिका के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती है।

प्रस्तुत पुस्तक 'हिन्दी पत्रकारिता : विकास और विविध आयाम' मे हिन्दी पत्रकारिता का विकास तो निरूपित हुआ ही है, साथ ही साथ पत्रकारिता विषयक

आचार, नियमन, कानून, पत्र-प्रबन्ध, पत्रकारिता का देश के विकास में योगदान आदि अनेक पक्षों पर भी विस्तृत चर्चा हुई है। पुस्तक पत्रकारिता के डिप्लोमा में अध्ययनरत छात्रों के लिए विशेषतः प्रासंगिक है। वैसे पत्रकारिता से जुड़े प्रत्येक के लिए भी यह रुचिकर हो सकती है।

पुस्तक का संशोधित संस्करण पाठकों के हाथों में देते हुए हमें प्रसन्नता है। लेखिका ने अत्यधिक परिश्रम करके पुस्तक को संशोधित किया है। प्रदत्त सहयोग हेतु हम आभारी हैं।

भैरोंसिंह शेखावत	डॉ० वेद प्रकाश
मुख्य मंत्री, राजस्थान सरकार एवं	सहायक निदेशक
अध्यक्ष, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी	राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी
जयपुर	जयपुर

प्राक्कथन

आधुनिक युग पत्र-पत्रिकाओ के सन्दर्भ से निरन्तर प्रगति के सोपानो की ग्रोर बढ रहा है। यह अप्रत्याशित नही है क्योकि प्रत्येक युग का अपना धर्म ग्रौर कर्म होता है। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, उसमें पत्रकारिता हमे विविध स्थितियो से जोडती हुई सामाजिक, सास्कृतिक और राजनैतिक गतिविधियो से अवगत कराने का सशक्त माध्यम बन गई है। इसी पत्रकारिता के एक विशिष्ट सन्दर्भ को विविध अध्यायो के माध्यम से प्रस्तुत करना मेरा लक्ष्य रहा है। पत्रकारिता मे रुचि और गहरी अन्तर्दृष्टि विकसित हो, यह भावना निरन्तर मन मे रही है।

इसी उद्देश्य की प्रतिपूर्ति के निमित्त हिन्दी पत्रकारिता पर यह पुस्तक लिखी गई है। मेरा प्रयास यह रहा है कि जो पत्रकारिता के क्षेत्र मे काम करना चाहते हैं और एक निश्चित पाठ्यक्रम के तहत अध्ययन करना चाहते हैं, उनके लिए भी पूर्ण किन्तु सक्षिप्त जानकारी दी जाए। इसके लिए इस कृति मे कई अध्याय जोड दिए गए हैं। सम्पूर्ण अध्ययन बारह अध्यायो मे विभक्त किया गया है तथा इन अध्यायो के माध्यम से हिन्दी पत्रकारिता के कुछ पक्षो को उभारने एव उजागर करने का प्रयास किया गया है ताकि देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों एव सस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रम के अनुसार यह पुस्तक विद्यार्थियो के लिए उपयोगी बन सके। पुस्तक मे निहित सामग्री को विवेचनात्मक गवेषणात्मक, प्रामाणिक बनाने के लिए मैंने जिन जाने-माने पत्रकारों, भारत सरकार के प्रकाशनो एव पुस्तको से जो सहयोग प्राप्त किया है उनके लिए हृदय से आभारी हूँ।

सर्वप्रथम मेरे परम श्रद्धेय गुरुजी तथा हिन्दी के प्रख्यात महामनीषी डॉ० हरिचरण शर्मा व्याख्याता हिन्दी विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जिनके निर्देशन मे मैंने 'स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी पत्रकारिता' विषय लेकर शोध कार्य किया उन्होने मुझे यह पुस्तक लिखने की प्रेरणा व दिशा-दृष्टि दी। अत मैं उनके चरण-कमलो मे अपने श्रद्धा-सुमन अर्पित करती हूँ।

हिन्दी के जाने-माने पत्रकार डॉ भँवर सुराणा, राजस्थान सूचना एव जनसम्पर्क निदेशालय मे भूतपूर्व निदेशक एव जाने-माने हिन्दी पत्रकारिता के लेखक

डॉ मनोहर प्रभाकर, राजस्थान पत्रिका के संस्थापक एवं प्रधान सम्पादक कर्पूरचन्द कुलिश जी, डॉ रमेश जैन, कोटा खुला विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में रीडर व अध्यक्ष पद पर कार्यरत के प्रति भी मैं अत्यन्त आभारी हूँ जिन्होंने समय-समय पर मुझे अपने सुझाव देकर इस पुस्तक को गति प्रदान कर उसे सम्पूर्ण बनाने में सहयोग दिया। यही नहीं, राजस्थान के जाने-माने पत्रकार श्री मुनीश जोशी की भी कृतज्ञ हूँ जिन्होंने इस पुस्तक में कई अध्यायों की परिपूर्णता प्रदान करने के लिए मुझे नवीनतम सामग्री उपलब्ध कराकर इस पुस्तक को उपयोगी बनाने में सहयोग प्रदान किया।

अन्त में, मैं अपने स्वर्गीय पूज्य पिताजी व माता जी को श्रद्धा-सुमन अर्पित करती हूँ जिनके मुखर आशीर्वचन ने मुझे सदैव प्रेरणा व दिशा-दृष्टि दी। मेरे समस्त भाई-बहिन भी बधाई के पात्र हैं जिनका सहयोग मेरे साथ रहा।

इसी क्रम में मैं राजस्थान हिन्दी-ग्रन्थ अकादमी की भी अत्यन्त आभारी हूँ जिसके सौजन्य से आज इस पुस्तक का द्वितीय संस्करण प्रकाशित होकर सामने आया है।

डॉ. सुशीला जोशी

अनुक्रमणिका

1. पत्रकारिता: अर्थ और स्वरूप — 1-18

पत्रकारिता का अर्थ, स्वरूप, महत्त्व और उपयोग, पत्रकारिता एक निष्ठापूर्ण कर्म, पत्रकारिता और पत्रकार।

2 हिन्दी पत्रकारिता का संक्षिप्त इतिहास — 19-42

पूर्वपीठिका, पृष्ठाधार, हिन्दी पत्रकारिता का उद्भव (1826-1867), हिन्दी पत्रकारिता का विकास (1868-1900), हिन्दी पत्रकारिता का उत्थान (1900-1947) हिन्दी पत्रकारिता का उत्कर्ष (1947 से वर्तमान तक)।

3 पत्रकारिता आचरण एवं नियमन — 43-82

(क) प्रेस कानून, (ख) पत्रकारिता संगठन, (ग) प्रेस परिषद् (घ) एडीटर गिल्ड (ङ) पत्रकार आचार-संहिता।

4. पत्रकार · पालेकर अवार्ड व बछावत आयोग — 83-110

(अ) पालेकर अवार्ड—श्रमजीवी पत्रकारों की निर्धारित वेतनमान तालिका, महँगाई भत्ते की दरें, मकान किराया भत्ते की दरें, रात्रि सेवा काल भत्ता, (ब) पत्रकार: बछावत आयोग।

5. पत्रकारिता के विकास में सरकारी संचार माध्यम — 111-115

केन्द्रीय सरकार के प्रचार एवं सूचना माध्यम—पत्र सूचना कार्यालय, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, विज्ञापन प्रचार एवं दृश्य निदेशालय, फिल्म एवं फोटो विभाग, संगीत एवं नाटक निदेशालय, आकाशवाणी, दूरदर्शन।

6 समाचार-पत्र प्रबन्ध — 116-129

7. समाचार समितियाँ : उद्भव एवं विकास — 130-141

भारत मे समाचार समितियो का उद्भव, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इण्डिया, यूनीवार्ता, हिन्दुस्तान समाचार, समाचार भारती, समाचार, भारत मे कार्यरत प्रमुख समाचार समितियाँ।

8. स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी पत्रकारिता: परिचय एवं वर्गीकरण — 142–163

स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी पत्रकारिता का विकास, विषय के आधार पर वर्गीकरण—समाचार एव सामयिक सन्दर्भ, धर्म एव दर्शन, साहित्यिक एव सास्कृतिक, औषधि एव स्वास्थ्य, विज्ञान, खेल, उद्योग एव व्यावसायिक, फिल्म, बाल व कृषि पत्रकारिता।

9 स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं का योगदान — 164–178

साहित्यिक अभिरुचि का विकास, सास्कृतिक अभिरुचि का विकास, जनजागृति, नवोन्मेष और सुधार, व्यस्त जीवन मे स्वस्थ व्यग्य-विनोद, वैज्ञानिक क्षेत्र मे योगदान, शैलीगत विकास।

10 स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी पत्र-पत्रिकाएँ . एक मूल्यांकन — 179–226

दैनिक-पत्र—हिन्दुस्तान, नवभारत टाइम्स, अमर उजाला, जागरण पजाब केसरी, सन्मार्ग, विश्वमित्र, नई दुनिया, नवभारत, स्वदेश, राजस्थान पत्रिका, राष्ट्रदूत, दैनिक नवज्योति, जलते दीप, जननायक, वीर अर्जुन, जनयुग, स्वतन्त्र भारत, आज, आर्यावर्त्त, दैनिक भास्कर, युगधर्म, नवजीवन प्रदीप, वीर प्रताप, तरुण भारत, देशबन्धु।

साप्ताहिक पत्र—धर्मयुग, साप्ताहिक हिन्दुस्तान दिनमान, रविवार, इतवारी पत्रिका, ब्लिट्ज, दिवाना, तेज साप्ताहिक, लोटपोट, इन्द्रजाल कामिक्स।

पाक्षिक पत्र-सारिका, सरिता मुक्ता चम्पक।
मासिक पत्रिकाएँ-कल्याण, कादम्बिनी, निहारिका, नवनीत, शिविरा, कुरुक्षेत्र, विज्ञान प्रगति, मनोहर कहानियाँ, माया, अखण्ड ज्योति, सुषमा, नन्दन, पराग, चन्दामामा, गुड़िया।

11 प्रेस आयोग — 227–240

(अ) प्रथम प्रेस आयोग
(ब) द्वितीय प्रेस आयोग

12. वर्तमान के सन्दर्भ में : हिन्दी पत्रकारिता — 241–244
सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची — 245-247

□□□

अध्याय-1

पत्रकारिता : अर्थ और स्वरूप

पत्रकारिता एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो हमारे जीवन की विविधताओं, नित्य नूतनताओं और दैनिक घटनावलियों-प्रभगावलियों को शीघ्र प्रस्तुत करने की अतुल क्षमता रखता है। बीसवीं शताब्दी का जीवन जितना घटनाबहुल और वैचित्र्य-विरोधमूलक है, उसे सही रूप में प्रस्तुत, पुनंप्रस्तुत और समासित करने के लिए पत्रकारिता एक अमोघ अस्त्र भी है और जीवन्त माध्यम भी। वस्तुत: यही वह माध्यम है जिसके अन्तर्गत हम विश्व-जीवन से सयुक्त होते हैं। आज के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व्यस्तता प्रधान जीवन में समाचार-पत्र हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चला है। जिस तरह शारीरिक भूख शांत करने के लिए भोजन जरूरी है उसी तरह मानसिक तृप्ति के लिए पत्र-पत्रिकायें जीवन के लिए अनिवार्य बन चले हैं।

अर्थ

पत्रकारिता आधुनिकता की एक विशिष्ट उपलब्धि है। पत्रकारिता का सामान्य अर्थ है "पत्रकार का काम या व्यवसाय"[1] दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि पत्रकारिता स्पष्ट रूप से तीन रूपों में सामने आती है (1) पत्रकार होने की अवस्था या भाव, (2) पत्रकार का काम तथा (3) वह विधा जिसमें पत्रकारों के कार्यों, कर्त्तव्यों, उद्देश्यों आदि का विवेचन होता है"[2] डॉ. बद्रीनाथ कपूर ने वैज्ञानिक परिभाषा कोश में कहा है कि, "पत्रकारिता पत्र-पत्रिकाओं के लिए समाचार, लेख आदि एकत्रित तथा सम्पादित करने, प्रकाशन आदेश आदि देने का कार्य है।"[3] आक्सफोर्ड शब्दकोष के अनुसार पत्रकार के व्यवसाय का प्रमुख साधन है : पत्रकारिता-लेखन और जन-सामान्य की स्थितियों का लेखन और संग्रह व "जनरल्स" की सुरक्षा और संग्रहवृत्ति।[4]

---

1 हिन्दी शब्दसागर : छठा भाग : मूल सं. श्यामसुन्दर दास, पृ. 2798
2. मानक हिन्दी कोश (तीसरा खण्ड) प्रधान स. रामचन्द्र वर्मा, पृ 380
3. वैज्ञानिक परिभाषा कोष : स. डॉ बद्रीनाथ कपूर, पृ. 117
4. शोर्टर आक्सफोर्ड डिक्शनरी, पृ 1069

चेम्बर्स डिक्शनरी के अनुसार

"आकर्षक शीर्षक देना, पृष्ठों का आकर्षक बनाव, जल्दी से जल्दी समाचार देने की होड़, देश-विदेश के प्रमुख उद्योग धन्धो के विज्ञापन प्राप्त करने की चतुराई, सुन्दर छपाई और पाठक के हाथ मे सबसे जल्दी पत्र पहुँचा देने की त्वरा, ये सब पत्रकार कला के अन्तर्गत आ गये है।"

"पत्रकारिता वह धर्म हैं, जिसका सम्बन्ध पत्रकार के उस कर्म से है— "जिससे वह तात्कालिक घटनाओं और समस्याओं का सबसे अधिक सही और निष्पक्ष विवरण पाठको के समक्ष प्रस्तुत करें और समस्त जनमत जाग्रत करने का श्रम करें।[1]

डॉ० अर्जुन तिवारी का कहना है, "समय और समाज के सन्दर्भ मे सजग रहकर नागरिको में दायित्व बोध कराने की कला को पत्रकारिता कहते हैं। गीता मे जगह-जगह "शुभ दृष्टि" का प्रयोग है। यह शुभ दृष्टि ही पत्रकारिता है, जिसमे गुणो को परखना तथा मगलकारी तत्त्वो को प्रकाश मे लाना सम्मिलित है। महात्मा गाँधी तो इसमे "समदृष्टि" को महत्त्व देते थे। समाज हित मे सम्यक प्रकाशन को पत्रकारिता कहा जा सकता है। असत्य, अशिव और असुन्दर पर "सत्य शिवं सुन्दरम्" की शख ध्वनि ही पत्रकारिता है।[2]

पत्रकारिता एक समसामयिक इतिहास, है, जो शीघ्रतापूर्वक लिखा जाता है। अपने समय का लिखा गया इतिहास ही पत्रकारिता का महत्तम सन्दर्भ है। दैनिक क्रम मे घटने वाली घटनाओ को चाहे वह घटना राजनैतिक हो, सास्कृतिक और चाहे आर्थिक हो, रहस्योद्घाटन ही पत्रकारिता का जीवन है। पत्रकारिता का मूल ध्येय अन्याय का उद्घाटन करना, दोष-परिहार करना, सलाह देना, असहायो की सहायता करना और मित्र-विहीन लोगो को मित्रवत मार्ग दिखाना है।"[3] "मॉडर्न जर्नलिज्म" मे "कर्ल. जी. मुगलर ने पत्रकारिता को इस प्रकार परिभाषित किया है कि पत्रकारिता तात्कालिक घटनाओ का सूक्ष्म विश्लेषण पर आधारित ज्ञान का कार्य है। ऐसा कार्य जिसमे आवश्यक तथ्यो को प्राप्त करने, उनकी महत्ता के अनुसार ही उसे तैयार करना अर्थात् उत्पन्न स्थितियो के अनुसार तात्कालिक घटनाओं की बुद्धिमता से जनजीवन के सम्मुख प्रस्तुत करना पडता है।"[4]

---

1. राजस्थान मे हिन्दी पत्रकारिता का उद्गम और विकास (शोध प्रबन्ध)—डॉ० भँवर सुराणा, पृ. 14
2. आधुनिक पत्रकारिता, पृष्ठ 9
3. डेन्जरस स्टेट : विलियम्स : पृ. 7
4. कर्ल. जी. मुगलर : मॉडर्न जर्नलिज्म : पृ 9

"जर्नलिज्म" फ्रेंच शब्द 'जर्नी" से व्युत्पन्न है जिसका अर्थ होता है एक-एक दिवस का कार्य या उसकी विवरणिका प्रस्तुत करना। पत्रकारिता दैनिक जीवन की घटनाओं और उनके आधार पर प्रकाशित पत्रो की सवाहिका होती है। इसमे घटनाओ, तथ्यो, व्यवस्थापरकता के साथ-साथ राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक और कलात्मक सन्दर्भो की प्रस्तुति होती है।[1] प्रेमनाथ चतुर्वेदी का भी यही मत है कि "पत्रकारिता विशिष्ट देशकाल, परिस्थितियत, तथ्यों का अमूर्त, परोक्ष मूल्यो के सन्दर्भ और आलोक उपस्थित करती है।"[2]

पत्रकारिता और साहित्य

प्रत्येक साहित्यकार प्रथमत: पत्रकार ही हुए हैं बाद मे उत्कृष्ट साहित्यकार। पत्रकारिता ही इनकी पहली सीढी रही है। साहित्य की जन्मदात्री पत्र-पत्रिकाएँ ही रही हैं। साहित्य की विविध विधाएँ इसी के कारण पल्लवित हुई है। प्रसिद्ध साहित्य-सेवी बालकृष्ण राव के शब्दो मे—"समसामयिक परिवेश मे किसी न किसी रूप मे प्रत्येक लेखक प्रेरणा ग्रहण करता है, चाहे वह साहित्यकार हो या पत्रकार। दोनो ही लेखक हैं, दोनो ही सर्जनाकार हैं, दोनो के कार्य किन्ही ऐसे गुणो की अपेक्षा करते है जो दोनो के लिए अपरिहार्य है—अनावित दृष्टि, चिन्तन, लेखन मे प्रेषणीयता की शक्ति। दोनो देश और काल के आयामों पर अपनी-अपनी विशिष्ट परम्पराओ के अतिरिक्त उस संश्लिष्ट सास्कृतिक परम्परा, उस सामाजिक चेतना से सम्बद्ध है जिसमे उन्हे अपनी बात औरो के प्रति निवेदित करने की प्रेरणा और शक्ति मिलती है। प्रत्येक पत्रकार समान साहित्यकार भी है, प्रत्येक साहित्यकार अनिवार्यत पत्रकार भी। 1920 से प्रारम्भ 'सरस्वती' से लेकर आज तक अनेक ऐसी *साहित्यिक पत्रिकाएँ निकली है जिन्होने हिन्दी को बडे-बडे साहित्यकार प्रदान* किये है जैसे 'समालोचक' (1902), 'माधुरी' (1923), 'चांद' (1922), 'सुधा' (1927), 'हस' (1930), 'कल्याण' (1926) आदि प्रमुख पत्रिकाओ के विशेषाक आज भी पाठकवर्ग सजोकर रखता है। इन पत्र-पत्रिकाओ के माध्यम से प्रसाद, पन्त, निराला, महादेवी वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, सुभद्रा कुमारी चौहान, भगवती चरण वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पाडेय बैचन शर्मा उग्र, अज्ञेय आदि अगणित साहित्यकारो को अभिव्यक्ति का अवसर मिला है।

पत्रकारिता और साहित्य मे इतना सम्बन्ध होते हुए भी इनमे काफी अन्तर है। इनमे प्रमुख अन्तर है शैली का, क्योंकि पत्रकार समास शैली का प्रयोग करता है जबकि एक साहित्यकार व्यास शैली व अलकृत शैली को अपनाता है। एक पत्रकार

1. अमेरिकन एंन साइक्लोपिडिया
2. समाचार सम्पादन : प्रेमनाथ चतुर्वेदी - पृ. 16

अलंकृत शैली से काफी दूर रहता है । इसके अतिरिक्त साहित्य मे चरमावस्था अन्त मे होती है पर पत्रकारिता में प्रारम्भ मे ही, क्योकि ग्राज का मानव इतना व्यस्त है कि उसे पूरी खबर पढने का समय ही नही है अत- वह प्रमुख लाइनें पढ कर ही सारा सार समझ लेता है ।

तत्कालिक यथार्थ ही पत्रकारिता का उपजीव्य होता है जबकि रचनाकार की प्रवृति यथार्थ से सूक्ष्मता की ओर होती है एक तो समुद्र की लहर की तरह ऊपर-नीचे उठता है तो दूसरा अन्तर तक पैठकर मानस को शान्त और तृप्त करता है । साहित्य मे सामान्य तथ्यो को शाश्वत सत्य से जोडने का प्रयास होता है जबकि पत्रकारिता मे इस प्रकार की कोई भी अनिवार्य शर्त नही होती है । यहाँ तात्कालिक प्रभाव ही प्रधान होता है । ग्रास्कर वाइल्ड के शब्दो मे—"पत्रकारिता पढ़े जाने के काबिल नही होती जबकि साहित्य पढा नहीं जाता अर्थात् साहित्य पढने की वस्तु नही वरन् अनुभव करने वाली व मन में हमेशा के लिए स्थिर रहने वाली चीज है ।"

वास्तव मे पत्रकारिता, पत्रकार द्वारा चारो कोनों (पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण) की सूचनाएं एकत्र करके उन्हें जनता के सामने रखने का माध्यम है, साथ ही जनता के विचारों के अनुसार ही जनभावना को मुखरित करना है । चाहे वह विचार किसी भी प्रकार के विचारों से सम्बन्धित क्यों न हो ।

"पत्रकारिता वास्तव मे एक चुनौती है जिसके आवश्यक गुण है--उत्तर-दायित्व, अपनी स्वतन्त्रता बनाए रखना, सभी दबावो से परे रहना, सत्य प्रकट करना, निष्पक्षता, समान और सभ्य व्यवहार ।"[1]

इस प्रकार पत्रकारिता सामान्य अर्थ मे वैश्विक क्षितिज पर घटित होने वाली घटनाग्रो का तथ्यात्मक, विविधात्मक और यथार्थपरक प्रस्तुतीकरण है । पत्र-कारिता व्यक्ति, समाज, सामाजिक सन्दर्भो और बहुविध परिवेश की कहानी है । जिस प्रकार कहानी किसी मानवीय संवेग, किसी क्षण विशेष की पकड और घटना-प्रसगों की कलात्मक-कल्पनाप्रवण प्रस्तुति है, उसी प्रकार पत्रकारिता भी प्रस्तुति तो है परन्तु साहित्य की अपेक्षा कम कलात्मक है । साहित्य मे कल्पना प्रमुख है तो पत्रकारिता मे यथार्थ की सत्य प्रतिबोधक स्थितियाँ । पत्रकारिता मे कल्पना का प्रयोग शैली तक ही सीमित है ।

पत्रकारिता का स्वरूप

1 समाज की गतिविधियों का दर्पण

पत्रकारिता समाज की गतिविधियो का दर्पण है । मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है । अत: जिस समाज में मनुष्य रहता है उस समाज के बारे मे वह अधिक

---

2. प्रिन्सिपल ऑफ जर्नलिज्म : सी. एम पोस्ट : पृ. 161–164

से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता है। समाज में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या हो रहा है? इस सबको जानने का एकमात्र साधन पत्रकारिता है। "पत्रकारिता वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मस्तिष्क में उस दुनियाँ के बारे में समस्त सूचनाएँ संकलित करते हैं, जिसे हम स्वतः कभी नहीं जान सकते।"[1] इस प्रकार जब सामाजिक जीवन प्रगतिशील तत्त्वों को अपनाता हुआ निर्माण और उत्थान की ओर अग्रसर होता है तब भी जो स्वस्थ जीवन मूल्य सरंचित होते हैं उन्हें भी पत्रकारिता अभिव्यक्ति प्रदान करती है। इस प्रकार पत्रकारिता सामाजिक जीवन की सद्-असत्, दृश्य-अदृश्य और शुभ-अशुभ छवियों का दर्पण है। समाज में फैली कुरूतियों, अन्धविश्वासों, रूढ़ियों के प्रति भी पत्रकारिता संघर्ष छेड़ती हुई समाज से उन बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न करती है। दूसरे अर्थ में एक सच्चा पत्रकार अन्धराष्ट्रवाद और संकीर्ण देशभक्ति के विरुद्ध आवाज उठाता है। पत्रकारिता समाज में जो कुछ भी अच्छा या बुरा घटित होता है उसका विश्लेषण करती हुई समाज की भविष्यद्रष्टा बन जाती है। संक्षेप में पत्रकारिता समाज की सीमाओं पर पड़ने वाली वह चैतन्य किरण है जो अपने प्रकाश से सामाजिक अस्त-व्यस्तता और विशृंखलता को समाप्त करती हुई प्रकाश विकीर्ण करती है। यही प्रकाश सामाजिक जीवन में प्रवेश करता हुआ उसके अन्तस् में छिपे अन्धकार की पर्तों को काट देता है।

2. सूक्ष्म शक्ति

पत्रकारिता वह सूक्ष्म शक्ति है जो परिवेश के शरीर और उसके अन्तः करण को निरूपित करती है। आज हमारा जीवन पर्याप्त जटिल और संकुल हो गया है। आए दिन कुछ न कुछ ऐसी करुणाजनक, भयावह और कष्ट देने वाली घटनाएँ घटित होती रहती हैं कि मनुष्य आश्चर्यचकित हो जाता है। मानवीय सम्बन्ध आज जिस रूप में बदल रहे हैं उनका कारण कुछ भी हो किन्तु इतना निश्चित है कि उन सम्बन्धों को सूक्ष्म निरूपण और प्रस्तुतीकरण अनेक बार हमें समाचार-पत्रों में मिलता है। समाज के सजग प्रहरी के रूप में एक पत्रकार समाज में घटित घटनाओं की गहराई में प्रवेश करता है और निरन्तर बदलते हुए परिवेश और मानव सम्बन्धों की जटिलता के कारणों, प्रतिक्रियाओं और परिणामों को विश्लेषित करता है। ऐसा करने से सामाजिकों को समाज में चल रहे घटनाचक्र की जानकारी भी होती है और वह अपने जीवन में सतर्क बने रहने के लिए प्रेरणाप्रद शक्ति भी प्रदान करता है। ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि पत्रकारिता परिवेश के शरीर अर्थात् स्थूल घटनाचक्र के साथ-साथ उसके मन अर्थात् सूक्ष्म सम्बन्धों तक को उजागर करती है।

---

1. हर्बर्ट ब्रूकर : "फ्रीडम ऑफ इन्फारमेशन", पृ. 4

3. नीर-क्षीर विवेक

पत्रकारिता पूर्णत निषेधात्मक माध्यम नही है। एक स्वस्थ पत्रकारिता का लक्ष्य नीर-क्षीरवत् विवेचन करना होता है। इतना ही नहीं, विवेचन के साथ-साथ निर्णय का काम भी पत्रकारिता करती है। जो पत्रकारिता गहराई तक अपनी पहुँच रखती है उसे मात्र निषेधात्मक मानना अनौचित्यपूर्ण है क्योंकि एक "पत्रकार भविष्य दृष्टा होता है। वह समस्त राष्ट्र की जनता की चित्तवृत्तियो, अनुभूतियों और आत्मा का साक्षात्कार करता है। पत्रकार किसी को ब्रह्मज्ञानी नही बना सकता परन्तु मनुष्य की भाँति जीते रहने की प्रेरणा देता है। जहाँ उसे अन्याय, अज्ञान, उत्पीड़न, प्रवचना, भ्रष्टाचार कदाचार दिखता है, वह उनका ताल ठोककर विरोध करता है और आशातीत आत्मविश्वास एव दृढता से प्राणी-प्राणी मे शान्ति एव सद्भाव की स्थापना करता है। सच्चा पत्रकार निर्माण क्रान्ति की लपटों से समाज की बुराइयों को भस्म करने का आयोजन करता है। पत्रकार ऐसे समाज का विधिवत् विकास करता है जिससे आत्म-साक्षात्कार के इच्छुक लोगो को अपनी पहचान करने की दृष्टि मिलती है।"[1] अतः पत्रकारिता केवल निषेधात्मक ही नही होती अपितु वह निर्मात्री भी होती है और समाज रचना के कार्यों में भी महत्त्वपूर्ण योगदान देती है।

4. सामाजिक मूल्यो की नियामिका

पत्रकारिता विद्रोह, आक्रोश और आलोचना के माध्यमो को स्वीकार करती हुई स्वस्थ सामाजिक मूल्यो की नियामिका है। देश व समाज मे व्याप्त असतोष चाहे वह देश जाति, धर्म किसी भी रूप मे क्यो न हो पत्रकारिता उसका सही विश्लेषण कर प्रतिबिम्बित करती है। उदाहरणार्थ आपातकाल के दौरान देश मे परिवार नियोजन के प्रति लोगो मे आक्रोश पैदा हुआ और उसकी जो भी प्रतिक्रिया हुई उनका विस्तृत ब्यौरा प्रकाशित करके मनुष्य को उसके प्रति अच्छी और बुरी बातें बताकर उसने उसका मार्ग प्रशस्त किया। यह राष्ट्र में घटने वाली सभी महत्त्वपूर्ण घटनाओ के बारे मे चिंतन की प्रक्रिया को जन्म देकर उसे सही दिशा मे अग्रसर होने में सहायता करती है। पत्रकारिता यदि सचमुच पत्रकारिता है तो वह एक मार्गदर्शिका, जीवन निर्मात्री और सामाजिक मूल्यो की विधायिका ही हो सकती है, साथ ही सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक प्रतिमानों को स्थापित करती है।

5. परिवेश से साक्षात्कार

पत्रकारिता मनुष्य को उसके परिवेश से जोडती हुई अन्तर्राष्ट्रीय घटनाचक्र से भी जोड देती है। पत्रकारिता मनुष्य को उसके चारो तरफ हो रहे घटनाचक्रो से

---

1. डॉ॰ रामचन्द्र तिवारी : हिन्दी पत्रकारिता, पृष्ठ 29।

परिचित कराती है। विज्ञान की उन्नति के साथ-साथ मनुष्य व्यस्तता की ओर अग्रसर होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में मनुष्य अपने आस-पड़ौस के मामले की ही सुध नहीं रख पाता, तब सारे विश्व की तो बात ही क्या है परन्तु पत्रकारिता के जरिये न केवल हम अपने परिवेश से परिचित होते हैं वरन् दूर-दराज के देशों से भी हमारा साक्षात्कार कुछ ही क्षणों में हो जाता है। यही क्यों ? कहीं कुछ घटित हुआ नहीं कि उसकी खबर हम न केवल पढ़ ही पाते अपितु टेलीविजन जैसे वैज्ञानिक उपकरण के द्वारा उस घटना का आँखों देखा चित्र भी देख लेते हैं। जन-सम्पर्क के माध्यम—रेडियो, टेलिविजन, टेलीप्रिन्टर, टेलेक्स, वायरलेस और समाचार-पत्र आज ऐसे माध्यम हैं जो सारे विश्व को एक चक्र में ही बाँध देते हैं और मनुष्य की जिज्ञासा को जागृत करते हैं, मनुष्य केवल सामाजिक ही नहीं अन्तर्राष्ट्रीय प्राणी बन जाता है और समूचे विश्वघटनाचक्र में एक इकाई की तरह जुड़ जाता है जो उसे संकीर्ण दायरे से निकाल कर अंतरिक्ष की ऊँचाइयों को छूने में समर्थ बनाती है।

6 विविधात्मक और व्यापक क्षेत्र

पत्रकारिता का क्षेत्र न केवल विविधात्मक है अपितु व्यापक भी है। जीवन का कोई भी विषय, कोई भी पक्ष ऐसा नहीं है जो पत्रकारिता से अछूता हो। आज हर विषय से सम्बन्धित पत्र-पत्रिकाएँ आपको मिल जायेंगी। हर समूह के व्यक्ति अपने विषय के सम्बन्ध में नवीनतम जानकारी और ज्ञान के लिए पत्रकारिता को ही माध्यम बनाते हैं। पत्रकारिता अब केवल रोचक समाचारों या संकलन या केवल राजनीति मात्र तक ही सीमित नहीं है वरन् साहित्य, फिल्म, खेलकूद, वाणिज्य, व्यवसाय, विज्ञान, धर्म, हास्य, व्यंग्य तथा ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रवेश कर चुकी है। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जिसमें इसका प्रवेश नहीं हुआ हो।

7 कुशल चिकित्सक

पत्रकारिता एक कुशल चिकित्सक की तरह सामयिक परिस्थितियों और घटनाचक्र की नाड़ी की जाँच कर उसके स्वास्थ्य को सुधारने का कार्य करती है। पत्रकार के पास एक तीखी व तेज नजर तो होनी ही है अपितु शिव की सी तीसरी आँख भी होनी है यही कारण है कि पत्रकार परिवेश के शरीर में दौड़ते हुये रक्त की अथवा उसके रक्तचाप की परीक्षा करता है, उसकी धड़कनों का हिसाब रखता है। जब वह अधिक विकृत होने लगता है तब पत्रकार कुशलतापूर्वक सामाजिक परिवेश की एक्स-रे रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर देता है। यह काम वह फोटो-पत्रकारिता के जरिये करता है क्योंकि चित्र-पत्रकारिता घटना की सत्यता को प्रमाणित करने के साथ-साथ एक चश्मदीद गवाह का भी काम करती है। यही नहीं कई बार तो किन किन परिस्थितियों के कारण यह घटना घटित हुई यह भी इसके चित्र से मिल जाता है। ऐसा करने से प्रत्येक घटना, प्रत्येक स्थिति, स्पंदन-कम्पन और विकृतियाँ-सशक्तियाँ

सामने आती है। पत्रकार का कार्य किसी भी कुशल चिकित्सक जैसा है। इसके बाद पत्रकारिता के सहारे जो विकृत है उसका सुधार किया जाता है। पत्रकारिता समाज के उतार-चढ़ावो को प्रतिबिम्बित ही नही करती, दिशा बोध भी देती है। निष्पक्ष विश्लेषण व निर्भीक आलोचना से समाज मे व्याप्त दोषो के निवारण के लिये यह जनमत जागृत करने के साथ-साथ उसका निदान उपचार भी सुझाता है।

8. सम्प्रेषण का माध्यम

पत्रकारिता सम्प्रेषण का सामाजिक माध्यम है। आज का युग विज्ञान का युग है। इस विज्ञान ने हमे रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, समाचारपत्र जैसे माध्यम दिये हैं जिनके द्वारा समाज मे किसी भी क्षेत्र मे घटित घटनाएँ हमे तुरन्त पलक झपकते ही मालूम हो जाती है और उस घटना को सुनते ही या देखते ही अगर हमें किसी हानि की सम्भावना नजर आती है तो हम तुरन्त उससे बचने के उपाय कर सकते हैं। पत्रकारिता जनता को सचेत करती ही है, साथ ही उसे शिक्षित करती हुई उसे सुरुचिपूर्ण मनोरंजन भी प्रदान करती है। यही वह साधन है जो हमें विश्व मे होने वाले सम्पूर्ण नवीन आविष्कारो, घटनाओ, अनुसंधानो से परिचित कराकर प्रभावित करता है। विश्वपटल पर जो विभिन्न उत्सव आयोजन और घटनाचक्र दौडते हैं, उन्हे एक कुशल पत्रकार "फीचर" शैली के माध्यम से अभिव्यक्ति देता है। घटनाओ के अतिरिक्त पत्रो मे फीचर और साक्षात्कार जैसे सम्प्रेषण के माध्यमो द्वारा ज्ञानवर्धन व चिन्तन धारा को प्रभावित करने वाले लेख भी जन-जीवन को आलोकित करते रहते हैं।

9 महान लक्ष्य

पत्रकारिता का लक्ष्य महान् है। वह जन-सामान्य की भावनाओ को अभिव्यक्ति देती है और मनोरजन का कार्य भी करती है। समाज का कोई भी पहलू या राष्ट्र की कोई भी चिन्ता पत्रकारिता के माध्यम से ही अभिव्यक्ति पाती है। जैसे जन-सामान्य मे फैले हुये छुआछूत, अन्धविश्वास, रूढ़िगत विचार आदि पर समय-समय पर टिप्पणियाँ व लेख विशेष लेख प्रकाशित कर, जनमानस को अपने अनुकूल विचारो मे ढाल देती है। यही नही जनता के विचारो को सबके सम्मुख रखती है। जिस रोज का जो विषय होता है, उस पर जन सामान्य की क्या प्रतिक्रिया हुई? उसे पत्रकारिता ही व्यक्त करती है।

मनोरंजन मानव जीवन की न केवल बहुत बड़ी आवश्यकता है वरन् अपरिहार्यता भी है। आज जब मनुष्य आकाश को नाप रहा है, समुद्र के गर्भ मे जा रहा है, नक्षत्रो के रहस्य से अवगत होने की प्रक्रिया से गुजर रहा है, धरती और आकाश के मध्य निर्मित वायुमण्डल के हर सास का इतिहास लिख रहा है और मनुष्य की चेतन शक्तियां श्रम-शिथिल होकर जब सुप्त होने लगती हैं, तब इस समस्त घटना-

चक्र से या इसमे हो रही आपा-धापी से मनुष्य थकने लगता है तो उसे मनोरंजन की आवश्यकता पडती है। ऐसी स्थिति मे पत्रकारिता ही उसे ऐसे क्षेत्र मे ले जाती है जहा उसका मस्तिष्क राहत महसूस करता है। उसमें छपने वाली सामग्री इतनी व्यंग्यपूर्ण, उत्तेजक, रोचक और खुशनुमा होती है कि मनुष्य की शिथिल इन्द्रिया और थकित मस्तिष्क हल्कापन महसूस करता है। यह अनुभूति व्यक्ति को न केवल राहत पहुँचाती है वरन् यही वह स्थिति है जो पत्रकारिता मे निहित मनोरंजन के लक्ष्य को पूर्ण करती हुई जन-सामान्य की अभिव्यक्ति का माध्यम भी पत्रकारिता बन जाती है तो मनोरंजन का सहज व सरल साधन भी।

10. सन्देश-प्रेषण का सशक्त माध्यम

पत्रकारिता मनुष्य को एक शक्ति तो देती ही है अपितु सन्देश प्रेषण का माध्यम भी बनती है। यह एक ऐसा शक्ति केन्द्र है जो मनुष्य की बिखरी हुई शक्तियो को मिलाता है और जन-मानस मे जो भाव-विचार और शक्ति-कण बिखरे हुये होते है वे सबके सब पत्रकारिता के द्वारा ही सगठित होकर किसी एक बडी शक्ति का विरोध करने मे सक्षम हो सकते हैं। ऐसी शक्तिमती पत्रकारिता सन्देश-प्रेषण का भी सशक्त माध्यम है। आये दिन हम देखते हैं कि माँ बाप के ममत्व से बिछुडे हुये बालकों, गुमराह हुए व्यक्तियो और उत्तरदायित्व से भागे हुए इन्सानो को नियमित, व्यवस्थित और उपयुक्त सन्देश देने का कार्य भी पत्रकारिता करती है।

11. प्रेरणादायी व जागरूक

पत्रकारिता किसी भी राष्ट्र या देश के लिये प्रेरणादायिनी हो सकती है। पत्रकारिता सामाजिक जागरूकता की जगमगाती किरण है। समाचार-पत्रों मे केवल समाचार ही प्रकाशित नही होते वरन् मत व निर्णय भी प्रकाशित होते हैं। समाचार पत्रो मे सम्पादकीय टिप्पणिया बडी महत्त्वपूर्ण होती है, जिसमे सम्पादक आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक स्थितियो पर मुक्त मस्तिष्क से अपना विचार व्यक्त कर सकता है। अत समाचार-पत्र राष्ट्र को प्रेरणा भी देते हैं और उसका दिशा निर्देश भी करते हैं। भारत मे 'स्वतन्त्रता आन्दोलन' को पत्रकारिता के द्वारा ही शक्ति मिली। पत्रकारिता ने ही देशवासियो के सुप्त स्वाभिमान को जाग्रत किया तथा उन्हे यह प्रेरणा दी कि स्वतन्त्रता, राष्ट्रीयता और एकता जैसे जीवन-मूल्य मनुष्य के अस्तित्व को सुरक्षित रख सकते हैं। राष्ट्रीय भावना व जनमत को बनाने का महान् कार्य पत्रो द्वारा ही सम्भव हो सका।

12. मानवीय गुणों के विकास में सहायक

पत्रकारिता मानवीय गुणो को विकसित करती हुई उसके अंतर्दृष्टि पर पडे आवरण को चीरकर ज्ञानलोक मे ले जाती है। एक पत्रकार जो कुछ भी कहता है वह निर्भीक व स्पष्ट कथन होता है। मानव नित्य समाचार पढता है, अपने

सहज स्वभाव के कारण ही किसी खबर को पढकर वह आन्दोलित हो उठता है। जसमे निर्भीकता, साहस के साथ स्वतन्त्र निर्णय की क्षमता का विकास होता है और मनुष्य समाज व देश की स्थिति का अवलोकन करता हुआ अपनी अन्तर्दृष्टि को सही दिशा मे ले जा सकता है। परिणामत. वह स्वय ही अपने लिये उपयुक्त दिशा-पथ चुन सकता है।

13 सुदृढ कड़ी

पत्रकारिता शासन और समाज के बीच सम्बन्धो की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी निभाती है। जीवन के विविध क्षेत्रों की जानकारी देने वाली पत्रकारिता लोगों को राष्ट्र से और राष्ट्र को लोगो से जोडती है। सरकार की मान्यताएँ, नीतियाँ, समय-समय पर की गयी घोषणायें आदि समाचार-पत्र मे प्रकाशित होती है। जिसके द्वारा जन-जीवन को यह पता चलता है कि शासनतन्त्र किन नीतियो का अनुसरण कर रहा है। समाचार-पत्र इन नीतियो के प्रति जन-सामान्य मे व्याप्त प्रतिक्रियाओं को प्रतिबिम्बित करते हैं और यह निर्धारण करने मे सहायक होते हैं कि लागू की गई नीतियां सही अथवा त्रुटिपूर्ण हैं। पत्रो मे प्रकाशित प्रतिक्रिया के आधार पर शासन-तन्त्र नीतियो मे सशोधन आदि करता है अन्यथा प्रबल जनमत स्वय शासन-तन्त्र मे ही आमूल परिवर्तन कर देता है।

14 जीवन का आधार

पत्रकारिता वर्तमान जीवन का आधार है। सभी वर्ग के लोगो की आवश्यकताओ की पूर्ति, व्यक्तित्व निर्माण और भविष्यनिर्माण के रूप मे पत्रकारिता का महत्त्व है। वर्तमान मानव आज अपनी व्यस्तता के कारण चाहता है कि समस्त ससार मे घटने वाली घटनाओ का लेखा-जोखा उसे कम से कम समय मे मालूम हो जाये। रोजमर्रा जीवन मे काम आने वाली वस्तुओ का लेखा-जोखा तो पत्रो मे होता ही है, साथ मे साहित्य, विज्ञान, खेलकूद, फिल्म आदि से सम्बद्ध पृष्ठ भी इसमे होते हैं। अर्थात् जीवन का प्रत्येक क्षेत्र समाचार-पत्रो मे प्रभावित होता है, क्योकि समाचार-पत्र मे प्रकाशित घटनायें, सूचनायें हमारे ही आसपास के जीवन सन्दर्भों से जुडी हुई होती हैं जो मानव के वर्तमान जीवन का आधार बनती हैं।

पत्रकारिता विविधात्मक है। सभी वर्ग के लोग अपनी आवश्यकताओ की पूर्ति इसके सहारे कर लेते हैं। नौकरी पाने के इच्छुक, खेलकूद की चाहत रखने वाले उपभोक्ता व्यापार से सम्बन्धित व्यापारी वर्ग, धर्म-सभा, सत्सग भजन-कीर्तन मे रुचि रखने वाले अपनी समस्याओ का समाधान करते ही है। इस तरह समाचार पत्र मनुष्य के विचारो, मूल्यो और आदर्शो के निर्माण मे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समाज का प्रत्येक वर्ग चाहे वह गरीब हो या अमीर, मजदूर हो या पूँजीपति, किसान हो या जमीदार, छात्र हो या अध्यापक, शासक हो अथवा प्रजा, नेता हो या

अभिनेता, सभी के विचारों, उनकी गतिविधियों को जन सामान्य तक पहुँचाने में समाचारपत्र सहायक होते हैं। समाचारपत्र वर्ग-चेतना का प्रतीक हैं तो वर्तमान जीवन का अभिन्न अंग। सभी वर्ग के लोग इससे अपने चिन्तन का निर्माण करते हुए, अपनी जिज्ञासा को शान्त करते हुए भविष्य का निर्माण करते हैं। पत्रकारिता के स्वरूप और उसकी अपरिहार्य स्थिति को देखते हुए यह भी कहा जा सकता है कि यह एक कला है, वैज्ञानिक और कलात्मक बोध को जगाने वाला सशक्त माध्यम है।

पत्रकारिता का महत्त्व और उपयोग

पौराणिक युग में नारद देव लोक व मृत्यु लोक के बीच सम्प्रेषण के माध्यम थे। समाचारपत्र आज के युग की ऊष्मामापी का थर्मामीटर है तो वातावरण की सघनता विरलता को अंकित करने का बैरोमीटर भी है। समाचारपत्र वर्तमान की सूचना देता हुआ भविष्य की सम्भावना प्रकट करता हुआ 'मौसम-पक्षी' होता है। आज सामाजिक चेतना-युत मानव समाचारपत्र के थोड़े से विलम्ब पर आने की स्थिति से व्याकुल हो उठता है, क्योंकि 'टी-टेबुल' का मुख्य विषय ही समाचारपत्र है। जन-तान्त्रिक देशों में समाचारपत्रों को "लोकसभा का स्थायी अधिवेशन" कहा गया है।

जैफर्सन ने तो समाचार-पत्र जगत को स्वतन्त्र समाज में यह कहकर सर्वोच्च स्थान दिया है कि, "यदि उनको एक समाचारविहीन शासन व्यवस्था और शासन-विहीन समाचारपत्र वाले समाज में से चुनने को कहा जाए तो वह निःसन्देह समाचार-पत्र वाली व्यवस्था को अंगीकार करेगा।[1] शारीरिक अथवा सामाजिक दण्ड देने की सीधी शक्ति न रखते हुए भी केवल लोकमत के बल पर वर्तमान पत्र इतने सशक्त हैं कि उन्हें "फोर्थ एस्टेट" "पावर बिहाइण्ड दी थ्रोन" "आल पावर फुल" आदि नामों से पुकारा जाता है। बर्क ने पत्रकारिता को "चौथी सत्ता" कहा है तो आस्कर वाइल्ड कहते हैं कि आज तो प्रेस ही एक मात्र रियासत है।"[2]

लोकतन्त्र के चार स्तम्भों की अवधारणा करते हुए हिन्दी दैनिक समाचार पत्र "जनसत्ता" के सम्पादक श्री प्रभात जोशी ने कहा है, "न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और प्रेस में यदि मैं "चौथा खम्भा" हूँ तो पत्रकार होने के नाते मेरा अधिकार और कर्त्तव्य है कि इन तीनों खम्भों को मैं "जज" करूँ।"[3]

---

1. स्वान अप्रैल, 1966, पृ. 17
2. पत्र और पत्रकार ले. श्री कमलापति त्रिपाठी, पृ. 13
3. दिनमान 10–16 मार्च 1985

इन्द्रविद्यावाचस्पति ने पत्रकारिता को "वर्तमान युग का सबसे प्रभावशाली आविष्कार" कहा है।[1] श्री विद्यालकार ने इसे आजकल का 'पाँचवा वेद'[2] बताया है। प्रसिद्ध शायर अकबर इलाहाबादी ने तो यहाँ तक कह डाला कि 'जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।'

समाचार-पत्र समाज के सामने एक समस्या के कई विकल्प प्रस्तुत करते हैं। इससे समाज को निर्णय करने और अपना रास्ता चुनने में आसानी होती है। इन सब कारणों से ही राजेन्द्र ने समाचारपत्र को "श्री जनसाधारण" की संज्ञा दी है।[3] दैनिक समाचारपत्रों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे समूचे विश्व का दर्पण मनुष्य के हाथों में सौंप देता है। सम्प्रेषण के माध्यमों के विकास ने पत्रकारिता को इतना व्यापक बना दिया है कि आज हम घटनाओं को घटते हुए देख व सुन सकते हैं। दूर-दर्शन अर्थात् "टेलीविजन" से हम सैकड़ों किलोमीटर की दूरी की चीजों को आमने-सामने देख सकते हैं। इसी के माध्यम से हम बच्चे, युवा, बूढ़े, पढ़े-अनपढ़, सभी को घर बैठे-बैठे ही तरह-तरह की शिक्षाप्रद जानकारी दे सकते हैं।

"ज्ञान और विज्ञान, दर्शन और साहित्य, कला और कारीगरी, राजनीति और अर्थनीति, समाज शास्त्र और इतिहास, संघर्ष और क्रान्ति, उत्थान और पतन, निर्माण और विनाश, प्रगति और दुर्गति के छोटे-बड़े प्रवाहों को प्रतिबिम्बित करने में पत्रकारिता के समान दूसरा कौन सफल हो सकता है।"[4]

आज के युग में पिछड़ी हुई जातियों के उत्थान में समाचारपत्र ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। समाचारपत्र का उद्देश्य आम जनता की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करना तथा सामाजिक क्रान्ति की दिशा में चेतना जाग्रत करना है। समाज में व्याप्त अन्धविश्वास के विरुद्ध समाचार-पत्र अपना युद्ध छेड़ सकता है। जाति-पाँति, छुआछूत, बाल-विवाह, बेमेल विवाह के विरुद्ध व विधवा विवाह तथा सामाजिक विकास के पक्ष में समाचारपत्र लेखों द्वारा जन मानस को जाग्रत कर सकते हैं। लेखनी तलवार से अधिक शक्तिशाली होती है। एक समाचार जनता में बवण्डर उत्पन्न कर सकता है तो दूसरी ओर वह समाज में शान्ति कायम रखने में सहायक हो सकता है।

समाचारपत्र सामाजिक अज्ञान के विरुद्ध संघर्ष छेड़ते हैं क्योंकि समाचार-पत्र ही "विचित्र बातें", "ज्ञान-विज्ञान", "अवलोकन", "विश्वचक्र" आदि स्तम्भ (व-

---

1. पत्रकारिता के अनुभव ले. श्री इन्द्रविद्यावाचस्पति, पृ 82
2. समाचार पत्र की सूची : ले. सत्यदेवविद्यालकार, प्रस्तावना, पृ 6
3. संवाद और संवाददाता : राजेन्द्र, पृ 3
4. पत्र और पत्रकार पं कमलापति त्रिपाठी, पृ क

शाली कालमों के द्वारा जनता में व्याप्त अन्धविश्वास को मिटा सकता है। "पुस्तक समीक्षा" देकर लोगों के ज्ञान को विकसित करने के लिए उन्हें नयी से नयी पुस्तक से अवगत और परिचित करा सकता है।

"पत्र और पत्रकार" नामक अपनी पुस्तक में पंडित कमला पति त्रिपाठी ने पत्रकारिता की महत्ता को बताते हुए कहा है कि, जीवन, समाज, संस्कृति और विश्व का उत्कृष्ट दर्पण बनाने में पत्रकार कला के समान आज दूसरा कौन है ? अन्याय का प्रतिरोध करने में, नव विचारों और कल्पनाओं का वाहन बनने में, नव रचना के सन्देश का अग्रदूत होने में तथा अनन्त जीवन सागर में उठने वाली लहरियों, हिलोरों, तरंगों तथा तूफानों का प्रतिनिधित्व करने में पत्रकार कलाउसकी सजीव प्रतिमा के रूप में आधुनिक पत्र अपनी सानी नहीं रखते। यही कारण है कि व्यापक मानव समाज पर उसका अभूतपूर्व प्रभाव है।" कहने का तात्पर्य यह है कि सही अर्थों में समाचारपत्र एक अनिवार्यता है। वह सेवा, सूचना, निर्देशन और सही स्थिति के माध्यम होते हैं। कहा भी गया है कि पत्र की पांच मुख्य जिम्मेदारियाँ हैं—सूचना देना, मार्ग-दर्शन, समाचारों का विश्लेषण, मनोरंजन तथा जनता की सेवा करना है। प्रसिद्ध पत्रकार पाल वैनरी का यह कथन कि "हर सुबह यदि किसी बड़ी घटना की खबर न मिले तो हमें एक प्रकार की रिक्तता का अनुभव होता है। हम निराश हो जाते हैं आज के समाचारपत्र में हमें कुछ भी रोचक सामग्री नहीं मिली", समाचारों के महत्त्व तथा उनके वाहक समाचारपत्रों की अपरिहार्यता को भलीभांति प्रकट करता है। स्पष्ट शब्दों में समाचारपत्र ज्ञान के प्रसारक, मनोरंजन के दाता, जनशिक्षण के पुरोधा, दैनंदिन घटनाओं के प्रस्तोता, धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों के व्याख्याता और व्यापक भूमिका पर व्यक्ति को विश्व-मानस से प्रतिबद्ध करने वाला अनिवार्य साधन है। इसकी यह साधनता-यह माध्यमत्व और इस ज्ञानोपयोगकारी शक्ति में ही पत्रकारिता का महत्त्व निहित है।

पत्रकारिता एक निष्ठापूर्ण कर्म

पत्रकारिता एक उद्योग से ज्यादा जनसेवा है। इसका परम लक्ष्य खबरों को एकत्रित करना, उन्हें छापना और प्रसारित करना है। यह काम सटीक और जहाँ तक सम्भव हो, निःस्वार्थ भावना से किया जाना चाहिए। अपने काम से ही एक पत्रकार स्वभावतः जनता और राजनीति की दुनियां में रहता है। यह कार्य उसे प्रलोभनों और बाधाओं को दूर ठेलते हुए करना होता है। सच्चे पत्रकार की यही कसौटी है। जेम्स मैकडोनल्ड के शब्दों में, "पत्रकारिता को मैं रणभूमि से भी कुछ अधिक बड़ी चीज समझता हूँ, यह कोई पेशा नहीं, बल्कि पेशे से कोई ऊँची चीज है। यह एक जीवन है, जिसमें मैंने अपने को स्वेच्छापूर्वक समर्पित किया।"

वास्तव में पत्रकारिता लोक-शिक्षण और लोक-जागृति का सशक्त साधन है और उसमें आदर्शोन्मुख दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। यह एक ऐसा सेवा-व्रत है जो निःस्वार्थ और निर्लिप्त भावना से करना पड़ता है तभी यह प्रभावोत्पादक होता है और जनता व शासन पर असर पड़ता है। बढ़ती हुई साक्षरता और लोकजागरण के वातावरण में हिन्दी पत्रकारिता का भविष्य उज्ज्वल है, बशर्ते कि उसकी सेवा और आदर्शवादिता, निष्ठा और लगन से ही किया जाय।

"लंदन टाइम्स" के भूतपूर्व सम्पादक विकेमस्टीड ने पत्रकारिता को कला, वृत्ति और जनसेवा मानते हुए पत्रकारिता के प्रति निष्ठा व लगन के प्रति कहा है कि, "जब तक कोई यह नहीं समझता है कि मेरा कर्तव्य अपने पत्र के द्वारा लोगों का ज्ञान बढ़ाना, उनका मार्ग-दर्शन करना है तब तक उसे पत्रकारिता का चाहे जितना भी प्रशिक्षण दिया जाये वह पूर्ण रूपेण पत्रकार नहीं बन सकता। सच्चे पत्रकार के लिए यह भी आवश्यक है कि वह यह बात भी न भूले कि पत्र की व्यापारिक और व्यावसायिक स्थिति के आधार पर ही उसको अपने कर्तव्य की पूर्ति का वक्त मिल सकता है।

चर्चिल ने एक बार कहा था कि प्रेस अर्थात् समाचारपत्र उद्योग एक आजाद नागरिक के उन सभी अधिकारों को सदा जाग्रत रखने वाला प्रहरी होता है, जो उसके लिए अनमोल होता है।" समाचार पत्रों का इस अधिकार के साथ-साथ यह कर्त्तव्य भी है कि वे गलतियों को प्रकाश में लाए और क्षुद्रता व पाखण्डपूर्ण समाचारों का पर्दाफाश करे। हर विचार को दबने देने के बजाए, उसे उभरने देना चाहिए ताकि जनता के सामने सारी स्थिति दर्पण के समान स्पष्ट हो सके। यही नहीं, पत्रकारिता को साम्प्रदायिकता, प्रान्तीयता, कट्टरता व अन्धविश्वास और इन सबके ऊपर हिंसा के विरुद्ध लड़ाई लड़नी है।

पत्रकारिता एक विशुद्ध सेवावृत्ति—"मिशन" कार्य है। उसे राष्ट्रीय चरित्र एवं अनुशासन, पारस्परिक सौहार्द्र और देश की भावात्मक एकता को सुदृढ़ एवं परिपुष्ट बनाने के लिए स्वस्थ वातावरण का सृजन करना है। साथ ही समाज में जो असुन्दर है, अशिव है तथा मान्य सत्य का प्रतिरोधी है, उसे अपने स्वस्थ व निर्माणगर्भी आलोचनाओं से निरुत्साहित, तेजोहीन तथा निष्क्रिय बनाना है। अर्थात् जो जर्जर है, रुग्ण है, पंगु है, जड़िमाबद्ध है, उसका कायाकल्प करने हेतु समुचित सत्य क्रिया करना पत्रकारिता का प्रमुख लक्ष्य है।"[1]

पत्रकारिता प्रत्यक्षतः जनजीवन से जुड़ी हुई है। वह एक ऐसी शक्ति है जो सामाजिक विकृतियों को दूर करके जन-मानस में मंगलकारी सुधारों और निर्माणकारी

1. हिन्दी पत्रकारिता माणिक्य प्रकाशन, पृ. 287

तत्वों व मूल्यों की प्रतिष्ठा करता है। जे० वी० मेकी ने इस विषय में कहा है कि एक सच्चा पत्रकार अपने कर्तव्यों को पूरी तरह अनुभव करता है और अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण निष्ठा रखता है, उसकी सबसे बड़ी चिन्ता यही होती है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित कैसे हो।

पत्रकार का कर्तव्य है जनहित की रक्षा करते हुए उसके जीवन-स्तर को उच्च और सुखद भूमिका प्रदान करना। निश्चय ही यह एक दायित्वपूर्ण कर्म है। इस दायित्वबोध की पूर्ति करते हुए एक पत्रकार में यह निष्ठा होनी चाहिए कि उसे वाल्मीकि, व्यास, याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि-मुनियों की परम्परा में, चिन्तन, साधना और तपस्या के व्रत का निर्वाह कर सामाजिक हित और कल्याण हेतु अपनी भूमिका अदा करनी है। पत्रकारिता के काम में पत्रकार जितनी निष्पक्षता बरतेगा, जितनी दायित्व भावना अपनायेगा, उतना ही वह निष्पक्ष, निर्भीक और समाज का सजग प्रहरी बन सकेगा।

पत्रकारिता और पत्रकार

"समाचारों के लेखन, सकलन, सम्पादन और पत्र-पत्रिकाओं की अन्य सामग्रियों को प्रकाशनार्थ तैयार करने वाला ही पत्रकार है।"

—वेब्स्टर्स डिक्शनरी

डी० एच० एस० स्काट के अनुसार, "पत्रकार वह व्यक्ति है जो थोड़े-थोड़े समय के अन्तर पर प्रकाशित अपनी रचनाओं से जनमत को निश्चित दिशा में प्रवाहित करना चाहता है।"

जनता की जरूरतों, उसकी आशा-आकांक्षाओं को प्रतिबिम्बित करने का दायित्व पत्रकार पर ही होता है। अतः पत्रकार में निष्ठा कर्तव्यपरायणता, निर्भीकता, जागरूकता और साहस का होना अनिवार्य है अन्यथा वह इस पुनीत और दायित्वपूर्ण कार्य का निर्वाह करने में असफल रहेगा। एक सच्चे पत्रकार का चरित्र कैसा होना चाहिए इसे श्री प्रकाशचन्द्र मुथालपुरी ने विभिन्न उपमाओं से इस प्रकार सुशोभित किया है,—"वह साहित्यकार की तरह मधुव्रती बनकर जीवन के बिखरे हुए सत्य का मात्र संचयन नहीं करता, वरन् उसे देवर्षि नारद सा भ्रमणशील, संजय सा दूर दृष्टि सम्पन्न, अर्जुन सा लक्ष्यनिष्ठ, एकलव्य सा अध्यवसायी, अभिमन्यु सा निर्भिक, परशुराम सा साहसी सुदामा सा सन्तोषी, दधीचि सा त्यागी, धर्मराज सा सत्यव्रती भीष्म सा अडिग, गणेश सा प्रतिभा सम्पन्न, कृष्ण सा ज्ञानी एवं कर्मयोगी, राम सा मर्यादावादी, कृष्ण-द्वैपायन सा प्रगतिशील, और भगवान शिव सा लोक मंगल के लिए विषपायी होना पड़ता है। ये सभी गुण किसी व्यक्ति में समवेत होकर उसे सम्मानित पत्रकार बनाते हैं और ऐसा पत्रकार ही अपनी पत्रकारिता को,

अपने दायित्वबोध को, सामने से आकर सामाजिक सम्मान और समादर का सच्चा अधिकारी बनता है।[1]

एक पत्रकार को कितना निर्भीक साहसी और कर्त्तव्य परायण होना चाहिए, इसका एक दृष्टान्त स्वर्गीय श्री जवाहर लाल नेहरू के इन वाक्यों में मिलता है कि "आप जो भी लिखें, निर्भीकतापूर्वक लिखें। भीरुता एक भयकर अपराध है। यदि आप हिचकिचाएँगे तो दूसरा घबराएगा नही बहुत से लुढक जायेंगे।" विशुद्ध पत्रकारिता के लिए पत्रकारो का उन्नत चरित्र नितान्त आवश्यक है। हमे अपने पत्रकारो को ऐसी स्थिति मे रखना चाहिए कि उनका चरित्र अक्षुण्ण बना रहे। पत्रकार को किसी भी प्रलोभन मे पडकर सत्य, शिव तथा सुन्दरम् के मार्ग से विचलित नही होना चाहिए। श्री विष्णुदत्त शुक्ल का कहना है, "पत्रकार का काम बडा ही टेढा है। इसमे प्रवेश करने से पहले खूब सोच-समझ लेना चाहिए। लार्ड मार्ले ने एक भोज मे कहा था कि "मैं किसी नवयुवक को यह सलाह नही देता कि वह पत्रकार बने।" मैं लार्ड मार्ले की उस सलाह को दुहराना चाहता हूँ। इस काम मे बडे त्याग, बडी लगन, बडे परिश्रम और बडी जिम्मेवारी की जरूरत है, जो साधारणतया बहुत कम लोगो मे पाई जाती है।[2]

पत्रकारिता कला, वृत्ति और जनसेवा तीनों साथ-साथ है। सच्चा पत्रकार समाज का ज्ञान बढाने, मार्गदर्शन करने और युग की सामयिक समस्याओ को उभारने के साथ-साथ प्रतिस्पर्धा के विचार व्यक्त करने का हामी होता है। पत्रकार किसी पत्र की आँख, कान और मुख होता है। वह घटनाओ का अवलोकन करके गतिविधियो का "श्रवण" करता है और उसे लेखनी के माध्यम से समाचार का रस प्रदान करता है। पत्रकार की समाज के प्रति बडी जिम्मेदारी है। वह अपने विवेक के अनुसार अपने पाठको को ठीक मार्ग पर ले जाता है, वह जो लिखे, प्रमाण और परिणाम् का विचार रखकर लिखे और अपनी गति-मति मे सदैव शुद्ध और विवेकशील रहे। पैसा कमाना उसका ध्येय नही, लोकसेवा उसका ध्येय है।[3]

"चुनौती झेलना पत्रकार का आनन्द है। वह किसी दुर्घटना या अपराध या युद्ध के समाचार की तह तक जाना चाहता है। अत पत्रकार को लेखनी का धनी होने के साथ-साथ सहनशील, धैर्यशील, गोपनीय, परिश्रमी, चतुर, वाकपटु तथा दूरदर्शी आदि गुणों से युक्त होना चाहिए। पत्रकारिता एक साधना है, इसके लिए एकाग्रता, कर्त्तव्यनिष्ठा, परिश्रम, इमानदारी, त्याग, निर्भयता आदि गुणो का होना

1. हिन्दी पत्रकारिता : पृ० 291
2. पत्रकार कला श्री विष्णुदत्त शुक्ल, पृ० 6
3. „ „ „ भूमिका (गणेश शकर विद्यार्थी का कथन)

आवश्यक है। एक पत्रकार के प्रति डॉ० वेद प्रताप वैदिक की मान्यता है—"विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की भाँति खबरपालिका भी लोकतन्त्र का महत्त्वपूर्ण स्तम्भ है। पत्रकार को किसी विशेषाधिकार की आकांक्षा न रखते हुए न्यायाधीश की सी निष्पक्षता और योद्धा की सी निर्भीकता के साथ सच्चाई उजागर करनी चाहिए। वे अपनी स्वयं की आचार संहिता के साथ पत्रकारिता में प्रवेश करें।"

एक पत्रकार के लिए उसकी अन्तरात्मा ही सच्चे अर्थों में उसका पथ-प्रदर्शक होती है। इस बारे में एक बार गाँधीजी ने कहा था कि 'उन्हें जो भी कहना है खुल्लमखुल्ला कहना चाहिए। यह हमारा अधिकार व कर्तव्य है, किन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमें यह काम शिष्टता व संयम की मर्यादाओं में रह कर करना है।"

प्रसिद्ध पत्रकार एडविन ए. लाइये ने एक बार कहा था कि—"मुझे गर्व है कि मैं एक संवाददाता हूँ। मुझे अपने कार्यों में पूरा सन्तोष मिलता है। मैं किसी देश का राष्ट्रपति बनना पसन्द नहीं करूँगा। मैं धन का नहीं, शब्दों का कोष लगाता हूँ।" वस्तुतः इस कथन में लाइये की ही नहीं वरन् प्रत्येक पत्रकार की आत्मा का वास है। पत्रकार चाहे किसी डेस्क पर हो या किसी क्षेत्र विशेष में—उसकी अपनी दुनियाँ है, उसकी लेखनी घटनाओं के मानसरोवर में डुबकी लगाती है। हंस की भाँति मोती चुनती है और समाचारों की मुक्तामाला पाठकों को समर्पित कर देती है।

सुप्रसिद्ध हिन्दी कवयित्री श्रीमती महादेवी वर्मा के अनुसार—"पत्रकारिता एक रचनाधीन विधा है। इसके बगैर समाज को बदलना असम्भव है। अतः पत्रकारों को अपने दायित्व और कर्तव्यों का निर्वाह निष्ठापूर्वक करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के पैरों के छालों से इतिहास लिखा जायेगा।" वास्तव में पत्र का तो उद्देश्य ही यह है कि वह जनता की भावनाओं को अभिव्यक्त करें, जनता में वांछनीय विचारों को जागृत करें और जो दोष हों, उनका निर्भीकता से भण्डाफोड़ करें। पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्र' ने पत्रकार का पेशा 'त्याग का मार्ग माना है जोड़ का नहीं। उनका कहना है कि "पत्रकार बनने के पूर्व आदमी को समझ लेना चाहिए कि यह मार्ग त्याग का है जोड़ का नहीं। जिस भाई या बहिन को भोग-विलास की लालसा हो, वह और कोई धन्धा करें, रहम करे राम इस रोजगार पर। मेरा आदर्श पत्रकार ईमानदार, पादरी, पीर, परमहंस सा नजर आता है। व्यक्तिगत सुख-दुःख के बहुत ऊपर, किसी भी भीड़ में जिसे आसानी से पहचाना जा सके।"

पत्रकारिता जीवन की त्रिविधात्मक, तथ्यात्मक और यथार्थपरक स्थितियों को जनसामान्य तक प्रेषित करने का सशक्त माध्यम है। वर्तमान जीवन में जहाँ

एक ओर तो वैज्ञानिक उपकरणों के आविष्कार से जीवनव्यापी दूरियां समाप्त हो रही हैं और मनुष्य राष्ट्रीय स्तर से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक की स्थितियों से अवगत होने के लिए जिज्ञासु हो उठा है ऐसी स्थिति में पत्रकारिता अपरिहार्य आवश्यकता हो गयी है। वर्तमान जगत् में जहां अनेक साधन उपलब्ध हैं पत्रकारिता का स्वरूप न केवल अखबार तक ही सीमित है अपितु वह जीवन की प्रयोगशाला में घटित स्थितियों का आलेख भी प्रस्तुत करता है।



अध्याय–2

हिन्दी पत्रकारिता का संक्षिप्त इतिहास

पूर्वपीठिका

प्रत्येक युग की अपनी सृष्टि और दृष्टि होती है। आज हम जिन स्थितियों से गुजर रहे हैं, वे कम से कम पत्रकारिता के सन्दर्भ में विशिष्ट और रेखांकित करने योग्य है। आज पत्रकारिता ने जीवन का प्रत्येक पक्ष और प्रत्येक कोना तक छू लिया है। ऐसी स्थिति में यह जिज्ञासा सहज ही उठती है कि क्या पत्रकारिता आकस्मिक रूप से विकसित हुई है अथवा उसके विकास की कोई क्रमिक शृंखला है। मेरी दृष्टि में कोई भी विकास आकस्मिक नहीं होता है और उसकी निरन्तरता और विकासशीलता का एक क्रम होता है व एक सन्दर्भ होता है तथा एक इतिहास होता है। हिन्दी पत्रकारिता भी इसका अपवाद नहीं है। जहाँ तक भारत में पत्रकारिता के उद्भव का प्रश्न है उसकी नींव अंग्रेजों ने डाली। सम्प्रेषण और प्रचार-प्रसार के माध्यम के रूप में पत्रकारिता को जन्म देने और विकसित करने में अंग्रेजों का सहयोग रहा है। सहयोग से तात्पर्य यह नहीं है कि अंग्रेजों ने पत्रकारिता को प्रोत्साहित किया वरन् यही है कि उन्होंने पत्रकारिता के विकास को रोकने के लिए जो भी निषेधात्मक दृष्टिकोण अपनाया और जो अखबारों के प्रति दमन नीति अपनाई, उससे प्रसुप्त भारतीय मानस में नवचेतना का संचार हुआ। अंग्रेजों के निषेध और दमनकारी कदम जैसे-जैसे बढ़ते गए वैसे-वैसे जागृति और नवचेतना की लहर तीव्रतर होती गई। एक तरह से अंग्रेजों का दमनपूर्ण निषेध पत्रकारिता के जन्म के लिए वरदान सिद्ध हुआ। उनके इस निषेध से प्रेरणा लेकर ही भारत की पत्रकारिता विविध भाषाओं में प्रचलन के मार्ग पर अग्रसर हुई। बंगला, अरबी, फारसी, उर्दू आदि भाषाओं में अनेक पत्रों का प्रकाशन आरम्भ हुआ और वर्तमान हिन्दी पत्रकारिता का एक सुदृढ़ आधार मिला।

पृष्ठाधार

आज हमें जो साफ-सुथरा समाचार-पत्र दिखाई देता है, उसका इतिहास बड़ा ही रोचक है। प्राचीनकाल में समाचारपत्र जैसी कोई चीज नहीं थी। कभी-कभी कुछ ऐसी राजकीय घोषणाएँ होती थीं जिन्हें डुग्गी पीटकर जनता के सामने पहुँचा दिया जाता था। नगर में घूमकर मुनादी करने वाले अर्थात् ढोंढ़ीगर के

अलावा ऐसी उद्‌घोषणाएँ भी की थी जो प्रायः गावगीतो मे और समाचार पत्रको के रूप मे होती थी। इसके अलावा प्रचारात्मक पत्रक भी तैयार किए जाते थे जिनमे किसी लड़ाई, सकटकालीन स्थिति, चमत्कारपूर्ण घटना अथवा राज्यारोहण समारोह का वर्णन होता था। कई राजकीय घोषणाओ को शिलाखण्डो, स्तम्भों अथवा मन्दिरो पर उत्कीर्ण करवा दिया जाता था।[1] अशोक के शिलालेख इसी कोटि की घोषणाएँ हैं। अशोक ने अपने धर्म का प्रचार इन्ही लेखो और वैयक्तिक सम्पर्क द्वारा किया था। पुरातन मुद्राएँ भी इस दृष्टि से हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं। इस तरह डोडीगर, घण्टे वाले, पत्थरो पर खुदी घोषणाएँ, मत-मतान्तरो के गुटके, प्रवदान धर्मशाला, सूचना-पत्रक आदि को छपित अखबार के पूर्वज भी कहा जा सकता है।

ई. पू पाचवी शताब्दी मे पहले रोम मे सवाद-लेखक हुआ करते थे जो राजधानी से दूर-स्थित नागरिको तक समाचार लिखकर पहुँचाया करते थे। मुद्रण कला का आविष्कार हो जाने के बाद भी व्यापारी वर्ग और राजनीतिज्ञो को इस प्रकार लिखे पत्रो द्वारा खबरें दी जाती थीं। ई. पू 60 मे जब जूलियस सीजर ने रोम साम्राज्य की परिषद् का नेतृत्व सम्भाला तो उसने तुरन्त "एक्ट डायना" नामक दैनिक समाचार बुलेटिन शुरू करवाया परन्तु इसमे मुख्य रूप से सरकारी घोषणाएँ होती थी और इन्हे प्रतिदिन रोम शहर के सार्वजनिक स्थलो पर चिपकाया जाता था।

एशिया और अन्य यूरोपीय देशो मे 16वी शताब्दी मे मेलो मे, दुकानो पर समाचार पर्चियो की बिक्री होती थी। इन पर्चियो पर युद्ध की खबर, दुर्घटनाओ के ब्यौरे, चौंकाने वाले प्रसग या राजदरबारो के किस्से प्रकाश मे लाये जाते थे।

भारत मे मुगल साम्राज्य की स्थापना के साथ ही समाचार साधनो के क्षेत्र में नये युग का प्रारम्भ हुआ। मुगलो ने सचार सेवाओ के लिए सूचनाधिकारियों का देश भर मे गठन किया। राजधानी मे मुख्य कार्यालय से विविध प्रदेशो की सेना के अधिकारियो तक निरन्तर सूचनाएँ भेजी जाती थी। इन्होने सवाद लेखको की नियुक्ति भी की। उन्हे 'वाक्यानवीस' कहा जाता था। ये वाक्यानवीस विशेष घटनाओ के समाचार सग्रहित कर हस्तलिखित पत्र निकालने वालो के पास भेजते थे। धावको, कासीदो और हरकारो द्वारा समाचार भेजे जाते थे। इन समाचारो मे राजदरबारो राजदरबारियो तथा उन्ही से सम्बन्धित घटनाओ का सग्रह रहा करता था। इन समाचारो से दरबारो व दरबारियो की गतिविधियो का पता तो लगता ही था साथ ही कभी-कभी तो इन हस्तलिखित समाचारो के आधार पर ही राजकीय निर्णय होते थे। वाक्यानवीस के भेजे गए खतो के सारांश दिल्ली के बादशाह को पढकर सुनाये जाते थे।

---

1. डॉ. लक्ष्मीनारायण सुधांशु : हिन्दी साहित्य का बृहद् इतिहास, त्रयोदश भाग।

वेनिस निवासी निकोला मनूकी नामक एक इतालवी यात्री ने जो औरंगजेब के दरबार में कुछ समय रहा था, लिखता है कि 'मुगलों का यह अटल नियम था कि वाक्यानवीस और कैफियत नवीस अर्थात् साम्राज्य सम्बन्धी सार्वजनिक और गुप्त समाचारों का लेखक सप्ताह में एक बार अपनी पुस्तक में यह जरूर दर्ज करता था कि क्या वाक्या गुजरा है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह एक तरह का गजट अथवा सारांश तैयार करता था जिसमें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख होता था। इन समाचार वाले पत्रों को बादशाह के सामने रात्रि को नौ बजे हरम की बेगमें पढ़ती थीं जिससे बादशाह को यह पता रहता था कि उसके राज्य में क्या-क्या हो रहा है? इसके अतिरिक्त गुप्तचर भी तैनात रहते थे जो महत्त्वपूर्ण विषयों पर साप्ताहिक ब्यौरा भेजा करते थे। उनके ब्यौरों का मुख्य विषय यह होता था कि शाहजादे क्या कर रहे हैं? अपना यह कर्तव्य वह लिखित ब्यौरा भेजकर पूरा करते थे। बादशाह आधी रात तक जागकर तन्मयता से उपर्युक्त बातों में व्यस्त रहता है।'

बहादुरशाह के काल में हस्तलिखित "सिराज उल अखबार" प्रसिद्ध था। दरबारों के अमीर उमरा भी हस्तलिखित अखबार निकालते थे। इनको "अखबार-नवीस" कहते थे। कहा जाता है कि अवध के सुल्तान ने 660 "अखबारनवीस" नियुक्त कर रखे थे और प्रत्येक को चार या पाँच रुपये मासिक वेतन दिया जाता था। किन्तु न तो यह छपते थे न इनका प्रकाशन नियमित था और जो चाहे इन्हें खरीद भी नहीं सकता था। इसलिए सही अर्थों में इन्हें समाचारपत्र नहीं कहा जा सकता।

- —अंग्रेजों के आगमन से पहले भारत में पहला छापाखाना गोआ में सन् 1557 में स्थापित हुआ था जिसमें मलयालम भाषा में पहली ईसाई धर्म की पुस्तकें छपीं।
- —दूसरा प्रेस सन् 1578 में तमिलनाडु के तिनेवली जिले के पौरीकील नामक स्थान पर लगा।
- —तीसरी प्रेस सन् 1602 में मालाबार के विपिकोटा में पादरियों ने स्थापित की।
- —सं० 1616 में बम्बई में पुर्तगालियों ने जब अंग्रेज भारत आए एक प्रेस की स्थापना की।
- —सन् 1679 में त्रिचूर के दक्षिण में अम्बलकाड़ में प्रेस लगा जिसमें "कोचीनतमिल शब्दकोष" छापा गया।
- —सन् 1662 में काठियावाड़ के भीमजी पारख ने बम्बई में छापाखाना स्थापित किया।

—इसके विपरीत सन् 1674 में बम्बई मे पहला अंग्रेजी छापाखाना स्थापित हुआ। इसके लगभग 100 वर्षों बाद।

—1772 मे मद्रास में दूसरा छापाखाना।

—1779 मे कलकत्ते मे सरकारी छापेखाने की स्थापना हुई।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अधिकारी समाचारपत्रो के प्रति बहुत ही शंकित थे, वे किसी भी तरह की आलोचना बर्दाश्त नही करते थे। मुनाफाखोरी, पक्षपात और माल हथियाने के वातावरण मे विचार प्रकट करने की आजादी तो दूर की बात, समाचार भेजने तक की स्वतन्त्रता नही थी। यहाँ तक कि अग्रेजो द्वारा उन्ही के हितो की रक्षा करने वाले पत्रो के प्रति भी उन्हे भय बना रहता था। यद्यपि कम्पनी ने बम्बई, मद्रास और कलकत्ता मे छापेखाने लगवा रखे थे और उनके लिए टाइप व कागज की भी व्यवस्था कर रखी थी, परन्तु उन दिनो अंग्रेजी भाषा का कोई भी समाचारपत्र नही छपता था। फिर भी इग्लैण्ड की प्रेस से प्रेरणा लेकर भारत मे पत्रकारिता का सिलसिला आरम्भ हुआ। भारत मे सबसे पहले समाचार-पत्र उन लोगो ने शुरू किए जिन्हे कम्पनी के विरुद्ध शिकायतें थी। उन्होंने अपनी शिकायतो को प्रकट करके कम्पनी की नौकरी छोड़ कर समाचारपत्र निकालना शुरू किया।

समाचार पत्र निकालने का पहला प्रयास 1768 में

सितम्बर, 1778 मे कलकत्ता के कौंसिलहाल एवं अन्य सार्वजनिक स्थानो मे एक नोटिस लगा हुआ पाया गया जो इस प्रकार था—

"जन-साधारण से"

श्री बोल्टाज जनता को सूचना प्रदान करने के लिए यह तरीका अपनाते हैं। इस नगर मे छापाखाना न होने से व्यापारी वर्ग को बहुत नुकसान रहता है और समाज को वे समाचार दिया जाना अत्यन्त कठिन है, जिनमे हर ब्रिटिश प्रजा की दिलचस्पी है। इसलिए श्री बोल्टाज उस या उन व्यक्तियो को सर्वाधिक प्रोत्साहन प्रदान करने को तैयार है, जो मुद्रण का काम जानते हैं, प्रेस टाइपो तथा अन्य का प्रबन्ध कर सकते हैं। इसके साथ ही वह जनता को सूचित करना चाहते हैं कि उनके पास लिखित रूप मे ऐसी जानकारी है, जिसमें हर व्यक्ति की गहरी दिलचस्पी होगी। जो जिज्ञासु व्यक्ति चाहे, उन्हे श्री बोल्टाज के घर मे वह सामग्री पढ़ने एव नकल करने की अनुमति होगी। एक व्यक्ति प्रात: दस से बारह बजे तक इच्छुक व्यक्तियो को इसमें सहायता प्रदान करने के लिए रहेगा।

यह पत्रकारिता की शुरुआत थी।

इस नोटिस से दफ्तरी हलको मे भय और असन्तोष फैल गया तथा अग्रेज

अधिकारियों में खलबली मच गई। गुप्तचरों को इसमें भारी खतरे की सम्भावनाएँ नजर आयी। इसी कारण बोल्ट को कोर्ट ऑफ डायरेक्टरों ने कम्पनी के नाम से अपना व्यापार करने का दोषी ठहराया जिसके कारण उसे कम्पनी की नौकरी से त्याग पत्र देना पड़ा। अंग्रेज सौदागरों द्वारा नियन्त्रित बंगाल सरकार ने मिस्टर बोल्ट को बंगाल छोड़कर यूरोप लौट जाने को कह दिया। नहीं जाने पर बोल्टाज को जबरदस्ती एक जहाज में डालकर भारत से बाहर ले जाया गया। जहाँ उसने "कमीडरेशन ऑन इण्डिया ऐफेयर्स" नामक पुस्तक लिखकर भारत में स्थापित कम्पनी प्रशासन का भण्डाफोड़ किया।

बोल्ट के पश्चात् इस काम को आगे बढ़ाने का 12 वर्षों तक किसी ने भी प्रयास नहीं किया। भारत में रहने वाले यूरोपीय समाज को समाचारपत्रों के लिए पूरी तरह इंग्लैण्ड पर निर्भर रहना पड़ता था क्योंकि वहाँ पत्र प्रकाशित होने के लगभग नौ महीनों या एक वर्ष बाद भारत में मिलते थे।

भारत में समाचारपत्र

देश में सबसे पहला समाचारपत्र अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजी भाषा में और उनकी अपनी आर्थिक प्रतिद्वन्द्विता के कारण निकला। इस सम्बन्ध में सम्पादकाचार्य प. अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी ने लिखा है कि उस समय कम्पनी के सिवा भारत के व्यापार में मालामाल होने के लिए बहुत से अंग्रेज स्वतन्त्र रूप से व्यापार करने बंगाल में आए थे। इन्होंने देखा कि कम्पनी के कर्मचारी अपना स्वतन्त्र व्यापार चलाते हैं और अन्य लोगों के व्यापार में बाधा डालते हैं। इस बाधा के निवारण करने के दो उपाय थे। एक तो इस देश में शिक्षा का प्रसार करके लोकमत को जाग्रत करना और दूसरा सब स्वतन्त्र अंग्रेज व्यापारियों का ऐसा संगठन बनाना, जिससे अन्याय यदि पूर्ण रूप से बन्द न हो जाए तो कम तो अवश्य ही हो जाए। पहला उपाय समय व श्रम साध्य था, इसलिए दूसरे उपाय की ओर ही अधिक ध्यान दिया गया।[1]

पहला समाचारपत्र—"बंगाल गेजेट ऑफ कैलकटा जरनल एडवाइजर"

बोल्ट के 'नोटिस' के 12 वर्ष पश्चात् 29 जनवरी 1780 में आगस्टस हिकी ने इस कैलकटा जरनल एडवाइजर नामक पत्र की शुरूआत कर भारतीय पत्रकारिता की ऐतिहासिक नींव रखी। हिकी ने निर्भयतापूर्वक अपने पत्र में कम्पनी के प्रशासन और भारत में बसे तत्कालीन अंग्रेज अधिकारियों के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया। विभिन्न आरोप लगाने के कारण हिकी पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके

---

1. अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी : समाचार-पत्रों का इतिहास, पृष्ठ 28.

आपत्तिजनक और खिल्ली उड़ाने वाले लेखों का परिणाम हुआ कि सरकार ने सबसे पहले पोस्ट आफिस में 'बंगाल गजट' को रोक लिया। अपमानित करने के उद्देश्य से आपत्तिजनक लेख लिखने के कारण कीरनैंडर ने उसके विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया, जिसके फलस्वरूप उसे चार महीने की जेल व 5000 रु जुर्माने की सजा भुगतनी पड़ी। लेकिन हिकी इससे नहीं घबराया उसने गवर्नर जनरल और मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इंपे के विरुद्ध कड़े शब्दों और गाली-गलौच वाली भद्दी भाषा में लिखना प्रारम्भ कर दिया। फलस्वरूप मुख्य न्यायाधीश ने उस पर जुर्माना कर दिया। जमानत नहीं देने पर उसे फौरन नजरबन्द कर दिया गया। हिकी ने जेल में ही अपने गजट का सम्पादन किया, पर अपने रवैये में कोई परिवर्तन नहीं किया फलस्वरूप उसे एक साल की कैद व 200 रु जुर्माना किया गया और उसका पत्र बन्द कर दिया गया। हिकी का यह वक्तव्य "अपने मन और आत्मा की स्वतन्त्रता के लिए अपने शरीर को बन्धन में डालने में मुझे आनन्द आता" पत्रकारों के लिए आज भी प्रेरणाप्रद है। अनेक कमियों और अतिरेक भरे लेखन के बाद भी यह मानना होगा कि भारत में स्वतन्त्र प्रेस को जन्म देने का श्रेय हिकी को ही है।

इस पत्र के बाद कलकत्ता से 17 नवम्बर, 1780 में पीटररीड, फरवरी 1784 में कैलकटा गजट, फरवरी 1785 में बंगाल जरनल निकला। 'बंगाल जनरल' के सम्पादक विलियम डुएन ने हिकी के बाद ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अभियान आरम्भ किया। परिणामस्वरूप उसे भी अपनी सम्पत्ति छोड़कर भारत से जाना पड़ा। उन्हीं दिनों मद्रास में "मद्रास कोरियर" 1785, इण्डियन हेराल्ड, बम्बई से बाम्बे हेराल्ड, (1789), बाम्बे गजट आदि अनेक पत्र-प्रकाशित हुए पर अब तक जितने भी पत्र भारत में निकले वे सब अंग्रेजी में ही थे। भारतीय भाषाओं में सबसे पहला नियतकालिक पत्र 1818 में बंगला में छपा जिसका नाम "दिग्दर्शन" था। इसकी स्थापना जे. सी. मार्शमैन नाम के एक ईसाई पादरी ने की। बाद में "दिग्दर्शन" साप्ताहिक रूप में "समाचार दर्पण" के नाम से प्रकाशित होने लगा। 1829 में यह पत्र सप्ताह में दो बार छपने लगा। इसमें स्थानीय और विदेशी दोनों तरह की खबरें बंगला और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित की जाती थी। इस समय राजा राममोहनराय शिक्षित, उदार, सुधारक विचारों के नेता थे। वे अंग्रेजी, फारसी, बंगला और संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान् थे। ईसाई धर्म के आक्रमण का उन्होंने विरोध किया। सही अर्थों में देशी पत्रकारिता के जन्म का श्रेय राजा राममोहनराय को ही है। भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान के क्षेत्र में राममोहनराय ही भोर के तारे की भांति देदीप्यमान थे। ईसाइयों के धर्म के प्रचार के कारण राजा राममोहनराय को यह चिन्ता हुई कि एक विजातीय धर्म भारतीय वैशिष्ट्य को सदा के लिए समाप्त कर देना चाहता है। इसी संघर्ष के प्रभाव में उन्होंने बंगला में "संवाद कौमुदी" (1820), बंगदूत (1820), (बंगला, फारसी, हिन्दी

व अंग्रेजी) तथा ब्राह्मनिकल मैगजीन (अंग्रेजी व बंगला) निकाली। राममोहन राय इसमें शिवप्रसाद शर्मा के छद्म नाम से लिखते थे। आगे चलकर अपने विचारों के प्रचार के लिए राममोहन राय ने 1821 में फारसी में "मीरात उल अखबार" निकाला। इसे अपनी तेजस्विता और ख्याति के कारण ब्रिटिश सरकार की दमन नीति का शिकार होना पड़ा। अपने सम्पादकीय दायित्व की चर्चा करते हुए राजा राममोहन राय ने अपने अखबार में लिखा—मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है कि मैं जनता के सामने ऐसे बौद्धिक निबन्ध पेश करूँ जो उनके अनुभवों को बढ़ाएँ और सामाजिक प्रगति में सहायक हों। मैं अपनी शक्तिभर शासकों को उनकी प्रजा की परिस्थितियों का सही परिचय देना चाहता हूँ और प्रजा को उनके शासकों द्वारा स्थापित कानून और तौर-तरीकों से परिचित कराना चाहता हूँ ताकि शासन जनता को अधिक से अधिक सुविधा देने का अवसर पा सके और जनता उन उपायों से परिचित हो सके जिनके द्वारा शासकों से सुरक्षा पाई जा सके और उचित माँगें पूरी करायी जा सकें।

विचारों के तीव्र संघर्ष के कारण कलकत्ता में दो दल हो गए। एक उदार प्रगतिशील सुधारकों का दल था, जो समाज और ब्रिटिश शासन दोनों में सुधार चाहता था। इस दल के नेता राजा राममोहनराय थे। इस दल के विचारों का प्रचार "संवाद कौमुदी", कैलकटा जरनल और "मीरात उल अखबार" द्वारा होता था।

दूसरा दल कट्टर, रूढ़िवादी, सुधार-विरोधी और सरकारी रीति-नीति के समर्थकों का था। धीरे-धीरे उदार नीति वाले समाचारपत्रों का प्रभाव बढ़ने लगा। इससे भारत में कम्पनी सरकार और इंग्लैण्ड में कम्पनी के डायरेक्टरों में घबराहट पैदा हो चली और समाचारपत्रों के नियन्त्रण का उपाय सोचा जाने लगा।

सरकारी दमन नीति

भारतीय पत्रकारिता के विकास के साथ ही ब्रिटिश सरकार की दमन नीति उग्र होती गई। लार्ड वेलेजली के समय में भारतीय पत्रों को कुण्ठित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने पहला प्रेस कानून 13 मई 1799 में बनाया। इस कानून के पीछे ब्रिटिश सरकार की एक ही मंशा थी कि भारत के लोगों को जहाँ तक हो सके बर्बरता और अन्धकार में रखा जाए। ये नियम इस प्रकार थे—

1. प्रत्येक समाचार-पत्र को सम्पादक एवं संचालक के नाम सरकार को लिखित रूप में देने होंगे।
2. प्रत्येक समाचार-पत्र के अंक पर मुद्रक एवं सम्पादक के नाम अंकित करने होंगे।

3. समाचार-पत्र की सामग्री का सर्वेक्षण किसी सरकारी अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
4. रविवार को समाचार-पत्र का प्रकाशन नहीं किया जाएगा।

इन नियमों का उल्लंघन करने पर देश से निष्कासित किया जा सकता है साथ ही जहाजों, सेना, युद्ध सामग्री, कम्पनी के देशी राज्यों के प्रति सम्बन्ध, सरकारी आय, सरकारी अधिकारों के कार्यों आदि विषयों व घटनाओं से सम्बन्धित समाचार नहीं छापे जा सकते हैं। लार्ड हैस्टिंग्ज (1813) ने सेंसर के नियमों को कुछ शिथिल किया और प्रेस सम्बन्धी कुछ स्पष्ट निर्देश जारी किए—

1. किसी प्रकार की ऐसी खबर प्रकाशित नहीं की जाए जो कोर्ट के डायरेक्टरों, ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों, कौंसिल के सदस्यों, सुप्रीम कोर्ट के जजों तथा कलकत्ता के बड़े पादरी के सार्वजनिक कार्य अथवा प्रतिष्ठा के विरुद्ध हो।
2. किसी के धार्मिक विश्वासों और भावनाओं पर चोट करने वाली तथा भारतीय प्रजा में आतंक पैदा करने वाली बातों का प्रकाशन न किया जाए।
3. किसी के व्यक्तिगत आचरण पर आघात करने वाली खबरें न छापी जाए।
4. किसी विदेशी पत्रिका से ऐसी बातों को उद्धृत कर पुनः न प्रकाशित किया जाए जो असंतोष की सृष्टि का कारण बनें।[1]

इस प्रकार हैस्टिंग्ज के कार्यकाल में भारतीय पत्रों ने थोड़ी स्वतन्त्रता की सांस ली ही थी कि उनके उत्तराधिकारी के रूप में ऐडम का भारत में पदार्पण हुआ। वह पत्रों की स्वतन्त्रता का पूर्णतः विरोधी था। 4 अप्रैल, 1823 ई० को ऐडम ने सुप्रीम कोर्ट के सामने समाचार-पत्रों के नियन्त्रण के प्रस्ताव रखे। उन सब पर विचार होने के बाद गवर्नर जनरल ने रेग्यूलेशन जारी किया। इसके अनुसार सरकारी अनुमति के बिना पुस्तकों, पत्रों का छापना और प्रेस का उपयोग करना निषिद्ध ठहराया गया। बिना लाईसेन्स के चलने वाले प्रेसों को जब्त कर लेने और उन्हें सरकार की मर्जी के मुताबिक बेच देने का नियम बनाया। लाईसेन्स के लिए सरकार के पास दरख्वास्त देने और उसे स्वीकार करने या अस्वीकार करने का निर्णय सरकार पर छोड़ा गया। यह एक ऐसा काला कानून था कि राजा राममोहन राय जैसे सन्तुलित विचारों के व्यक्ति ने भी इसके प्रतिवाद का नेतृत्व किया। उन्होंने 500 व्यक्तियों के हस्ताक्षर के साथ सुप्रीम कोर्ट को प्रतिवाद भेजा। प्रेस नियन्त्रण

1. डॉ॰ कृष्णबिहारी मिश्र हिन्दी पत्रकारिता पृ 23.

के विरुद्ध राजा राममोहनराय की याचिका को कुमारी सोफिया कालेट ने इसे भारतीय पत्रकारिता की "एरोपेगीटिका" कहा है। परन्तु इसका परिणाम कुछ नहीं निकला और 4 अप्रैल, 1823 को समाचारपत्र तथा प्रेस सम्बन्धी जो कानून जारी हुआ, उसका सबसे पहला वार राजा साहब के "मीरात उल अखबार" पर ही हुआ।

'मीरात उल अखबार' को बन्द करते हुए राजा राममोहन राय ने लिखा—"जो परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है उसमें पत्र का प्रकाशन रोक देना ही एक मार्ग रह गया है। जो नियम बने हैं उनके अनुसार किसी यूरोपीयन सज्जन के लिये जिनकी पहुँच सरकार के चीफ सेक्रेटरी तक सरलता से हो जाती है, सरकार से लाईसेन्स लेकर पत्र निकाल देना आसान है पर, भारत के किसी निवासी के लिये जो सरकारी भवन की देहरी लांघने में भी समर्थ नहीं हो पाता, पत्र प्रकाशन के लिये सरकारी आज्ञा प्राप्त करना दुष्कर कार्य हो गया है। फिर खुली अदालत में हलफनामा दाखिल करना भी कम अपमानजनक नहीं है। लाईसेन्स के लिए जाने का खतरा भी सदा सिर पर झूला करता है। ऐसी दशा में पत्र का प्रकाशन रोक देना ही उचित है।"[1]

दूसरी बार में उनके समकालीन जेम्स सिल्क बकिंघम के पत्र "कैलकटा जरनल" (9 अक्टूबर, 1818) का सण्डाफोड पत्रकारिता के लिये शासकों का कोपभाजन बनना पड़ा। उसके सह-सम्पादक सेंडर्स आरनाट निर्वासित कर दिये गये। प. अम्बिका प्रसाद वाजपेयी ने इस पत्र के बारे में लिखा है—"इसकी सी स्वतन्त्रता व उदारता पहले किसी पत्र में नहीं देखी गई"[2] "कैलकटा जनरल" ने समाचार पत्रों का स्वरूप कैसा होना चाहिए यह स्पष्ट किया। जेम्स बकिंघम हमेशा भारतीय समस्याओं और कम्पनी के हाथों में भारत का शासन बनाए रखने के विरुद्ध लगातार अभियान चलाता रहा यही कारण है कि जेम्स बकिंघम का नाम भारत में प्रेस की स्वतन्त्रता के लिए किए जाने वाले संघर्षों में सर्वोच्च स्थान रखता है।

लार्ड हैस्टिंग्स के भारत से जाने के बाद जान एडम कार्यवाहक गवर्नर बने। वे प्रेस की स्वतन्त्रता के कट्टर विरोधी थे और जेम्स को वह प्रेस स्वतन्त्रता का प्रतीक मानते थे। अतः उन्होंने 1823 में जेम्स बकिंघम को देश निकाला दे दिया और इस प्रकार भारतीय पत्रकारिता का एक मसीहा समाप्त हो गया।

जान एडम के बाद एमहर्स्ट गवर्नर जनरल बने जिनके शासन काल में प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध ज्यों के त्यों रहे।

---

1. कमलापति त्रिपाठी पत्र और पत्रकार पृ. 92
2. समाचारपत्रों का इतिहास, पृ. 38

दिसम्बर, 1825 में अमहर्स्ट के समय में प्रेस सम्बन्धी एक नया कानून बना जिसके अनुसार किसी पत्र से भी कम्पनी के किसी भी कर्मचारी का किसी प्रकार का सम्बन्ध निषिद्ध कर दिया गया।

सन् 1828 में लार्ड विलियम बैण्टिक भारत के गवर्नर जनरल होकर आए। शुरू में इन्होंने पत्रों के प्रति उदारता दिखाई परन्तु पत्रों की स्वतन्त्र टिप्पणी के रवैये को देखते हुये इन्होंने भी पत्रों की स्वतन्त्रता को नियन्त्रित करने में ऐडम के पथ का ही अनुसरण किया। इसके बाद आए मेटकाफ, इन्होंने भारतीय पत्रों के प्रति काफी रुचि दिखाई। 15 सितम्बर 1835 को उसने समाचार पत्र की लाइसेंस प्रणाली को समाप्त करके समस्त समाचार पत्रों के स्वतन्त्र विकास एवं प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मेटकाफ ने नये कानूनों के अन्तर्गत राजद्रोही, आपत्ति जनक तथा उकसाने एवं भड़काने वाले लेख व उसके लेखक को प्रतिबन्धित किया— डॉ रामरतन भटनागर ने लिखा है कि "भारतीय पत्रकारिता के पूरे इतिहास में पत्रों की स्वतन्त्रता के लिये प्रयत्न परिश्रम करने वाला मेटकाफ के समान ईमानदार दूसरा कोई अंग्रेज नहीं मिलेगा। इन्होंने बैण्टिक के विरुद्ध मत प्रगट किया और पत्रों सम्बन्धी उसकी नीति का बड़े ही जोश से विरोध किया।[1] सर चार्ल्स मेटकाफ ने अखबारों पर से पाबन्दियाँ उठा लीं। फिर लार्ड लिटन के वाइसराय होने तक अखबार ऐसी ही आजादी में रहे—सिर्फ 1857 के गदर जमाने को छोड़कर।[2] मेटकाफ के बाद जून 1857 में लार्ड कैनिंग का प्रेस एक्ट (जो कि गलाघोंट प्रेस एक्ट 1857 के नाम से प्रसिद्ध है), 1 मार्च, 1878 को वर्नाकुलर एक्ट (इसे लार्ड रिपन द्वारा 7 दिसम्बर, 1881 को खत्म कर दिया गया) बना। इस प्रकार कानूनों के बनने व खत्म होने के बीच राजा राममोहनराय ने जिस सुधारवादी आन्दोलन का सूत्रपात किया था, वह नये-नये सुधारों और विचारों का बौद्धिक अवलम्ब पाकर निरन्तर विकासमान होता गया। बर्तानिया सरकार की अत्यधिक अनुदारता के व्यवहार ने भारतीय मानस को इतना पीड़ित कर दिया कि उसकी गहरी प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक थी। राजा साहब व मैकाले के प्रयत्नों से अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। उसका पहला स्वस्थ परिणाम यह हुआ कि आधुनिक जगत् की आधुनातन राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों को एक हद तक हम समझने लगे और पराधीनता से त्राण पाने की आतुरता हममें बढ़ने लगी।

---

1. रामरतन भटनागर : दि राइज एण्ड ग्रोथ ऑफ हिन्दी जर्नलिज्म
2. डॉ पट्टाभि सीतारमैया : कांग्रेस का इतिहास, भाग–9, प्रथम संस्करण

हिन्दी पत्रकारिता का उद्भव (1826–1867)

उदन्त मार्तण्ड

हिन्दी के प्रथम समाचारपत्र होने का गौरव व हिन्दी पत्रकारिता के प्रारम्भ का श्रेय उदन्त मार्तण्ड को प्राप्त है। यह साप्ताहिक पत्र 30 मई, 1826 को युगलकिशोर शुक्ल ने कलकत्ता के कोलू टोला मोहल्ले में निकाला था। उदन्त मार्तण्ड के अंकों में इसका परिचय छपा मिलता है। यह दुर्भाग्य ही था कि हिन्दी पत्रकारिता के उदय के साथ ही आर्थिक अभावों का ग्रहण भी शुरू हो गया। यह पत्र सरकारी सहयोग के अभाव व ग्राहकों की कमी के कारण कम्पनी सरकार के प्रतिबन्धों से अधिक नहीं लड पाया और 4 दिसम्बर, 1827 को सदा के लिये अस्त हो गया। इसके अन्तिम अंक में सम्पादक प. युगलकिशोर शुक्ल ने लिखा—

> "आज दिवस लौं उग चुक्यो, मार्तण्ड उदन्त।
> अस्ताचल को जात है, दिनकर दिन अब अन्त॥"

उदन्त मार्तण्ड से पूर्व कोई भी हिन्दी समाचारपत्र नहीं निकला था। इसकी पुष्टि इसी पत्र में प्रकाशित टिप्पणी से होती है, "यह उदन्त मार्तण्ड अब पहले पहल हिन्दुस्तानियों के हित के हेतु जो आज तक किसी ने नहीं चलाया पर अंग्रेजी और फारसी बंगले में जो समाचार का कागज छपता है उसका सुख, उन बोलियों के जानने को, पढ़ने वालों को ही होता है। इससे सत्य समाचार हिन्दुस्तानी लोग देखकर आप पढ़ और समझ लेय औ पराई अपेक्षा न करें औ अपने भाषा की उपज न छोड़ें।" यद्यपि उदन्त मार्तण्ड डेढ़ वर्ष ही चला, फिर भी यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि यह पत्र हिन्दी का पहला समाचारपत्र होने पर भी भाषा और विचारों की दृष्टि से सुसम्पादित पत्र था।

बंगदूत

उदन्त मार्तण्ड के बाद कलकत्ता से ही द्वितीय उल्लेखनीय पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा सम्पादित हिन्दू हेराल्ड था जो बंगला, फारसी, अंग्रेजी व हिन्दी में निकला और जो बंगदूत नाम से जाना जाता है। यह पत्र 10 मई, 1829 को प्रकाशित हुआ। यह पत्र साप्ताहिक था। इसके सम्पादक नीलरतन हालदार थे। बंगदूत की उम्र थोड़ी थी पर उदन्त मार्तण्ड से अधिक थी।

बनारस अखबार

उत्तर प्रदेश से श्री गोविन्द नारायण थत्ते के सम्पादन में जनवरी, 1845 में 'बनारस अखबार' निकला। इसके संचालक मनीषी राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द थे। बहुत से लोग इसे ही हिन्दी का प्रथम अखबार मानते हैं। परन्तु यह हिन्दी-

भाषी प्रदेश का प्रथम समाचारपत्र अवश्य था न कि हिन्दी का पहला अखबार। इसमे देवनागरी लिपी का प्रयोग होता था।

इसमे अरबी व फारसी शब्दो की भरमार थी जिसको समझना साधारण जनता के लिये कठिन था। इस पत्र मे संस्कृत की पुस्तकों के कुछ अनुवाद, स्थानीय समाचार तथा कुछ अन्य पत्रों मे प्रकाशित सामग्री के उद्धरण रहते थे। इसमे हिन्द की अपेक्षा उर्दू अधिक होती थी।

बनारस अखबार के बाद कलकत्ते से 11 जून, 1846 को 'इण्डियन सन्' (मार्तण्ड), इन्दौर से 6 मार्च, 1848 को मालवा अखबार प्रकाशित हुआ। यह पत्र मध्य भारत ही नही वरन् वर्तमान मध्यप्रदेश के पश्चिमी हिन्दी क्षेत्र से निकलने वाला प्रथम पत्र था।

सुधाकर

1850 मे श्री तारामोहन मैत्रय नामक बंगाली ने बनारस से "सुधाकर" पत्र निकाला। यह पत्र साप्ताहिक था तथा बंगला व हिन्दी दोनो मे प्रकाशित होता था। भाषा की दृष्टि से "सुधाकर" को ही हिन्दी प्रदेश का पहला पत्र कहना चाहिये। 1853 मे यह पत्र केवल हिन्दी मे ही प्रकाशित होने लगा। यह नागरी लिपि तथा हिन्दी भाषा मे प्रकाशित होता था और सीयो पर सुधाकर प्रेस से छपता था। इसके मुद्रक पण्डित रत्नेश्वर तिवारी थे। इस पत्र मे ज्ञान तथा मनोरंजन की पर्याप्त सामग्री होती थी।

बुद्धि प्रकाश

मुन्शी सदासुखलाल के सम्पादन मे 1852 मे आगरा से 'बुद्धिप्रकाश' निकला। यह पत्र नुरूल बसर प्रेस से प्रकाशित होता था। यह पत्र पत्रकारिता की दृष्टि से ही नही वरन् भाषा एवं शैली के विकास के विचार से विशेष महत्त्व रखता है। इसमे विविध विषयो तथा "इतिहास, भूगोल, शिक्षा, गणित" आदि पर सुन्दर लेख प्रकाशित होते थे। इसकी भाषा की प्रशसा आचार्य रामचन्द्र शुक्ल तथा अम्बिका प्रसाद वाजपेयी ने की है।

मजहरुल सरुर

भरतपुर के राजा ने शासन की ओर से 1852 मे एक मासिक पत्र निकाला। यह पत्र उर्दू व हिन्दी का था अर्थात् यह द्विभाषी पत्र था। इसकी जबान उर्दू थी तो लिपि देव नागरी थी। यह दो कालम का पत्र था तथा दोनो ही भाषाएँ एक-एक कालम मे होती थी। इसे राजस्थान का प्रथम पत्र होने का गौरव प्राप्त है। इसी के दौरान ग्वालियर मे 'ग्वालियर गजट', आगरा मे 'प्रजाहितैषी' आदि पत्र प्रकाशित हुए।

समाचार सुधावर्षण

'उदन्त मार्तण्ड' हिन्दी का पहला साप्ताहिक पत्र था। इसके विपरीत समाचार 'सुधा वर्षण' हिन्दी का प्रथम दैनिक पत्र था। जून 1854 में कलकत्ता से प्रकाशित इस पत्र का सम्पादन श्यामसुन्दर सेन करते थे जो बंगाली थे। इसमें सम्पादकीय टिप्पणियां, लेख और महत्त्वपूर्ण समाचार हिन्दी में लिखे जाते थे तथा पहले रखे जाते थे। बाद में बंगला भाषा में व्यापार समाचार, विज्ञापन, दर आदि प्रकाशित किये जाते थे। अपनी निर्भीकता तथा प्रगतिशीलता के कारण उसे ब्रिटिश सरकार का कोप भाजन होना पड़ा।

पयामे आज़ादी

अब तक 1857 का समय नजदीक आ गया था। आन्दोलन के कारण अखबारों की शैली में पर्याप्त अन्तर आ गया था। यही कारण था कि भारतीय अखबार सरकार के विरुद्ध बोलने लगे थे। अक्रान्ति की चुनौती ने भारतीय पत्रकारों के मानस को झकझोर कर रख दिया। परिणामस्वरूप भारतीय पत्रकारिता ने जातीय मानस में नये आलोक की रचना की।

तत्कालीन स्वतन्त्रता संग्राम के प्रसिद्ध नेता अज़ीमुल्लाखां ने 8 फरवरी, 1857 में दिल्ली से 'पयामे आज़ादी' नामक एक राष्ट्रीय अखबार निकाला। अज़ीमुल्लाखां नाना साहब पेशवा के परामर्शदाताओं में से थे। यह पत्र पहले उर्दू में निकाला था पर कुछ समय बाद हिन्दी में निकलने लगा। इस पत्र में सरकार विरोधी सामग्री होती थी। इस पत्र ने दिल्ली की जनता में स्वतन्त्रता प्रेम की आग फूंक दी थी। यह पत्र विदेशी शासन का कोपभाजन होकर शीघ्र ही बन्द हो गया। इसी पत्र में भारत का तत्कालीन राष्ट्रीय गीत छपा था जिसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार है—

> "हम है इसके मालिक, हिन्दुस्तान हमारा।
> पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा।
> आज शहीदों ने तुझको, अहले वतन ललकारा।
> तोड़ो गुलामी की जंज़ीरें, बरसाओ अंगारा।।"

पयामे आज़ादी के पश्चात् धर्म प्रकाश, सूरज प्रकाश, सर्वोपकारक, जगलाभ चिन्तक, प्रजाहित, ज्ञान प्रकाश, ज्ञानप्रदायिनी पत्रिका, वृत्तान्त विलास, रत्नप्रकाश आदि पत्र निकले।

हिन्दी पत्रकारिता का विकास (1868–1900)

1867 तक विदेशी शिक्षा के कारण परम्परावादी विचारधारा का लोप हो रहा था। अतः अनेक समाज सुधारकों ने अपनी संस्थाएँ कायम की और इसी

शिक्षित वर्ग ने पत्रकारिता को एक नई दिशा प्रदान की। हिन्दी पत्रकारिता का यह युग हिन्दी गद्य-निर्माण का युग माना जाता है। इस युग के पत्रों में राजनीति साहित्य, प्रहसन, व्यंग्य तथा ललित निबन्धों की संख्या अधिक रहती थी। इन पत्रों का एकमात्र उद्देश्य सामाजिक कलुष प्रक्षालन और जातीय उन्नयन था। इस युग का नेतृत्व बाबू हरिश्चन्द्र कर रहे थे। यह समय अंग्रेज अधिकारियों की गुलामी का था परन्तु भारतेन्दु जी निडर भाव से राजनैतिक लेख लिखकर जनता-जनार्दन को झकझोर रहे थे, यही कारण है कि यह युग भारतेन्दु-युग के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस युग में अनेक महत्वपूर्ण पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ।

कवि वचनसुधा—15 अगस्त, 1867 में काशी के बाबू हरिश्चन्द्र ने "कवि वचनसुधा" नामक मासिक पत्र निकाला पर शीघ्र ही यह मासिक हो गया तथा 187* तक साप्ताहिक हो गया। प्रारम्भ में यह पत्रिका प्रसिद्ध कवियों की कविताओं का प्रकाशन करती थी। इसी पत्रिका में देव का "अष्टयाम", दीनदयाल गिरी का 'अनुराग बाग', चन्द का 'रासो', जायसी का पदमावत', कबीर की 'साखी', गिरधर दास का 'नहुष' नाटक आदि का प्रकाशन हुआ। इसमें प्रकाशित राजनैतिक तथा सामाजिक लेखों ने एक विशिष्ट व व्यापक पाठक वर्ग तैयार किया। इस पत्र का सिद्धान्त वाक्य था—"स्वत्व निज भारत गहै"। हरिश्चन्द्र के ललित लेखों ने लोगों के दिल में ऐसी जगह करली कि "कवि वचन सुधा" के हर अंक के लिए लोगों को टकटकी लगाए रहना पड़ता था। हिन्दी पत्रकारिता के नये युग का प्रारम्भ ही 'कवि वचन सुधा' से माना जाता है।

हरिश्चन्द्र मैगजीन—15 अक्टूबर, 1873 को काशी से भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने ही 'हरिश्चन्द्र मैगजीन' को जन्म दिया। यह पत्रिका मासिक थी। इसमें पुरातत्व, उपन्यास, कविता, आलोचना, ऐतिहासिक, राजनीतिक, साहित्यिक तथा दार्शनिक लेख कहानियां एवं व्यंग्य आदि प्रकाशित होते थे। लेकिन जब इसमें देशभक्ति पूर्ण लेख निकलने लगे तो इसे बन्द कर दिया गया।

बाल बोधिनी पत्रिका—9 जनवरी, 1874 को भारतेन्दु ने "बालबोधिनी पत्रिका" निकाली। यह पत्रिका महिलाओं की मासिक पत्रिका थी। इसके प्रथम अंक में प्रथम पृष्ठ पर जो निवेदन प्रकाशित हुआ था वह नारी जागरण की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही भाषा-शैली और अभिव्यक्ति की दृष्टि से भी उल्लेखनीय है।

> "मेरी प्यारी बहिनो। मैं एक तुम्हारी नयी बहिन 'बालबोधिनी' आज तुमसे मिलने आयी हूँ और मेरी यही इच्छा है कि तुम लोगों से, सब बहिनों से, सब महिनों में एक बार मिलूँ, मैं तुम लोगों से अवस्था में कितनी

छोटी हूँ क्योंकि तुम सब बड़ी हो चुकी हो और मैं अभी जन्मी हूँ और इस नाते से तुम सबकी छोटी बहिन हूँ पर मैं तुम लोगों से हिलमिल कर सहेलियों—भगिनी की भाँति रहना चाहती हूँ, इससे मैं तुम लोगों से हाथ जोड़कर और आँचल खोलकर यही माँगती हूँ कि मैं जो कभी कोई भली-बुरी, कड़ी-नरम, कहनी-अनकहनी, कहूँ उसे मुझे अपनी समझकर क्षमा करना क्योंकि मैं जो कुछ भी कहूँगी सो तुम्हारे हित की कहूँगी········ ।

हिन्दी प्रदीप—1 सितम्बर, 1877 को प्रयाग से बालकृष्ण भट्ट ने 'हिन्दी प्रदीप' नाम का मासिक पत्र निकाला। यह पत्र घोर संकट के बावजूद भी 35 वर्षों तक निकला। भारतेन्दु जी ने इस पत्र का उद्घाटन किया। पत्रकारिता की दृष्टि से हिन्दी प्रदीप का जन्म हिन्दी साहित्य के इतिहास में क्रान्तिकारी घटना है। इसने हिन्दी पत्रकारिता को एक नयी दिशा प्रदान की। इसका स्वर राष्ट्रीय, निर्भीकता तथा तेजस्विता का था। अतः सरकार इस पर कड़ी नजर रखती थी। इसमें हिन्दी साहित्य और पत्रकारिता की प्रमुख सामग्री रहती थी। इस मासिक पत्रिका में विविध विषयों से सम्बन्धित सामग्री विद्या, नाटक, समाचारावली इतिहास, परिहास, साहित्य, दर्शन, राज सम्बन्धी इत्यादि भरी रहती थी। भट्ट जी हिन्दी प्रदीप के लिए रचनाएँ मगाने के लिए गद्य ही नहीं, पद्य का भी प्रयोग करते थे। "जरा सोचो तो यार बम क्या है" प० माधव शुक्ल की इस कविता के प्रकाशन पर पत्र का अवसान हो गया।

भारत मित्र—17 मई 1878 को कलकत्ता से यह पत्र प्रकाशित हुआ। जिस समय यह पत्र प्रकाशित हुआ। उस समय वहाँ से हिन्दी का कोई भी पत्र नहीं निकलता था। यह बड़ा प्रसिद्ध व कर्मशील पत्र था। 'भारत मित्र' के कुशल सम्पादन के कारण इसकी गणना अच्छे पत्रों में होने लगी थी। भारत मित्र के सबसे पहले वैतनिक सम्पादक पण्डित हरमुकुन्द शास्त्री लाहौर से बुलाए गए थे। इस पत्र की आयु काफी बड़ी थी। यह पत्र 57 वर्षों तक चला। यह पत्र प. दुर्गाप्रसाद मिश्र, प हरमुकुन्द शास्त्री, प रुद्रदत्त शर्मा, प. अमृतलाल चक्रवर्ती, बाबू बालमुकुन्द गुप्त, प बाबूराव विष्णु पराडकर, प अम्बिका प्रसाद वाजपेयी एवं प. लक्ष्मणनारायण गर्दे जैसे शीर्षस्थ मनीषी पत्रकारों द्वारा सम्पादित होता रहा। यह पत्र राजनीतिक, साहित्यिक, धार्मिक व सामाजिक आन्दोलनों का खुला ब्योरा छापता था। हिन्दी का यह पहला पत्र था जो हजारों की संख्या में छपता था। 1935 में यह बन्द हो गया।

सार सुधानिधि—13 अप्रैल, 1879 को प्रकाशित 'सार सुधानिधि' पं० सदानन्दजी के सम्पादन में निकला। इसके संयुक्त सम्पादक प. दुर्गाप्रसाद, सहायक सम्पादक गोविन्द नारायण और व्यवस्थापक प शम्भुनाथ थे। इसकी भाषा संस्कृत

मिश्रित हिन्दी थी, अत कुछ कठिन होती थी पर साफ थी। लेख अच्छे व गम्भीर होते थे। यह पत्र राजनीति ही नही, अन्य विषयो का भी आलोचक था। यह उस समय का बड़ा ही तेजस्वी पत्र था जो अपनी उग्र वाणी के कारण सरकार की कोप-दृष्टि का शिकार हुआ। पत्र को ग्राहको का भी अभाव रहा। फलतः 1890 मे यह बन्द हो गया।

सज्जन कीर्ति सुधाकर–यह पत्र देशी राज्यों से निकलने वाला पहला "हिन्दी पत्र" था क्योंकि राज्यो के सभी पत्र उर्दू व हिन्दी मे निकलते थे जिनमे उर्दू का ही प्रथम स्थान होता था। मेवाड़ के महाराणा सज्जनसिंह के नाम पर यह पत्र निकला था। यह पत्र 1879 मे आगरा के पं बशीधर वाजपेयी के सम्पादन में प्रकाशित हुआ।

उचित वक्ता—प. दुर्गाप्रसाद मिश्र ने 7 अगस्त, 1880 को "उचित वक्ता" को जन्म दिया। मीठी मीठी कटारी मारने, व्यग्य, मुँह चिढाने मे उचित वक्ता पत्र का काम करता था। यह पत्र 15 वर्ष तक प्रकाशित हुआ। इसने इलबर्ट बिल, प्रेस कानून, वर्नाक्युलर एक्ट का बड़ी निर्भीकता से विरोध किया। उचित वक्ता व भारत जीवन के बीच जुलाई, 1881 मे मिरजापुर से 'आनन्द कादम्बिनी' निकली और इसके बाद 1883 मे प्रतापनारायण मिश्र ने कानपुर से 'ब्राह्मण' पत्र निकाला जो उस समय का सबसे तेजस्वी पत्र था। 1883 मे ही अम्बिकादत्त व्यास ने 'पियूष प्रवाह' नामक पत्रिका को जन्म दिया।

भारत जीवन –बाबू रामकृष्ण वर्मा ने काशी से 3 मार्च, 1884 को "भारत जीवन" प्रकाशित किया। यह पहले 4 पृष्ठ का था बाद मे 8 पृष्ठों का हो गया, फिर 6 पृष्ठो मे छपने लगा। इसका वार्षिक मूल्य डेढ रुपया था। यह पत्र 30 वर्षों तक प्रकाशित हुआ। 'भारतीय जीवन" सदा एक दब्बू अखबार रहा। स्वाधीनता-पूर्व माहून से इसने कभी भी नही लिखा।

हिन्दोस्थान –1885 मे राजा रामपालसिंह लन्दन से इसे कालाकांकर ले आए और यहां इसके हिन्दी व अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित होने लगे। यह उत्तर प्रदेश से महामना प. मदनमोहन मालवीय के सम्पादन मे निकला। ये हिन्दी क्षेत्र से प्रकाशित होने वाला प्रथम सम्पूर्ण हिन्दी दैनिक पत्र था। इसके सहयोगी नवरत्न प्रसिद्ध थे। हिन्दी भाषा तथा देवनागरी लिपि का सबल समर्थन इस पत्र द्वारा निरन्तर होता रहा। इसमे सरकारी अफसरो की कटु आलोचना होती थी। राष्ट्रीय विचारधारा का प्रचार-प्रसार तथा सुधार का प्रयास इस पत्र की नीति का आधार था।

शुभचिन्तक—1887 मे जबलपुर से प. रामगुलाम अवस्थी के सम्पादन मे

"सरस्वती का उद्देश्य हिन्दी भाषी क्षेत्र में सांस्कृतिक जागरण करना था, राष्ट्रीय जागरण तो उसका अंग था।

इस प्रकार 19वीं शताब्दी में हिन्दी पत्रकारिता का उद्भव व विकास बड़ी ही विषम परिस्थिति में हुआ। इस समय जो भी पत्र-पत्रिकाएँ निकलती उनके सामने अनेक बाधाएं आ जाती लेकिन इन बाधाओं से टक्कर लेती हुई हिन्दी पत्रकारिता शनै-शनैः गति पाती गई।

हिन्दी पत्रकारिता का उत्थान (1900-1947)

सरस्वती के प्रकाशन के बाद सन् 1900 से लेकर 1947 तक अर्थात् आजादी से पूर्व तक हिन्दी का समाचार जगत् विविध पत्र-पत्रिकाओं से भर गया। कला व शिल्प की दृष्टि से यह युग उल्लेखनीय है। सन् 1920–1930 का समय पुराने संस्कारों के प्रति विद्रोह और नवीन संस्कारों के बीजारोपण का समय है। 1925 के बाद हिन्दी पत्रकारिता में काफी प्रगति हुई। यह युग गाँधी का युग था। यह वह समय था जब समूचे देश में राष्ट्रीय जागरण की लहर फैली हुई थी, स्वतन्त्रता की छटपटाहट सब में थी। इस समय समाचार-पत्रों ने स्वतन्त्रता के यज्ञ में आवश्यकता से अधिक आहुतियाँ दी। इस चरण में प्रकाशित पत्रों की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि साहित्यिक व राजनैतिक पत्रकारिता अलग-अलग हो गयी। जो पत्रकारिता अब तक संयुक्त रूप से विविध जीवन आयामों की प्रकाशिका थी, वही अब परिवर्तित परिस्थितियों में अपना स्वतन्त्र उद्घोष कर बैठी। फलत राष्ट्रीय हितैषिणी पत्रकारिता और साहित्यिक पत्रकारिता के रूप में उसके दो भाग हो गये। केवल यही नहीं, इन्होंने राष्ट्रीय चेतना का अलख जगाया और नवीन चेतना का स्वर मुखरित किया। इस समय देश में 'करो या मरो' का समय था। अतः इस काल में देश भर में मर मिटने वाले समाचार-पत्रों का जन्म हुआ। इन पत्रों ने न केवल राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व ही किया, वरन् अपने आपको इस आन्दोलन में झोंक कर पत्रकारिता के विकास को तेज गति प्रदान की। इस युग के पत्रकारों की प्रशंसा करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि "इस काल में हिन्दी में कुछ इतने महत्त्वपूर्ण पत्रकार पैदा हुए जो दीर्घकाल तक स्मरण किये जायेंगे। बौद्धिक प्रौढ़ता के साथ-साथ चरित्रगत दृढ़ता ने इन पत्रकारों को बड़ी सफलता दी। गणेश शंकर विद्यार्थी, पराड़करजी, अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी, लक्ष्मीनारायण गर्दे और बनारसी दास चतुर्वेदी ऐसे ही पत्रकार हुए।

इस काल के प्रमुख पत्र निम्नांकित हैं—

अभ्युदय—1907 का वर्ष हिन्दी पत्रकारिता के इतिहास में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। उत्तरप्रदेश की राजनीति में जन-जागृति को जगाने वाले साप्ताहिक पत्र

"अभ्युदय" को महामना पण्डित मदनमोहन मालवीय ने जन्म दिया। निर्भीकता, राष्ट्रप्रेम तथा समाज सुधार में अग्रणी यह पत्र 1918 ई० में दैनिक भी हुआ। सरदार भगतसिंह की फांसी के बाद पत्र ने 'फांसी अंक' निकाल कर क्रान्ति मचा दी। कालाकांकर से 'हिन्दोस्थान' छोड़ने के बाद हिन्दी पत्र "अभ्युदय" में मदन-मोहन मालवीय ने पहले पहल लिखा था। मालवीय जी सौम्य विचारों के समर्थक थे। जिन्हें उन दिनों "माडरेट" की संज्ञा दी गई थी।

हिन्द केसरी—प्रसिद्ध नेता डॉ बालकृष्ण शिवराम मुंजे ने 13 अप्रैल, 1907 में इसे नागपुर से निकाला था। इसमें लोकमान्य तिलक के प्रसिद्ध पत्र केसरी के लेखों का अनुवाद होता था। इसके सम्पादक प. माधवराव सप्रे थे तथा सहायता के लिए प. जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल और प. लक्ष्मी वाजपेयी थे। यद्यपि इसके लेख कम से कम एक सप्ताह पुराने होते थे, फिर भी हिन्दी प्रेमी इसे बड़े ही चाव से पढ़ते थे। यही नहीं, यह हिन्दी प्रान्तों में राजनीति की गीता के समान उत्सुकता तथा आदर से पढ़ा जाता था। इस पत्र ने विशेषतः उत्तर भारत के नवयुवकों में ओजस्वी देशभक्ति को जाग्रत करने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया था। कुछ दिनों में यह कई हजारों की संख्या में प्रकाशित होने लगा। उस समय गरम दल का यही प्रामाणिक पत्र था। परन्तु यह अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सका क्योंकि 'सरकार की दमन नीति और भारतमाता' और 'कालापानी' इन दो सम्पादकीय टिप्पणियों के प्रकाशित होते ही 23 अगस्त, 1908 में इसके सम्पादक सप्रे को राजद्रोह के आरोप में पकड़ लिया गया। फलतः 1909 में यह बन्द हो गया।

स्वराज्य—इलाहाबाद से 1907 में सम्पादक शान्ति नारायण भटनागर के सम्पादन में "स्वराज्य" साप्ताहिक का प्रकाशन हुआ। आपत्ति जनक सामग्रियों के प्रकाशन के अपराध में इसके सम्पादक, सहायक सभी को न्यायालयों द्वारा दण्डित किया गया। यह पत्र उग्र राष्ट्रीय विचार धारा का कितना बड़ा पोषक था यह इससे पता चलता है कि रालेट कमीशन के सर रौलेट, सर वासिल स्काट, सी०वी० कुमार स्वामी, वर्नें लांवेट तथा पी०सी० मित्तर ने इस पत्र का उल्लेख कमीशन की रिपोर्ट में किया। इस पत्र का मुँह तभी बन्द हुआ, जब 1910 में भारतीय प्रेस अधिनियम लागू हुआ। इस पत्र में प्रकाशित सम्पादक के विज्ञापन की पंक्तियाँ आज तक अविस्मरणीय है—

> "चाहिए "स्वराज्य" के लिए एक सम्पादक।
> वेतन—दो सूखी रोटियाँ, एक गिलास ठण्डा पानी और हर सम्पादकीय के लिए दस साल जेल।"

नृसिंह—नवम्बर, 1907 में कलकत्ता से प० अम्बिका प्रसाद वाजपेयी के

सम्पादक में निकला पत्र नृसिंह न्याय और औचित्य का रक्षक था। कांग्रेस के गरम दल को 'नृसिंह' राष्ट्रीय और नरम दल को "धृतराष्ट्रीय" कहता था। इसके सम्पादक बाजपेयी ने स्पष्ट लिखा—"जिस देश में लिखने और बोलने की स्वतन्त्रता नहीं है, जहाँ देशभक्त राजद्रोही समझे जाते है और बिना अपराध ही निर्वासित कर दिये जाते है, जहाँ विपारक शासक बन बैठते हैं, जहाँ भलेमानस देशनायक चोर डाकुओं से भी गये बीते समझे जाते है, वहाँ जो न हो वही आश्चर्य है।" और इस प्रकार सिंहनाद करता हुआ अल्पजीवी पत्र "नृसिंह" क्षण प्रज्जवलित श्रेय न च धूमाचित चिरम" के आदर्श का परिपालन करता हुआ अस्त हो गया।

प्रताप—प्रताप उत्तरप्रदेश कानपुर से प्रकाशित एक तेजस्वी साप्ताहिक था। सन् 1910 में बाबू गणेशशंकर विद्यार्थी ने अपने कुछ सहयोगियो की सहायता से कानपुर से प्रताप प्रकाशित किया। कुछ दिनों में ही इसमें उपेक्षित लोगो की कष्टकथा भी छपने लगी और यह एक लोकप्रिय पत्र हो गया। प्रताप को विद्यार्थीजी राणा प्रताप का प्रतीक मानते थे। हिन्दी पत्रकारिता में इस पत्र का प्रकाशन युगान्तकारी कदम था इसने ब्रिटिश हुकूमत को बता दिया कि जनता को भी बोलने व कहने का अधिकार है। अतः जन आन्दोलन और प्रताप पर्याय बन गए। प्रताप ने ही सर्वप्रथम चिट्ठियों के माध्यम से समाचार और शिकायत छापने का श्रीगणेश किया। निष्पक्ष समाचारों व टिप्पणी के कारण इसको मुकदमे की धमकी भी दी गई पर 'प्रताप' ने कभी भी समर्पण, निराशा, घिघियाना, झुकना, रुकना व बिकना तो सीखा ही नही था। यही कारण था कि सरकार का विरोध करने पर इस पर मुकदमा चलाया गया पर विद्यार्थीजी ने अपने सवाददाताओं के नाम बताने से इन्कार कर दिया और सहर्ष सजा पाकर पत्रकार परम्परा की नींव डाली। प्रताप का कार्यालय क्रान्तिकारियों का अड्डा था साथ ही किसानो, दलितों और बेसहारों को सम्बल देने वाला 'प्रताप' शासको का सरदर्द था। कानपुर मे समाचार पत्रो की नींव का पत्थर प्रताप को कहे तो अत्युक्ति न होगी।

विश्व मित्र—कलकत्ता में बाबू मूलचन्द्र अग्रवाल ने इसे सन् 1917 में प्रकाशित किया। इस पत्र ने नवीनता और मौलिकता भरी वाणिज्य तथा सामाजिक और राजनैतिक प्रश्नो पर स्वतन्त्र रूप से लेखादि प्रकाशित करना प्रारम्भ किया। ये पत्र नये पत्रकारो के लिए 'पत्रकार कला' का प्रवेश द्वार बना। विश्व मित्र हिन्दी का पहला दैनिक पत्र था जो एक साथ पाँच महानगरो से प्रकाशित होता था।

स्वदेश—"स्वदेश" का प्रकाशन गोरखपुर से 1919 में प० दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने किया जो कि श्री गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रशिक्षित थे। इस पत्र का मूल सिद्धान्त था—

> "जो भरा नही है भावो से, बहती जिसमे रस धार नही।
> वह हृदय नही है, पत्थर है, जिसमे स्वदेश का प्यार नही।"

सम्पादक द्विवेदी जी के जाने के बाद इस पत्र का सम्पादन पाण्डेय बेचन शर्मा "उग्र" ने किया। "भावी क्रान्ति" विजय और विप्लव राग और माँ जैसे आलेखों के कारण स्वदेश स्वतन्त्रता आन्दोलन की ज्वाला लोगों में धधकाता था।

कर्मवीर— जबलपुर से 1919 में विद्यार्थी जी के अन्य सहयोगी माखनलाल चतुर्वेदी ने "कर्मवीर" निकाला। ये पत्र त्याग, तप, आहुति और क्रान्ति का उद्घोषक था। स्वतन्त्रता संग्राम में 12 बार जेल यात्रा और 63 बार तलाशियों के कारण चतुर्वेदी का व्यक्तित्व जुझारू बन गया था। उनके द्वारा लिखी पंक्तियाँ आज तक अनुगुंजित हैं—

"मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक।
मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाएँ वीर अनेक।"

स्वतन्त्र—"स्वतन्त्र" गाँधी युग का एक तेजस्वी पत्र था जिसे कलकत्ता से जन्माष्टमी को 4 अगस्त, 1920 को प. अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी ने प्रकाशित किया था। गाँधीजी की सभाएँ और व्याख्यान "स्वतन्त्र" में विशेष रूप से प्रकाशित होते थे। यही नहीं, इसमें राजनीति, व्यापारिक समाचार और सामयिक टिप्पणियाँ भी प्रकाशित होती थी। इसके कारण यह व्यापारियों में बहुत लोकप्रिय हो गया। इन विशेषताओं के साथ-साथ यह साहित्यिक गतिविधियों और भाषा-विषयक प्रश्नों के प्रति भी काफी सचेत था। इसी पत्र में सेनगुप्त का भाषण, डॉ. सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय का ऐतिहासिक भाषण, शहीद भगतसिंह आदि की फाँसी पर लटकाए जाने की खबरें छपी थीं। गाँधीजी के नमक सत्याग्रह आन्दोलन के समर्थन के कारण "स्वतन्त्र" पर संकट आ गया था। सरकार ने इस पर 5000 रु. का जुर्माना किया परन्तु जुर्माना न देने पर यह बन्द हो गया।

आज—5 सितम्बर, 1920 को शिवप्रसाद गुप्ता ने बनारस से दैनिक "आज" का प्रकाशन शुरू किया। यह पत्र राष्ट्रीय चेतना का पर्याय था। गुप्तजी का उद्देश्य इन पत्रों को लन्दन के "टाइम्स" जैसा प्रभावशाली बनाने का था। शिवप्रसाद गुप्त हिंदी प्रेमी थे। "आज" के प्रथम सम्पादक बाबू श्री प्रकाश थे तथा उनके साथ प. बाबूराव विष्णु पराडकर भी थे। कुछ दिनों बाद श्री प्रकाश जी हट गए और इसके सम्पादक पराडकर जी हो गए। 'आज' जब से निकला है तब से यह हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ पत्रों में गिना जाता है।

'माधुरी' जैसी साहित्यिक पत्रिका के बाद नवम्बर, 1922 में सामाजिक सुधारों से ओतप्रोत पत्रिका "चाँद" मासिक निकली। कुछ दिनों के बाद इसमें राजनैतिक सामग्री भी प्रकाशित होने लगी और अपनी विशिष्ट धाक के कारण इसके मारवाड़ी व फाँसी अंक जब्त कर लिए गए।

मतवाला—इतने संघर्ष के बाद 13 अगस्त, 1923 को कलकत्ता से साप्ताहिक-पत्र मतवाला का प्रकाशन हुआ। ये पत्र मुन्शी नवजादिकलाल, प. सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला, बाबू शिवपूजन सहाय और महादेवप्रसाद सेठ के प्रयत्नों से निकला। मतवाला हिन्दी का हास्य-व्यंग्य विनोद-प्रधान प्रथम साप्ताहिक-पत्र था। हास्य-विनोद का पत्र होने के कारण इसको सबसे बड़ी सुविधा यह थी कि यह कड़ी कड़ी बात को विनोद की शैली में बहकर कह जाता था। इसकी टिप्पणियाँ हास्य के आवरण में अनौचित्य पर कड़ी चोट करती थी। इस पत्र की प्रकृति पूर्ण स्वच्छन्द और स्वतन्त्र थी। यह पत्र यथार्थ जीवन का आग्रही था और उस गोरखधन्धे का खुल्लम-खुल्ला विरोध करता था जो देश में व्याधि के रूप में व्याप्त था। युग चेतना के प्रति वह सदैव सचेत रहता था। मतवाला की साहित्यिक दृष्टि प्रगतिशील थी। कुसस्कार, रूढियो और अन्धविश्वासो पर बडा ही तेज व्यंग्य करता था। हिन्दुत्व का हिमायती होते हुए भी उसकी नीति साम्प्रदायिक नही थी। इस प्रकार "मतवाला" के प्रकाशन के साथ हिन्दी-पत्रकारिता में एक नया प्रयोग हुआ। एक बड़े अभाव की पूर्ति हुई और एक साहित्यिक क्रान्ति का आविर्भाव हुआ।

हिन्दू-पंच—1926 में हिन्दू-पच नामक पत्र बाबूरामलाल वर्मा के सचालन में पाँच उद्देश्यों को लेकर सामने आया—(1) हिन्दू सगठन, (2) शुद्ध सस्कार, (3) अछूतोद्धार, (4) समाज सुधार, (5) हिन्दी प्रचार। यह अपने युग का अत्यन्त तेजस्वी पत्र था जो निडरतापूर्वक स्वतन्त्रता के लिए लोगो को उकसाया करता था। जब इसके सम्पादक मुन्शी नवजादिकलाल हुए तो उन्होंने इस पत्र को नया जीवन दिया। हिन्दू-पच सचित्र साप्ताहिक था जिसका लक्ष्य था—

> "लज्जा रखने को हिन्दू की, हिन्दू नाम बचाने को।
> आया 'हिन्दू-पच' हिन्द मे हिन्दू जाति जगाने को।"

सेनापति—5 नवम्बर, 1920 को प. रामगोविन्द त्रिवेदी के सम्पादन मे 'सेनापति' निकला। इस पत्र मे हिन्दू आदर्श, राजनीति, समाज, साहित्य, विज्ञान, आयुर्वेद, दर्शन, इतिहास, आर्यचरित्र, व्यापार, सगीत, मनोरजन, स्त्री-साहित्य, कृषिविज्ञान आदि से सबधित लेख रहते थे। इसमे प्रकाशित साहित्य का मूल स्वर वीर भाव था। इसके सम्पादकीय बडे जोशीले होते थे जैसे—मुट्ठी भर जीव हमारी नकेल पकडकर नचा रहे है और विश्वविकम्पी परशुराम और श्री राम की सतान बदरों की तरह नाच रही है। सेनापति अपने युग का अप्रतिम हिन्दी पत्र था।

हिन्दी जनता तक शुद्ध सात्त्विक व मानसिक भोजन पहुँचे इस उद्देश्य मे 1928 मे रामानद चट्टोपाध्याय ने 'विशाल भारत' को जन्म दिया। लगभग इसी समय जेल से निकलकर सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी यशपाल ने "विप्लव" नामक साहित्यिक

पत्रिका का श्रीगणेश किया। इसी युग मे 1930 के लगभग उपन्यास सम्राट् मुंशी प्रेमचद ने काशी से 'हस' नामक एक क्रांतिकारी पत्र का प्रकाशन किया। इस पत्र ने साहित्यिक क्षेत्र में एक नई दिशा दी। इस प्रकार इस युग मे नवबौद्धिक-वर्ग ने स्वतंत्रता प्राप्ति और समाज सुधार हेतु पत्रकारिता का आश्रय लिया और अनेक पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित कर देश को एक नई दिशा प्रदान की और समस्त भारत मे राष्ट्रीय, अधविश्वास और बलिदान का अलख जग गया।

हिन्दी पत्रकारिता का उत्कर्ष

अपने क्रमिक विकास मे हिन्दी पत्रकारिता के उत्कर्ष का समय आजादी के बाद आया। 1947 मे देश को आजादी मिली। लोगों मे नवीन स्फूर्ति आई और उनका मन-मस्तिष्क विकसित हुआ। औद्योगिक विकास के साथ-साथ मुद्रण-कला भी विकसित हुई जिससे पत्रो का सगठन पक्ष सुदृढ हुआ और रूप विन्यास मे सुरुचि दिखाई पड़ने लगी। हिन्दी पत्रकारिता के उत्कर्ष के मूल मे निम्न प्रमुख कारक रहे हैं—

1. स्वतन्त्रता को प्राप्त करके परतन्त्रता से त्रस्त जन-मानस निश्चित हुआ और स्वतन्त्र-चेता देशवासियों के रूप मे नवजीवन व नई चेतना का सचार हुआ।
2. नवीन चेतना से मानस मे जागृति, स्वातन्त्र्यबोध, जीवनदायी मूल्य और आदर्श विकसित हुए।
3. भारतीय मानस मे प्रज्ञा के नवीन रूप विकसित हुए और स्फूर्ति का सचार हुआ। फलत. भारतीय मानस को नई शक्ति और तज्जन्य जीवन-चेतना प्राप्त हुई। ऐसी स्थिति मे हिन्दी पत्रकारिता के मार्ग मे जो रुकावटें व बेड़ियाँ पड़ी थीं, वे समाप्त हुई और पत्रकारिता का निर्बाध मार्ग प्रशस्त हुआ।
4. औद्योगिक विकास के साथ-साथ मुद्रण-कला का भी विकास हुआ। इससे प्रेस और प्रकाशन की सुविधाएँ बढ़ी। फलतः पत्रकारिता को अपना पथ निर्दिष्ट करने मे आसानी हुई।
5. विविध क्षेत्रीय विकास के कारण पत्रो की साज-सज्जा भी आकर्षक होती गई तथा उनमें सुरुचिपूर्ण सामग्री को स्थान मिलने लगा।
6. पत्रकारिता जीवन के बृहत्तर मूल्यों के विकास, प्रसार और स्थापन हेतु बनी। वह सामाजिक, राजनैतिक और साहित्यिक जगत् की प्रतिच्छवि बनकर सामने आई। पत्रो के माध्यम से अपने परिवेश, समस्याएँ और सघर्ष सामने आने लगे।

7. स्वतन्त्रता के बाद पत्र प्रकाशन एक उद्योग बन गया । पत्रकारिता अब 'मिशन' नही रही बल्कि व्यवसाय बन गई ।

स्वातन्त्र्योत्तर पत्रकारिता के क्षेत्र मे अपूर्व उन्नति होने पर भी यह दु ख का विषय है कि आज हिन्दी पत्रकारिता विकृतियो मे घिरकर स्वार्थसिद्धि और प्रचार का माध्यम बनती जा रही है परन्तु फिर भी यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि भारतीय प्रेस की प्रगति ही स्वतन्त्रता के बाद हुई क्योकि सन् 1956 मे हिन्दी पत्रों की सख्या 1000 थी जबकि 1982–83 मे यह सख्या पाँच गुनी हो गई । सन् 1983 की रिपोर्ट के अनुसार हिन्दी दैनिको की संख्या 5936 थी । उसकी प्रसार सख्या लगभग 3,664,000 है जबकि अंग्रेजी समाचारपत्रो की प्रसार सख्या 3 089 000 है । दैनिक हिन्दी-पत्र ही नही वरन् हिन्दी पत्रिकाएँ भी प्रसार की दृष्टि से सर्वोच्च है । द्वितीय स्तर पर तमिल साप्ताहिक पत्रिकाओ की है तब कही तीसरे नम्बर पर अंग्रेजी की पत्रिकाएं है ।

इस प्रकार स्वातन्त्र्योत्तर पत्रकारिता ने पर्याप्त प्रगति करली है किन्तु उसके उत्कर्षकारी विकास के मार्ग मे आने वाली बाधाएँ भी कम नही है । हाँ, ये बाधाएँ ऐसी नही जिन्हे हटाया न जा सके । पत्रकारिता एक निष्ठापूर्ण कर्म है और पत्रकार एक दायित्वशील व्यक्ति होता है । अत यदि हमे स्वच्छ पत्रकारिता को विकसित करना है तो पत्रकारिता के क्षेत्र मे हुई अनाधिकृत घुसपैठ को समाप्त करना होगा, उसे जीवन-मूल्यो से जोडना होगा उसे आचरणिक कर्मों का प्रतीक बनाना होगा और प्रचारवादी मूल्यों को पीछे धकेल कर पत्रकारिता को जीवन, समाज, सस्कृति और कला का स्वच्छ दर्पण बनाना होगा । पत्रकारिता के क्षेत्र मे कार्यरत व्यक्तियो को अतीत से शिक्षा लेकर वर्तमान को समेटते हुए भविष्य का दिशा निर्देश भी सकेतित करना चाहिए ।

समग्र विवेचन के पश्चात् कह सकते हैं कि हिन्दी पत्रकारिता का इतिहास न केवल एक सुदीर्घ परम्परा लिए हुए है अपितु उसमे समय-समय पर अनेक मोड भी आए है । आरम्भ मे पत्रकारिता को स्थापित होने मे अनेक कठिनाइयो का सामना करना पडा, किन्तु उन सबको निवारित करते हुए पत्रकारिता निरन्तर विकसित होती रही है, उसके विकास की कहानी जहाँ अनेक विरोधों और सघर्षो से युक्त है वहीं पत्रकारो के निष्ठापूर्ण आचरण और सतत् श्रम की भी पोषिका है । आज पत्रकारिता का स्वरूप पूरी तरह परिवर्तित हो गया है और वह वर्तमान जीवन अथवा वह वर्तमान समाज की साँस बन गई है ।

अध्याय-3

पत्रकारिता : आचरण एवं नियमन

(क) प्रेस कानून

भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, क्योंकि इसमें भारतीय नागरिकों को ही नहीं अपितु विदेशियों का भी, जो भारत में रह रहे हैं, विभिन्न प्रकार के मौलिक अधिकार व उपचार दिए गए है। यह अधिकार व उपचार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 32 में वर्णित हैं। इनमें सबसे प्रमुख अधिकार हमारी 'वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता' है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के द्वारा भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इस स्वतन्त्रता को कोई भी, किसी भी माध्यम द्वारा व्यक्त कर सकता है, पर जहाँ तक प्रेस की स्वतन्त्रता का सवाल है तो यह अधिकार संविधान में प्रत्यक्ष रूप से न देकर अप्रत्यक्ष रूप से दिया गया है। प्रेस विचार प्रकट करने का एक बहुत बड़ा शक्तिशाली माध्यम है पर प्रेस इस स्वतन्त्रता का अनुचित लाभ उठाकर गैर जिम्मेदार व उच्छृंखल न बन जाए, इस कारण समय-समय पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिबन्ध लगाए गए जो निम्न हैं—

1. भारत की सार्वभौमिकता तथा अखण्डता, 2. राज्य की सुरक्षा, 3. विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के हित में, 4. सार्वजनिक व्यवस्था, 5. शिष्टाचार व सदाचार के हित में, 6. न्यायालय अवमान, 7. मानहानि, 8. अपराध उद्दीपन के मामले में भारत की सम्प्रभुता एवं अखण्डता।

राज्य की सुरक्षा अर्थात् भारत की सम्प्रभुता एवं अखण्डता सर्वोपरि है और प्रेस ही इस सुरक्षा, अखण्डता को, विदेशी राज्यों से मित्रता बनाए रखने में तो सहायक है, साथ ही सार्वजनिक व्यवस्था अर्थात् देश में साम्प्रदायिक दंगों, हिंसात्मक कार्यों और अन्य उपद्रवों को रोकने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः पत्रकारों का उत्तरदायित्व है कि वे निष्पक्ष और न्यायनिष्ठ, निष्पक्ष और विवेकशील होकर नीर-क्षीर अन्वेषी की तरह हमेशा रिपोर्टिंग करते समय इस बात का ध्यान रखें कि वह कोई भी अपुष्ट, अप्रामाणिक तथा सुनी-सुनायी बातों पर आधारित समाचार न भेजें। साथ ही कोई भी ऐसा भाषण, अभिव्यक्तियाँ जो कि हिंसात्मक

अपराध को उकसाती हो या प्रोत्साहित करती हो न छापें अन्यथा उन्हें जुर्माने के साथ-साथ सजा भी दी जा सकती है।

इसी कारण जब भी देश में सरकार को समाचार-पत्रों से या किसी अन्य माध्यम से किसी प्रकार का खतरा महसूस होता है तो वह फौरन समाचार-पत्रों पर 'सेंसरशिप" लागू कर सकती है, जैसे अभी हाल ही पंजाब में समाचार पत्रों पर सेंसर लागू किया गया। प्रमुख प्रेस कानून निम्न है—

(1) मानहानि

भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के अनुसार राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को अपनी ईमानदारी, यश, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, मान-सम्मान आदि को सुरक्षित रखने का पूरा अधिकार दिया गया है। इस कानून के तहत मानहानि की परिभाषा निम्न है—

"जो कोई बोले गए या पढ़े जाने के लिए आशयित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य निरूपणों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस आशय से लगाता है या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से व्यक्ति की ख्याति की अपहानि की जाए, या वह पहले जानते हुए लगता है या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से व्यक्ति की ख्याति की अपहानि होगी, इसके बारे में कहा जाता है कि वह उस व्यक्ति की मानहानि करता है।" अर्थात् जब किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में ऐसे कथनों को शब्दों में, लेख में, चित्रों या महत्वपूर्ण शब्दों द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिससे सम्बन्धित व्यक्ति के प्रति घृणा, उपहास या अपमान का भाव पैदा हो जाता है और उसकी प्रतिष्ठा को धक्का पहुँचता है तो ऐसे कृत्य को मानहानि कहा जाता है। मानहानि के अपराध में दोषी व्यक्ति पर 'दिवानी' तथा 'फौजदारी' दोनों ही मुकदमे चलाये जा सकते हैं। समाचार पत्रों पर विशेषकर मानहानि का खतरा बना रहता है। अतः पत्रकारों का दायित्व है कि वह किसी भी समाचार को भेजने से पहले उसकी प्रामाणिकता व विश्वसनीयता की निष्पक्ष जाँच करके ही भेजें। "मानहानि" के दो रूप हैं, अपलेख एवं अपवचन। भारत में अपलेख तथा अपवचन दोनों ही समान रूप से दंडनीय अपराध हैं।

अपलेख

अपलेख का सामान्य अर्थ है लिखित मानहानि अर्थात् एक ऐसा प्रकाशन जो असत्य हो साथ ही अपमानजनक हो तथा बिना उचित आधार के प्रकाशित किया गया हो और जिसके प्रकाशन में वादी की प्रतिष्ठा को क्षति पहुँची हो। इसके मुख्य संघटक (तत्व) निम्न हैं—

1. वक्तव्य या कथन झूठा हो,
2. कथन अपमानकारक होना चाहिए,

3. कथन स्थायी एवं स्पष्ट रूप में होना चाहिए,
4. वह वादी के सम्बन्ध में होना चाहिए,
5. उसका प्रकाशन (समाचार-पत्रों आदि) में होना चाहिए।

अपवचन

शब्दों द्वारा मानहानि अर्थात् ऐसे वचन से है जिसमें किसी व्यक्ति का अपमान होता हो। सामान्य रूप से अपवचन, मौखिक शब्दों, संकेतों अथवा अस्पष्ट ध्वनियों द्वारा किया जाता है जो बहुधा अस्थायी होता है। अर्थात् अपवचन कानों को सम्बोधित किया जाता है। इसके मुख्य तत्त्व निम्न हैं—

1. ऐसे कथन जो घृणा, अवज्ञा या तिरस्कार का भाव उत्पन्न करने वाले हों।
2. जिनके कारण समाज के लोग वादी से दूर-दूर रहने या उसकी संगति में आने से बचने का प्रयत्न करें।
3. पेशावृत्ति या पद पर प्रभाव डालने वाले।
4. व्यापार या कारोबार पर प्रभाव डालने वाले।

लेकिन भारतीय दण्डसंहिता की धारा 499 में वर्णित कानूनों द्वारा कुछ परिस्थितियों में पत्रकार मानहानि के दोषों से बच सकता है। ये अपवाद निम्न हैं—

1. सत्य बात का लांछन, जिसका लगाया जाना या प्रकाशित किया जाना लोक-कल्याण के लिए अपेक्षित है, मानहानि नहीं है। यह प्रकाशन सार्वजनिक हित में है या नहीं, यह तर्क का विषय है।
2. लोकसेवकों का लोकाचरण सद्भावपूर्ण अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है। सद्भावना में आकर किसी सार्वजनिक सेवक के आचरण के विषय में या उसके शील के विषय में, जहाँ तक उसका चरित्र का सम्बन्ध उसके आचरण से है लेकिन इससे अधिक नहीं, यदि कोई राय दी जाए तो वह मानहानि नहीं है।
3. किसी लोक प्रश्न से सम्बन्धित किसी व्यक्ति के आचरण के सम्बन्ध में कोई सद्भावपूर्ण राय प्रकट की जाए जो उसके चरित्र से सम्बन्ध रखती है तो वह मानहानि नहीं है।
4. न्यायालयों की कार्यवाहियों की सारतः सही रिपोर्ट को प्रकाशित करना मानहानि नहीं है।
5. न्यायालय में विनिश्चित मामले में गुणागुण या साक्षियों (किसी फरीक, गवाह या गुमाश्ते) तथा सम्पृक्त अन्य व्यक्तियों का आचरण सद्भावपूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है।

10 अदालत की कार्यवाही का गलत एवं तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर भ्रामक रूप से प्रकाशित करना।

किन्तु निम्नलिखित कृत्यों से न्यायालय का अवमान नहीं होता है—

(क) निर्दोष प्रकाशन और उसका विवरण

(ख) न्यायिक कार्यवाहियों का उचित और सही प्रकाशन

(ग) न्यायिक कृत्यों की उचित आलोचना

(घ) न्यायाधीश के विरुद्ध ईमानदारी से की हुई शिकायत

(ङ) बाद की न्यायिक कार्यवाहियों का प्रकाशन।

"न्यायालय अवमान" दिवानी अवमानना व फौजदारी अवमानना दो प्रकार हैं—

1. दिवानी अवमान में जानबूझकर अदालत के निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट व अन्य अदालती प्रक्रिया की अवज्ञा या अदालत में दी गई शपथ का उल्लंघन से है।

2. फौजदारी अवमानना से तात्पर्य जो—

(1) न्याय प्रशासन में बाधा पहुँचाता हो या उसकी बाधा पहुँचाने की प्रवृत्ति हो जिससे न्यायालय की गरिमा व प्रतिष्ठा पर आँच आती हो।

(2) अदालत की विश्वसनीयता पर आघात पहुँचाये या आघात पहुँचाने की प्रवृत्ति हो।

(3) न्यायिक कार्यवाही के प्रति पूर्वाग्रह उत्पन्न करें, हस्तक्षेप करें या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति हो।

ऐसे समय इस अधिनियम के अनुसार 6 महीने की कैद या 2000 रुपये तक जुर्माना या दोनों किए जा सकते हैं।

अतः पत्रकार के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि वह कोई भी लेख इस प्रकार प्रकाशित न कराए जिससे न्यायाधीश को निष्पक्ष विचार प्रकट करने में बाधा उत्पन्न करे। वास्तव में न्यायिक अन्वीक्षा के पूर्व पत्रकारों की दृष्टि केवल तथ्यपरक होनी चाहिए और उन तथ्यों का निरूपण भी ऐसा होना चाहिए जिससे अदालत की कार्यवाही पर कोई प्रभाव न पड़े अन्यथा जरासी असावधानी पत्रकारों व सम्पादकों को मुसीबत में डाल सकती है।

(3) भारतीय सरकारी रहस्य अधिनियम (1923)

भारतीय सरकारी रहस्य अधिनियम 1923 में लागू किया गया और मार्च 1967 तक इसमें अनेक संशोधन हो चुके हैं, जिसमें पत्र और पत्रकार का

दायित्व है कि वह देश की अखण्डता, प्रभुसत्ता तथा एकता को कायम रखने में अपना योगदान दे। इसी नियम को विस्तृत तथा संशोधन के साथ भारतीय दण्डसंहिता के अनुच्छेद 19(2) में संविधान का सोलहवां संशोधन अधिनियम 1963 में प्रस्तुत किया गया। इसके अन्तर्गत निम्न परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति दण्ड का भागी बन सकता है—

1. राज्य के हित और सुरक्षा की दृष्टि से यदि कोई व्यक्ति निषिद्ध स्थानों में बिना अनुमति लिए जाए अथवा उनके संदर्भ में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार की जानकारी शत्रु पक्ष को दे। साथ ही निषिद्ध स्थानों के फोटो, स्केच, प्लान, मॉडल बिना अनुमति लेकर प्रकाशित करें जिससे शत्रु पक्ष को किसी प्रकार की जानकारी मिल सके।
2. भारतीय अखण्डता एवं सम्प्रभुता पर किसी प्रकार की आंच आती हो या भारत के किसी भाग को संघ से पृथक होने के लिए उकसाया जाता हो।
3. स्वयं को छद्म रूप से अथवा गलत रूप से सरकारी अधिकारी बताना साथ ही सरकारी मोहरों, चित्रों, गुप्त योजनाओं आदि को अनाधिकृत व्यक्ति को सौंपना।
4. सेना के तीनों अंगों—थल, नौ तथा वायुसेना अथवा अन्य किसी सरकारी अधिकारी की निर्धारित वेषभूषा बिना कानूनी अधिकार के पहनना अथवा मिलती-जुलती वेषभूषा पहनकर स्वयं को अधिकृत अधिकारी घोषित करना।
5. सरकारी मोहरों आदि का गैरकानूनी निर्माण या विक्रय का प्रयास।
6. अनाधिकृत रूप से सरकारी दस्तावेजों को अपने पास रखना अथवा जानबूझ कर विभागीय निर्देशों के उपरान्त भी उन्हें अधिकृत व्यक्ति को न सौंपना।

इस कानून के अन्तर्गत दोषी पाए गए व्यक्ति को तीन वर्ष से 14 वर्ष की कैद अथवा जुर्माना या दोनों किए जा सकते हैं। यही नहीं संदिग्ध अवस्था में छापा मारना या तलाशी लेना भी इसी कानून के अन्तर्गत है, साथ ही पत्र की प्रतियां तो जब्त की ही जा सकती हैं, उसका प्रकाशन भी बन्द किया जा सकता है। यह कानून पूरे भारत के सभी सरकारी कर्मचारियों तथा विदेशों में रहने वाले भारतीयों तथा सरकारी कर्मचारियों पर लागू है। इस कानून के दो प्रमुख पक्ष हैं पहला जासूसी से सम्बद्ध है तो दूसरा सरकारी सूचनाओं की गोपनीयता का। इन्हें इस कानून की धारा 2 तथा 5 में विवेचित किया गया है। पत्रकार

भारतीय सरकारी रहस्य अधिनियम की धारा को वर्तमान रूप में बनाये रखने के विरुद्ध है। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इण्डिया ने इसे समाप्त करने तथा सूचना स्वातन्त्र कानून बनाने की माँग की है क्योंकि पत्रकार इस नियम के उल्लंघन के डर से अनेक ऐसी सूचनाएँ भी प्रकट नहीं करते जिनका संबंध लोकहित से है। अतः इस अधिनियम में संशोधन किये जाने चाहिए।

(4) युवकों के लिए हानिप्रद प्रकाशन कानून 1956

ये कानून एक फरवरी, 1957 में लागू किया गया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य था कि बालकों तथा किशोरों को "हानिकारक प्रकाशनों" से होने वाले दुष्परिणामों से बचाया जा सके। इसके अन्तर्गत पत्रिका, पम्फ्लेट, लीफलेट समाचार-पत्र आदि के ऐसे प्रकाशनों से है जो कि "अपराधों की आशक्ति हिंसा, क्रूरता के कार्य, घृणा एवं भयावह प्रवृत्ति की घटनाएँ आदि के भाव जगाता हो। चाहे यह भाव चित्रों के माध्यम से हो या बिना चित्रों की सहायता के। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार के हानिकारक प्रकाशन की बिक्री करता है किराए पर देता है, वितरण करता है या अन्य किसी माध्यम से प्रसारित करता है अथवा सार्वजनिक प्रदर्शन या वितरण हेतु इनका मुद्रण या निर्माण करता है या इनका विज्ञापन करता है तो इस कानून के तहत उसे छः माह की कैद या जुर्माना या दोनों सजाएँ हो सकती हैं।

प्रथम श्रेणी या मजिस्ट्रेट ऐसे किसी भी संदिग्ध स्थान पर खोज करने के लिए सब-इन्सपेक्टर या इससे ऊँचे पद के किसी भी अफसर को खोज करने या प्रतिबन्ध का अधिकार दे सकता है जहाँ, युवकों को हिंसा तथा अपराध की ओर प्रेरित करने हेतु प्रकाशन होता हो। यही नहीं ऐसे प्रकाशन को नष्ट करने का आदेश भी अदालत द्वारा दिया जा सकता है। प्रभावित व्यक्ति चाहे तो 60 दिन के अन्दर उच्च न्यायालय में इस आदेश के विरुद्ध अपील दायर कर सकता है। इस प्रकार के प्रतिबंध किसी भी राष्ट्र के जीवन में स्वच्छता कायम रखने के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

(5) औषधि और चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम 1954

भारतीय दण्ड विधान की धारा 292 से 294 तक नैतिकता एवं शिष्टता के हित में वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध का स्पष्टीकरण करती है। किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर ये धाराएँ अश्लील प्रकाशनों को बेचने, प्रचार या प्रदर्शन करने, अश्लील कृत्यों को करने, अश्लील गानों या अश्लील भाषणों आदि का निषेध करती है। इसी के तहत "औषधि और जादूगरी" (आपत्तिजनक

विज्ञापन) अधिनियम 1954 एक्ट बनाया गया। इस एक्ट के अन्तर्गत ऐसे विज्ञापन जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोली-भाली जनता को अवैध, अश्लील, अनुचित तथा चित्ताकर्षक विज्ञापन द्वारा भ्रमित करें। यही नहीं, औषधि के स्वरूप को गलत परिपेक्ष्य मे प्रस्तुत करना भी इस अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। इस अधिनियम के अन्तर्गत—1 ऐसी औषधियो के विज्ञापन जो महिलाओ के गर्भपात तथा गर्भ धारण का आश्वासन दें।

2 यौन शक्ति की वृद्धि का आश्वासन देने वाली औषधियाँ।

3. मासिक धर्म से सम्बन्धित रोगो के इलाज की औषधियाँ।

4 नपुंसकता, पागलपन, कोढ मिर्गी, हृदय रोग आदि 54 रोग (जो कि अधिनियम मे वर्णित है) दूर करने की घोषणा करने-वाली औषधियाँ।

5. मत्र, तत्र, यत्र, तावीज, जादू, टोने चमत्कारिक तरीको से विभिन्न बीमारियो की जाँच, निदान, आराम का आश्वासन।

ऐसे विज्ञापनो के प्रकाशन मे विज्ञापन दाता तो उत्तरदायी है ही साथ ही विज्ञापन प्रकाशित करने वाले प्रकाशक व मुद्रक को भी इसका उत्तरदायी माना जाता है। इस धारा का उल्लघन करने पर छ माह की कैद या जुर्माना अथवा दोनो सजाएँ दी जा सकती है। परन्तु दुबारा उसका उल्लघन करने पर एक वर्ष की कैद या जुर्माना या दोनो सजाएँ दी जा सकती है।

परन्तु इसके विपरीत यदि अश्लील चित्र या विज्ञापन एक ओर कुरुप एव वीभत्स प्रभाव परिलक्षित करे तो दूसरी ओर वही चित्र जीवन के यौन भावना सम्बन्धी पहलू का नियमन करने मे सहायक सिद्ध हो सकते हैं, अत वे अश्लीलता के द्योतक प्रकाशन परिवेश और परिप्रेक्ष्य मे निहित आदर्शों पर आंके जा सकते है। अत एक अच्छा पत्रकार अपनी कुशल लेखनी द्वारा अश्लीलता के प्रभाव से समाज को बचाने मे सक्षम होते हैं।

(6) कृति स्वाम्य अधिनियम, 1957 तथा एकातता का कानून

व्यक्ति को अपने ही ढग से जीवन जीने का अधिकार है, अत पत्रकार लोग नागरिको की एकातता पर आघात करने के लिए कानून की नजर मे दण्डनीय हैं। एकातता का कानून व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के कानून से या अपने निजी विचारो, योजनाओ या रचनाओ की रक्षा के कृति साम्य कानून से मिलता जुलता है। यह अधिनियम वस्तुत लेखक एव प्रकाशक के हितो की रक्षा के लिए है। इसके अन्तर्गत मौलिक साहित्यिक, नाट्य, सगीतात्मक और कलात्मक कृतियां, चल-चित्र, फिल्मो और रिकार्डो मे कापी राइट स्वीकार किया गया है। स्वाम्य के अन्तर्गत

किसी ग्रन्थ, रचना आदि को प्रकाशित करने से पूर्व लेखक की अनुमति न लेना इस कानून का उल्लघन माना गया है। इसके अन्तर्गत लेखक की कविता, कहानी, नाटक, संगीत आदि से स्वामित्व को स्वीकार किया गया है। बुद्धि और कला के द्वारा उत्पन्न किसी कृति को कापीराइट की संज्ञा दी गई है। कोई भी पत्रकार या सम्पादक अपने समाचारों के प्रस्तुतीकरण की शैली या अपने शब्द चयन की मौलिकता के द्वारा इस कानून की गिरफ्त मे बच सकता है। कृति स्वाम्य कानून लेखक के जीवन काल और उसकी मृत्यु के 50 वर्ष बाद तक उसमें ही निहित रहता है। संयुक्त रचयिताओं की स्थिति में उस रचयिता के प्रति आशय लगाया जाएगा जिसकी मृत्यु सबसे अन्त में होगी। 9 अगस्त 1984 से उक्त कॉपीराइट कानून अपने कुछ विशेष संशोधनों द्वारा लागू कर दिया गया है।

कृति स्वाम्य के सम्बन्ध में समाचार-पत्रों के विशेषाधिकार

(क) कृति स्वाम्य सम्बन्धी रचना का समाचारपत्र मे प्रकाशनार्थ तैयार किया गया सारांश रक्षित है अर्थात् उस पर इसके कारण मुकदमा नही चल सकेगा (धारा 2)

(ख) सार्वजनिक रूप से दिये गये व्याख्यान की रिपोर्ट प्रकाशित करने का अधिकार समाचारपत्र को है जब तक कि किसी प्रमुख सस्थान में सूचना टाँगकर या लगाकर उसे प्रकाशित करने की मनाही न करदी गई हो।

(ग) राजनीतिक भाषण बिना किसी की अनुमति या स्वीकृति के प्रकाशित किए जा सकते हैं (कृति स्वाम्य की दृष्टि से)

(घ) टीका-टिप्पणी करने या साहित्य गुणावधारण के लिए उपयुक्त लेखांश की नकल करना अनुज्ञेय (परमिसिब्ल) है।

सिद्धान्त कृति स्वाम्य समाचार का विषय नही है और किसी भी पत्र मे सूचना या जानकारी से सम्बन्धित घटनाओ का वर्णन एक जैसा हो सकता है फिर भी समाचार के स्रोत का उल्लेख कर देना साहित्यिकता की दृष्टि से न्यायोचित है।

(7) प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण नियम 1867

इस कानून को लागू करने का मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी मुद्रित पुस्तकों, समाचार-पत्रों तथा नियत समय पर निकलने वाली पत्र-पत्रिकाओं की स्थिति का मूल्यांकन होता रहे यह अधिनियम भारत का प्राचीनतम जीवित प्रेस कानून है। समय-समय पर इसमें संशोधन करके इसे अधिक प्रभावी तथा सामयिक बनाया गया है। इस कानून की प्रमुख धाराएँ निम्न है—

(1) प्रत्येक प्रकाशित-पत्र पर मुद्रक, प्रकाशक, प्रकाशन स्थल का नाम, पत्र के मालिक का नाम तथा सम्पादक का नाम आदि स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।

(2) पत्र का नाम, भाषा, काल, सम्पादक, मुद्रक, प्रकाशक आदि में होने वाले परिवर्तन की सूचना सम्बन्धित अधिकारी को देना अत्यन्त आवश्यक है।

(3) पत्र की एक प्रति प्रेस रजिस्ट्रार तथा दो प्रतियाँ राज्य सरकार को निःशुल्क न भेजने पर उस पर 50 रु० जुर्माना भी किया जा सकता है।

(4) इस कानून के आधार पर पत्र का पूर्ण व सही विवरण प्रत्येक वर्ष प्रेस रजिस्ट्रार को भेजना अनिवार्य है। गलत सूचना भेजने पर उसे दण्डित भी किया जा सकता है।

(5) वही मुद्रक पत्र छाप सकता है जिसने जिला प्रेसीडेन्सी तथा सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट की अनुमति प्रेस चलाने के लिए ले रखी हो।

(6) किसी पत्र प्रकाशन के लिए मुद्रक और प्रकाशक को जिला, प्रेसीडेन्सी अथवा सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट के समक्ष घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। इसके साथ ही प्रकाशन की भाषा और काल की भी जानकारी देनी होगी। मुद्रक को पत्र के मालिक का लिखित अधिकार पत्र भी अपने घोषणा पत्र के साथ संलग्न करना जरूरी है।

(7) घोषणा पत्र की स्वीकृति के बाद यदि कोई साप्ताहिक पत्र छः सप्ताह तक तथा अन्य समाचार पत्र तीन माह तक प्रकाशित नहीं हो पाता है तो आज्ञा पत्र रद्द या बेकार या अमान्य हो जायेगा।

(8) यदि तीन माह की अवधि में दैनिक, साप्ताहिक, अर्द्ध-साप्ताहिक और पाक्षिक पत्र अपनी नियमित संख्या के आधे से भी कम में प्रकाशित होने लगे तो उनका घोषणा-पत्र रद्द हो जायेगा।

(9) एक वर्ष की अवधि तक पत्र का प्रकाशन न होने पर भी घोषणा-पत्र रद्द हो जायेगा।

(10) यदि कभी गलती से किसी पत्र के अंक में उसके सम्पादक का नाम गलत छप गया है और वह यह दावा करे कि उक्त अंक का सम्पादक वह नहीं था तो उसे चाहिए कि वह सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत करके उससे प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले।

(11) प्रेस रजिस्ट्रार अथवा अन्य किसी व्यक्ति की मांग पर पूरी जांच-

पड़ताल का आदेश देकर मजिस्ट्रेट को घोषणा-पत्र को रद्द करने का अधिकार है।

(12) घोषणा-पत्र रद्द होने पर उसकी अपील 60 दिनों के अन्दर प्रेस और रजिस्ट्रेशन अपील बोर्ड के सामने की जा सकती है।

(13) पत्र के मुद्रक, प्रकाशक या सम्पादक न रहे तो इस विषय की सूचना मजिस्ट्रेट को शीघ्र देना आवश्यक है, अन्यथा दो सौ रुपये जुर्माना किया जा सकता है।

(14) प्रेस रजिस्ट्रार को गलत सूचना देने पर पाँच सौ रुपये का दण्ड दिया जा सकता है।

(15) प्रेस नियमों का उल्लघन करने पर सम्पादक, प्रकाशक और मुद्रक को दो हजार रुपये का जुर्माना तथा छः महीने की सजा दी जा सकती है।

(16) यदि कोई राज्य सरकार चाहे तो केन्द्रीय सरकार की अनुमति लेकर किसी समाचार-पत्र पर प्रेस कानून को आंशिक अथवा सम्पूर्ण रूप से लागू करने की विज्ञप्ति सरकारी गजट में जारी कर सकती है।

(17) पत्र प्रकाशकों से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रेस रजिस्ट्रार प्रति वर्ष अपनी रिपोर्ट तैयार करता है।

(18) भारत के सभी भागों पर यह प्रेस कानून लागू होगा।

यह अधिनियम पाँच भागों में विभाजित है प्रथम भाग परिचयात्मक है जिसमें विभिन्न पदनामों की परिभाषाएँ दी हुई है। दूसरे भाग में छापेखानों और समाचार पत्रों के सम्बद्ध में उपबंध है। तीसरे भाग में कानून के उल्लंघन पर दिये जाने वाले दण्ड का विवरण है। चौथा और पाँचवा भाग पुस्तकों के तथा समाचार-पत्रों के पंजीकरण की व्यवस्था से सम्बद्ध है।

उपर्युक्त कानूनों के अतिरिक्त पत्रकारिता जगत में कार्य करने वाले कार्यकर्त्ताओं की सुविधा के लिए कुछ ऐसे उल्लेखनीय कानून व संगठन भी बनाए गए हैं जिनका सम्बन्ध विशेषतः उनकी कार्य सुविधाओं के अतिरिक्त उन्हें प्राप्त होने वाली उपलब्धियों से है—

(8) पुरस्कार प्रतियोगिता कानून, 1955

यह कानून समाचार-पत्रों तथा पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाली विभिन्न पहेलियों पर दिये जाने वाले पुरस्कारों को नियमित एवं नियन्त्रित करने हेतु बनाया गया है। इन प्रतियोगिताओं में विभिन्न प्रकार की पहेलियाँ जैसे—फास्स वर्ड पुरस्कार प्रतियोगिता, रिक्त स्थान में शब्द पूर्ति पुरस्कार प्रतियोगिता, चित्र पुरस्कार पहेली आदि आती है।

एक हजार रुपये से अधिक की राशि की पुरस्कार प्रतियोगिताओं का प्रकाशन वर्जित है तथा इनके लिए भी सरकार द्वारा नियुक्त लाइसेंस अधिकारी की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। पूर्व अनुमति के बिना ऐसी प्रतियोगिता आयोजित करने पर तथा कानून की शर्तों का उल्लंघन करने पर तीन माह की कैद या एक हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों सजाएँ हो सकती हैं। सरकार को यह भी अधिकार है कि उस समाचार-पत्र या प्रकाशन की सारी प्रतियाँ जब्त कर ले।

(9) प्रेस एवं संसदीय विशेषाधिकार

संसद एवं विधानमण्डलों की स्वतन्त्रता, गरिमा एवं प्राधिकार की रक्षा करने हेतु तथा सांसदों एवं विधायकों को उचित प्रकार से बिना किसी अवरोध के अपने कार्यों के निर्वहन के लिए उन्हें भारतीय संविधान अनुच्छेद 105 (1) तथा 194 (2) के आधार पर कुछ विशेषाधिकार प्रदान किये गये हैं। पत्रकारों को संसद या विधान मंडलों की कार्यवाही के प्रकाशन के विषय में, उसकी समितियों या सदस्यों पर प्रकाशित टिप्पणियों के विषय में सचेत व सावधान रहना चाहिए। निम्न स्थितियों में पत्रकारों और पत्रों को संसद के विशेषाधिकारों को भंग करने या उसका अपमान करने का दोषी ठहराया जा सकता है—

(1) समाचार-पत्र में सदन की कार्यवाहियों अथवा गरिमा/मर्यादा के सम्बन्ध में की गई प्रतिकूल टिप्पणियाँ।

(2) सदन की किसी समिति के सम्बन्ध में अभियोग/आक्षेपपरक टिप्पणी।

(3) सदन के किसी सदस्य अथवा सदस्यों के आचरण और चारित्रिक गरिमा के सम्बन्ध में प्रतिकूल टिप्पणी जिसके फलस्वरूप जनता में उनकी छवि धूमिल होती हो।

(4) सदन के अधिकारी के सम्बन्ध में प्रतिकूल टिप्पणी।

(5) सदन में प्रस्तुत किये जाने के पूर्व ही प्रस्तावों का प्रकाशन।

(6) किसी समाचार-पत्र द्वारा, संसद की किसी समिति अथवा बैठक की कार्यवाही को, समिति द्वारा अपना कार्य पूरा करने और अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत किए जाने के पूर्व ही प्रकाशित कर देना।

(7) किसी भी सदन में प्रस्तुत दस्तावेजों को सदन में उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व ही प्रकाशित करना।

(8) किसी भी समिति के प्रतिवेदन, निष्कर्षों, जिन्हें सम्बद्ध सदन में प्रस्तुत किए जाने के पूर्व प्रकाशित नहीं करना था, को समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित, उद्घाटित करना अथवा उनका हवाला देना।

(9) सदन की कार्यवाही को गलत ढंग से अथवा तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करना।

(10) सदन के किसी सदस्य के भाषण को किसी गलत ढंग से अथवा तोड़-मरोड कर प्रस्तुत करना तथा किसी विशेष सदस्य के भाषण को जानबूझ कर छिपाना।

(11) समाचार-पत्र द्वारा संसदीय समिति की रिपोर्ट को गलत ढग से प्रस्तुत करना।

(12) सदन की गरिमा एवं सम्मान को कम करने वाली टिप्पणियाँ।

(13) सरकार की संसदीय व्यवस्था की मूलभूत अवधारणा को क्षति पहुँचाने वाली टिप्पणियाँ।

(14) सदन के अध्यक्ष द्वारा अपने कर्त्तव्यो के निर्वहन पर उसकी निष्पक्षता पर छीटाकशी।

(15) संसद की गोपनीय कार्यवाही को प्रकट करना।

(16) सदन की कार्यवाही से निकाले गये अश का प्रकाशन।

(17) संसदीय अधिकार के बिना संसदीय रिपोर्ट का प्रकाशन।

अदालत का निर्णय करते समय प्रत्येक सदन अदालत का रूप धारण करता है और दोषी पाये गये व्यक्ति को सजा दे सकता है जैसे न्यायालय देता है। इस सम्बन्ध मे संसद तथा अनेक विधान सभाओं ने अनेक बार मत दोहराएँ है। दोषी पाए गये व्यक्तियों को अधिकतर चेतावनी देकर छोड दिया गया या सदन के द्वार के निकट खडा करके उनकी भर्त्सना की गई है। कभी-कभी दण्ड स्वरूप पत्रकार दीर्घा मे प्रवेश रद्द कर दिये गये हैं और उनकी अन्य सुविधाएँ समाप्त कर दी गई है जैसे—ब्लिट्ज् के संवाददाता ए० राघवन की (सन् 1961)

ये संसदीय विशेषाधिकार हमारे यहाँ अभी तक नियमबद्ध अथवा संहिताबद्ध नही किए गये हैं। विशेषाधिकारो की अस्पष्टता के कारण स्वतन्त्र भारत मे अनेक ऐसे अवसर आये है जब गहरा संवैधानिक संकट उत्पन्न हुआ है। इस सन्दर्भ मे उत्तर प्रदेश के केशवसिंह व आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद् के "इनाडू प्रकरण" आदि विशेष चर्चित रहे हैं। इन परिस्थितियो मे अनेक बार न्यायालय और विधायिका मे टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई है। अतः विवादास्पद परिस्थितियो मे आवश्यक है कि इन विशेषाधिकारो को नियमबद्ध किया जाए।

(10) प्रेस परिषद अधिनियम (1978)

प्रेस की स्वतन्त्रता की रक्षा तथा पत्रकारो, सामान्य पाठको व पत्र मालिकों

के हितों की सुरक्षा के मूल उद्देश्यों को लेकर 4 जुलाई, 1966 को प्रथम भारतीय प्रेस परिषद् की स्थापना हुई। यह परिषद् 1975 तक चली। जनता पार्टी के शासन काल में भारतीय प्रेस परिषद् के पुनर्गठन के लिए प्रेस परिषद् कानून, 1978 बना।

इस संस्था के प्रमुख उद्देश्य पत्रकारों व समाचार समितियों के अनुरूप आचार संहिता तैयार करना समाचार पत्र, समाचार समितियों और पत्रकारों की तरफ से जनरुचि के स्तर को बनाये रखने का विश्वास दिलाना, समाचार पत्र व समाचार समिति के उत्पादन, प्रकाशन में संलग्न विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों के मध्य समन्वय करना है।

(11) श्रमजीवी पत्रकार कानून 1955

श्रमजीवी पत्रकारों की नौकरी, कार्य के घण्टे, ग्रेच्युटी भुगतान आदि से सम्बन्धित यह कानून 1955 में बनाया गया। इसके अन्तर्गत पत्रकारिता व्यवसाय से सम्बद्ध सम्पादक, उपसम्पादक, फीचर लेखक, संवाददाता, रिपोर्टर, कार्टूनिस्ट, समाचार फोटोग्राफर, प्रूफरीडर आदि को श्रमजीवी पत्रकार के रूप में मान्यता दी गई। प्रतिष्ठान के पूर्णतया व्यवस्थापकीय तथा प्रशासनिक एवं निरीक्षण कार्यों में रत व्यक्ति श्रमजीवी पत्रकार की श्रेणी में नहीं माने जायेंगे। इस कानून के अन्तर्गत किसी श्रमजीवी पत्रकार को नौकरी से पृथक् करने से पूर्व के कानून बनाए गए हैं ही साथ ही पेन्शन आदि पर भी सम्पूर्ण विचार किया गया है। मरने पर ग्रेच्युटी भुगतान का भी पूर्ण विवरण इस कानून में दिया गया है। इस कानून के अन्तर्गत श्रमजीवी पत्रकारों के वेतन आदि के बारे में समय-समय पर विचार करने हेतु एक वेतन मण्डल का भी गठन किया गया है।

उपर्युक्त कानून के आधारों पर यदि पत्रकार चाहे तो वह गम्भीर दोषों से भी मुक्त हो जाता है। परन्तु पत्रकार को यह कभी भी नहीं मानना चाहिए कि वह प्रेस कानून से परे है बल्कि उसे यह समझना चाहिए कि प्रेस कानून उसके लिए सर्वथा हितकारी है।

(ख) पत्रकारिता संगठन

समय-समय पर पत्र व पत्रकारों के सामने उत्पन्न समस्याओं का निराकरण करना, पत्रों की गौरवपूर्ण स्वतन्त्रता की रक्षा करना, प्रेस, सरकार व जनता के मध्य समन्वय रखना तथा पत्रों के लिए आवश्यक आचारसंहिता की रचना व अनुपालन आदि समस्याओं के कारण कुछ स्वयं-सेवी संस्थाओं की स्थापना हुई जो पत्रों व पत्रकारों की समस्याओं का निदान करती हुई उनमें सुधार लाने के लिए भरसक प्रयत्नशील है इनमें से मुख्य संगठन निम्नलिखित हैं—

(1) अखिल भारतीय समाचारपत्र सम्पादक सम्मेलन

इण्डिया न्यूजपेपर एडीटर्स कान्फ्रेंस—इस संगठन का मुख्यालय : रूम नं० 36-37, नार्थ एण्ड कम्पलेक्स, राधा कृष्ण आश्रम, नई दिल्ली-110001 में स्थित है। इस संगठन का शुभारम्भ 1940 में हुआ था। स्वतन्त्रता संग्राम में इस संस्थान ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। यह समाचार पत्रों तथा पत्रिका सम्पादकों का एक स्वैच्छिक संगठन है। भारत में प्रकाशित समाचारपत्र तथा पत्रिकाओं के सम्पादक इसके सदस्य हो सकते हैं। 1940 में मद्रास में हुए सम्मेलन में हिन्दुस्तान टाइम्स के प्रबन्ध सम्पादक देवदास गाँधी ने सम्मेलन को स्पष्ट दिशाओं की ओर ले जाने का संकेत किया था। जैसे, भारत की सम्पूर्ण स्वतन्त्रता व देश में शान्ति तथा साम्प्रदायिक सद्भावना की स्थापना में योगदान। भारतीय सम्पादक सम्मेलन ने सन् 1950 में भारत-पाकिस्तान सम्मेलन आयोजित किया जिसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों में युद्ध को भड़काने वाली खबरों के प्रकाशन को रोकना था। यह सम्मेलन समाचार-पत्र उद्योग के सम्पादकीय अनुभाग का प्रतिनिधित्व करता है।

उद्देश्य—

1. पत्रकारिता के उच्च स्तर तथा गौरवपूर्ण परम्पराओं की रक्षा करना।
2. पत्रकारों के लिए एक आचारसंहिता का निर्माण।
3. विभिन्न समितियों में अपने प्रतिनिधि नियुक्त करना।
4. सम्मेलन की स्थायी समिति समय-समय पर सम्पादकों तथा पत्रकार-जगत के समक्ष उत्पन्न समस्याओं पर विचार करके निर्णय लेना अर्थात् पत्र स्वातंत्र्य और पत्रकारों के विशेषाधिकारों की रक्षा करना है।
5. दूसरे देशों में पत्रकारों के संगठनों से सम्पर्क स्थापित करना।
6. पत्रकारों को अपने कर्त्तव्य पूरा करने के लिए जो सहायता व सुविधा चाहिए उनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना।
7. प्रेस और सरकार तथा प्रेस और जनता के बीच सहयोग व सद्भावना की स्थापना।

(2) दि इण्डियन एण्ड ईस्टर्न न्यूजपेपर सोसाइटी (आई. ई. एन. एस.)

इस संगठन का मुख्यालय आई. इ. एन. एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग नई दिल्ली-110001 में स्थित है। इस संस्था का आरम्भ भारत, बर्मा, व लंका के समाचार पत्रों की केन्द्रीय संस्था के रूप में 27 फरवरी, 1939 में हुआ था। यह समाचार-पत्र उद्योग के मालिकों की संस्था है और विज्ञापन देने वाली एजेंसियों को मान्यता देती है, जो तत्सम्बन्धी नियमों को पूरा करती है तथा समाचार-पत्रों के कारोबारी हितों की देखभाल करती है और उनकी सामान्य समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करती है। मुख्यतः विज्ञापन व अखबारी कागज के वितरण व मूल्य-निर्धारण में अपनी सलाह देती है।

इस संगठन का मुख्य उद्देश्य सदस्य समाचारपत्रों में परस्पर समान रुचि के प्रश्नों को हल करने में सहयोग देना है। इस संस्था ने द्वितीय विश्वयुद्ध में अखबारी कागज के वितरण की समस्या को हल करने में सरकार की बड़ी मदद की। संगठन ने एक भारतीय समाचार-समिति की स्थापना का निर्माण किया था जो 1947 में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया के रूप में सामने आई। रायटर से प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया के समझौतों में इस संगठन की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका रही। सरकार को समय-समय पर अखबारी कागज, मुद्रण मशीनरी आदि के सम्बन्ध में भी यह संस्था सलाह देती रही है।

इस संगठन के सदस्यों के प्रयास से ही 1948 में आडिट ब्यूरो ऑफ सरक्यूलेशन संस्था की स्थापना हुई। एडवर्टाइजिंग ऐजेन्सी एसोसियेशन ऑफ इण्डिया आदि की सहायता से यह संस्था विज्ञापन एजेन्सियों को प्रमाणित करती है। यही नहीं, सरकार द्वारा बनाए गए कानून जो पत्रों के लिए होते हैं, उनके लिए भी यह संगठन राय जाहिर करती है। समय-समय पर यह अपने अधिवेशन भी करती रहती है।

(3) भारतीय भाषा समाचार-पत्र मंच (इण्डियन लेंग्वेजेज न्यूज पेपर्स एसोसियेशन–आई.एल.एन.ए.)

इसका मुख्यालय जन्मभूमि भवन, पो बाक्स न. 10029, फोर्ट, बम्बई 400001 में स्थित है। इसकी स्थापना 1941 में हुई थी। गुजराती समाचार-पत्र जगत् के वरिष्ठ पत्रकार अमृतलाल सेठ की प्रेरणा से इस संस्था की स्थापना हुई। इस संस्था के दैनिक, साप्ताहिक, मासिक व पाक्षिक पत्र सदस्य हैं। यह संस्था भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्रों एवं पत्रिकाओं का प्रतिनिधित्व करती है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य छोटे व मध्य श्रेणी के समाचार-पत्रों के हितों की रक्षा करना है। कठिनाई के समय अपने सदस्यों को समाचार-पत्रों के लिए अखबारी कागज उपलब्ध कराना भी इस संस्था का उद्देश्य है।

1947 से इस संस्था ने एक सहकारी समिति के माध्यम से छोटे समाचार-पत्रों के लिए अखबारी कागज के आयात का कार्य आरम्भ किया था जिससे छोटे पत्रों को काफी सुविधा हुई।

(4) दि इण्डियन एसोसियेशन ऑफ इण्डस्ट्रियल ऐडिटर्स (आई. ए. आई. ई.)

इस संस्था की स्थापना 1956 में हुई। इसकी स्थापना विभिन्न उद्योगों में प्रकाशित उद्योग पत्रिकाओं के सम्पादकों ने अपने अनुभवों के आदान-प्रदान के लिए की। यह संस्था सेमीनारों, गोष्ठियों, व्याख्यानमाला आदि के माध्यम से सम्पादकों

को पत्रकारिता का आधुनिक ज्ञान देने का प्रयास करती है और प्रतिवर्ष सर्वोत्तम उद्योग-पत्रिका के लिए पुरस्कार भी प्रदान करती है।

(5) ग्राडिट ब्यूरो ग्रॉफ सरक्यूलेशन (ए. बी. सी.)

इस संगठन का शुभारम्भ उद्योगकारी संगठन के रूप में विज्ञापनों तथा विज्ञापन समितियों की सहायता से 1948 में हुआ। संगठन का मुख्य उद्देश्य संगठन के सदस्य समाचार-पत्रों अथवा प्रकाशनों की वास्तविक सशुल्क प्रसार संख्या का पता लगाकर उसको प्रमाणित करना है। प्रत्येक छठे महिने बाद प्रसार सम्बन्धी आँकड़ों का सत्यापन यह संस्था चार्टर्ड अकाउन्टेंटो तथा अन्य माध्यमों से करती है। जो पत्र इस संगठन के सदस्य होते हैं उनको अपने प्रकाशनों का हिसाब-किताब संस्था द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार रखना होता है और इस सबका समय-समय पर ए. बी. सी. के ग्राडिटर उनका परिक्षण करते हैं। जिससे प्रकाशक व विज्ञापक दोनों ही विज्ञापन की दरें निर्धारित कर लाभ उठाते हैं। इसी संस्था में समाचार-पत्र, प्रकाशक, विज्ञापक व विज्ञापन एजेन्सियां इसके सदस्य हैं। इसका मुख्यालय बम्बई में है।

(6) प्रेस गिल्ड ग्रॉफ इण्डिया (पी जी ग्राई)

इस संगठन का मुख्यालय गिल्ड हाउस, गली नं. 6, मैजेस्टिक बिल्डिंग, बम्बई 400001 में स्थित है। संस्था की स्थापना 1954 में हुई थी। यह पत्रकारों की एक गिल्ड है अर्थात् समान व्यवसाय वालों की संस्था है। इसका उद्देश्य पत्रकारों और अन्य बुद्धिजीवियों में परस्पर मेल-जोल बढ़ाना है, जिससे पत्रकारिता का स्तर ऊँचा हो सके। यह पत्रकारों की सामाजिक व सांस्कृतिक संस्था है। समय-समय पर यह संस्था विद्वानों, लेखकों, कवियों, वैज्ञानिकों, राजनेताओं तथा विविध विद्याओं के सर्वोत्तम व्यक्तियों को भाषण देने को आमन्त्रित करती रहती है। यह संस्था एक क्लब, वाचनालय, पुस्तकालय आदि का भी संचालन करती है। विभिन्न सामाजिक प्रश्नों पर यह संस्था विचार गोष्टियों का भी आयोजन करती है।

(7) ग्रखिल भारतीय लघु एवं मध्यम समाचार-पत्र महासंघ (ग्राल इण्डिया स्माल एण्ड मीडियम न्यूजपेपर्स फेडरेशन)

इसका मुख्यालय 10 ए/ए/193 रामबाग, कानपुर 208012 में है। इस संस्था की स्थापना 1968 में हुई। छोटे व मध्यम श्रेणी के समाचार-पत्रों का यह संगठन है। इसका मुख्य सम्बन्ध अखबारों के सम्पादकीय विभागों की समस्याओं से है। यह समय-समय पर अपने सदस्यों की समस्याओं को उजागर करती है।

(8) भारतीय प्रेस संस्थान (प्रेस इन्स्टीट्यूट ग्रॉफ इण्डिया)

इस संस्थान का मुख्यालय सप्रू हाउस, एनेक्स बारखम्बा रोड, नई दिल्ली में

स्थित है। इस संस्था की स्थापना 1963 में हुई थी। यह भारतीय समाचार-पत्रों और पत्रकारों का व्यवसायिक संगठन है। सम्पादकों, पत्रकारों, प्रबन्धकों के लिए कार्यशालाएँ और पत्रकारिता व जनसंचार विषयों पर समय-समय पर इस संस्थान द्वारा गोष्ठियाँ आयोजित की जाती है। समाचार-पत्रों की गोष्ठियाँ आयोजित करती हैं। संस्था सम्पादकीय और प्रबन्धकीय दोनों विभागों के कर्मचारियों को काम सिखाती है। सभी समाचार-पत्र और पत्रिकाएँ इस संस्थान की सदस्य बन सकती है। पत्रकारिता के क्षेत्र में इस संस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसने पत्रकारिता व जन-संचार विषयों पर समय-समय पर अनेक पुस्तकें प्रकाशित की है। 'विदुर' नामक पत्रिका भी इस संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती है।

(9) ट्रेड एण्ड टेक्निकल पब्लिकेशन्स एसोसियेशन एवं स्पेशलाइज्ड पब्लिकेशन्स ऐसोसियेशन

इन संस्थाओं का मुख्यालय क्रमशः (1) 12 फोर्ट, चेम्बर्स स्ट्रीट, बम्बई 400001 (2) 235 हाउस दादाभाई नौरोजी रोड, बम्बई 400001 में स्थित है तथा इनकी स्थापना क्रमश. 1957 व 1969 में हुई थी।

ये दोनों संस्थाएँ तकनीकी, व्यापार, वाणिज्य सम्बन्धी पत्रिकाओं की संस्था है। अपने सदस्यों की कारोबारी में सम्बन्धित कठिनाइयों के बारे में ये संस्थाएँ सरकार से पत्र-व्यवहार करती रहती हैं।

(10) भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ (आई एफ डब्ल्यू जे)

इस संस्था का मुख्यालय प्लाट न. 29, शकर मार्किट, कनाट सर्कस, नई दिल्ली में स्थित है। यह संस्था भारतीय श्रमजीवी पत्रकारों की ट्रेड यूनियनों का पहला श्रमिक संगठन है। इसकी स्थापना 28 अक्टूबर, 1950 में एक अखिल भारतीय पत्रकार सम्मेलन में की गई थी जो कि वरिष्ठ पत्रकार एम चेलापतिराव की अध्यक्षता में दिल्ली में सम्पन्न हुआ था। प्रत्येक प्रदेश में इस संगठन की शाखाएँ है। यही नहीं, देश के सभी राज्यों की पत्रकार यूनियनें इस फैडरेशन की सदस्य हैं। इसका दूसरा अधिवेशन 16 अप्रैल 1951 में बम्बई में हुआ।

इस संस्था का मुख्य उद्देश्य पत्रों के व्यावसायिक काम के स्तर को उन्नत करना और श्रमजीवी पत्रकारों के सामूहिक हितों की रक्षा करना है। जैसे—समय-समय पर पत्रकारों की सेवा शर्तें, वेतन सम्बन्धी माँगे, काम के घण्टे व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रश्नों पर निर्णय व आन्दोलन करना है। इस संस्था की सदस्यता सब पत्रकारों के लिए खुली है। यही कारण है कि सबसे अधिक पत्रकार इस संस्था के सदस्य हैं क्योंकि इसमें पत्रकार की परिभाषा इतनी विस्तृत रखी गई है कि प्रूफशोधक से सम्पादक तक सभी पत्रकार जिनमें स्वतन्त्र पत्रकार भी शामिल है, इस संगठन से

सम्बद्ध किसी यूनियन के मेम्बर बन सकते हैं। संघ अपना एक मासिक पत्र 'दि वर्किंग जर्नलिस्ट' प्रकाशित करता है।

श्रमजीवी पत्रकारों के मुकदमें भी इस संस्था द्वारा लड़े जाते हैं और समय-समय पर उनको व्यावसायिक पुनर्प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। इस संस्था के सदस्य विभिन्न राजकीय अर्द्धराजकीय संस्थाओं की सलाहकार समितियों में प्रतिनिधित्व करते हैं। संघ की मांग पर ही सन् 1952 में प्रथम प्रेस आयोग की नियुक्ति हुई और सन् 1955 में श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम पारित हुआ।

(11) नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्टस (एन यू जे.)

इसका मुख्यालय B-17, महारानी बाग, नई दिल्ली-1100065 है। कुछ वरिष्ठ पत्रकारों के हाथों सन् 1969 में इस संस्था की स्थापना हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष एन मीनाक्षी सुन्दरम् बनाये गये। यह एक श्रमिक संगठन है जो पत्रकारों के हितों के लिए संघर्ष करता है। इस संघ ने श्रमजीवी पत्रकारों के वेतन अवकाश आदि के मामलों में पहल की और निर्णय लिए। भारत के अनेक प्रदेशों में इसकी शाखाएँ हैं और इसके सदस्य विभिन्न समितियों में प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके सदस्यों की संख्या 1500 के लगभग है। 'इक वर्ल्ड' इसका मुख्य पत्र है जो दिल्ली में प्रकाशित होता है।

(12) अखिल भारतीय पत्रकार संसद्

जुलाई, 1980 में इस संगठन की स्थापना पालेकर एवार्ड के बाद जुलाई, 1980 में अवार्ड क्रियान्वित करने हेतु की गई थी। मुरादाबाद में इसका रजिस्टर्ड कार्यालय है तथा दिल्ली में केन्द्रीय कार्यालय है। इसकी लगभग सभी प्रान्त में शाखाएँ हैं और 7000 के लगभग सदस्य हैं। यह संस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत है तथा पालेकर अवार्ड की त्रिपक्षी समिति में इस संस्था के सदस्य हैं।

(13) ऑल इण्डिया न्यूज पेपर्स एम्पलाइज फैडेरेशन

9, शकर मार्केट, नई दिल्ली, 110 001 में स्थापित इस संस्था की स्थापना सन् 1960 में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य गैर पत्रकार कर्मचारियों के आर्थिक व सामाजिक हितों की रक्षा करना है। विशेष रूप से दिल्ली, महाराष्ट्र, बंगाल, तमिलनाडू व केरल में यह संस्था अधिक शक्तिशाली है। इसके सदस्य बनने की प्रक्रिया अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। यहाँ पत्रकार और गैर पत्रकार दोनों इसके सदस्य है तो कहीं केवल गैर पत्रकार ही इसके सदस्य हैं।

इस संस्था ने अपने सदस्यों के हितों के संरक्षण के लिए अनेक बार हड़तालें व आन्दोलन किये हैं। इसके पदाधिकारियों का चुनाव श्रमसंघ प्रतिनिधियों की वार्षिक बैठक में किया जाता है।

इन पत्रकारों संगठन के अतिरिक्त "आल इण्डिया" उर्दू स्माल न्यूज पेपर्स एडीटर्स कौन्सिल, सब एडीटर गिल्ड, इन्डियन रूरल प्रेस एसोशियेशन, रिसर्च इन्स्टीट्यूट फार न्यूज पेपर्स डवलपमेंट, एडीटर्स गिल्स ऑफ इण्डिया, इण्डियन एण्ड इस्टर्न न्यूज पेपर्स सोसाइटी, द इन्डियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर, द एडवर्टाइजिंग एजेन्सीज ऐसोसियेशन ऑफ इन्डिया, द एडवर्टाइजिंग कौन्सिल ऑफ इन्डिया आदि मुख्य हैं।

ये सभी संस्थाएँ व्यवसाय तथा कर्मचारियों, जो समाचार पत्रों से सम्बन्धित है, के हितों के प्रति जागरूक रहकर समय-समय पर अनेक राष्ट्रहित एवं समाज के हित के निर्णय करती है और व्यवसाय में महत्ता, शुद्धता तथा मर्यादा की स्थापना में सहायता करती है।

(ग) प्रेस परिषद्

स्वस्थ, स्वतन्त्र एवं सशक्त समाचार-पत्र ही लोकमत की रीढ़ है। पत्रों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय तो कार्यरत रहते ही हैं तो भी पत्रकारिता के स्तर को समुन्नत करने और पत्रकारों के विशेषाधिकारों व पत्र-मालिकों के हितों की सुरक्षा बनाए रखने के लिए यह आवश्यक समझा गया कि पत्रकार भी अपनी स्वयं की संस्था स्थापित करके इस दिशा में समुचित कार्यवाही करें। आज विश्व के 44 राष्ट्रों में प्रेस परिषद् अथवा इससे मिलती-जुलती संस्था का गठन किया जा चुका है। विश्व में प्रेस परिषद् के विचार का उदय सर्वप्रथम स्वीडन में हुआ। 1911 में वहाँ प्रेस इन्फोरमेशन नामाड में स्थापना की गई। इसके बाद 1927 में नार्वे में कटकट कमेटी, जापान में 1946 में 'निहोन शिम्बोन क्योकाई', जर्मनी में 1956 तथा इजराइल में 1963 में यह संस्था गठित की गई।

भारत में प्रेस परिषद् की स्थापना

भारत में प्रेस परिषद् सन् 1954 में प्रथम प्रेस आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट की सिफारिश पर दी गई। रिपोर्ट में उल्लेख था कि सम्पादकीय स्वतन्त्रता की रक्षा, समाचारों के प्रस्तुतीकरण में वस्तुनिष्ठा, प्रेस के तात्विक विकास को प्रोत्साहित करने तथा बाह्य दबावों से प्रेस की रक्षा करने के लिए इस प्रकार के परिषद् की विशेष आवश्यकता है। इसी सिफारिश के आधार पर जून, 1956 में संसद् में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया पर 1957 में लोकसभा भंग हो जाने के कारण यह विधेयक समाप्त हो गया। सात-आठ वर्षों तक इस दिशा में प्रगति नहीं हुई। परन्तु 30 सितम्बर, 1964 में इस मामले को लोकसभा में इस विषय से सम्बन्धित तीस सदस्यों की प्रवर समिति को सौंपा गया। 12 नवम्बर, 1965 को यह विधेयक पारित हो गया और 4 जुलाई, 1966 को प्रेस परिषद् गठित की गई।

1970, 1973 तथा 1974 को विभिन्न संशोधनों के माध्यमों से परिषद् के स्वरूप में परिवर्तन करके इसे अधिक प्रभावशाली बनाया गया। इस तरह कई वर्षों तक इस परिषद् ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य किए, पर 13 दिसम्बर, 1975 के बाद इसके कार्यकाल को बढ़ाया नहीं गया। परिणामस्वरूप यह संस्था स्वतः ही बन्द हो गई। पुनः 6 अप्रैल, 1977 को जनता पार्टी सरकार के सूचना व प्रसारण मन्त्री श्री लालकृष्ण अडवाणी ने लोकसभा में प्रेस परिषद् की पुनः स्थापना की घोषणा की और 1978 में प्रेस परिषद् पुनः काम करने लगी।

प्रेस परिषद् के उद्देश्य—

प्रेस परिषद् निम्न उद्देश्यों को लेकर कार्यकारी है—

1. समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता की रक्षा करना।
2. पत्रकारिता के उच्च-स्तर के अनुसार पत्रकारों के लिए आचार-संहिता तैयार करना।
3. यह व्यवस्था करना कि समाचार-पत्र और पत्रकार समाचार और लेख प्रकाशित करते समय भाषा साहित्य और सार्वजनिक सुरुचि के नियमों का उल्लघन न करें और नागरिक कर्त्तव्यों और अधिकारों के प्रति पूर्ण निष्ठा का परिचय दें।
4. पत्रकारों को अपनी लेखनी के माध्यम से राष्ट्र-सेवा के लिए प्रेरित करना।
5. उन सभी परिस्थितियों पर दृष्टि रखना, जिनके परिणामस्वरूप सार्वजनिक हित से सम्बन्धित समाचारों के संकलन और प्रसारण में रुकावट पैदा होती है।
6. किसी समाचार-पत्र की ओर से विदेशी सूत्रों से सहायता प्राप्त करने के ऐसे तमाम मामलों की खोज करना जिनके बारे में भारत सरकार ने कौंसिल के सामने शिकायत रखी हो।
7. पत्रकारों के प्रशिक्षण के लिए सन्तोषजनक प्रबन्ध करना।
8. समाचार-पत्रों की सहायता के लिए आवश्यकतानुसार समाचार संकलन और प्रसारण के लिए एक सामान्य अभिकरण की स्थापना।
9. पत्रकारिता से सम्बन्धित सभी वर्गों के कर्मचारियों के बीच सहयोग और सामजस्य की स्थापना।
10. अखबारी कारोबार में एकाधिकार की रोकथाम।
11. और पत्रकारिता सम्बन्धी तकनीकी खोज को प्रोत्साहित करना।

परिषद् का गठन

प्रेस परिषद् में 1 अध्यक्ष तथा 28 सदस्य होते हैं जो सम्पादकों, श्रमजीवी पत्रकारों, अखबारों के मालिकों, प्रबन्धकों, शिक्षाशास्त्रियों और संसद् सदस्यों में से चुने जाते हैं। परिषद् के अध्यक्ष का नाम राज्य-सभा के सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और परिषद् के सदस्यों द्वारा निर्दिष्ट एक व्यक्ति से मिलकर बनी समिति द्वारा नामित किया जाता है। अन्य 28 सदस्यों में से 13 श्रमजीवी पत्रकार (जिनमें 6 समाचार-पत्रों के सम्पादक तथा शेष सात सम्पादकों से भिन्न श्रमजीवी पत्रकार हैं) होंगे। छः सदस्यों का चुनाव ऐसे व्यक्तियों में से किया जायेगा जो समाचार-पत्रों के स्वामी हों या समाचार-पत्रों के प्रबन्ध कार्य से सम्बन्धित हों। इसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि छोटे, मध्यम तथा बड़े समाचार-पत्रों के प्रत्येक वर्ग में से दो-दो प्रतिनिधि चुने जाएँ। एक सदस्य समाचार समिति प्रबन्धकों में से तथा तीन सदस्य शिक्षा और विज्ञान, विधि और साहित्य तथा संस्कृति के बारे में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखते हों। इनमें से क्रमशः एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, एक भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा, एक साहित्य अकादमी द्वारा चुना जाएगा। इनके अतिरिक्त पाँच सांसदों में से तीन लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा लोकसभा के सदस्यों में से तथा दो राज्य-सभा के सभापति द्वारा राज्य-सभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं।

प्रेस परिषद् का महत्त्व व कार्य-शक्तियाँ

प्रेस को सही दिशा देने तथा उसके स्वस्थ विकास में सहयोग देने में प्रेस परिषद् एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रेस से सम्बन्धित विविध समस्याओं यथा—अखबारी कागज के आवंटन तथा पत्रकारिता की प्रवृत्तियों पर भी परिषद् महत्त्वपूर्ण सुझाव देती है। प्रेस कौंसिल उन पत्रों और पत्रकारों के विरुद्ध भी शिकायतों की जाँच करती है, जिन पर आचार-संहिताओं का उल्लंघन करने का दोष होता है। जाँच के पश्चात् कौंसिल दोषी-पक्ष के विरुद्ध निन्दा का प्रस्ताव पारित कर सकती है।

प्रेस-परिषद् की स्थिति एक न्यायालय की तरह है जिसके समक्ष जनसाधारण राज्य सरकारें तथा केन्द्रीय सरकार समाचार-पत्रों के विरुद्ध अपनी शिकायतें पेश कर सकते हैं। यही कारण है कि समाचार-पत्र प्रेस की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए प्रेस कौंसिल का दरवाजा खटखटाते हैं। यह सही है कि भारत में अभी परिषद् को दण्डात्मक अधिकार नहीं हैं। अतएव इसके फैसलों को कानूनी अदालतों के फैसलों की तरह राजसत्ता के अधिकार से लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके लिए न्यायालयों से आदेश प्राप्त करने आवश्यक होते हैं। परिषद् अपने निर्णयों की अनुपालना के लिए किसी को कानूनी रूप से बाध्य नहीं कर सकती, फिर भी प्रेस

पर परिषद् का नैतिक नियन्त्रण तो रहता ही है। प्रेस-परिषद् नैतिक बन्धन के रूप में कार्य करते हुए पत्रकारिता की स्वस्थ परम्पराओं के विकास में निर्णायक भूमिका का निर्वाह करती है।

16 जून, 1980 को शिमला में प्रेस परिषद् की एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें प्रेस-परिषद् 1978 के अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव स्वीकार किए गए कि जो समाचार-पत्र दोषी पाये जायें उन्हें केन्द्र सरकार तथा अन्य सार्वजनिक उपक्रमों से विज्ञापन देना बन्द कर दिया जाये या भारतीय डाक-तार विभाग विशेष रियायती दर पर डाक सुविधा बन्द करदें आदि। परिषद् का यह भी विचार था कि पत्रकारिता की नैतिक संहिता का उल्लंघन करने वाले पत्रकारों तथा सम्पादकों के अधिस्वीकरण विशेष समय तक के लिए रद्द कर दिए जाए। यह प्रस्ताव इसलिए रखे गये ताकि परिषद् निर्जीव संस्था मात्र न रह जाये। परिषद् को प्रेस की स्वतन्त्रता की रक्षा तथा व्यवसायिक उत्तरदायित्व तथा जनरुचि के संरक्षण आदि उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ अधिकार देने होंगे ताकि वह प्रभावी व कारगर हो सके। वर्तमान प्रेसपरिषद् को भर्त्सना की शक्ति प्राप्त है, इसके अन्तर्गत परिषद की शक्तियाँ इस प्रकार हैं—

1 यदि किसी समाचार-पत्र, समाचार एजेन्सी, सम्पादक या किसी श्रमजीवी पत्रकार ने लोकरुचि के स्तर का अतिवर्तन या कोई वृतिक अवचार किया है तो प्रेस-परिषद् सम्बद्ध समाचार-एजेन्सी सम्पादक या पत्रकार को सुनवाई का अवसर देने के बाद उसकी उस रीति से जाँच करेगी जो इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों द्वारा उपबन्धित हैं। यथास्थिति परिषद् उस समाचार-पत्र, समाचार-एजेंसी, सम्पादक या पत्रकार को चेतावनी दे सकेगी, उसकी भर्त्सना कर सकेगी या उसकी निन्दा कर सकेगी अथवा उस सम्पादक या पत्रकार के आचरण का अनुमोदन कर सकेगी।

2. यदि परिषद् की यह राय रहती है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक था तो वह किसी समाचार-पत्र से यह अपेक्षा करेगी कि वह समाचार-पत्र या समाचार एजेन्सी, सम्पादक या उसमें कार्य करने वाले पत्रकार के विरुद्ध इस धारा के अधीन, किसी जाँच से सम्बन्धित सामग्री, जिनके अन्तर्गत उस समाचार-पत्र, समाचार एजेन्सी, सम्पादक या पत्रकार का नाम भी है, उसमें ऐसी रीति से, जैसी परिषद् ठीक समझे, प्रकाशित करे।

3. न्यायालय में विचाराधीन किसी भी मामले में परिषद् विचार नहीं कर सकती तथा परिषद् के निर्णयों को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है।

अपने कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए परिषद् को निम्न शक्तियाँ भी प्राप्त है—

1 इस अधिनियम के अधीन जाँच करने के लिए परिषद् को निम्नलिखित बातों के बारे मे सम्पूर्ण भारत मे वही शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो वाद का विचारण करते समय नागरिक न्यायालयों मे दिवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन निहित हैं अर्थात्—

(क) व्यक्तियों को सम्मन भेजना और हाजिर करना तथा शपथ पर परीक्षा करना।

(ख) दस्तावेजों का प्रकटीकरण और उनका निरीक्षण।

(ग) शपथ-पत्र पर साक्ष्य का लिया जाना।

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपियों की अध्यपेक्षा करना।

(ङ) साक्षियों के दस्तावेजों की परीक्षा के लिए आयोग बैठाना।

(च) कोई अन्य विषय, जो निर्दिष्ट किया जाए।

2. परिषद् द्वारा की गई प्रत्येक जाँच भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी।

3 यदि परिषद् अपने उद्देश्यों को या अपने कृत्यों का पालन करने के लिए आवश्यक समझती है तो वह अपने किसी विनिश्चय मे या रिपोर्ट मे किसी प्राधिकरण के, जिसके अन्तर्गत सरकार भी है, आचरण के सम्बन्ध मे ऐसा मत प्रकट कर सकेगी, जो वह ठीक समझे।

4 उपधारा (1) की कोई बात किसी समाचार-पत्र, समाचार एजेंसी, सम्पादक या पत्रकार को उस समाचार-पत्र द्वारा प्रकाशित या उस समाचार एजेंसी सम्पादक।

वित्तीय स्थिति

प्रेस परिषद् को निम्नांकित मुख्य स्रोतों से धन मिलता है—

1 भारत सरकार के सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय द्वारा तथा

2 भारतीय समाचार-पत्रों के पंजीयक द्वारा पंजीकृत समाचार-पत्रों तथा समाचार अभिकरणों से फीस के उद्ग्रहण द्वारा।

परिषद् की समितियाँ

परिषद् का कार्य सुविधापूर्वक चले इसके लिए उसने अपने आपको पाँच समितियों मे विभाजित कर रखा है—

1. जाँच-समिति
2. चयन-समिति
3. सर्वोदय-समिति
4. शोध-खण्ड-समिति
5. वित्त-समिति

परिषद् में शिकायत करना

पत्रकारिता की नैतिक-संहिता का उल्लंघन करने वाले समाचार-पत्रों के खिलाफ प्रेस की स्वतन्त्रता को प्रभावित करने वाली ताकतों, किसी के प्रति मान-हानि-पूर्ण समाचार (यह सामग्री मनोरंजन, कार्टून अथवा विज्ञापन किसी भी रूप में हो सकती है) एवं पत्रकारों के व्यावसायिक दुराचरण के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति परिषद् को अपनी शिकायत निवेदित कर सकता है।

प्रेस-परिषद् में शिकायत करने से पूर्व शिकायतकर्ता को उस समाचार-पत्र के सम्पादक को लिखित रूप से कहना होगा, ताकि सम्पादक को अपनी त्रुटि मालूम पड़ जाए। तदुपरान्त यदि वह उसका संशोधन कर देता है तो मामला प्रेस-परिषद् में जाने से पूर्व ही निपट जाता है, बशर्ते इस संशोधन से शिकायतकर्ता भी सन्तुष्ट हो।

परन्तु उस परिस्थिति में जबकि शिकायतकर्ता को सम्पादक का उत्तर प्राप्त न हो और वह मामले को उठाना चाहता है तो शिकायतकर्ता को परिषद् में अपना पक्ष प्रस्तुत करते समय समाचार-पत्र की सम्बन्धित कतरनें, सम्पादक का नाम, पता लिखते हुए तथा उसके किस आदर्श का हनन हुआ है, अथवा वह किस प्रकार आपत्तिजनक है यह भी लिखना चाहिए। साथ ही उस शिकायतकर्ता को यह भी घोषणा करनी चाहिए कि शिकायत में कथित किसी विषय के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में कोई भी मामला न्यायाधीन नहीं है (क्योंकि न्यायाधीन किसी भी शिकायत पर परिषद् विचार नहीं करती है) और अगर वह न्यायालय में जायेगा तो इसकी पूर्व-सूचना परिषद् को देनी चाहिए।

इस प्रकार प्रेस के विकास तथा उन्नयन में परिषद् ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समय-समय पर परिषद् में प्राप्त शिकायतों का भी इसने उचित समाधान किया है। चाहे प्रेस की आजादी पर प्रहार हुआ हो, पत्रकारों अथवा समाचार-पत्रों के कार्यालय पर हमले हुए हों या पत्रकारिता की मर्यादाओं का उल्लंघन हुआ हो—प्रेस परिषद् हमेशा यह प्रयास करती है कि प्रभावित पक्ष को न्याय मिले।

(घ) एडीटर गिल्ड (भारतीय सम्पादक संघ)

सम्पादकों की समस्याओं के निराकरण हेतु यह आवश्यक समझा गया कि

वे एक ऐसे मंच का गठन करें जहाँ उनकी व्यावसायिक समस्याओं का निराकरण हो सके। उदाहरणार्थ, प्रेस की स्वतन्त्रता, आचार-संहिता, प्रचार के माध्यम का ढाँचा, सूचना की सुविधा तथा लेखकों के अधिकार प्रशिक्षण, भलाई व अन्य सम्ब न्धित समस्याएँ। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए जो संगठन बनाया गया उसे एडीटर गिल्ड के नाम से जाना जाता है।

2. उद्देश्य—

(अ) प्रेस की स्वतन्त्रता का समर्थन।

(ब) व्यावसायिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिए इस प्रकार कार्य करना जिससे मुद्रण तथा अन्य माध्यमों की गति में कोई बाधा न आये।

(स) सम्पादकों की नागरिक आज़ादी की रक्षा।

3. सदस्यता—

"गिल्ड" की सदस्यता व्यक्तिगत है। संस्थाओं को उसका सदस्य नहीं बनाया जाता। किसी भी दैनिक समाचार-पत्र या पत्रिकाओं के कार्यरत सम्पादक ही सदस्य बनने योग्य है। उन पत्रिकाओं के सम्पादकों को सदस्य नहीं बनाया जाता जो किसी व्यवसाय से सम्बद्ध है।

4. सहायक सदस्यता—

वे पत्रकार भी सदस्यता के अधिकारी हैं जो किसी दैनिक समाचार-पत्र या पत्रिकाओं का कम से कम पाँच वर्ष तक सम्पादक रह चुके है। इस श्रेणी में उन व्यक्तियों को भी शामिल किया गया है जो जनसम्पर्क सेवाओं के अधिकारी हैं, जैसे– रेडियो, टेलिविजन आदि अर्थात् जो समाचार व दिन-प्रतिदिन के घटनाचक्रों से पूर्णतया अवगत है। इसमें यह भी प्रावधान है कि ऐसे व्यक्तियों की सदस्यता अपने आप समाप्त समझी जायेगी, जिस क्षण वे अधिकारी नहीं रहेंगे। सहायक सदस्यों को मत देने का अधिकार नहीं है।

5. प्रत्येक सदस्य को संघ के नियम तथा आचार-संहिता का पालन करना अनिवार्य है तथा हर सदस्य प्रेस की स्वतन्त्रता के समर्थन के लिए प्रतिबद्ध है। उसकी प्रतिबद्धता जनहित की सेवा हेतु होगी।

(इ) पत्रकार आचार-संहिता

पत्रकारिता कला भी है, वृत्ति भी है और जन-सेवा भी। अतः पत्रकारिता का सम्बन्ध सभी वर्गों व क्षेत्रों के मध्य होता हुआ अत्यन्त विस्तृत है और इसके साथ ही दायित्वों का दायरा भी बढ़ जाता है। इस दायित्व को पूरा करने के लिए पत्रकार की प्रथम निष्ठा समाज और उसके हित सम्वर्द्धन में निहित है। जहाँ वह

घटना-क्रम का तटस्थ प्रस्तोता है वहाँ शुचिता के लिए भी उसका आग्रह होना चाहिए। निष्पक्षता और निर्भीकता से दायित्व निर्वाह के लिए सर्वस्व न्योछावर की अपेक्षा उससे होती है और आज समाचार-पत्र जनमानस को दिशा देने के लिए एक सशक्त साधन के रूप में उभरा है। यह अनुभव किया गया कि इस सशक्त साधन का किसी प्रकार का दुरुपयोग न हो। लोकतन्त्र की सफलता के लिए भी पत्रिकाओं का तटस्थ व निष्पक्ष होना अत्यन्त आवश्यक है। चिकित्सकों, वकीलों तथा अन्य-व्यवसायों के सदस्यों की तरह पत्रकारों के व्यावसायिक आचरण के लिए भी कतिपय नियम और मर्यादाएँ स्थापित एवं स्वीकृत की गई हैं, ताकि पत्रकारिता अपने पथ से उच्छृंखल व दायित्वहीन न हो। इन नियमों को आचार संहिता कहा जाता है।

यह आचार-संहिता पत्रकारिता को पवित्र तो रखने का प्रयास करती है, साथ ही उसे निरंकुशता एवं कर्त्तव्यहीनता से बचाती हुई पत्रकारिता के स्तर को ऊँचा बनाये रखती है। गांधीजी का यह कथन इस सन्दर्भ की पूर्णरूप से पुष्टि करता है—'समाचार-पत्र एक प्रचण्ड शक्ति है परन्तु जिस प्रकार निरंकुश जल का प्रभाव गाँव के गाँव डुबो देता है और सारी फसल का नाश कर देता है, उसी प्रकार निरंकुश लेखनी का प्रभाव भी सर्वनाश का सर्जन करता है। लेखनी पर यह अंकुश जब भीतर से लगाया जाता है तभी वह लाभदायी हो सकता है।"

आचार संहिता की आवश्यकता पर गत वर्षों में विचार-विमर्श चल रहा है। एक वर्ग का मानना है कि जिस प्रकार अन्य व्यवसायों के लिए उनकी आचार-संहिता बनी हुई है उसी प्रकार पत्रकारिता के लिए भी आचार-संहिता हो परन्तु दूसरे वर्ग का मानना है कि किसी भी प्रकार की आचार-संहिता का बनाया जाना अप्रत्यक्ष रूप से पत्र व पत्रकारों की अभिव्यक्ति पर अंकुश लगाना है। सन् 1977 में "आल इण्डिया एडीटर कान्फ्रेंस" ने पत्रकारों के लिए एक आचार-संहिता बनाई थी। मार्च 1978 में उसे लागू करने के लिए एक निगरानी समिति भी बनाई थी परन्तु बाद में 1978 में एक नया विधेयक लोकसभा में पारित कर नई प्रेस परिषद् का गठन किया गया इसलिए उक्त आचार-संहिता पर अमल रुक गया। इस नये अधिनियम की धारा 13 (2) (बी) में यह कहा गया है कि प्रेस परिषद् समाचार-पत्रों, समाचार समितियों तथा पत्रकारों के उच्च वृत्तिक स्तर को बनाये रखने के लिए एक आचार-संहिता का निर्माण करेगी।

पूर्व सूचना और प्रसारण मन्त्री श्री विट्ठल गाडगिल ने 14 मई, 1986 को राज्य सभा में घोषणा की कि "सरकार प्रेस की आजादी के प्रति वचनबद्ध है। भारतीय प्रेस परिषद् ऐसे सिद्धान्त बना सकेगी ताकि प्रेस अपने लिए आचार-संहिता स्वयं बना सके।"

अत पत्रकारो की आचार-संहिता का स्वरूप अपने आप पर अपने द्वारा ही लगाये गये अंकुश है। न तो यह कोई कानूनी बंदिश है और न शासकीय दबाव। युग की माँग के अनुरूप इसमे परिवर्तन संशोधन भी होते रहते हैं। पत्रकार-समाज ने स्वयं ही अपने लिए मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखाएँ खींची हैं। ये आचार-संहिताएँ, पत्रकारो के व्यावसायिक संगठनों, पत्रकारो की ट्रेड यूनियन द्वारा तथा विभिन्न संघों ने तैयार की है, जिनमे अखिल भारतीय समाचार-पत्र सम्पादक सम्मेलन ग्रेट ब्रिटेन के राष्ट्रीय पत्रकार संघ, अमेरिकन सोसायटी ऑफ न्यूजपेपर्स एडिटर्स, अमेरिकन न्यूजपेपर्स गिल्ड और नेशनल एण्ड अमेरिकन प्रेस कांग्रेस मुख्य है।

प्रेस परिषद् और आचार-संहिता

प्रेस आयोग की सिफारिश पर सन् 1956 मे प्रेस परिषद् अधिनियम पारित हुआ। इसी नियम के अधीन बनाई गई प्रेस परिषद के उद्देश्य निम्न हैं—

(1) समाचार पत्रो की स्वतन्त्रता को कायम रखना।

(2) व्यवसाय के उच्च स्तर के अनुसार पत्रकारो के लिए आचार-संहिता तैयार करना।

(3) यह व्यवस्था करना कि समाचार-पत्र और पत्रकार समाचार और लेख प्रकाशित करते समय भाषा साहित्य और सार्वजनिक सुरुचि के नियम का उल्लंघन न करें और नागरिकता के कर्तव्यो और अधिकारो के प्रति पूर्ण निष्ठा का परिचय दें।

(4) पत्रकारो को अपनी लेखनी के माध्यम से राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करना।

(5) उन सभी परिस्थितियो पर दृष्टि रखना जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक हित से सम्बन्धित समाचारो के संकलन और वितरण मे रुकावट पैदा होती है।

(6) पत्रकारो के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था करना।

(7) समाचार-पत्रो की सहायतार्थ आवश्यकतानुसार समाचार के संकलन और वितरण के लिए एक सामान्य अधिकरण की स्थापना।

(8) पत्रकारिता मे सम्बद्ध सभी वर्गो के कर्मचारियों के मध्य सहयोग और सामंजस्य की स्थापना। अखबारी कारोबार मे एकाधिकार की रोकथाम।

इस प्रकार प्रेस परिषद् अपने उद्देश्य को पालना करती हुई उन समाचार-

पत्रों और पत्रकारो के विरुद्ध शिकायतो को जाच करती है जिन पर पत्रकारिता की आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप होता है।

समय-समय पर विभिन्न पत्रकार सगठनो, सस्थाओं द्वारा अनुदेशित आचार-संहिताएँ निम्न प्रकार हैं—

(1) अखिल भारतीय सम्पादक सम्मेलन 1953

1953 मे आयोजित अखिल भारतीय पत्रकार सम्मेलन के अन्तर्गत पत्रकारों के लिए निम्न आचार-संहिता पारित की गई—

1. समाचार-पत्र लोकमत तैयार करने का प्रधान साधन है अतः पत्रकारो को अपनी वृत्ति और पेशे को पुनीत कर्त्तव्य मानकर समाचार देते समय निष्ठावान एव न्याय-निष्ठ होना चाहिए।
2. मूल मानवीय और सामाजिक अधिकारों को उचित आदर देते हुए लोक-हित की रक्षार्थ एव सेवार्थ पत्रकार को सदैव तत्पर रहना चाहिए।
3. जातीय, धार्मिक तथा आर्थिक भेदो से उत्पन्न सामाजिक विवादो के समाचार देते समय पत्रकारो को खासतौर से अपने ऊपर नियन्त्रण रखना चाहिए। अर्थात् पत्रकार को किसी भी पक्ष से जुड़कर नही वरन् अपने आपको (दोनो पक्षो से) पृथक् रखकर समाचार देना चाहिए ताकि समाचार निष्पक्ष हो।
4. पत्रकार को यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो कुछ भी छप रहा है उसमे तथ्य तोड़-मरोड कर न लिखा जाए और न ही आवश्यक तथ्य को छिपाया जाए। जो भी गलत या सही प्रकाशित हो उसकी पूर्ण जिम्मेवारी पत्रकार स्वयं ले और अगर लेने मे असमर्थ हो तो उसका विशेष रूप से उल्लेख करे।
5. अफवाह और अपुष्ट समाचारों को अफवाह व अपुष्ट समाचार ही लिखा जाए।
6. वृत्तीय गोपनीयता पत्रकारों का गुण है और उनकी प्रतिष्ठा इसी पर निर्भर है। विश्वासघात न करके एक अच्छे पत्रकार को पत्रकारिता सम्बन्धी शिष्टाचार की रक्षा करनी चाहिए अर्थात् पत्रकार पर विश्वास करके जिस व्यक्ति या संस्था ने खबर बताई है तो उसका नामोल्लेख पत्रकार न करें। विशेषकर उस स्थिति मे जबकि नामोल्लेख से उस व्यक्ति या सस्था का अहित होता हो तथा किसी व्यक्ति ने अपने नामोल्लेख की मनाही की हो। यदि पत्रकार ऐसा करता है तो यह विश्वास-

घात होगा और इससे वह अपनी निजी मात्र ही नहीं खोता वरन् समाचार-पत्र व न्यूज-एजेन्सी को नुकसान पहुँचाना है।

7 वैयक्तिक-हितों का पत्रकारिता में पोषण नहीं होना चाहिए अर्थात् किसी व्यक्ति-विशेष के लिए समाचार या टिप्पणी देना अनुचित है।

8 गलत बातों का तुरन्त व स्वेच्छा से खण्डन करना चाहिए। अगर कोई पाठक उस ओर ध्यान आकर्षित करे तो तुरन्त ही गलत बात का प्रतिवाद प्रकाशित करना चाहिए।

9 पत्रकार का सम्पर्क समाज के प्रभावशाली लोगों में भी होता है अतः पत्रकार को कभी भी अपने पद का उपयोग या दुरुपयोग गैर-पत्रकारी कामों के लिए नहीं करना चाहिए क्योंकि यह पूर्णतया अवांछनीय है।

10 किसी भी घटना को प्रकाशित करने या न करने के लिए घूस माँगना या स्वीकार करने से बढ़कर पत्रकार के लिए और कोई बुरी बात नहीं है। समाचारों का संकलन और प्रकाशन की स्वतन्त्रता तथा उचित टीका-टिप्पणी करने का अधिकार ऐसे सिद्धान्त हैं जिनकी रक्षा के लिए हर पत्रकार को तत्पर रहना चाहिए।

11 पत्रकार अपने अन्य सहयोगी पत्रकारों की अपने अनुचित उपायों से उसकी नौकरी छुड़ाने का प्रयत्न न करे अर्थात् सहयोगियों की वृत्ति खराब न करे। न ही अपने कार्य का अनाधिकार या गलत उपयोग करे।

12. पत्रकारों को अपने सहयोगी पत्रकारों और सार्वजनिक कार्यकर्ताओं का हमेशा विशेष सम्मान करना चाहिए।

13 व्यक्तिवाद-विवाद समाचार-पत्रों में जारी रखना अपनी वृत्ति की प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक माना जाना चाहिए अर्थात् ऐसे वाद-विवाद जो पूर्णतः वैयक्तिक हैं तथा जिससे समाज का कुछ भी हित नहीं होता उसे बिना कारण सार्वजनिक महत्त्व का नहीं बनाया जाना चाहिए।

14. किसी के व्यक्तिगत जीवन के सम्बन्ध में अफवाहें या निराधार चर्चा प्रकाशित करना पत्रकारिता की मर्यादा के प्रतिकूल है। अगर जनता किसी व्यक्ति विशेष के छापने पर जोर दे तो ऐसी स्थिति में पत्रकार को सन्तुलित होना चाहिए अर्थात् किसी निजी-व्यक्ति के सम्बन्ध में छापते समय पुष्ट समाचार अत्यन्त आवश्यक है, नहीं तो पत्रकार की प्रतिष्ठा को तो ठेस लगेगी ही साथ ही उसे अदालत का सामना करना पड़ सकता है।

15 समाचार-पत्र ऐसी सामग्री प्रकाशित नही करेंगे जिससे दुष्कर्म और अपराध को प्रोत्साहन मिलता हो ।

(2) इग्लेण्ड (ब्रिटिश) के पत्रकारों के राष्ट्रीय संघ की आचार संहिता

पत्रकारो के राष्ट्रीय सघ ग्रेट ब्रिटेन ने जो आचार-सहिता बनाई, उसके मुख्य अश निम्न है—

1 सहयोगी पत्रकारो से वैसा ही व्यवहार किया जाए जैसा आपको उनसे अपेक्षित है ।

2 मान-हानिपूर्ण लेख छापने का अधिकार, अदालत की अवज्ञा और प्रतिलिप्याधिकार (कापीराइट) का हमेशा ध्यान रखे ।

3 अदालती कार्यवाही को छापते समय भी सब पक्षो के साथ न्यायोचित व्यवहार होना चाहिए।

(3) अमेरिकन सोसाइटी ऑफ न्यूज-पेपर एडीटर्स

1 समाचारो या लेखो मे जो कुछ भी दिया गया हो, उसके अनुरूप ही शीर्षक होना चाहिए ।

2 समाचारो मे टीका-टिप्पणी न हो और यदि हो तो उसके लिखने वाले का नाम अवश्य होना चाहिए ।

3 पत्रकारो को जनहित का हमेशा ध्यान रखना चाहिए । उसके सामने पाठको की पसन्द या नापसन्द गौण होनी चाहिए । क्योंकि कई बार पाठकगण निम्न स्तर की निन्दा-चर्चा पढना पसन्द करते है पर इससे समाज को क्षति पहुँचती है ।

4. त्रुटिपूर्ण समाचार का खण्डन शीघ्र भूल सुधार मे प्रकाशित हो । भूल सुधार के लिए सदा तत्पर रहना अच्छे पत्रकार का गुण है ।

5. समाचार-पत्रो का सर्वप्रथम कर्त्तव्य लोकमत का प्रतिनिधित्व और मानवीय जीवन को उसकी समूची सार्थकता के साथ प्रतिबिम्बित करना है । इस कर्त्तव्य की पूर्ति के लिए पत्रकार एक विलक्षण प्रतिभा और असाधारण अथवा मौलिक योग्यता की माँग करती है ।

6 पत्रकार न केवल समाज को जानकारी देने के लिए घटनाओ के वृत्तान्त को लिपिबद्ध करता है. अपितु वह समाज का प्रतिनिधि और परामर्शदाता भी होता है ।

7 सार्वजनिक हित ही एक ऐसा सेतु है, जिससे प्रेरित होकर कोई भी पत्र निर्भीकता के साथ बड़ी से बडी शक्ति का सामना कर सकता है ।

8 प्रेस की स्वतन्त्रता सारी मानवता का जन्मसिद्ध अधिकार है और पत्रकार इस अधिकार का सतर्क और निडर रक्षक है।

9 पत्रकारिता को सार्थक करने के लिए यह आवश्यक है कि पत्रकार अपने पाठकों से कभी विश्वासघात न करे, अर्थात् यथा तथ्य को वह उनके सामने रखे और उसकी लेखनी से वही शब्द निकलें जिसके सत्य एवं न्यायसंगत होने का साक्षी उसकी अन्तरात्मा हो।

(4) अमेरिकन न्यूज पेपर गिल्ड

1. समाचारों की आड़ में किसी का प्रचार नहीं होना चाहिए।

2 स्वतन्त्र बुद्धि, आत्म-सम्मान और निष्पक्षता, ये गुण पत्रकारों में आवश्यक हैं।

3. समाचार सम्पादन-सम्पादकीय विभाग में होना चाहिए, व्यवस्था विभाग में नहीं। क्योंकि व्यवस्था विभाग पत्र के आर्थिक पक्ष की अधिक चिन्ता करता है। अतः उसके पक्षपातपूर्ण हो जाने की पूरी सम्भावना रहती है।

4 जब पत्रकार पर विश्वास करके उसे कोई रहस्य बताया जाए तब उस रहस्य का या रहस्य बताने वाले का अर्थात् सूत्र का उद्घाटन किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए यहाँ तक कि अदालत में भी नहीं। यही नहीं, जब तक न्यायालय से फैसला नहीं हो जाता तब तक किसी को अपराधी नहीं मानना चाहिए।

5 पत्रकारों को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, आनुवंशिक या धार्मिक पूर्वाग्रह के दोषों में मनुष्य से भेद नहीं करना चाहिए। औचित्य और तथ्य की सर्वदा रक्षा अपेक्षित है। अर्थात् पत्रकार अपने आपको किसी राजनीतिक दल, आर्थिक-हित, समाज-विशेष, धर्म-विशेष या जाति-विशेष से प्रतिबद्ध कर पक्षपात न करे।

(5) नेशनल एण्ड पेन-अमेरिकन प्रेस कांग्रेस

इसने पत्रकारों के लिए "दस आदेश" स्थापित किये हैं, जिनके द्वारा वे अपना कर्त्तव्य पथ निश्चित कर सकते हैं—

1. अपने पत्र के नाम पर गर्व कीजिए। जोश के साथ अपना उत्साह दिखाइये पर व्यर्थ घमण्ड मत कीजिए।

2 पत्रकारों में जड़ता मृत्युवत है। एक ही लकीर को पीटते रहना बौद्धिक मृत्यु के सिवाय कुछ नहीं।

3. अवसर ने खोइये, बहुज्ञ बनिये। नवीनता प्रदर्शन से मत चूकिए।

4. व्यक्ति से बड़ा समाज है, सरकार से बड़ा देश है। मनुष्य नश्वर है, संस्था और सिद्धान्त अमर हैं।

5. आर्थिक और साहित्यिक दोनो क्षेत्रो मे, आक्रमण का सामना आक्रमण से कीजिए। शान्ति से रहना हो तो अपनी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहिए। तलवार और पैसा दोनो कलम के दुश्मन हैं। आवश्यकता पडे तो सम्मान रक्षा के लिए तन और धन दोनों की बलि दीजिए।

6. दृढ रहिए पर हठी नही, परिवर्तनशील बनें पर कमजोर नही। उदार बनें पर विवेक से काम लें।

7. स्पष्टवादी, सतर्क और स्फूर्त रहें तभी आपका सम्मान होगा। कमजोरी परलोक के लिए अच्छी है नही तो नपुंसकता ही है।

8. जो कुछ भी छपा हो उन सबकी जिम्मेवारी लीजिए। व्यर्थ दोषारोपण पाप है। प्रतिष्ठा की हानि करने वाली चीज न छापिए। घूस लेना पाप है।

9. किसी का विज्ञापन लेख की तरह छापना पाप है। साथी पत्रकार की जगह लेने की इच्छा रखना, कम वेतन पर काम करके साथी पत्रकार की रोजी मारना भी पाप है। रहस्य को जतन से रखिए। पत्र-स्वातन्त्र्य व प्रेस की शक्ति का व्यक्तिगत उपयोग कभी न कीजिए।

10. अधिक से अधिक मित्र बनाए। मित्र ऐसे हो जो आपके आदर के पात्र हों या जिनकी मित्रता से आपका सम्मान बढे। कुछ लोग आपसे शत्रुता भी करेंगे लेकिन आप निर्भीक और नि स्वार्थ होकर अपना काम करते रहे।

(6) पत्र सम्पादक सम्मेलन–1976

आपातकाल (1976) के दौरान पत्रकारिता के सम्बन्ध मे अखिल भारतीय पत्र सम्पादक सम्मेलन मे सत्रह सम्पादकों की समिति ने पत्रकारो के लिए आचार-संहिता बनाई। यह आचार-संहिता 8 जनवरी, 1976 को राज्य सभा में प्रस्तुत की गई, इसके अनुसार—

1. अपने कर्त्तव्यों के पालन में पत्रकार आधारभूत मानवीय और सामाजिक अधिकारो को सर्वाधिक महत्त्व देंगे और समाचार तथा आलोचना मे सद्भाव और निष्पक्ष व्यवहार को व्यावसायिक उत्तरदायित्व के एक अंग के रूप में स्वीकार करेंगे।

2. पत्रकार और समाचार-पत्र राज्य तथा जनता की उन गतिविधियों पर प्रकाश डालने और उनको प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे जिनमें राष्ट्रीय एकता भारत की अखण्डता तथा आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति को बल मिलता है।

3. पत्रकार और समाचार-पत्र उन समाचारों व टिप्पणियों को प्रकाशित नही करेंगे जिनसे ऐसे तनावों को बल मिलता हो, जो सामूहिक उथल-पुथल, विद्रोह और बगावत की सभावना पैदा करते हों। हिंसा की खुले शब्दों में निन्दा करनी चाहिए।

4. पत्रकार और समाचार-पत्र यह सुनिश्चित करेंगे कि समाचार तथ्यात्मक हो। किसी भी तथ्य को तोड़-मरोड़ा नही जाएगा न ही ऐसे समाचारो को प्रकाशित किया जाएगा जो असत्य या अविश्वसनीय हों।

5. ऐसी काल्पनिक रिपोर्ट प्रकाशित न हो जो उत्तेजनात्मक हो अथवा जिनसे अर्थ का अनर्थ होता हो। गलत पाए जाने वाली रिपोर्ट या टिप्पणी का संशोधन प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

6. विश्वास का सदा आदर किया जाएगा। व्यावसायिक गोपनीयता की सदा रक्षा होगी।

7. गैर-पत्रकारिता उद्देश्यों की सूचना एकत्रित करने के लिए पत्रकार अपने पद का दुरुपयोग नही करेंगे और न ही उनका व्यक्तिगत स्वार्थ उनके व्यावसायिक आचरण को प्रभावित करेगा।

8. पत्रकारो के लिए किसी भी समाचार या टिप्पणी का प्रकाशन करने या न करने के लिए किसी प्रकार का प्रलोभन अथवा घूँस स्वीकार करने या उसकी माँग करने से बढ़कर और बुरी चीज न होगी।

9. पत्रकार और समाचार-पत्र लोकहित के अतिरिक्त किसी भी वाद-विवाद में नही पड़ेंगे।

10. पत्रकार और समाचार-पत्र अफवाह या गप्प या व्यक्तियों के जीवन से सम्बन्धित संदिग्ध समाचारों का प्रकाशन नही करेंगे।

11. सामाचार-पत्र ऐसी सामग्री (विज्ञापन सहित) भी प्रकाशित नहीं करेंगे जो अश्लील हो या जिनमें दुष्कर्म, अपराध या गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलता हो।

12. पत्रकार और समाचार-पत्र लोकतन्त्र, धर्म-निरपेक्षता एवं समाजवाद के राष्ट्रीय उद्देश्यों को बढ़ावा देंगे और उनको प्रतिबिम्बित करेंगे।

13. पत्रकार और समाचार-पत्र ऐसे दंगों के समाचार या विस्तृत विवरण प्रकाशित नहीं करेंगे जो किसी जाति, समुदाय, वर्ग, धर्म, क्षेत्रीय या भाषायी गुट से सम्बन्धित हो तथा अधिकारिक पुष्टि के बिना सम्मिलित गुटों की संख्या या पहचान का ब्यौरा प्रकाशित नहीं करेंगे।

14. पत्रकार और समाचार-पत्र ऐसी सूचना या टिप्पणी प्रकाशित नहीं करेंगे जिनसे भारत की अखण्डता और देश की सुरक्षा या विदेशों से हमारे मैत्री सम्बन्धों को आघात पहुँचता हो।

15. प्रेस लोकतान्त्रिक ढाँचे का आवश्यक अंग, संचार का एक महत्त्वपूर्ण माध्यम और जनमत बनाने का साधन है। अत: पत्रकारों को अपने व्यवसाय को एक ट्रस्ट के रूप में लेना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु पत्रकार को घटनाओं का सार्थक, सही व्यापक और विश्वसनीय ब्यौरा प्रस्तुत करना चाहिए।

(7) राष्ट्रीय पत्रकार संघ का घोषणा पत्र

दिल्ली पत्रकार संघ द्वारा दिसम्बर, 1982 में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में निम्न 15 सूत्रीय आचार-संहिता प्रस्तावित की गई—

1. अपने विचारों, समाचारों के प्रकाशन या उनके प्रस्तुतिकरण में सम्पादक संस्थान के अन्दर या बाहर किसी से प्रभावित नहीं होगा।

2. समाचार-पत्र सत्तारूढ़ दल, उसकी सरकार या किसी अन्य राजनीति दल अथवा व्यक्ति का प्रचार माध्यम नहीं बनेगा। दलों से जुड़े समाचार-पत्र भी दलीय या व्यक्तिगत राजनीतिज्ञों के हित-साधन के लिए समाचारों को दबाएँगे या तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे नहीं।

3. साम्प्रदायिक तनाव भड़कने की आशंका अथवा शत्रु देश को मदद पहुँचाने की सम्भावना वाली खबरों के अलावा, सम्पादक किन्हीं तथ्यों के प्रस्तुतिकरण में अवरोध उत्पन्न नहीं करेंगे।

4. निराधार, सनसनीखेज, दुर्भावनापूर्ण समाचार नहीं छापे जाएँगे। विवादास्पद अथवा संदिग्ध समाचारों की प्रकाशन में पूर्व पुष्टि की जाएगी। निजी जीवन से सम्बन्धित समाचार केवल तभी प्रकाशित किया जाएगा, जब ऐसा करना जनहित में हो।

5. प्रत्येक समाचार-पत्र में एक परामर्शदात्री कर्मचारी परिषद् होगी जिसमें सम्पादकीय विभाग और प्रेस के सभी अंगों के लोग रहेंगे। यह परिषद् समय-समय पर इस बात की समीक्षा करेगी कि आचार-संहिता के अनुसार

पत्र का प्रकाशन हो रहा है अथवा नही। सम्पादक और सम्पादकीय विभाग के अन्य सहयोगी पत्र-मालिक और सम्पादक के बीच विवाद के मामले भी इसी परिषद् के सम्मुख रखे जाएँगे।

6 ऐसी परिषद् का गठन होने तक कोई भी विवाद पत्रकारो की एक उपयुक्त सस्था के सुपुर्द किये जाएँगे।

7 सम्पादक या सम्पादकीय विभाग के किन्ही सदस्य के साथ राजनीतिज्ञो, शासकीय अधिकारियो, विज्ञापको अथवा किसी अन्य व्यक्ति का कोई विवाद एतदर्थ गठित एक विधायी सस्था के सामने ले जाया जाए।

8 समाचार-पत्र के प्रबन्धको के दृष्टिकोण के विपरीत विचार रखने वाले राजनीतिज्ञो के विचारो के प्रकाशन मे तोड-मरोड या दबाने जैसा रुख नही अपनाया जाएगा। ससद या विधानसभा अथवा कही बाहर राजनेताओ द्वारा दिये भाषणों को सही परिप्रेक्ष्य मे प्रकाशित किया जाएगा।

9 राजनेता और सार्वजनिक समारोहो के अन्य आयोजक उनकी सभाओ, रैली आदि की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारो तथा प्रेस छायाकारो को सरक्षण देंगे, उनके साथ दुर्व्यवहार नही करेंगे। किसी समाचार के प्रकाशन की प्रतिक्रिया-स्वरूप घेराव या दबाव का कोई अन्य हथकन्डा नही अपनाया जाएगा।

10. भारत एव राज्य शासनों के सूचना अधिकारी तथा अन्य अधिकारी समाचार-पत्रो की समाचार एकत्र करने की जवाबदारी महसूस करेंगे और इस सहिता की धारा 3 के अनुसार समाचारो के स्वतन्त्र प्रवाह में बाधक नही बनेंगे। तदनुसार जिन दो स्थितियो मे सरकार समाचार का प्रकाशन-प्रसारण रुकवाना चाहती है उनकी अपरिहार्यता के सम्बन्ध मे सम्पादक को सन्तुष्ट करेंगे। वित्तीय सस्थान और विज्ञापनदाता सम्पादकीय नीति को प्रभावित करने की चेष्टा नही करेंगे। किसी समाचार के गलत होने की दशा मे उसका प्रतिवाद भेजा जाएगा जिसे सम्पादक उचित रूप मे प्रकाशित करेंगे। यदि आवश्यक हुआ तो वह अपनी टिप्पणी भी साथ मे देंगे। ऐसे प्रकाशन के लिए जिम्मेदार पत्रकार से उसका प्रतिवाद, खण्डन या खेद प्रकाशन छापने से पूर्व सम्पादक द्वारा परामर्श किया जाएगा।

11. कानून में उपयुक्त सशोधन किया जाए ताकि पत्रकार को अपनी सूचना का स्रोत प्रकट न करने के लिए विधायी सरक्षण प्राप्त हो सके।

12. जब तक संसदीय विशेषाधिकार पूरी तरह परिभाषित नहीं हो जाते, सम्बन्धित संवैधानिक प्रावधानों को इस तरह संशोधित किया जाए कि संसद या विधानमण्डलों की कार्यवाही के प्रकाशन सम्बन्धी सभी विवाद एक उपयुक्त समिति को सौंपे जाएं। जब तक ऐसी समिति का गठन नहीं होता विशेषाधिकार हनन के किसी मुद्दे पर कार्यवाही के पूर्व पत्रकारों को सदन के समक्ष अपना बचाव करने का अवसर दिया जाए।

13. संसद और विधानमण्डलों की कार्यवाही का प्रकाशन देश की लोकतान्त्रिक प्रक्रिया का एक आवश्यक अंग है ताकि जनता अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के व्यवहार के बारे में जान सके। अतएव पीठासीन अधिकारियों को सदन की कार्यवाही की रिपोर्टिंग में जानबूझ कर अवरोध नहीं आने देना चाहिए। यहाँ तक कि कार्यवाही से विलोपित हिस्सों का भी प्रकाशन होने देना चाहिए ताकि पाठक और अन्य लोकतान्त्रिक संस्थाएँ और मतदाता संसदीय व्यवहार का ज्ञान प्राप्त कर सकें।

14. पत्रकार, समाचार-पत्र और व्यावसायिक संगठन का यह कर्त्तव्य होगा कि वे सूचना का स्वतन्त्र प्रवाह सुनिश्चित करें। यूनेस्को द्वारा प्रस्तावित नयी अन्तर्राष्ट्रीय सूचना व्यवस्था के सम्बन्ध में यह और भी महत्त्वपूर्ण होगा।

15. प्रेस की स्वतन्त्रता तथा पत्रकारिता की उच्चतम परम्पराओं की अन्य मान्यताओं को प्रभावित करने वाले मामलों में पत्रकार व्यक्तिशः और व्यावसायिक संगठन अन्य संगठनों की सहायता या सहकार प्राप्त करने के लिए स्वतन्त्र होंगे।

(8) आस्ट्रेलियन पत्रकारों की आचार-संहिता

1. समाचार प्रकाशित करने और टीका-टिप्पणी करने में पूर्ण ईमानदारी बरतिये।

2. आवश्यक तथ्यों को छिपाइए मत और उल्लेख न करके या गलत बात पर जोर देकर सत्य को मत तोड़िए-मरोड़िए।

3. किसी भी दशा में विश्वासघात न कीजिए।

4. सहयोगियों से सदैव भ्रातृत्व का व्यवहार कीजिए। सहयोगी का कोई अनुचित उपयोग न कीजिए।

5. घूस कभी मत लीजिए। न्याय बुद्धि पर व्यक्तिगत स्वार्थ को कभी भी प्रभावी न होने दीजिए।

6. समाचार-चित्र या दस्तावेज प्राप्त करने के लिए सदैव केवल उचित मार्ग का अवलम्बन कीजिए।
7. कोई व्यक्तिगत बातचीत अथवा चित्र प्रकाशित करने के पूर्व उसके देने वाले पर यह स्पष्ट कर दीजिए कि उसका उपयोग पत्र में किया जा रहा है। अपने आचरण से अपने व्यवसाय की प्रतिष्ठा तथा पूर्णता के प्रति जनता का विश्वास प्राप्त कीजिए।

(9) अन्तर्राष्ट्रीय आचार-संहिता

यूनेस्को के तत्त्वावधान में प्राग तथा पेरिस में 1983 में आयोजित चौथी सलाहकार समिति की बैठक में पत्रकारिता की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक आचार-संहिता का निर्माण किया। इसमें श्रमजीवी पत्रकारों तथा क्षेत्रीय संगठनों ने भाग लिया। इसका स्वरूप इस प्रकार है—

1. जनसंचार के किसी भी माध्यम से पूर्ण तथा तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करने का जनता का अधिकार है।
2. सत्य तथा प्रमाणिक सूचना प्रेषण अधिकार का पत्रकार पूर्ण ईमानदारी तथा उद्देश्यात्मक वास्तविकता के साथ निर्वाह करें। जहाँ तक सम्भव हो वहाँ तक तथ्यों को बिना तोड़े-मरोड़े पूरी सजगता के साथ इस तरह प्रस्तुत किया जाय जिससे वे स्पष्ट रूप से समझ में आ सकें।
3. पत्रकार का सामाजिक दायित्व यह माँग करता है कि वह परिस्थितियों के अनुरूप वैयक्तिक नैतिक चेतना से प्रेरित होकर कार्य करे।
4. पत्रकार की सामाजिक भूमिका उससे व्यावसायिक निष्ठा के उच्च स्तर को बनाये रखने की अपेक्षा करती है जो उसे किसी भी प्रकार की रिश्वत लेने तथा जनकल्याण के प्रतिकूल निजी स्वार्थों को प्रोत्साहित करने की अनुमति नहीं देती।
5. पत्रकारिता के व्यवसाय की यह माँग है कि पत्रकार सूचना तक जनता की पहुँच तथा संचार माध्यमों में उसकी सहभागिता को संशोधन के अधिकार सहित बढ़ावा दे।
6. पत्रकार व्यक्तिगत गोपनीयता तथा मानवीय प्रतिष्ठा के प्रति राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को दृष्टिगत रखते हुए तथा अपवचन, मिथ्यापवाद, अपलेख और मानहानि से बचते हुए सम्मान भाव रखना है।
7. पत्रकारों का व्यावसायिक स्तर राष्ट्रीय समुदाय और इसकी प्रजातान्त्रिक

संस्थाएँ तथा जन आदर्शों के प्रति सम्मान भाव रखने की अपेक्षा रखता है।

8. एक सच्चा पत्रकार मानवीय शाश्वत मूल्यों और इनसे भी ऊपर शान्ति, प्रजातन्त्र, मानव अधिकार, सामाजिक प्रगति और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के प्रति वचनबद्ध होता है।
9. मानवता के शाश्वत मूल्यों के प्रति नैतिक निष्ठा पत्रकारों को इस बात के लिए आह्वान करती है कि वे मानवता विरोधी प्रमुख बुराइयों तथा युद्ध निवारण जो मानवता के लिए दुःखदायी है उसे प्रोत्साहन न दें।
10. पत्रकार का यह विशेष दायित्व है कि वह सूचना के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के लोकतान्त्रीकरण की प्रक्रिया, विशेषकर जनता व राष्ट्रों के मध्य शान्ति सद्भाव तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के रक्षण तथा प्रोत्साहन को विकसित करें। साथ ही नयी विश्व सूचना एवं संचार व्यवस्था को भी प्रोत्साहन दें।

वर्तमान में समाचार-पत्रों की हालत देखते हुए वास्तव में आज सार्वदेशिक आचार-संहिता की अत्यन्त जरूरत है। जो समाचार-पत्रों पर विभिन्न दबावों का निषेध कर सके और उनके कृतित्व का नीर-क्षीर विवेचन कर सके। उन पर मर्यादाओं का अंकुश रख सके और प्रकारान्तर में सच्चे अर्थों में अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का रक्षक बन सके जिससे समाचार-पत्र पूर्णरूप से अपने दायित्व का निर्वाह कर सकें।



अध्याय–4

पालेकर अवार्ड व बछावत आयोग

(अ) पालेकर अवार्ड

स्वतन्त्रता के बाद भारत मे पत्रकारिता का विकास तीव्र गति से हुआ। देश मे समाचार-पत्रो की संख्या दिनो-दिन बढती गई परन्तु समाचार-पत्रो के मालिको ने इस व्यवसाय को उद्योग मानकर विज्ञापन-दरो मे दिनो-दिन बढोतरी करके लाभाश तो कमाया, परन्तु समाचार-पत्रो मे काम करने वाले पत्रकारो के प्रति शोषण की नीति अपनाये रखी। इससे इस उद्योग मे काम करने वालो की स्थिति व आर्थिक हालत सदा ही चिन्ताजनक रही। अतः इन कर्मचारियो की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए केन्द्रीय सरकार के श्रम मन्त्रालय द्वारा 11 जून, 1975 को पत्रकारो तथा गैर-पत्रकारो के वेतनमान निर्धारित करने के लिए एक वेतन बोर्ड का गठन किया गया। परन्तु इस वेतन बोर्ड का पत्रकारो को कोई विशेष लाभ नही मिला और ना ही पत्रकारो की आर्थिक स्थिति सुधारने मे कोई मदद मिली।

अत पत्रकारो की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए पत्रकार सगठनो द्वारा पुनः देश में पत्रकारो के वेतन निर्धारित करने के लिए यह माग की गई कि सरकार पत्रकारो की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, देश भर के सभी पत्रकारो के लिए समान वेतन-शृंखला निर्धारित करने के लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन करे। पत्रकारो की इस माँग को ध्यान मे रखते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा 9 फरवरी, 1979 को उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री डी जी. पालेकर की अध्यक्षता मे एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। इस ट्रिब्यूनल को केन्द्रीय सरकार ने समाचार-पत्रो में कार्यरत कर्मचारियो और पत्रकारो की नौकरी में सुधार लाने हेतु अब तक चल रहे 1955 के कानून मे सशोधन करने के लिए पालेकर ट्रिब्यूनल को कार्यभार सौंपा।

पालेकर ट्रिब्यूनल ने देश के विभिन्न भागों में लगभग 15–20 बैठकें आयोजित की तथा विभिन्न समाचार-पत्रो के सगठनो के सुझाव आमन्त्रित किए। इन सुझावो व बैठकों मे आयोजित विचारो के आधार पर अगस्त, 1980 मे इस ट्रिब्यूनल ने सरकार को पत्रकारो के वेतनमान निर्धारित करने और आर्थिक स्थिति सुधारने के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की। सरकार ने इस रिपोर्ट मे कुछ

परिवर्तन कर दिसम्बर, 1980 में एक अध्यादेश जारी कर इस ट्रिब्यूनल को पालेकर अवार्ड का दर्जा दिया तथा समाचार-पत्रों के मालिकों को निर्देश दिया कि समाचार-पत्र में कार्यरत पत्रकारों एवं गैर-पत्रकारों को पालेकर ट्रिब्यूनल द्वारा सुझाई गई वेतन तालिका के अनुसार वेतन दिया जाए और तभी से इस पालेकर ट्रिब्यूनल द्वारा दिये गये फैसले को पालेकर अवार्ड के नाम से जाना जाने लगा।

पालेकर अवार्ड की सिफारिशें—

अपनी रिपोर्ट में पालेकर ट्रिब्यूनल ने समाचार-पत्र कर्मचारियों को दो भागों में विभाजित किया—

(अ) पत्रकार कर्मचारी
(ब) गैर-पत्रकार कर्मचारी

1. अपनी रिपोर्ट में ट्रिब्यूनल ने कहा है कि समाचार-पत्र में काम करने वाले पत्रकार और गैर-पत्रकार कर्मचारियों की सेवा-स्थिति में सुधार के लिए उद्योग अधिनियम 1955 के अनुच्छेद 26 के अन्तर्गत लिया जाता है। साथ ही समाचार समितियों में कार्यरत कर्मचारियों पर भी ट्रिब्यूनल द्वारा समाचार-पत्रों के कर्मचारियों के लिए की गई सिफारिशें लागू होंगी। इसके साथ ही अंशकालीन संवाददाता को भी पालेकर ट्रिब्यूनल की सिफारिशों के अन्तर्गत लाभ मिलेगा, लेकिन अंशकालीन संवाददाता उसी को माना जाएगा जिसका मुख्य व्यवसाय पत्रकारिता होगा। अंशकालीन संवाददाता एक से अधिक समाचार-पत्रों के लिए कार्य कर सकेगा जब तक कोई पत्र उसे पूर्णकालीन संवाददाता के पद पर नियुक्ति नहीं देगा। अंशकालीन संवाददाता को पूर्णकालीन संवाददाता के वेतनमान का एक तिहाई वेतन और स्वीकृत सभी भत्ते दिए जाएँगे।

2. पालेकर ट्रिब्यूनल ने पूर्णकालीन पत्रकार कर्मचारियों को उनके कार्य के अनुसार तथा समाचार-पत्रों की आय के अनुसार निम्न भागों में विभाजित करके तालिका के अनुसार कर्मचारियों की वेतन शृंखला निश्चित की—

श्रेणी 1 मुख्य सम्पादक, उपप्रमुख सम्पादक
(अ) मुख्य डिवीजन ब्यूरो, सम्पादक और सम्पादक के समकक्ष अन्य पद—
(ब) विशेष संवाददाता, विदेशी भाषा में काम करने वाला संवाददाता, समाचार सम्पादक, मुख्य रिपोर्टर, प्रान्तीय मुख्य ब्यूरो।

श्रेणी 2 मुख्य उपसम्पादक, वरिष्ठ संवाददाता
(अ) वरिष्ठ उपसम्पादक

श्रेणी 3 उपसम्पादक, संवाददाता

तालिका संख्या 1—पालेकर ट्रिब्यूनल द्वारा संस्तुत पत्रकार वेतन तालिका

श्रमजीवी पत्रकार

सारिणी 1

पत्र उद्योग श्रेणी	कर्मचारी श्रेणी	वेतनमान	वर्ष
1	2	3	4
1 बी	1	वेतनमान अनिर्धारित	10
25 करोड़ रुपये या अधिक	1 ए	रु. 1800–150–2400–175–2925–200–3525 (4) (3) (3)	11
	1 बी	रु 1550–120–2030–140–2590–160–3070 (4) (4) (3)	13
	2	रु 1400–90–1760–100–2160–130–2550–150–2850 (4) (4) (3) (2)	16
	2 ए	रु 1100–75–1475–90–1925–100–2225–135–2630 (5) (5) (3) (3)	18
	3	रु 1000–65–1325–75–1700–90–2060–105–2490 (5) (5) (4) (4)	18
	4	रु. 800–40–1000–45–1225–55–1445–6–1705 (5) (5) (4) (4)	

1	2	3	4
1 ए	1	वेतनमान अनिर्धारित	
10 करोड़ रुपये या अधिक किन्तु 25 करोड़ से कम	1 ए	रु. 1700–140–2260–165–2755–185–3310 (4) (3) (3)	10
	1 बी	रु 1450 110–1890–135–2430–155–2895 (4) (4) (3)	11
	2	रु 1350–85–1690–90–2050–125–2425–145–2715 (4) (4) (3) (2)	13
	2 ए	रु. 1050–70–1400–85–1825–95–2110–130–2500 (5) (5) (3) (3)	16
	3	रु 950–60–1250–70–1600 85–1940–100–2340 (5) (5) (4) (4)	18
	4	रु. 750–35–925–40–1125–50–1425–60–15565 (5) (5) (4) (4)	18
	1	वेतनमान अनिर्धारित	
4 करोड रुपये या उससे – अधिक किन्तु 10 करोड से कम	1 ए	रु 1600–125–2100–150–2550–180–3090 (4) (3) (3)	10
	1 बी	रु. 1350–100–1550–125–2250–150–2700 (4) (4) (3)	11

1	2	3	4
	2	रु 1250–80–1570–85–1910–125–2285–140–2265 (4) (4) (3) (2)	13
	2 ए	रु. 950–60–1250–80–1650–90–1920–25–2295 (5) (5) (3) (3)	16
	3	रु. 900–55–1175–65–1500–80–1820–95–2200 (5) (5) (4) (4)	18
	4	रु 700–30–850–35–1025–45–1205–55–1425 (5) (5) (4) (4)	18
2	1	2700 रुपये से कम नही	10
2 करोड़ रुपये या उससे अधिक किंतु 4 करोड़ से कम	1 ए	रु 1400–100–1800–125–2175–150–2625 (4) (3) (3)	11
	1 बी	रु. 1335–95–1715–120–2195–140–2615 (4) (4) (3)	13
	2	रु. 1200–75–1500–80–1820–100–2120–130–2380 (4) (4) (3) (2)	18
	3	■ 850–50–1100–60–1400–75–1700–90–2060 (5) (4) (4) (4)	18
	4	रु. 650–30–800–35–975–45–1155–50–1335 (5) (5) (4) (4)	

1	2	3	4
3	1	2400 रुपये से कम नहीं	
1 करोड रुपये या उससे अधिक किंतु 2 करोड रु. कम	1 ए	रु 1250–90–1610–100–1910–125–2285 (4) (3) (3)	10
	1 बी	रु. 1200–70–1480–80–1800–100–2100 (4) (4) (3)	11
	2	रु. 1050–65–1310–70–1590–80–1830–90–2010 (4) (4) (3) (2)	13
	2 ए	रु. 850–50–1100–60–1400–70–1610–80–1850 (5) (5) (3) (3)	16
	3	रु. 800-35 975 45–1200–55–1420–65–1680 (5) (5) (4) (4)	18
	4	रु 600–25–725–30–875–35–1015–40–1175 (5) (5) (4) (4)	18
4	1	2200 रुपये से कम नहीं	
50 लाख रुपये या उससे अधिक किंतु 1 करोड रु. से कम	1 ए	रु. 1180–80–1420–90–1690–110–2020 (4) (4) (3)	10
	1 बी	रु 1050–50–1250–60–1490–70–1700 (4) (4) (3)	11

1	2	3	4
	2	रु. 900–45–1080–50–1280–55–1445–70–1585 (4) (4) (3) (2)	13
	2 ए	रु 750–35–925–45–1150–55–1315–65–1510 (5) (5) (3) (3)	16
	3	रु 615–30–765–40–965–55–1185–60–1425 (5) (5) (4) (4)	18
	4	रु. 550–25–675–30–825–35–965–40–1125 (5) (5) (4) (4)	18
5	1	1500 रुपये से कम नहीं	
25 लाख रुपये या उससे अधिक किंतु 50 लाख से कम	1 बी	रु. 900–45–1080 50–1280–55–1445 (4) (4) (3)	11
	2	रु. 825–40–985–45–1165–50–1315–55–1425 (4) (4) (3) (2)	13
	3	रु 540–25–665–30–815–35–935–40–1115 (5) (5) (4) (4)	18
	4	रु. 400–20–600–25–725–30–845–35–985 (5) (5) (4) (4)	18

1	2	3	4
6	1	1200 रुपये से कम नहीं	
10 लाख रुपये या उससे अधिक किन्तु 25 लाख से कम	1 बी	रु 700-40 860-45-1040-50-1190 (4) (4) (3)	11
	2	रु. 625-35-765-40-925-45-1060-50-1160 (4) (4) (3) (2)	13
	3	रु 475-20-575-25-700-30-820-35-960 (5) (5) (4) (4)	18
	4	रु. 450-20-550-25-675-30-795-35-935 (5) (5) (4) (4)	18
7	1	1150 से कम नहीं	
10 लाख रुपये या उससे कम	1 बी	रु. 650-35-790-40-950-45-1085 (4) (4) (3)	11
	2	रु 540-30-660-35-800-40-920-45-1010 (4) (4) (3) (2)	11
	3	रु 425-20-525-25-650-30-770-35-910 (5) (5) (4) (4)	18
	4	रु 400-15-475-20-575-25-675-30-795 (5) (5) (4) (4)	18

इस प्रकार उपरोक्त दर्शाई गई तालिका के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के लिए पालेकर ट्रिब्यूनल ने वेतनमान देने का सुझाव दिया साथ ही निम्न महँगाई-भत्ता, मकान-किराया और रात्रि सेवा-भत्ता भी निम्न तालिका के अनुसार देने का महत्त्वपूर्ण सुझाव दिया।

सारिणी–II

महँगाई भत्ते की दरें

मूल वेतन के आधार पर	वर्ष 1960=100 के इंडेक्स (363) के आधार पर प्रति 6 अंक की बढ़ोत्तरी पर देय राशि
300 रुपये तक	5–00 रुपये
301 से 350 रुपये	5–25 रुपये
351 से 400 रुपये	5–50 रुपये
401 से 450 रुपये	6–00 रुपये
451 से 500 रुपये	6–50 रुपये
501 से 550 रुपये	7–00 रुपये
551 से 700 रुपये	8–00 रुपये
701 से 1000 रुपये	9–00 रुपये
1001 से 1150 रुपये	9–50 रुपये
1151 से 1300 रुपये	10–00 रुपये
1301 से 1609 रुपये	11–00 रुपये
1601 या इससे अधिक पर	11–00 रुपये

तालिका III

मकान किराया भत्ते की दरें

क्षेत्र	वेतन रुपया	श्रेणी 1 बी	श्रेणी 1 ए	श्रेणी 1	श्रेणी 11
“ए” वे कस्बे या शहर जिनकी संख्या 1971 की जनगणनानुसार 20 लाख या उससे अधिक हो	300 रुपये से 1600 रुपये तक	वेतन का 8 प्रतिशत या अधिकतम 128 रुपये	वेतन [illegible] 7 प्रतिशत अधिकतम 128 रु.	वेतन का 5 प्रतिशत अधिकतम 96 रुपये	वेतन का 5 प्रतिशत अधिकतम 80 रुपये
	1601 तथा उससे अधिक हो	128 रुपये	112 रुपये	96 रुपये	80 रुपये
“बी” वे शहर या कस्बे जिनकी जनसंख्या 10 लाख या अधिक हो परन्तु 20 लाख से कम हो, 1971 की जनगणनानुसार	300 रुपये से 1600 रुपये तक	वेतन का 7 प्रतिशत या अधिकतम 112 रुपये	वेतन का 6 प्रतिशत अधिकतम 96 रुपये	वेतन का 5 प्रतिशत 80 रुपये	वेतन का 4 प्रतिशत अधिकतम 64 रुपये
	1601 तथा अधिक रुपये	112 रुपये	96 रुपये	80 रुपये	64 रुपये
“सी” वे शहर या कस्बे जिनकी जनसंख्या 10 लाख से कम हो, 1971 की जनसंख्या के के अनुसार	300 रुपये से 1600 तक	वेतन का 6 प्रतिशत या अधिकतम 96 रुपये	वेतन का 5 प्रतिशत अधिकतम 80 रुपये	वेतन [illegible] 4 प्रतिशत 64 रुपये	वेतन का 3 प्रतिशत अधिकतम 48
	1601 तथा अधिक रुपये	96 रुपये	80 रुपये	64 रुपये	48 रुपये

सारिणी-4

रात्रि सेवाकाल भत्ता

रात्रि सेवाकाल भत्ता निम्नानुसार देय होगा—

समाचार-पत्र उद्योग

श्रेणी I बी और I ए	4 रुपये प्रति रात्रि
श्रेणी I और II	3 रुपये प्रति रात्रि
श्रेणी III	2 रुपये प्रति रात्रि

किन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित पालेकर अवार्ड के बावजूद आज भी कई समाचार-पत्रों के मालिकों द्वारा पालेकर अवार्ड द्वारा निर्धारित वेतन श्रृंखला नहीं दिए जाने और पालेकर अवार्ड लागू नहीं किए जाने की शिकायतें बराबर मिलती रही हैं। अतः पत्रकार संगठनों द्वारा कार्यरत पत्रकारों को समाचार-पत्रों के मालिकों से पालेकर अवार्ड के अनुसार वेतन दिलाने के लिए आवाज उठाई गई। इस मांग पर केन्द्रीय सरकार ने पालेकर अवार्ड लागू करने के लिए केन्द्रीय श्रम राज्य मन्त्री श्रीमती रामदुलारी सिन्हा की अध्यक्षता में अप्रेल, 1981 में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया। इस समिति में पत्रकार संगठनों, समाचार-पत्रों के कर्मचारियों की यूनियनें और पत्रकारों के मालिकों को सम्मिलित किया गया।

इस समिति की आधा दर्जन बैठकों के बावजूद भी समाचार-पत्र मालिकों द्वारा पालेकर अवार्ड पूरी तरह से लागू नहीं किये जाने तथा पालेकर अवार्ड के कारण कर्मचारियों की बड़ी संख्या में छँटनी की जाने की शिकायतें इस कमेटी में निरन्तर आने पर 30 जून, 1983 की इस उच्चस्तरीय समिति की बैठक में कार्यरत पत्रकारों और समाचार-पत्र कर्मचारियों ने सुझाव दिया कि पालेकर अवार्ड की सफल क्रियान्विति के लिए एक त्रिपक्षीय समिति का गठन किया जाए और इस सुझाव पर इसी दिन समाचार-पत्र कर्मचारियों, मालिकों और व्यवसायिक पत्रकार संघों के प्रतिनिधियों की केन्द्रीय श्रम मन्त्री वीरेन्द्र पाटिल की अध्यक्षता में त्रिपक्षीय कमेटी का गठन किया गया।

इस त्रिपक्षीय समिति की पहली बैठक 6 फरवरी, 1984 को नई दिल्ली में श्रम मन्त्री वीरेन्द्र पाटिल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में पत्रकार संगठनों के कई सुझाव आये और साथ ही पत्रकार संगठनों ने इस समिति को समाचार-पत्रों द्वारा की गई छँटनी से अवगत कराया।

केन्द्रीय श्रम मन्त्री ने इस बैठक में यह घोषणा की कि पालेकर अवार्ड लागू होने के बाद कार्यरत पत्रकार औद्योगिक कानून 26 ए के अन्तर्गत आते हैं, अतः इस

कानून के अन्तर्गत छँटनी अवैध मानी जाएगी क्योंकि पालेकर अवार्ड लागू होने पर सरकार ने कानून बनाकर व्यावसायिक एवं कार्यरत पत्रकारों को औद्योगिक विवाद कानून 26 ए के अन्तर्गत मान लिया था और यह पत्रकारों की स्थिति में सुधार के लिए किया है। वास्तव में पालेकर अवार्ड से भारतीय पत्रकारिता के विकास को एक नई गति मिली और समाचार-पत्रों में कार्यरत कर्मचारियों का जीवन-स्तर भी ऊँचा उठा।

(ब) बछावत आयोग—

1 अक्टूबर, 1980 में पालेकर अवार्ड के अनुसार पत्रकारों के जो नये वेतन-मान और भत्ते लागू किए गये वह अब अपर्याप्त लगने लगे थे अत: जुलाई, 1985 में अवकाश प्राप्त न्यायाधीश श्री यू. एन. बछावत की अध्यक्षता में पत्रकारों और गैर पत्रकारों कर्मचारियों के लिए दो वेज बोर्ड गठित किए। उसे ही बछावत आयोग कहा गया। वेजबोर्ड ने 1986 के शुरू में मूल वेतन के 7.5 प्रतिशत के हिसाब से अंतरिम मजदूरी दर देना तय किया। भारत सरकार को यह अपर्याप्त जान पड़ा, इसलिए उसने पत्रकार अधिनियम की धारा 13-ए के अधीन अपने अधिकार का इस्तेमाल करके उसे 15 फीसदी कर दिया और 1 जून, 1986 से लागू करने के आदेश जारी कर दिए।

वेजबोर्ड ने 30 मई, 1989 को वेतनक्रम और भत्तों के बारे में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी। भारत सरकार ने 31 अगस्त, 1989 को वेजबोर्ड की अधिकांश सिफारिशें स्वीकार करके आदेश जारी कर दिया। दो मामलों में वह इन सिफारिशों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन करना चाहती थी। (1) मकान किराया भत्ते में और (2) शहरी क्षतिपूर्ति भत्ते (सिटी कंपेनसेटरी अलाउस) में। इसलिए उसने सम्बद्ध पक्षों से 30 दिन के भीतर अपने प्रत्यावेदन देने के लिए कहा। साथ ही इन दोनों दरों की प्रस्तावित रूपरेखा भी प्रकाशित कर दी। दोनों पक्षों से प्राप्त टिप्पणियों पर गौर करने के बाद सरकार ने नोटिस में कोई परिवर्तन किए बिना उसे अधिसूचित करने का फैसला किया।

बछावत आयोग की शिफारिशें

1 परिभाषाएँ—समाचार-पत्र स्थापन की परिभाषा 1955 के श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम के अनुसार ही होगी। वेतन सम्बन्धी सिफारिशों की बाबत समाचार-पत्र स्थापन में संवाद समितियाँ शामिल नहीं होंगी (इसके लिए अलग से सिफारिशें दी गई है)।

आधार और लेखा वर्ष—वेतन निर्धारण में लेखा वर्षों का उल्लेख आवश्यक है। जिन तीन वर्षों की समाचार-पत्र स्थापनों की सकल आय को आधार मानकर

उनका वर्गीकरण किया गया है और वित्तीय क्षमता आंकी गई है वे आधार वर्ष कहलाते हैं। मण्डल ने 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि को यानी वित्तीय वर्ष को लेखा वर्ष माना है क्योंकि हर स्थापन का लेखा वर्ष एक समान नहीं हो।

सकल राजस्व—सकल राजस्व के अनुसार प्रतिस्थापन को किसी भी स्रोत से होने वाली आमदनियों का योग जिसमें अखबारों की बिक्री और विज्ञापनों के अलावा इमारत के किराए और पूंजी निवेश (शेयर आदि) से होने वाली आय भी सकल आय में शामिल मानी जाएगी परन्तु अखबारों की बिक्री और विज्ञापनों की आय में से जो राशि बतौर कमीशन दी गई हो उसे घटाया जा सकता है। यह प्रतिशत बिक्री पर 28 प्रतिशत और विज्ञापन पर 15 प्रतिशत या वह प्रतिशत जो आयकर अधिकारियों ने मान्य ठहराया हो।

2 **अखबारी स्थापनों का वर्गीकरण**—वेतन निर्धारण के लिए स्थापनों का वर्गीकरण 1984–85, 1985–86 और 1986–87 इन तीन वर्षों की औसत आमदनी के आधार पर किया गया है। जिन नये स्थापनों ने इनमें से केवल एक या दो वर्ष पूरे किए हैं, वे उन्हीं दो वर्षों के आधार पर वर्गीकृत होंगे। एक-दम नये अखबार पहला लेखा वर्ष पूरा करने के बाद वर्गीकरण के हकदार होंगे।

जो स्थापन केवल दो वर्षों की सकल आय के आधार पर वर्गीकृत हुए हैं वे मजदूरी की अदायगी के लिहाज से आमदनी के आधार पर परिगणित वर्ग से एक वर्ग नीचे माने जाएँगे। इसी तरह जिसने एक ही वर्ष पूरा किया है वह दो वर्ग नीचे खिसका दिया जाएगा। लेकिन किसी भी सूरत में कोई भी अखबार वर्ग 9 के नीचे नहीं होगा। उसे कम से कम नौवें वर्ग की पूरी मजदूरी देनी होगी।

3. **स्थापन** बछावत आयोग के अनुसार समाचार पत्र स्थापन के विभिन्न विभाग शाखाएँ और विभिन्न केन्द्र एक ही स्थापन के अंग समझे जाएँगे। एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा नियंत्रित दो या अधिक समाचार पत्र स्थापन चाहे वह नियमित हो या नहीं एक ही स्थापन माने जायेंगे और उनकी सम्मिलित सकल आय के आधार पर स्थापन वर्गीकृत होगा।

छोटे स्थापनों को इतनी छूट अवश्य दी गई है कि एक ही नियन्त्रण सूत्र में बंधे स्थापनों की सम्मिलित आय के आधार पर वे केवल दो वर्ग माने जायेंगे इससे अधिक नहीं।

साझा नियन्त्रण—जो अखबारी स्थापन एक ही व्यक्ति या एक व्यक्ति समूह द्वारा नियंत्रित है। उन्हें वेतन अदायगी के लिए एक स्थापन माना जायेगा। जो स्थापन फर्मों द्वारा नियंत्रित है और उन फर्मों में वह व्यक्ति पर्याप्त संख्या में हैं वे भी एक स्थापन माने जायेंगे। सब्सिडियरी, होल्डिंग कम्पनियां एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह के पास पर्याप्त शेयर हो चाहे विभिन्न ईकाईयों में व्यवहारतः सांगठनिक

एकता (फंक्शनल इंटीग्रेटी) है। इन्हें अलग न मानकर वेतन अदायगी की दृष्टि से उनका आय सम्मिलित करके वर्गीकरण किया जायेगा।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब तक अन्यथा सिद्ध नहीं हो जाये तब तक उसी तरह के नाम से और उसी भाषा में भारत में कहीं भी अखबार निकालने अथवा राज्य में उसी नाम से लेकिन अलग भाषा में अखबार निकालने वाले स्थापनों को साझा नियंत्रण के अधीन मानकर उनकी सम्मिलित आय के आधार पर वर्गीकरण किया जायेगा।

यदि वर्गीकृत स्थापन नये अखबार निकालते हैं तो उनको शुरू के वर्षों में कुछ रियायतें मिलेंगी, लेकिन पुराना स्थापन केन्द्र किसी ऐसे केन्द्र से पुराने नाम से अखबार निकालता है जहां से उसका दूसरा अखबार नहीं निकल रहा तो दो लेखा वर्षों तक नया प्रकाशन केन्द्र एक वर्ग नीचे रखा जायेगा। यदि वर्गीकृत स्थापन नये प्रकाशन केन्द्र से नया अखबार निकालता है तो उसे तीन वर्षों तक एक वर्ग नीचे माना जायेगा। परन्तु किसी भी हालत में नया केन्द्र वर्ग नौ से नीचे नहीं माना जा सकेगा।

4. समाचार पत्रों के दस वर्ग—सकल आय के आधार पर समाचार-पत्र स्थापनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया गया है—

1 ए 100 करोड़ रुपये या अधिक
1 50 करोड़ रुपये या अधिक, लेकिन 100 करोड़ रुपये से कम
2 20 करोड़ या अधिक, लेकिन 50 करोड़ रुपये से कम
3 10 करोड़ रुपये या अधिक, लेकिन 20 करोड़ रुपये से कम
4. 5 करोड़ रुपये से अधिक, लेकिन 10 करोड़ रुपये से कम
5. 2 करोड़ रुपये से अधिक, लेकिन 5 करोड़ रुपये से कम
6. 1 करोड़ रुपये से अधिक, लेकिन 2 करोड़ रुपये से कम
7. 50 लाख रुपये से अधिक, लेकिन 1 करोड़ रुपये से कम
8. 25 लाख रुपये से अधिक, लेकिन 50 लाख रुपये से कम
9 25 लाख रुपये से कम

अन्तिम वर्ग में आने वाले स्थापन को छोड़कर अगर किसी स्थापन की सकल आय में विज्ञापन की आमदनी का हिस्सा 45 फीसदी से कम है तो वह एक वर्ग नीचे खिसक जायेगा।

5 पुन वर्गीकरण—वित्त वर्ष 1989–90 के बाद कर्मचारी या नियोक्ता पिछले तीन वर्षों की औसत सकल आय के आधार पर समाचार स्थापन के पुनः

वर्गीकरण की माँग कर सकता है। लगातार तीन साल के भीतर सिर्फ एक बार पुनर्वर्गीकरण की माँग की जा सकती है।

6. पत्रकारों का वर्गीकरण—आयोग ने श्रमजीवी पत्रकारों को सात समूह मे विभाजित किया है—

ग्रुप 1 मे सम्पादक और 1ए मे कार्यकारी सम्पादक, (यह पद पालेकर के समय नही था) स्थानीय सम्पादक, संयुक्त सम्पादक, डिप्टी एडीटर।

ग्रुप 1 बी मे पहले की तरह सहायक सम्पादक, लीडर राईटर, चीफ ऑफ ब्यूरो, समाचार सम्पादक और विशेष संवाददाता।

ग्रुप II मे सहायक समाचार सम्पादक, चीफ रिपोर्टर, मुख्य उप-सम्पादक, मुख्य फोटोग्राफर, मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष, कार्टूनिस्ट, चीफ आर्टिस्ट आदि के अलावा राजधानियों मे राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त प्रिंसिपल कोरस्पांडेंट विशेष संवाददाता से इतर सवाददाता जो केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। वाणिज्य, फिल्म साहित्य सम्पादक आदि भी इसी ग्रुप मे है।

ग्रुप 2-ए में वरिष्ठ संवाददाता और वरिष्ठ रिपोर्टर आदि।

ग्रुप 3 मे उप-सम्पादक, रिपोर्टर, कोरसपांडेंट, न्यूज फोटोग्राफर, आर्टिस्ट, कैलिग्राफिस्ट, लाइब्रेरियन, हडेनम असिसटेंट, चीफ प्रूफरीडर पत्रकारिता की बुनियाद समझे जाने वाले पत्रकार इसी श्रेणी मे आते हैं। इस ग्रुप या समूह मे चीफ प्रूफरीडर को ग्रुप 4 मे रखा था।

7. अंशकालीन संवाददाता—वह व्यक्ति जिसका मुख्य व्यवसाय पत्रकारिता है अंशकालीन सवाददाता कहलाएगा, लेकिन वह किसी स्थापन के लिए पूरे समय नही बल्कि अंशकालिक ढंग से काम करता है।

विशेष—कोई जरूरी नही है कि कोई समाचार स्थापन इन ग्रुपों या समूह के हिसाब से पत्रकार नियुक्त करें क्योंकि कोई भी ऐसी व्यवस्था नही है कि किस आकार-प्रकार के स्थापन को कितने पत्रकार नियुक्त करने होंगे। यही कारण है कि अनेक स्थापन पत्रकारों को स्थायी नौकरी नही देते।

8. अन्य कर्मचारी—बछावत आयोग ने अन्य कर्मचारियो का वर्गीकरण भी किया है और उन्हें ग्रुपों में बाँटा है। फोटो कम्पोजिंग और छपाई की नई प्रणालियो के कारण कई नए पदों को बोर्ड ने अपनी सूची मे शामिल किया है।

पत्रकारों का पारिश्रमिक

वेजबोर्ड की रिपोर्ट के अध्याय 9 के चौथे खण्ड मे पारिश्रमिक की दरें निर्धारित की गई है।

1. मूल वेतन—विभिन्न वर्गो के समाचार-पत्रो के विभिन्न ग्रुपो के कर्मचारियो को तालिका 1 मे दिए गए वेतनक्रम के हिसाब से मूल वेतन दिया जाएगा। वर्ग 9 के अखबारो मे उप-सम्पादक का मूल वेतन 1200 रुपये प्रतिमास रखा गया है और प्रूफरीडर का 1160 रुपये। इसे पत्रकार का न्यूनतम राष्ट्रीय वेतन कहा जा सकता है।

हर वर्ग के अखबार में उप-सम्पादक और प्रूफरीडर ग्रुप 3 और 3-ए का वेतनमान 20 वर्ष तक चलता है। ग्रुप 2 और 2-ए मे वेतनमान की अवधि 18 वर्ष है। सहायक सम्पादको के लिए यह अवधि 16 वर्ष और स्थानीय सम्पादक आदि के लिए 12 वर्ष है।

2. महँगाई भत्ता—महँगाई भत्ते की दरें तालिका 2 मे दी गई है। 1960 का आधार वर्ष मानकर बने उपभोक्ता सूचक अक मे 752 अक के बाद होने वाली वृद्धि के हिसाब से महँगाई भत्ता दिया जाएगा। अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर, 1987 मे मूल्य सूचक अक का औसत 752 आता है। इस अक तक मिलने वाला महँगाई भत्ता मूल वेतन और अतरिम वेतन दर मे जोड़ने के बाद ही नये वेतनमान का सिलसिला शुरू होता है इसलिए इसके बाद होने वाली वृद्धि पर ही महँगाई भत्ता दिया जाएगा। वेतन बढने पर भत्ते की दर कम हो जाने से भत्ता कम हो जाता है, इसलिए स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि भत्ते की राशि किसी सूरत मे कम नही की जाएगी।

महँगाई भत्ते मे तीन-तीन महीने बाद परिवर्तन होगा। तारीखे हैं 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। भत्ता सम्बद्ध तिहाई में सूचकाक मे परिवर्तन पर आधारित होगा। 1988 की जनवरी-फरवरी-मार्च की तिमाही मे सूचकाकों की औसत वृद्धि पर आधारित भत्ता 1 जुलाई को ही मिल पाएगा, क्योंकि मार्च का सूचकांक मई मे ही उपलब्ध होता है।

3. मकान किराया भत्ता—बछावत आयोग ने सर्वोच्च अखबार मे काम करने वालो और 20 लाख से अधिक आबादी वाले शहर मे रहने वालो के लिए मकान किराया भत्ता वेतन का 11 फीसदी या अधिक से अधिक 330 रुपया, 10 लाख से कम आबादी वाले नगरों के लिए 9 प्रतिशत या अधिक से अधिक 270 रुपये की सिफारिश की थी। सबसे कम भत्ता वर्ग 5 के अखबारो के लिए या अधिक से अधिक 6 प्रतिशत अथवा 180/- या कम से कम 4 प्रतिशत अथवा 120 रुपये। पर भारत सरकार ने यह सिफारिश मजूर नही की और पत्रकार अधिनियम की धारा 12 के तहत उसमे वृद्धि के लिए सम्बद्ध पक्षों को नोटिस दिया तथा सुनवाई के बाद तालिका 3 के अनुसार सरकार ने मकान किराया भत्ता जनवरी 1988 से लागू करने की अधिसूचना जारी की।

4. सिटी कम्पेनसेटरी अलाउन्स—बछावत आयोग द्वारा 20 और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरो मे रहने वाले पत्रकारो और कर्मचारियो लिए शहरी भत्ते की सिफारिश की गई थी। 1 ए वर्ग के लिए यह राशि क्रमश: 80 और 20 रुपये थी। वर्ग 5 के लिए यह राशि 30 रुपये और 20 रुपये थी। पर भारत सरकार को यह मजूर नहीं हुई और इसे भी सम्बद्ध पक्षों की सुनवाई के बाद तालिका 4 के अनुसार लागू किया गया।

5. रात्रि पाली भत्ता—रात की पाली मे काम करने वाले पत्रकारो और कर्मचारियो के लिए 14 रुपये से 2 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भत्ता दिया जाना है। 1 ए मे 14 रुपये है तो वर्ग 9 मे केवल 2 रुपये। अगर महीने मे 15 से अधिक रातों को काम पर बुलाया जाए तो उनके लिए 50 फीसदी अधिक राशि अदा की जाय। देखिये तालिका न० 5।

तालिका न० 1

WORKING JOURNALISTS-1

Class of Establishment	Group of Employees	Scales	Years
1	2	3	4
(Rs. 100 Crores and above) 1 A	1	No Scale	
	1 A	Rs 4400-330-5720-375-7220-425-8920 (4) (4) (4)	12
	1 B	Rs. 3900-210-4740-250-5740-290-6900-330-8220 (4) (4) (4) (4)	16
	2	Rs. 3475-160-4275-180-5175-200-5975-220-6855 (5) (5) (4) (4)	18
	2 A	Rs. 2755-140-3455-160-4255-180-4975-200-5775 (5) (5) (5) (5)	18
	3	Rs. 2485-115-3060-130-3710-145-4435-160-5235 (5) (5) (5) (5)	20
	3 A	Rs. 2090-100-2590-110-3140-120-3740-130-4390 (5) (5) (5) (5)	20
	4	Rs. 1775-75-2150-80-2550-85-2975-90-3425 (5) (5) (5) (5)	20

1	2	3	4
(Rs. 50 Crores and above)	1	No Scale	
	1 A	Rs. 4240-280-5360-330-6680-375-8180 (4) (4) (4)	12
	1 B	Rs. 3700-190-4460-210-5300-250-6300-290-7460 (4) (4) (4) (4)	16
	2	Rs. 3350-160-4150-180-5050-200-5850-220-6730 (5) (5) (4) (4)	18
	2 A	Rs. 2640-140-3340-160-4140-180-4860-200-5660 (5) (5) (4) (4)	18
	3	Rs. 2380-115-2955-130-3605-145-4330-160-5130 (5) (5) (5) (5)	20
	3 A	Rs. 2000-100-2500-110-3050-120-3650-130-4300 (5) (5) (5) (5)	20
	4	Rs. 1700-70-2050-75-2425-80-2825-85-3250 (5) (5) (5) (5)	20
(Rs. 20 Crores and above but less than Rs 50 Crores II	1	No Scale	
	1 A	Rs. 4100-230-5020-280-6140-330-7460 (4) (4) (4)	12

1	2	3	4
	1 B	Rs. 3500-160-4140-190-4900-210-5740-230-6660 (4) (4) (4) (4)	16
	2	Rs. 3225-145-3950-160-4750-175-5450-190-6210 (5) (5) (4) (4)	18
	2 A	Rs. 2520-125-3145-140-3845-160-4485-180-5205 (5) (5) (4) (4)	18
	3	Rs. 2275-100-2775-115-3350-130-4000-145-4725 (5) (5) (5) (5)	20
	3 A	Rs 1900-90-2350-100-2850-110-3400-120-4000 (5) (5) (5) (5)	20
	4	Rs. 1625-65-1950-70-2300-75-2675-80-3075 (5) (5) (5) (5)	20
(Rs. 10 Crores and above but less than Rs. 20 Crores) III	1	No Scales	
	1 A	Rs. 3860-190-4620-230-5540-270-6620 (4) (4) (4)	12
	1 B	Rs. 3300-140-3860-160-4500-180-5220-200-6020 (4) (4) (4) (4)	16

1	2	3	
	2	Rs. 3100-120-3700-135-4375-150-4975-175-5675 (5) (5) (4) (4)	18
	2 A	Rs 2400-110-2950-120-3550-140-4110-160-4750 (5) (5) (4) (4)	18
	3	Rs. 2170-95-2645-100-3145-115-3720-130-4370 (5) (5) (5) (5)	20
	3 A	Rs. 1800-80-2200-90-2650-100-3150-110-3700 (5) (5) (5) (5)	20
	4	Rs. 1550-60-1850-65-2175-70-2525-75-2900 (5) (5) (5) (5)	20
(Rs. 5 Crores and above but less than Rs. 10 Crores) IV	1	No Scale	
	1 A	Rs 3650-160-4290 190-5050 220-5930 (4) (4) (4)	12
	1 B	Rs. 3075-125-3575-140-4135-160-4775-180-5495 (4) (4) (4) (4)	16
	2	Rs 2875-110-3425-120-4025-135-4565-150-5165 (5) (5) (4) (4)	18
	2 A	Rs. 2170-105-2695-110-3245-120-3725-140-4285 (5) (5) (4) (4)	18

1	2	3	4
	3	Rs. 2060-90-2510-95-2985-100-3485-110-4035 (5) (5) (5) (5)	20
	3 A	Rs 1680-70-2030-80-2430-90-2880-100-3380 (5) (5) (5) (5)	20
	4	Rs. 1475-55-1750-60-2050-65-2375-70-2725 (5) (5) (5) (5)	20
Rs. 2 Crores & above but less than Rs. 5 Crores)	1	No Scale	
	1 A	Rs. 3200-140-3760-160-4400-180-5120-200-5920 (4) (4) (4) (4)	16
	1 B	Rs. 3050-110-3490-125-3990-140-4550-160-5190 (4) (4) (4) (4)	16
	2	Rs. 2775-105-3300-110-3850-120-4330-135-4870 (5) (5) (4) (4)	18
	2 A	Rs. 2060-100-2560-105-3085-110-3525-120-4005 (5) (5) (4) (4)	18
	3	Rs. 1950-85-2375-90-2825-95-3300-100-3800 (5) (5) (5) (5)	20

1	2	3	
	3 A	Rs 1560-60-1860-70-2210-80-2610-90-3060 (5) (5) (5) (5)	20
	4	Rs. 1430-50-1650-55-1925-60-2225-65-2550 (5) (5) (5) (5)	20
VI (Rs 1 Crore & above but less than Rs. 2 crores)	1	No Scale	
	1 A	Rs 2850-130-3370-140-3930-160-4570-180-5290 (4) (4) (4) (4)	16
	1 B	Rs 2750-105-3170-110-3610-125-4110-140-4670 (4) (4) (4) (4)	16
	2	Rs 2450-100-2950-105-3475-110-3915-120-4395 (5) (5) (4) (4)	18
	2 A	Rs 2000-95-2475-100-2975-105-3395-110-3835 (5) (5) (4) (4)	18
	3	Rs 1850-80-2250-85-2675-90-3125-95-3600 (5) (5) (5) (5)	20
	3 A	Rs 1460-55-1735-60-2035-65-2360-70-2710 (5) (5) (5) (5)	20

1	2	3	4
	4	Rs 1325-45-1550-50-1800-55-2075-60-2375 (5) (5) (5) (5)	20
VII (Rs 50 Lakhs & above but less than Rs 1 Crore)	1	No Scale	16
	1 A	Rs. 2520-120-3000-130-3520-140-4080-160-4720 (4) (4) (4) (4)	16
	1 B	Rs. 2400-100-2800-105-3220-110-3660-125-4160 (4) (4) (4) (4)	18
	2	Rs. 2100-95-2575-100-3075-105-3495-110-3935 (5) (5) (4) (4)	18
	2 A	Rs. 1760-90-2210-95-2685-100-3085-105-3505 (5) (5) (4) (4)	20
	3	Rs 1420-60-1720-65-2045-80-2445-90-2895 (5) (5) (5) (5)	20
	3 A	Rs. 1360-50-1610-55-1885-60-2185-65-2510 (5) (5) (5) (5)	20
	4	Rs. 1250-40-1450-45-1675-50-1925-55-2200 (5) (5) (5) (5)	20

1	2	3	
VIII (Rs 25 Lakhs & above but less than Rs. 50 Lakhs	1	Not less than Rs. 4100/-	16
	1 B	Rs. 2150-95-2530-100-2930-105-3350-110-3790 (4) (4) (4) (4)	18
	2	Rs. 1950-90-2400-95-2875-100-3275-105-3695 (5) (5) (4) (4)	20
	3	Rs. 1275-55-1550-60-1850-65-2175-75-2550 (5) (5) (5) (5)	20
	3 A	Rs. 1260-45-1485-50-1735-55-2010-60-2310 (5) (5) (5) (5)	20
	4	Rs. 1175-35-1350-40-1550-45-1775-50-2025 (5) (5) (5) (5)	
IX (Less than Rs. 25 Lakhs	1	Not less than Rs 3,500/-	16
	1 B	Rs 1730-90-2090-95-2470-100-2870-105-3290 (4) (4) (4) (4)	18
	2	Rs. 1550-85-1975-90-2425-95-2805-100-3205 (5) (5) (4) (4)	20
	3	Rs 1200-50-1450-55-1725-60-2025-65-2350 (5) (5) (5) (5)	

1	2	3	4
	3 A	Rs 1160–40–1360–45–1585–50–1835–55–2110 (5) (5) (5) (5)	20
	4	Rs 1100–30–1250–35–1425–40–1625–45–1850 (5) (5) (5) (5)	20

तालिका नं० 2
Table-II
DEARNESS ALLOWANCE

Basic pay Slab	Rate of neutralisation for determining dearness allowance payable over the index of 752 (1960=100) with effect from 1st January, 1st April, 1st July and 1st October every year
Upto Rs. 1250/–	100% of basic Pay
Between Rs 1251/– and Rs. 2000/–	75% of basic pay or 100% of Rs. 1250/– whichever is higher.
Between Rs. 2001/– and Rs. 3500/–	60% of basic pay or 75% of Rs. 2000/– whichever is higher.
Between Rs. 3501/– and Rs. 5000/–	45% of basic pay or 60% of Rs 3500/– whichever is higher.
Above Rs 5000/–	35% of basic pay or 45% of Rs. 5000/– whichever is higher.

तालिका नं० 3
Table III
RATES HOUSERENT ALLOWANCE (PERCENTAGE OF PAY)

Class of Newspaper Establishments	Cities/Towns with Population of 20 Lakhs & above	Cities/Towns with Population between 10 to 20 Lakhs	Cities/Towns with Population of less than 10 Lakhs
I A	15	14	13
I	14	13	12
II	13	12	11
III	12	11	10
IV	11	10	9
V	10	9	8
VI	9	8	7
VII	8	7	6
VIII	7	6	5
IX	6	5	4

तालिका नं० 4
Table IV
CITY COMPENSATORY ALLOWANCE (RATE PER MENSEM)

Class of Establishment	Cities, Towns with population of 20 Lakhs and above	Cities, Towns with population between 10 to 20 Lakhs	Cities Towns with population of 4 Lakhs or More
I A	Rs. 100	Rs 75	Rs 20
I	Rs 75	Rs 50	Rs 20
II	Rs 60	Rs 35	Rs 20
III	Rs 50	Rs 30	R 20
IV	Rs 45	Rs 30	Rs 20
V	Rs. 40	Rs. 30	Rs 20
VI	Rs 40	Rs 30	Rs. 20
VII	Rs 40	Rs 30	Rs. 20
VIII	Rs 40	Rs. 30	Rs 20
IX	Rs 40	[illegible]	Rs 20

तालिका नं० 5

Table V

RATES OF NIGHT SHIFT ALLOWANCE

Class of Newspaper	Establishment Rates per Night Shift
I A	Rs 14
I	Rs 12
II	Rs. 12
III	Rs 10
IV	Rs 10
V	Rs. 8
VI	Rs. 6
VII	Rs. 6
VIII	Rs. 4
IX	Rs. 2

अध्याय-5

पत्रकारिता के विकास में सरकारी संचार माध्यम

आजादी के बाद सरकारी कार्य-कलापों के प्रचार, सूचनाओं के लिए सरकारी प्रचार एवं सूचना माध्यमों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर सूचना एवं प्रसार मन्त्रालय की स्थापना की गई। यही कारण है कि केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा अपने विकास कार्यों के प्रचार एवं अन्य सूचनाएँ लोगों तक पहुँचाने के लिए अपने-अपने क्षेत्र में सूचना एवं जनसम्पर्क विभागों का गठन किया गया।

केन्द्रीय सरकार के प्रचार एवं सूचना माध्यम

केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय के अधीन निम्न प्रचार एवं सूचना निदेशालय कार्यरत हैं—

(क) पत्रसूचना कार्यालय (प्रेस इन्फोरमेशन ब्यूरो)

इसे अंग्रेजी में संक्षिप्त रूप में पी आई बी के नाम से जाना जाता है। इसका प्रमुख कार्य केन्द्रीय सरकार की विकास गतिविधियों को एकत्रित करके समाचार-पत्रों तक पहुँचाना है। यह कार्यालय समय-समय पर प्रेस सम्मेलन भी आयोजित करता है। इसका प्रमुख कार्यालय दिल्ली में है तथा विभिन्न प्रान्तों में इसके कार्यालय स्थापित हैं। वर्तमान में करीब 42 कार्यालय विभिन्न नगरों में काम कर रहे हैं जिनमें से करीब 35 कार्यालय सीधे दिल्ली दूरमुद्रक सेवा से जुड़े हुए हैं। यह कार्यालय देश में 10 सूचना केन्द्र भी चला रहा है। यह कार्यालय 'हमारा देश' नामक साप्ताहिक भित्तिपत्र भी निकालता है जो दस भाषा में प्रकाशित होता है।

(ख) क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय

देश की आर्थिक प्रगति के साथ क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के विकास का घनिष्ठ सम्बन्ध है। पंचवर्षीय योजनाओं के आरम्भ के बाद जनता को उसके भावी हितों से अवगत कराने हेतु तथा इसकी योजनाओं के कार्यान्वयन में उसका सहयोग

प्राप्त करने के लिए इस विभाग की स्थापना 1953 में केन्द्रीय सूचना एवं प्रचार मन्त्रालय के अधीन की गई। 4 प्रादेशिक कार्यालय व 32 चलती-फिरती इकाइयाँ कार्यरत थी। परन्तु 1959 में एक अलग निदेशालय बनाकर इसका विस्तार किया गया। वर्तमान में देश के विभिन्न प्रान्तों में 22 प्रादेशिक कार्यालय व करीब 256 क्षेत्रीय प्रचार इकाई कार्यरत है। क्षेत्रीय प्रचार की इकाइयाँ गाँवों में जाकर ग्रामीण लोगों से सम्पर्क स्थापित करके उन्हें सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देती हैं। ये इकाइयाँ वृत्त चित्र व समाचार-दर्शन की फिल्में तो दिखाती ही है साथ ही अपना सन्देश पहुँचाने के लिए परम्परागत माध्यमों—संगीत नाटक, कथा, दास्तान, भजन, कीर्त्तन, नृत्य, कठपुतलियों आदि का भी उपयोग करती है।

(ग) विज्ञापन प्रचार एवं दृश्य-श्रव्य निदेशालय (डी. ए. वी पी)

1 अक्टूबर, 1955 से यह विभाग सूचना व प्रसारण मन्त्रालय से सम्बन्धित है। इसे अंग्रेजी में संक्षिप्त रूप से डी. ए. वी. पी. के नाम से जाना जाता है। इसका एकमात्र कार्यालय दिल्ली में स्थित है। इसका मुख्य कार्य केन्द्र सरकार तथा केन्द्र सरकार के अधीन विभागों के विज्ञापन समाचार-पत्रों में देकर प्रचार करना है। यह प्रचार समाचार-पत्रों, आकाशवाणी, सिनेमा, स्लाइड, होर्डिंग पोस्टर, आदि द्वारा करता है। वर्तमान में यह केन्द्रीय सरकार एवं देश की सबसे बड़ी विज्ञापन एजेन्सी है। केन्द्रीय सरकार के सभी विज्ञापन इसी विभाग द्वारा समाचार-पत्रों को दिये जाते है। विज्ञापन का 15 प्रतिशत कमीशन इस विभाग को सरकारी विज्ञापन एजेन्सी होने के कारण समाचार-पत्रों से मिलता है। इस विभाग द्वारा सरकारी प्रचार की बुकलेट आदि छापने का कार्य भी किया जाता है। इस निदेशालय द्वारा 29 मार्च 1976 से अंग्रेजी में 'एम्पलायमेन्ट न्यूज' और हिन्दी में 'रोजगार समाचार' का भी [illegible] किया जा रहा है।

(घ) फिल्म एवं फोटो विभाग

यह विभाग केन्द्रीय सूचना एवं प्रचार मन्त्रालय के पत्र-सूचना कार्यालय के अधीन कार्य करता है। इस विभाग का कार्य सरकार के विकास कार्यों और मन्त्रियों आदि के कवरेज के फोटो पत्रकारों को उपलब्ध कराना है तथा फिल्म विभाग सरकारी विकास कार्यों एवं उसकी गतिविधियों पर लघु फिल्में तैयार करता है। ये फिल्में गाँवों तथा शहरों के सिनेमाघरों में दिखाई जाती है। फिल्म में प्रशिक्षण के लिए 'फिल्म इन्स्टीट्यूट ऑफ इण्डिया' संस्थान संचालित करती है।

(ङ) संगीत एवं नाटक विभाग

इस विभाग की स्थापना 1960 में आकाशवाणी से अलग करके स्वतन्त्र रूप में की गई। इस विभाग के प्रमुख कार्य संगीत, नाटक, एकांकी, कठपुतली द्वारा

सरकार के कार्यक्रमों का प्रचार करना है। इस विभाग की करीब 25 शाखाएँ कार्यरत हैं जो समय-समय पर सरकारी गतिविधियों से जनता को अवगत कराती रहती हैं। इसका कार्य सीमा पर तैनात सेना के जवानों का मनोरंजन करना भी है।

(च) आकाशवाणी

यह आधुनिक युग का सशक्त प्रचार एवं सूचना माध्यम है तथा केन्द्रीय सूचना एवं प्रचार मन्त्रालय के अधीन है। स्वाधीनता के समय जहाँ इसके कुल 6 केन्द्र थे वहीं सन् 1980 के अन्त तक इसकी संख्या 25 हो गई। आज आकाशवाणी देश का सबसे सशक्त एवं वृहद् प्रचार माध्यम है जो अपने 98 केन्द्रों के माध्यम से देश की 95% आबादी एवं 84% क्षेत्र में अपने कार्यक्रम का प्रसारण करता है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के पूरी हो जाने पर आकाशवाणी के नेटवर्क में 205 प्रसारण केन्द्र हो जायेंगे। आज आकाशवाणी अपनी गृह सेवा में अखिल भारतीय स्तर पर लगभग 68 समाचार बुलेटिन करीब 19 भाषाओं में प्रतिदिन प्रसारित करती है। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के 24 भाषाओं में 63 बुलेटिन विदेश सेवा द्वारा प्रसारित किये जाते हैं। 1982–83 में आकाशवाणी सामाजिक परिवर्तन में महत्त्वपूर्ण साधन के रूप में लोगों को मनोरंजन प्रदान करते हुए सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा में विशेष अग्रसर रही। इस वर्ष की महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों में—एशियाई खेल (1982) का विवरण, साम्प्रदायिक सद्भाव, अस्पृश्यता निवारण, परिवार व कल्याण संवर्द्धन तथा नए 20 सूत्री कार्यक्रमों का समर्थन देने के कार्य शामिल हैं। 18 मई, 1988 राष्ट्रीय प्रसारण सेवा का शुभारम्भ आकाशवाणी की एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रारम्भ में इसकी अवधि 7 घण्टे 30 मिनट थी पर 2 जुलाई, 1989 से इसकी अवधि बढ़ाकर 11 घन्टे 10 मिनट कर दी गई है। अर्थात् यह सेवा सायं 7 बजे से सुबह छः बजकर 10 मिनट तक चलती है। इस प्रकार आज आकाशवाणी केवल समाचार बुलेटिन ही नहीं वरन् राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय घटनाएँ, वार्ता, परिचर्चा, रूपक, संगीत नाटक, बालक, महिला, युवक, परिवार, औद्योगिक मजदूर आदि से सम्बन्धित कार्यक्रम प्रसारित कर लोगों में जन-जाग्रति जगा रही है।

(छ) दूरदर्शन

स्वातन्त्र्योत्तर भारत में दूरदर्शन की शुरुआत भी पत्रकारिता के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। 15 सितम्बर, 1959 में दिल्ली में दूरदर्शन की शुरुआत सामाजिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई जो 1976 तक आकाशवाणी का ही अंग बनी रही पर एक अप्रेल, 1976 में पृथक् दूरदर्शन महानिदेशालय की स्थापना हुई और तब से निरन्तर वृद्धि होते-होते आज इसके कार्यक्रम 18 निर्माण केन्द्रों और 500 से अधिक विभिन्न क्षमता वाले ट्रांसमीटरों के माध्यम से जनता

तक पहुँच रहे हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना के पूरा हो जाने पर इसके कार्यक्रम निर्माण केन्द्रों की संख्या 48 व ट्रांसमीटर की संख्या 545 हो जायेगी।

15 अगस्त, 1982 के झण्डारोहण के साथ ही रंगीन कार्यक्रम के साथ ही राष्ट्रीय कार्यक्रम भी दूरदर्शन प्रस्तुत करने लगा। 1982 के दूरदर्शन की महत्वपूर्ण बात थी चुने हुए राज्यों मे उपग्रह (इन्सेट-1) के द्वारा क्षेत्र विशेष के लिए अपेक्षित ग्रामीण तथा शैक्षणिक कार्यक्रम का प्रसारण तथा माइक्रोवेव लिंक और उपग्रह के माध्यम से राष्ट्रीय सेवा का प्रारम्भ और नवें एशियाई खेलों का समस्त भारत मे एक साथ रंगीन प्रसारण रहा। यही नहीं 15 अगस्त, 1982 से ही राष्ट्रीय प्रसारण में 20-20 मिनट के हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार बुलेटिन भी प्रसारित किये जाते हैं।

राष्ट्रीय प्रसारण की सेवा प्रारम्भ में डेढ़ घण्टे थी पर 11 अगस्त, 1985 में 2 घण्टे 35 मिनट हो गई है। दूरदर्शन ने सन् 1976 से विज्ञापन सेवा की शुरूआत कर आय की वृद्धि मे महत्त्वपूर्ण कदम रखा। 1984 मे 'हम लोग' धारावाहिक से दूरदर्शन ने प्रायोजित कार्यक्रमों की शुरुआत की। 23 फरवरी, 1987 से इसने प्रातःकालीन सेवा का प्रसारण शुरू किया तो महिलाओं व बच्चों के लिए 26 जनवरी, 1989 से दोपहर एक घण्टे का प्रसारण शुरू किया। पिछले कुछ वर्षों में दूरदर्शन का द्रुतगति से विकास हुआ है—सन् 1980 तक हमारे यहाँ 20 ट्रांसमीटर थे, 1984 में 185, 1987 के अन्त तक 228, दिसम्बर 1988 मे 274, दिसम्बर 1989 मे 335 तथा फरवरी 1990 तक 510 हो गई हैं।

इस प्रकार आज दूरदर्शन एक सशक्त माध्यम के रूप में विभिन्न विषयों पर संगीत, नृत्य, चर्चा, सामयिक विषय से सम्बन्धित सामग्री, खेल-कूद, युवा प्रोग्राम, महिला प्रोग्राम, बालक प्राथमिक व उच्च शिक्षा कार्यक्रम आदि नित्य प्रसारित करता हुआ लोगों को शिक्षित कर रहा है।

(ज) प्रकाशन विभाग

भारत सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में पुस्तकें, पुस्तिकाएँ और पत्रिकाएँ आदि प्रकाशित करने तथा उन्हें जनता तक पहुँचाने का काम प्रकाशन विभाग करता है। प्रतिवर्ष लगभग 200 पुस्तकें और पुस्तिकाएँ प्रकाशित करता है। इसके अतिरिक्त यह विभाग 'आजकल', 'बाल भारती', 'कुरुक्षेत्र', 'योजना', 'इण्डियन एण्ड फारेन रिव्यू', 'भगीरथ' आदि पत्रिकाएँ भी प्रकाशित करती है। जिसमें साहित्यिक, सांस्कृतिक, सिंचाई, विद्युत, सामुदायिक विकास की गतिविधि, भारत सरकार की विभिन्न परियोजनाएँ और उनकी समस्याएँ आदि के बारे मे वर्णन रहता है। इसकी तीन शाखाएँ हैं—(1) सम्पादन शाखा (2) प्रकाशन शाखा (3) बिक्री शाखा। पहले इस विभाग को 'ब्यूरो ऑफ पब्लिक इनफारमेशन' के नाम से जाना जाता था पर 1944 मे इसका नाम पब्लिकेशन डिविजन रखा गया।

(झ) सन्दर्भ और अनुसंधान विभाग

इसका प्रमुख कार्य प्रचार से सम्बद्ध सामग्री का रख-रखाव, सूचनाओं का एकत्रीकरण तथा प्रचार का पक्ष सम्भालना है। इसे अंग्रेजी में 'रिसर्च एण्ड रेफरेन्स डिविजन' कहते हैं।

इन विभागों के अतिरिक्त 'रजिस्ट्रार न्यूज पेपर्स इण्डिया, फिल्म महोत्सव निदेशालय, केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड, राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय, भारतीय जनसंचार संस्थान, फिल्म व टेलीविजन इंस्टीट्यूट पूना, बाल फिल्म सोसायटी आदि भी केन्द्रीय सूचना व प्रसार मंत्रालय के अधीन कार्यरत है।

राज्यों के सरकारी माध्यम

केन्द्र सरकार की भाँति राज्यों में सूचना एवं जन-सम्पर्क मन्त्रालय का गठन किया गया है। राज्यों के कार्य-कलापों की जानकारी जनता तक पहुँचाने के लिए राज्यों ने जिला व उपजिला स्तर पर अपने-अपने सूचना केन्द्र, जन-सम्पर्क कार्यालय रंगमंच आदि स्थापित किए हुए हैं।

यह विभाग सभी सरकारी कार्यों को जनता तक पहुँचाने के लिए जगह-जगह प्रदर्शनी व मेले का आयोजन करते रहते हैं ताकि जनता को सरकार की गति-विधियों एवं योजनाओं की जानकारी होती रहे।

इस प्रकार पत्रकारिता के नए माध्यमों की उपयोगिताओं को देखते हुए कहा जा सकता है कि सरकारी प्रचार व प्रसार माध्यमों व पत्रकारिता का चोली-दामन का साथ है।

अध्याय–6

समाचार-पत्र प्रबन्ध

स्वतन्त्रता हर देश के लिए वरदान होती है। हमारे देश की स्वतन्त्रता भी भारतीय पत्रकारिता के लिए वरदान सिद्ध हुई है। स्वतन्त्र्योत्तर काल मे अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का समावेश हो जाने से समाचार-पत्रो के विकास पक्ष की राजनीतिक, आर्थिक तथा अन्य बाधाएँ दूर होती गई, जिसके फलस्वरूप नये पत्रो के जन्म एवं विकास का मार्ग प्रशस्त होता गया। राष्ट्र के नवनिर्माण तथा चिन्तन की मुख्य धारा मे अधिकाधिक लोगों को सम्मिलित करने के सशक्त माध्यम के रूप मे समाचार-पत्रो की भूमिका उत्तरोत्तर महत्वपूर्ण होती गई।

स्वतन्त्रता से पूर्व जो पत्रकारिता राष्ट्रीय आन्दोलन का एक अंग थी, त्याग, तपस्या और बलिदान पर आधारित थी वही पत्रकारिता स्वतन्त्रता के बाद, जिस प्रकार काव्य, कला, संगीत, व्यवसाय बन गए उसी प्रकार समाचार-पत्रो की इतनी बाढ आई कि वह भी एक उद्योग के रूप मे हमारे सामने आई। अब समाचार-पत्र सचालन केवल आदर्शवादिता व सेवा का माध्यम न रहकर व्यवसाय का रूप धारण करने लगा है तथा एक उद्योग बन गया है। फलस्वरूप बडे-बडे पूँजीपति इस ओर उन्मुख हुए। आज देश के अधिकाश बडे-बडे पत्रकार व्यावहारिक रूप मे बडे पूँजीपतियो के नौकर मात्र है। यह कारण है कि पत्रकारिता मे सूत्रबद्धता, सगठन कुशलता और योजना चातुर्य की आवश्यकता पडने लगी अर्थात् उसका आर्थिक-स्वरूप बदलता गया और व्यावसाय क्षेत्र के सिद्धान्त व नियम उस पर लागू होने लगे। स्वतन्त्र भारत में पत्रो की बुनियाद ध्येयवाद से परे हट कर व्यावसायिकता पर आधारित होती गई। यही कारण है कि आज पत्रकारिता का ढांचा विशाल पूँजी कुशल प्रबन्धन तथा कुशल सम्पादन के योजनाबद्ध समन्वय की भित्तियो पर ही खडा रह सकता है।

पत्र-पत्रिकाओ का प्रबन्ध, सगठन और प्रसार व्यवस्था जितनी अधिक सुदृढ व योजनाबद्ध तरीके से होगी, उतना ही अधिक उसका अस्तित्व फूलेगा व फलेगा

क्योंकि वही फल हाथों-हाथ बिकता है जो मीठा भी हो और स्वादिष्ट भी। यही कारण है कि पत्र का प्रकाशन व संचालन सम्बन्धी व्यूह रचना अत्यधिक दूरदर्शिता दक्षता व सावधानीपूर्वक करनी चाहिए। क्योंकि आज समाचार-पत्र का प्रकाशन या संचालन बृहद् स्तर पर किया जाता है और जब यह एक उद्यम के रूप में हमारे सामने आता है तो उसे सुदृढ़ रूप प्रदान करने के लिए कुछ मुद्दे अत्यन्त आवश्यक है, ताकि समाचार-पत्र शीघ्र ही काल-कवलित न होकर सुचारु रूप से चल सके। ये मुद्दे निम्न हैं—

प्रथम, किसी भी पत्र की शुरुआत करने से पहले चाहे वह दैनिक हो, चाहे साप्ताहिक, चाहे मासिक हमें अपनी योजना के अनुसार पूँजी की पर्याप्त व्यवस्था करनी अत्यन्त जरूरी है अन्यथा पूँजी के अभाव में ज्यादातर समाचार-पत्र शीघ्र ही काल के गर्त में समा जाते हैं और पूँजी के अभाव में जब ज्यादातर संचालक अपनी सारी शक्ति 'पत्र डूबने न पावे' में, खर्च कर देता है तो स्वतः ही उस पत्र का स्तर धीरे-धीरे नीचे गिरता जाता है। अतः पूँजी समाचार-पत्र के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

दूसरे, समाचार-पत्र के लिए प्रकाशन-स्थल का चयन समझदारी व सूझबूझ से करना चाहिए। स्थान का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ प्रतिस्पर्धा कैसी है? वहाँ यातायात की व्यवस्था कैसी है? भौगोलिक परिसीमा क्या है? वहाँ पाठक, विद्वान आदि की संख्या क्या है? साथ ही क्या वहाँ से समाचार निरन्तर प्राप्त हो सकते हैं?

तीसरे, संचालक को मुद्रण व नियन्त्रण सम्बन्धी पूर्ण जानकारी होना भी अत्यन्त आवश्यक है। क्योंकि जब किसी भी वस्तु का बाह्यांग सुन्दर व आकर्षक होगा तो वह पाठक का ध्यान स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करेगा और फलस्वरूप उस वस्तु की बिक्री भी ज्यादा होगी। इसके लिए मुद्रण सम्बन्धी यन्त्रों की जानकारी, टाईप आदि की जानकारी का जानकार होना अत्यन्त आवश्यक है। इसके अलावा समाचार-पत्र में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह स्पष्ट रूप से मालूम होना चाहिए कि कौन-सा विभाग किस सत्ता के हाथ में नियन्त्रित व केन्द्रित है ताकि कोई संकट पड़ने पर उस सत्ता से स्पष्ट आदेश प्राप्त किया जा सके और कर्मचारी इधर-उधर न भटकता फिरे।

चौथी बात है, सुस्पष्ट नीतियाँ। समाचार-पत्र और उद्योगों की अपेक्षा अलग तो है ही साथ ही जोखिम भरा भी है। अतः समाचार-पत्र की नीति स्पष्ट, साफ व सरल होनी चाहिए ताकि कोई भी पाठकगण उससे जो अपेक्षाएँ रखता है वह उसे पूरी तरह मिल सके। इससे पत्र की साख, प्रतिष्ठा तथा लोकप्रियता बढ़ती है। इसी के साथ-साथ पत्र की व्यवसायिक नीति भी निर्धारित होनी चाहिए। पैसे के

लिए झूठे दावे करना, हानिकारक व गुमराह करने वाले विज्ञापन देना आदि समाचार-पत्र की प्रतिमा पर कलंक लगाते है। अतः इस ओर ध्यान देना अत्यन्त ही आवश्यक है।

अर्थात् किसी भी पत्र की प्रगति तीन तथ्यों पर अवलम्बित होती है जो कि समाचार-पत्र के तीन मेहराब कहलाते है। इनमे प्रथम है, प्रकाशन विषयक जटिल प्रक्रिया अर्थात् कुशल प्रबन्ध। दूसरा है, विज्ञापन एवं प्रसार अर्थात् अखबार की वित्तीय क्षमता (साधन सम्पन्नता) और तीसरा है—कुशल सम्पादन। यदि इन तीनो शक्तियो के सन्तुलन और समन्वय का समुचित ध्यान रखा जाए तो कोई भी पत्र प्रगति के पथ पर निरन्तर अग्रसर रह सकता है। इसके अलावा अखबारी कागज की उपलब्धि, मुद्रण सम्बन्धी नयी तकनीकों के प्रचलन, जनसम्पर्क के नये उत्पादनो के चलन समाचार सम्प्रेषण की नयी-नयी जानकारियाँ व वितरण की नूतन प्रणालियो का व्यावहारिक ज्ञान पत्र-उद्योग की सफलता के आवश्यक अंग है।

प्रबन्ध

पत्र के प्रबन्ध की दक्षता, सूझबूझ तथा संगठन शिल्प पर ही प्रत्येक पत्र की प्रगति सम्भव है अर्थात् समाचार-पत्र संस्थान की बागडोर मुख्यतः प्रबन्धक या प्रशासनिक विभाग के हाथों होती है। यह विभाग प्रमुख रूप से व्यवसायिक रूप-रेखा के निर्धारण परिकल्पना तथा संगठन शिल्प को निरन्तर नया रूप देने हेतु नित नई व्यूह रचना रचता है। साथ ही प्रत्येक विभाग की कार्यक्षमता की वृद्धि पर भी ध्यान देता है अर्थात् यह मुद्रणालय विभाग, सम्पादकीय विभाग, विज्ञापन व प्रसार विभाग आदि की गतिविधियों पर पूर्ण निगरानी रखता है। इस प्रबन्ध संगठन के निम्न तीन प्रकार होते हैं—

1 सैनिक,
2. विकेन्द्रित तथा
3 समन्वित

सैनिक प्रकार मे सम्पादकीय विभाग, व्यवस्था विभाग या और कोई भी विभाग सब एक ही व्यक्ति पर केन्द्रित रहते हैं। यह प्रक्रिया छोटे समाचार-पत्रों के लिए लाभदायक है।

विकेन्द्रित प्रणाली मे सारी सत्ता मुख्य व्यक्ति द्वारा भिन्न-भिन्न विभागीय प्रमुखों मे विकेन्द्रित कर दी जाती है क्योंकि उनका विस्तार इतना बड़ा होता है कि वह केवल एक व्यक्ति द्वारा नही सम्भाला जा सकता है।

समन्वित प्रणाली मे न तो सत्ता एक व्यक्ति पर केन्द्रित रहती है और ना ही वो विकेन्द्रित की जाती है वरन् सत्ता का नियन्त्रण सूत्र एक हाथ मे रहता है पर ।न ही अधिकांश सत्ता भिन्न-भिन्न विभागो को सौंप दी जाती है ताकि सभी

विभागों को अपनी क्रियाशीलता दिखाने का अधिक से अधिक अवसर मिले। इसमें सब विभागो मे नियन्त्रण भी बना रहता है और प्रत्येक विभाग स्वतन्त्र रूप से कार्य करता रहता है। इन तीनों प्रकारो मे से समन्वित रूप ही समाचार-पत्र के लिए अधिक उपयोगी है।

भारत सरकार ने समाचार-पत्रों की तीन श्रेणियाँ निर्धारित की हैं—लघु, मध्यम और बड़े समाचार पत्र। लघु समाचार-पत्र का ढाँचा अत्यन्त ही सीधा-सादा होता है क्योंकि ज्यादातर यह पत्र एकल-स्वामित्व लिए होते है अत समाचार-पत्र की योजना के लिए प्रकाशन की सामग्री जुटाना, विज्ञापन एकत्रित करना, उसकी मुद्रण व्यवस्था करना, बेचना, उसकी राशि एकत्रित करना सभी एक व्यक्ति द्वारा होता है इसीलिए इसे 'वन मैन शो' कहा जाता है।

मध्यम व बड़े समाचार-पत्रों का ढाँचा लघु समाचार-पत्र से एकदम भिन्न होता है क्योंकि इन समाचार-पत्रों की प्रसार संख्या अधिक होती है। इनका स्वामी तो एकल उद्योगपति हो सकता है पर इसमें कुछ विभागो की स्थापना करके, विभागों को अलग-अलग श्रेणियो मे बाँट दिया जाता है ताकि काम सुचारु रूप से चल सके। इन समाचार-पत्रों का सगठन ढाँचा अन्य उद्योग सगठनो के समान ही जटिल व विस्तृत होता है उसे सभी प्रकार की आधुनिक प्रणालियो को अपनाकर वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। इस प्रकार समाचार-पत्र मध्यम हो या बड़ा, उसे सुचारु व व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए कुछ विभागो की अत्यन्त आवश्यकता है। हाँ, समाचार पत्र के आकार के अनुरूप इन विभागों मे थोड़ा-बहुत हेर-फेर किया जा सकता है। मुख्यत. यह विभाग निम्न है—

1. प्रशासनिक विभाग या संचालन विभाग
2. सम्पादन या सम्पादकीय विभाग
3. विज्ञापन विभाग
4. वितरण विभाग या ग्राहक विभाग और
5. मुद्रण विभाग या प्रेस विभाग

1 प्रशासनिक विभाग या संचालन विभाग

प्रत्येक मध्यम व बड़े समाचार-पत्रों मे एक प्रशासनिक विभाग होता है। जिसका कार्य सुदृढ नीतियो का निर्धारण करना होता है। इस विभाग मे प्राय निम्नलिखित कर्मचारी कार्यरत रहते हैं—

1. प्रमुख प्रकाशक, मैनेजिंग डायरेक्टर या पार्टनर या ट्रस्टी
2. महाप्रबन्धक या जनरल मैनेजर
3. नियन्त्रक या कार्यालय मन्त्री
4. रोकड़पाल या आय-व्ययक

प्रकाशकः का उत्तरदायित्व नीतियों और प्रबन्ध का संचालन करना है अर्थात् उसकी नीतियों का व्यवस्थापन करना है। महाप्रबन्धक- सभी विभागों का निरीक्षण करता है। इसमें खरीदी, नियुक्तियाँ प्रशासन सभी कुछ यही देखता है। नियन्त्रकः का कार्य व्यापार के लिए धन जुटाना तो है ही साथ ही कानूनी उत्तरदायित्व, कर्मचारियों का वेतन देना, करों का भुगतान, रिपोर्ट आदि कार्य देखना है। अर्थात् पत्र को प्रगति की दिशा में ले जाने का कार्य इसी का है। साथ ही प्रत्येक विभाग की कार्य-क्षमता व सहयोग बराबर बना रहे यह भी यही विभाग देखता है। इन कार्यों को पूरा करने हेतु नियन्त्रक कुछ सचिवों, प्रबन्धक महाप्रबन्धक आदि की नियुक्तियाँ करता है। रोकड़पाल या आयव्ययक समाचार-पत्र के पाई-पाई का हिसाब किताब रखता है कि किसमे कितनी पूँजी ली है? किसे कितनी देनी है आदि का पूरा ब्योरा रोकड़पाल रखता है।

2. सम्पादकीय विभाग

सम्पादकीय विभाग समाचार-पत्र की रीढ़ है। पत्र की प्रसार संख्या में वृद्धि मुख्यतः सम्पादकीय विभाग में कार्यरत उपसम्पादक, पत्रकारों, स्तम्भ-लेखकों पर निर्भर होती है जो अपनी बौद्धिक सृजनात्मक तथा कल्पना-शक्ति के सामंजस्य के द्वारा पत्र को उन्नति के शिखर पर पहुँचाते हैं। अतः यह भाग समाचार-पत्र का "ब्रेन ट्रस्ट" कहलाता है जिसके द्वारा पत्र अपनी जनाभिमुख छवि पाठकों में बनाए रखता है तथा उसी से उसकी आत्मा का चरित्र और प्रतिमा का स्वरूप निखरता है। कुशल सम्पादन के अभाव में कोई भी पत्र शीघ्र ही निस्तेज व निर्जीव हो जाता है चाहे उसका बाहरी कलेवर कितना ही सुन्दर क्यों न हो? समाचार-पत्र का मुख्य कार्य है समाचार प्रकाशित करना और उनकी समीक्षा, विश्लेषण आदि के द्वारा जनमत को शिक्षित व जाग्रत करना। मुख्य रूप से सम्पादकीय विभाग तीन प्रकार के कार्य करता है—प्रथम—समाचार एकत्र करना, द्वितीय—उनका चुनाव और तृतीय—उनका सम्पादन करना। अतः प्रत्येक समाचार-पत्र को समाचारों का चयन करते समय बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। यह ठीक है कि सम्पादक विभिन्न माध्यमों द्वारा समाचार एकत्रित कर लेता है पर उसके चयन में एक सम्पादक का समाचारों के महत्व, सामयिकता, क्षेत्रीय महत्त्व तथा मानवीय रुचि पर विशेष ध्यान देना अत्यन्त जरूरी है। इसके बाद सम्पादक की कुशल लेखनी द्वारा उसका प्रस्तुतीकरण भी अत्यन्त महत्त्व रखता है। नेताओं के भाषण, भेंटवार्ताएँ, टेलिप्रिन्टर व विभिन्न ऐजेन्सी से प्राप्त समाचार आदि को इकट्ठा करके उन्हें योग्यता व महत्त्वता के हिसाब से सम्पादकीय विभाग रखता है तथा फिर उनका अनुवाद करके कम्पोजिंग विभाग में भेजता है, इसके बाद इनका प्रूफ पढ़ा जाता है। यह प्रक्रिया दिन व रात की पारी में चलती रहती है। सम्पादकीय विभाग ही पृष्ठाधार सामग्री का जिसमें राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय, प्रान्तीय व क्षेत्रीय महत्त्व के समाचारों का चयन करता है यही

वहीं सम्पादकीय लेख भी इसी विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। रात्रि में प्रथम पृष्ठ का प्रूफ देखने के बाद सम्पादकीय विभाग का कार्य समाप्त होता है। इन सब उपर्युक्त बातों को पूरा करने के लिए विभिन्न समाचार-पत्र अपनी आवश्यकतानुसार कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं। जिनमें प्रमुख हैं—

1. प्रमुख सम्पादक—जिसका कार्य सम्पादकीय नीति को कार्यान्वित करना तथा पूरे समाचार-पत्र का निरीक्षण करना है।
2. समाचार सम्पादक—यह समाचार विभाग पर नियन्त्रण के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, स्थानीय, क्षेत्रीय खबरों पर भी नियन्त्रण रखता है।
3. सहायक-सम्पादक—यह सम्पादकीय लेख तथा टिप्पणियाँ लिखने का कार्य करता है।
4. उप-सम्पादक—ये समाचार सम्पादक के सहायक होते हैं।
5. स्थानीय संवाददाता—जो स्थानीय समाचारों का संचालन करते हैं।
6. संवाददाता—ये क्रीडा, राजनैतिक, साहित्यिक, धर्म सांस्कृतिक, कानून व शान्ति व्यवस्था, पुलिस, शिक्षण आदि से सम्बन्धित समाचारों को एकत्रित करता है।
7. प्रूफ विभाग—प्रूफ पढ़ना ही इस विभाग का प्रमुख कार्य है।

इन सबके अतिरिक्त वित्त सम्पादक, क्रीडा सम्पादक, महिला सम्पादक, सांस्कृतिक सम्पादक अलग-अलग समाचार-पत्र की आवश्यतानुसार नियुक्त कर लिए जाते हैं।

3. विज्ञापन विभाग

श्री डफहार्ट के अनुसार 'विज्ञापन समाचार-पत्र उद्योग का जीवन-रक्त है।'[5] एक अन्य विद्वान श्री एफ. आर. मैम्बल के अनुसार, "उत्पादन में जो भूमिका मशीन की है वही भूमिका विज्ञापन की है। मशीन के उपयोग से हमारी वस्तुओं का उत्पादन बहुत बढ़ जाता है, इसी भाँति विज्ञापन जैसे सामूहिक माध्यम के उपयोग से समाचार-पत्र के विक्रय के विकास में तेजी आ जाती है। वास्तव में किसी भी समाचार-पत्र उद्योग का आय का स्रोत ही विज्ञापन है। अतः यह विभाग समाचार-पत्र का अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण भाग है।

ज्यों-ज्यों आर्थिक विकास बढ़ता जा रहा है, त्यों-त्यों विज्ञापन का उपयोग भी बढ़ता जा रहा है। एक समाचार-पत्र जो इतना बड़ा होते हुए भी इतनी कम कीमत में बिकता है उसका एक कारण यही है कि वह अपनी सब कमी विज्ञापन के माध्यम से पूरा कर लेता है। जो पत्र प्रसार व विज्ञापन के मामले में जितना अग्रणी होगा उतना ही उसका अस्तित्व दृढ़ रहेगा। अतः जिस पत्र का विज्ञापन विभाग

जितना सक्रिय व दक्ष होगा उतना ही उसका वित्तीय ढाँचा मजबूत होगा। यह कार्य अत्यन्त ही श्रम-साध्य है। विज्ञापन का सही अनुवाद करना, विज्ञापनदाता या विज्ञापन ऐजेन्सी द्वारा निर्देशित शिड्यूल के अनुसार उनका प्रकाशन यथास्थान होना, रजिस्टरो, लिजर आदि मे प्रविष्टियाँ निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होना तथा प्रकाशन के बाद बिल तैयार करके तुरन्त विज्ञापनदाता को भेजना, साथ ही विज्ञापनदाता को पत्र की प्रति भेजना आदि समस्त कार्य इसी विभाग के अन्तर्गत आते हैं। अधिक से अधिक विज्ञापन एकत्रित करने के लिए पत्र सस्थान जगह-जगह विज्ञापन प्रतिनिधियो की नियुक्ति करते हैं। इन विज्ञापनो की अनेक श्रेणियाँ होती हैं—

1. वर्गीकृत विज्ञापन—यह आकार मे छोटे होते हैं जैसे टेंडर नोटिस, कम्पनी की सूचनाएँ, स्कूल व कॉलेज के प्रवेश सम्बन्धी विज्ञापन, रोजगार से सम्बन्धित सूचनाएँ इस विज्ञापन के अन्तर्गत आती हैं।
2. कैजुअल विज्ञापन—यह विज्ञापन कुछ अकों में प्रकाशन हेतु अकस्मात ही दिये जाते हैं।
3. कान्ट्रेक्ट विज्ञापन—जो लम्बे समय तक निश्चित तिथियो पर प्रायः रियायती दरों पर छापे जाते है।
4. डिस्प्ले विज्ञापन (प्रदर्शन विज्ञापन)—ये कान्ट्रेक्ट विज्ञापन की श्रेणी में ही आते है। ऐसे विज्ञापनो से पत्रो को भारी आय होती है साथ ही इन विज्ञापनो से पत्र की साज-सज्जा भी सँवरती है।
5. पैनल विज्ञापन—जो पत्र के नाम (टाइटिल या फोलियो) के दोनो तरफ दो लघु वर्गाकार स्थान मे प्रकाशित होते हैं।

इन सभी विज्ञापनों की शर्तें व दरें भिन्न भिन्न होती हैं। किसी मे विज्ञापन-शुल्क शब्दो के हिसाब से तो किसी मे सेन्टीमीटर के हिसाब से लिया जाता है।

विज्ञापन आज एक जटिल प्रक्रिया है। आज समाचार-पत्र में विज्ञापन का स्थान बेचा जाता है। जिस समाचार पत्र मे जितने अधिक विज्ञापन होगे, उतने ही अधिक वह समाचार छाप सकेगा। इसकी व्यवस्था के लिए समाचार-पत्र प्रतिष्ठान मे विज्ञापन विभाग होता है। जिनमे मुख्य रूप से समाचार-पत्र के आकारानुसार कर्मचारी कार्यरत रहते हैं।

1. विज्ञापन प्रबन्धक—इसका कार्य विज्ञापन विभाग का नियात्मक संचालन एव निरीक्षण करना है साथ ही यह प्रतिनिधियो तथा विज्ञापन-दाताओ से सम्पर्क के साथ-साथ पत्र-व्यवहार भी करता है।
2. सहायक प्रबन्धक—इसका मुख्य कार्य स्थानीय विज्ञापन व डिस्प्ले आदि विज्ञापनों को देखना है।

3. बिललिपिक—यह समय-समय पर बिल बनाकर भेजता है तथा बाउचर (उक्त अंक की प्रति विज्ञापनदाता को भेजना जिसमें उसका विज्ञापन प्रकाशित हुआ है) आदि का भी हिसाब रखता है।
4 विज्ञापन प्रतिनिधि (कैनवासर)—ये स्थानीय विज्ञापन को तो इकट्ठा करते ही हैं, साथ ही समाचार-पत्र की लोकप्रियता का प्रचार भी करते है।

ये सब कर्मचारी इस बात का ध्यान रखते है कि विज्ञापनों से लाभ तो हो ही साथ ही वह बिना रुकावट नियमत रूप से प्राप्त होते रहे तथा किसी भी कम्पनी का विज्ञापन बजट प्रतिष्ठान को ज्यादा से ज्यादा मिलता रहे पर इन सबके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि ऐसे विज्ञापन प्रकाशित न हो जाएँ, जिन पर कानूनी रूप से प्रतिबन्ध हैं।

समाचार-पत्र मे विज्ञापन का स्थान सर्वोच्च है क्योंकि किसी भी समाचार-पत्र की वित्तीय स्थिति इसी के द्वारा ऊँची उठ सकती है तो यही विभाग उसे नीचे गिरा सकता है। यही कारण है कि जब किसी समाचार-पत्र को विज्ञापन कम मात्रा में मिलते हैं तो उसे पृष्ठों की संख्या में कम करनी पड़ती है, फलस्वरूप उसके ग्राहक टूट जाते हैं और कम ग्राहक देखकर कोई भी विज्ञापनदाता उस समाचार पत्र को विज्ञापन नहीं देना चाहता और समाचार-पत्र गम्भीर आर्थिक संकट में फँस जाता है। अतः विज्ञापन विभाग को अत्यन्त ही जागरूक, सतर्क व सक्रिय होना जरूरी है, ताकि समाचार-पत्र सुचारु रूप से चल सके।

4. वितरण विभाग या ग्राहक विभाग

किसी भी समाचार-पत्र की लोकप्रियता का अनुमान हम उसकी प्रसार संख्या से सहज ही लगा सकते हैं क्योंकि जिसका जितना प्रसार होगा उतना ही अधिक वह पत्र विज्ञापन प्राप्त कर सकेगा, फलस्वरूप उसकी आय उतनी ही अधिक होगी। प्रसार विभाग का सीधा सम्बन्ध पत्र के वितरण व विक्रय विभाग से होता है। अतः इसके समक्ष सदैव ही 'समय के साथ दौड़ने की चुनौती' विद्यमान रहती है। यही कारण है कि इस विभाग को "व्यापक बिक्री वाले पत्र-पत्रिकाओं की आत्मा का स्पंदन" कहा गया है। प्रसार विभाग को पत्रों का बण्डल निर्धारित लक्ष्मण रेखा के अन्तर्गत गन्तव्य स्थान पर पहुँचाना होता है क्योंकि अगर वह पाठकों के पास निश्चित अवधि के अन्तर्गत न पहुँचा तो पत्र की उपयोगिता व लोकप्रियता एवं प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और फलस्वरूप पत्र की प्रसार संख्या घटती जाएगी। यही कारण है कि प्रबन्धकों की पैनी दृष्टि प्रसार व्यवस्था अर्थात् प्रसार पर लगी रहती है। बहुत से समाचार-पत्र विज्ञापन बटोरने हेतु अपने समाचार पत्रों को प्रसार संख्या की वृद्धि बहुत बढ़ा-चढ़ा कर बताते हैं। पहले तो इन समाचार-पत्रों की प्रसार

संख्या मापने का कोई साधन ही नहीं था, पर आज अमरीका की भांति यहाँ भी ए. बी. सी. (आडिट ब्यूरो ऑफ सर्क्यूलेशन) द्वारा प्रमाणित आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं क्योंकि यह संस्था प्रसार संख्या के विषय में विश्वस्त सूत्रों से सूक्ष्म छान-बीन के बाद प्रमाण-पत्र जारी करती है और आज इसी ए. बी. सी. के द्वारा सत्यापित आंकड़ों के आधार पर विज्ञापनदाता व विज्ञापन एजेन्सियाँ किसी समाचार-पत्र के लिए विज्ञापन की मात्रा निर्धारित करते हैं।

सही वितरण और धनराशि कुशलता से एकत्र करने के लिए वितरण विभाग का कार्यक्षम होना अत्यन्त जरूरी है। इसके लिए उसके कार्यों को कुछ विभागों में बांट दिया जाता है जो कि समाचार-पत्र के आकार प्रकार के अनुसार कर्मचारियों की नियुक्तियाँ करते हैं। ये कर्मचारी मुख्यतः निम्न होते हैं—

1. सर्क्यूलेशन मैनेजर—इसका कार्य समाचार-पत्र के प्रचार व प्रसार का उत्तरदायित्व तथा बिक्री बढ़ाने के निरन्तर उपयोग के लिए प्रयत्न करना है।
2. सहायक—इसका कार्य स्थानीय वितरण, नगर के बाहरी क्षेत्र में वितरण, बुकस्टाल पर बिक्री, डाक तथा रेलवे पार्सलों का भेजना व फुटकर बिक्री करना है।
3. बिललिपिक—इसका कार्य समय पर ग्राहकों और एजेन्टों को बिल भेजना तथा वसूली करना है।
4. वितरण निरीक्षक—इसका कार्य एजेन्सियों का निरीक्षण करना तो है ही, साथ ही नयी-नयी एजेन्सियाँ खोलने का भी है।
5. कैनवासर—समाचार-पत्र की लोकप्रियता का प्रसार तथा नए ग्राहकों की प्राप्ति करना है।

विक्रय की सफलता ही किसी पत्र की सफलता की निशानी है। ठीक समय पर गन्तव्य स्थान तक पत्र पहुँचाना इस विभाग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। समाचार की प्रसार संख्या अधिक से अधिक बढ़े इसके लिए यह विभाग निम्न तरीके अपनाता है—

(क) स्थानीय बिक्री

दैनिक-पत्र के लिए स्थानीय बिक्री का अत्यन्त ही महत्त्व है क्योंकि यह बिक्री अधिकतर नियमित पाठकों में ही होती है। या तो यह सीधे कार्यालय में अपना चन्दा जमा करके नाम दर्ज करा देते हैं या स्थानीय एजेन्ट द्वारा पत्र मंगाते हैं। कुछ समाचार-पत्र नगर के प्रमुख भागों में एजेन्टों की नियुक्तियाँ करते हैं जो अपने-अपने क्षेत्रों में बिक्री की व्यवस्था करते हैं। ऐसे में समाचार-पत्र को तीन-चार व्यक्तियों

से सम्पर्क करना पड़ता है और ये एजेन्ट अपने-अपने क्षेत्र में हॉकरों को रखते हैं और उन्हीं से पैसे वसूल करते हैं। कभी-कभी तो सारे नगर में एक ही सोल एजेन्ट रहता है जो सारे नगर में पत्र की बिक्री की व्यवस्था करता है। इन एजेन्टों को समाचार-पत्र काफी कमीशन देता है और एजेन्ट उस कमीशन में से कुछ कमीशन हॉकरों को दे देते हैं। वे हॉकर एजेन्ट के प्रति काफी वफादार होते हैं। सोल एजेन्ट नियुक्त करने से कार्यालय को विभिन्न स्रोत से पैसा इकट्ठा नहीं करना पड़ता और सारा पैसा एक ही जगह से वसूल हो जाता है। परन्तु इससे कार्यालय का ग्राहकों व हॉकरों से सम्पर्क टूट जाता है और सोल एजेन्ट कुशल, अनुभवी व मेहनती नहीं हो तो समाचार वितरण व्यवस्था पर काफी बुरा असर पड़ सकता है। कुछ समाचार-पत्र एजेन्ट न रखकर हॉकरों के द्वारा अपने समाचार-पत्र की बिक्री करते हैं। ये हॉकर्स अपने-अपने ग्राहक बाँध लेते हैं। समाचार-पत्र इन हॉकरों को काफी अच्छा कमीशन देते हैं तथा समय-समय पर साइकिल, पखे, डायरी आदि इनाम देकर भी इनको प्रोत्साहित करते रहते हैं क्योंकि इन्हीं हॉकरों पर समाचार-पत्र की बिक्री निर्भर होती है। हॉकरों को यह कमीशन समाचार-पत्र के मूल्य के हिसाब से मिलता है।

इसके अलावा फुटकर बिक्री भी होती है जो कि स्थायी नहीं होती। ये बिक्री चलते-फिरते सड़क पर, रेल व बस स्टेशनों पर या सिनेमाघरों पर होती है। इस तरह की बिक्री ज्यादातर प्रवासी (बाहर से आने वाले) लोगों से होती है।

(ख) प्रादेशिक बिक्री

नगर के वितरण के बाद प्रादेशिक बिक्री भी समाचार-पत्र के लिए अत्यन्त महत्त्व रखती है। प्रादेशिक बिक्री से तात्पर्य है जहाँ समाचार-पत्र अन्य नगरों से प्रकाशित होने वाले अखबारों की प्रतिस्पर्धा में जल्दी पहुँच जाए तथा जो राजनीति, भौतिक, सांस्कृतिक दृष्टि से निकट हो। यह बिक्री भी ज्यादातर एजेन्टों द्वारा की जाती है। इन्हें समाचार-पत्र उचित कमीशन देता है जिसके फलस्वरूप ये एजेन्ट प्रदेश में बिक्री की व्यवस्था करते हैं। जो लोग डाक द्वारा या पैसे जमा कराकर समाचार-पत्र मंगाते हैं उनको भी समाचार-पत्र वहाँ के एजेन्टों को सौंप देता है।

(ग) डाक द्वारा

बहुत-सी जगह जहाँ एजेन्टों की नियुक्तियाँ सम्भव नहीं होतीं वहाँ डाक द्वारा समाचार-पत्र की प्रतियाँ भेजी जाती हैं। इससे साप्ताहिक मासिक पत्रों पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना दैनिक पत्र पर। फिर भी इन पत्रों को भेजने की निश्चित तिथि होनी चाहिए। जिससे पाठक को वह समय पर उपलब्ध हो सकें।

(घ) विमान, रेल व बस सेवाएँ

आज सबसे तेज साधन विमान है अतः जहाँ तक सम्भव होता है वहाँ प्रतियाँ विमान द्वारा ही भेजी जाती हैं। विमान सेवा का सबसे बड़ा लाभ यही है कि अन्य

साधन द्वारा प्राय डाक संस्करण ही पाठक तक पहुँचाया जा सकता है जबकि विमान द्वारा नगर संस्करण भी पाठकों तक पहुँच जाता है। लेकिन जहाँ विमान सेवा उपलब्ध नहीं होती वहाँ रेल द्वारा समाचार-पत्र भेजे जाते हैं। गन्तव्य स्थान पर पहुँचने पर वहाँ नियुक्त एजेन्ट इन्हे प्राप्त कर लेते हैं तथा उन समाचार-पत्रों को छोटी-छोटी जगह बस व टैक्सियो द्वारा अन्य स्थानो पर पहुँचा देते हैं। परिवहन या निजी बसें, कस्बो व छोटे-छोटे नगरो मे समाचार-पत्रो को ले जाकर वहाँ पर नियुक्त एजेन्ट को सौंप देती हैं।

(इ) स्वय के वाहन द्वारा

कुछ बडे समाचार-पत्र स्वय की टैक्सियो या ट्रक आदि मे भरकर समाचार-पत्र विभिन्न उपनगरो मे भेजते हैं और वहाँ प्रतिनिधि, उपअभिकर्त्ताओं, हॉकर्स तथा सीधे ग्राहकों को समाचार-पत्र बेचते हैं। इससे प्रमुख लाभ यह है कि सौ डेढ सौ मील की अवधि मे नगर संस्करण शीघ्र ही पहुँच जाता है।

इस प्रकार विभिन्न तरीके अपना कर समाचार-पत्र अपनी वितरण व्यवस्था को बढाता है। पर यह कार्य अत्यन्त ही सूझबूझ व उत्साह तथा कौशल का काम है। पाठक समाचार-पत्र का आराध्य है उसका सन्तोष ही समाचार-पत्र की विजय का मापदण्ड है। अत उसकी इच्छा आकाक्षाओं, तकलीफो, शिकायतो का समाचार-पत्र को पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिए ताकि उसकी प्रसार संख्या दिन दूनी बढती रहे।

5. प्रेस विभाग या मुद्रण विभाग

जिस विभाग मे समाचार-पत्र अपना आकार ग्रहण करता है वह है प्रेस विभाग अर्थात् विभिन्न विभागो से प्राप्त सामग्री को गठित करके एक सुन्दर समाचार-पत्र के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य मुद्रण विभाग करता है। पत्र का आकर्षण व मुद्रण पाठकों को सर्वप्रथम अपनी ओर प्रभावित करता है। स्व. एस. सदानन्द (फ्री प्रेस जरनल के संस्थापक—सम्पादक) का कथन "यदि पत्र को एक रूपवती दुल्हन मान लिया जाए तो मुद्रण को उसका परिधान माना जा सकता है।" किसी भी पत्र का रूप विन्यास पत्र की प्रसार संख्या को घटाता है तथा बढाता है। सम्पादकीय विभाग व विज्ञापन विभाग से सामग्री प्राप्त करते ही उसे "कम्पोज करना और बाद मे विभिन्न मशीनी प्रक्रियाओ के द्वारा उसे सम्पन्न करना इस विभाग का महत्त्वपूर्ण कार्य है। मुद्रण विभाग का कार्य सुव्यवस्थित ढग से चलाने के लिए प्राय. इस विभाग मे निम्नलिखित कर्मचारी कार्य करते हैं—

1. प्रेस व्यवस्थापक—इसका कार्य समाचार-पत्र मुद्रण की सभी प्रक्रियाओ की देख-रेख करना और समय पर कुशल उत्पादन करना है।

2. फोरमैन—कम्पोजिंग विभाग, स्टीरियो विभाग, मुद्रण विभाग में यह कर्मचारी कार्यरत रहते हैं।
3. बाइण्डर—फोल्डिंग विभाग, समाचार-पत्र के गट्ठे और पार्सल बाँधना तथा उन्हें विभिन्न माध्यमों के द्वारा भेजना इसका कार्य है।

प्रायः हर बड़े समाचार-पत्रों के पास अपना मुद्रणालय होता है परन्तु कुछ पत्र किसी अन्य मुद्रणालय से अपना पत्र का मुद्रण कराते हैं। समाचार-पत्र ठीक प्रकार से तथा ठीक समय पर छप कर तैयार हो जाए इसके लिए मुद्रणालय को विभिन्न उपविभागों में बाँट दिया जाता है। विशेष रूप से मुद्रणालय विभाग को निम्न उपविभागों में विभाजित किया जाता है।

1 कम्पोजिंग कक्ष—जब सम्पादकीय विभाग से समाचार तैयार हो जाता है तो वह कम्पोजिंग कक्ष में भेज दिया जाता है। जहाँ टाइपों द्वारा समाचार कम्पोज किया जाता है। समाचार को कम्पोज करने के लिए मुख्यतः तीन तरीके अपनाए जाते हैं।

(अ) हाथ से कम्पोज करना

प्रायः छोटे समाचार-पत्र यही तरीका अपनाते हैं। इसमें टाइप लकड़ी के विभिन्न खण्डों में रहते हैं। अलग-अलग अक्षर के लिए अलग-अलग खण्ड होते हैं। कम्पोजीटर को जिस अक्षर को कम्पोज करना होता है उसे वह टाइप खण्ड से उठाकर बाँए हाथ की "स्टिक" पर जमाता जाता है। एक शब्द खत्म होते ही कम्पोजीटर खाली जगह वाला टाइप रखता है। इस तरह वह पूरा समाचार कम्पोज करके उस सामग्री को लम्बी ट्रे (गैली) में रखता है। कुछ समाचार-पत्रों में पूरी सामग्री इसी विधि से कम्पोज होती है तो कुछ में शीर्षक और उपशीर्षक आदि के लिए यह तरीका अपनाया जाता है।

(ब) मशीन से कम्पोज करना

मशीन से सामग्री कम्पोज करने की मुख्य तीन प्रकार की मशीनें उपलब्ध हैं—प्रथम मोनोटाइप—इसमें अलग-अलग शब्द कम्पोज होते हैं। दूसरी लाइनो-टाइप—इसमें पूरी लाइन कम्पोज की जा सकती है। तीसरी इन्टरटाइप—इसमें मोनो व लाइनो दोनों तरीके अपनाए जा सकते हैं। ये मशीनें काफी जटिल होती हैं। इसमें चालक अपनी सीट पर बैठा हुआ टाइपराइटर के समान बनी कुंजियों को आवश्यकतानुसार दबाता जाता है और पंक्तियाँ स्वचालित ढंग से कम्पोज होकर सामने आ जाती हैं।

(स) हाथ से लिखना

इसमें एक विशेष स्याही द्वारा विशेष कागज पर पूरी सामग्री शीर्षकों, उप-शीर्षकों द्वारा हाथ से लिख कर उसे एक पत्थर की प्लेट में रसायनिक प्रक्रिया द्वारा

छाप लिया जाता है। इस प्रणाली को शिलामुद्रण या लियोग्राफी के नाम से जाना जाता है। प्रायः उर्दू व सिन्धी समाचार इसी पद्धति से निकाले जाते हैं।

जब समाचार किसी भी पद्धति से कम्पोज कर लिया जाता है तो उसके 'प्रूफ' निकाल कर संशोधक के पास भेज देते हैं जो इनकी गलतियों को निकालता है। इन गलतियों को सुधारने के बाद समाचारों को उसी क्रम में रखा जाता है जिसमें समाचार पत्र प्रकाशित होगा। अब समाचार-पत्र के सभी पृष्ठों को कस के बाँधकर मेट्रिक्स बनाने के लिए तैयार मान लिया जाता है और उसे स्टीरियो टाइपिंग कक्ष में भेज दिया जाता है।

2. स्टीरियो टाइपिंग कक्ष —जहाँ टाइप पृष्ठों की धातु प्लेटें तैयार की जाती हैं।

3. एनग्रेविंग कक्ष या प्रासेस डिपार्टमेंट—इस कक्ष का काम चित्रों, रेखाचित्रों का ब्लाक में परिवर्तन करना है। रेखाचित्र, छायाचित्र, व्यंग्यचित्र को समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिए इन्हें जरूरी आकार में घटाया-बढ़ाया जाता है और उनका ब्लाक बनाकर उसे कम्पोजिंग कक्ष में भेज दिया जाता है।

4. मुद्रण कक्ष—समाचार-पत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग मुद्रण व्यवस्था है। मुख्य रूप से समाचार-पत्र मुद्रण के तीन तरीके अपनाता है। वे तरीके निम्न हैं—

(अ) स्टीरियों रोटरी मुद्रण

मुद्रण की इस आधुनिक तकनीक में सर्वप्रथम तैयार पृष्ठ का "मैट्रिक्स" एक विशेष प्रकार की "शीट" पर बनाया जाता है तथा वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा धातु की अर्द्ध गोलाकार शीट में पूरे पृष्ठ की सामग्री स्थानान्तरित हो जाती है। इसे ही स्टीरियो टाइपिंग कहते हैं। यह कार्य कास्टिंग मशीन पर होता है। इस प्रक्रिया से तैयार सभी पृष्ठों की धातु प्लेटें रोटरी मशीन में यथास्थान फिट कर देने के पश्चात् मुद्रण की प्रक्रिया आरम्भ होती है। बटन दबाते ही कागज तेजी के साथ आगे बढ़ता जाता है और समाचार-पत्र छपकर बाहर निकलता जाता है। इसके बाद मुद्रित प्रतियाँ पैकिंग कक्ष में पहुँचाई जाती है। जहाँ कर्मचारियों की टोली प्रत्येक स्थान की प्रसार संख्या के अनुसार उसके बण्डल तैयार करके गन्तव्य स्थान को रवाना कर देती है। अधिकतर समाचार-पत्र इसी प्रक्रिया को अपनाते हैं।

(ब) चपटे तल वाली (फ्लेट बेड) मशीन पर मुद्रण

कुछ समाचार-पत्र जो कम पृष्ठ संख्या तथा कम प्रसार संख्या के हैं। उन्हें फ्लेट बेड मशीनों पर छापा जाता है। यह एक साधारण किस्म की मशीन होती है। स्याही लगे धातु पृष्ठ पर कागज रखकर उसे गोल बेलनों के नीचे दबाया

जाता है और समाचार-पत्र छप जाता है पर इस प्रक्रिया की गति अत्यन्त ही कम होती है।

(स) शिला-मुद्रण

इसे अधिकतर उर्दू व सिन्धी भाषा के समाचार-पत्र इस्तेमाल करते हैं।

(द) ऑफसेट मुद्रण पद्धति

यह एक आधुनिक शिल्प मुद्रण है। इस पद्धति में समस्त सामग्री को एक रबड़ मैट पर स्थानान्तरित करके सीधे कागज पर स्थानान्तरित कर दिया जाता है। जिसे "ऑफसेट लीथोग्राफ" कहा जाता है। यह कार्य कुछ बेलनों की सहायता से किया जाता है। एक बेलन पर धातु की पतली पर्त, दूसरे में स्याही और तीसरे में रबड़। रबड़ बेलन कागज वाले बेलन से सम्पर्क करता है। यहाँ अक्षरों का सपाट तल से मुद्रण होता है। कुछ वर्षों से इस पद्धति का बड़ी तेजी से विकास हुआ है।

इस प्रकार समाचार-पत्र संगठन एक जटिल प्रक्रिया तथा सुसम्बद्ध प्रक्रिया है। एक समाचार-पत्र संगठन के अन्तर्गत पत्र की प्रसार, विज्ञापन, अखबारी कागज, प्रिन्ट, सम्पादकीय विभाग, मुद्रण विभाग सहित समस्त कर्मचारियों का समावेश किया जा सकता है। पत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए पत्रों का वैज्ञानिक प्रबन्ध और नवीन तकनीकी विधियों के ज्ञान का अपना महत्त्व है। कुशल संचालन के अभाव पर कोई भी समाचार-पत्र शीघ्र ही काल कवटा के कगार पर पहुँच सकता है तो कुशल संचालन उसे उन्नति के शिखर पर पहुँचा सकता है। अतः किसी भी समाचार-पत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसका उचित संगठन अत्यन्त ही जरूरी है।



अध्याय–7

समाचार समितियाँ : उद्भव एवं विकास

एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका के अनुसार "समाचार समिति वह समिति है जो समाचार-पत्र, पत्रिकाओ, क्लब, सगठनो व निजी व्यक्तियो को तारो, पाडुलिपियो, प्रूफ, टेप मशीनो, प्रतिलिपियो, दूरमुद्रक (टेलीप्रिन्टर) और कभी-कभी टेलिफोन द्वारा समाचार प्रेषित करती है।" समाचार समितियाँ स्वय समाचार प्रकाशित नही करती वरन् निजी स्तर पर अपने ग्राहको को सूचनाएँ प्रदान करती है।

सयुक्त राष्ट्र शिक्षा सामाजिक एव सांस्कृतिक संगठन सस्था ने संवाद समिति को इस प्रकार परिभाषित किया है—"समाचार समिति एक उद्यम है जिसका प्रमुख उद्देश्य चाहे उसका कानूनी स्वरूप कैसा भी हो—समाचार एवं सामयिक सामग्री एकत्र करना एव तथ्यो का प्रकटीकरण या प्रस्तुतीकरण करना है तथा उन्हें समाचार सस्थाओ को, विशेष परिस्थितियो मे निजी व्यक्तियो को भी, इस दृष्टि से वितरित करना है कि उन उपभोक्ताओ को व्यावसायिक, विविध एवं नियमानुकूल स्थितियो मे मूल्य के एवज मे जहाँ तक सम्भव हो सम्पूर्ण एव निष्पक्ष समाचार सेवा प्राप्त हो सके।"

उपर्युक्त आधार पर कहा जा सकता है कि समाचार समितियो का मुख्य कार्य समाचार-पत्रो, रेडियो तथा सामूहिक संचार के अन्य साधनो को समाचार वितरण तथा सम-सामयिक घटनाओ के समाचार, प्रकाशनोपयोगी सामग्री सकलित करना है। आज ससार अतरिक्ष युग मे प्रवेश कर चुका है और व्यक्ति यह चाहता है कि इतने बडे विश्व के किसी भी कोने मे व किसी भी क्षण घटने वाली घटना उसे शीघ्र मालूम हो जाए। इन घटनाओ को ज्ञात करने के लिए अधिकांश समाचार-पत्र देश-विदेश मे अपने सवाददाता नियुक्त नही कर सकते। समाचार समिति यह कार्य दूरमुद्रकों के माध्यम से शीघ्र कर देती है। यही कारण है कि समाचार समितियों का कार्य बहु-आयामी तो है ही साथ ही व्यापक और दायित्वपूर्ण भी है।

समाचार-समितियों का स्थान वास्तव में समाचार-पत्रों से भी बड़ा है क्योंकि यह राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर समाचार-पत्रों को वह समाचार या संवाद देती है जिनकी सहायता से समाचार-पत्रों का कलेवर बनता है। इन संवाद समितियों से कुछ अपेक्षाएँ भी की जाती हैं जैसे—समिति जो भी समाचार प्रेषित करे व पूर्णतया निष्पक्ष हो साथ ही विश्वसनीय व तथ्यात्मक भी हो। समाचार राष्ट्रहित व समाज-हित से भी सबद्ध हो। समाचार संकलन करते समय भी समिति को उन्हीं घटनाओं का संकलन करना चाहिए जिसमें "समाचार तत्व" हों। उसे अपनी विश्वसनीयता बनाये रखने के लिए बड़े व्यापारिक समूह तथा बड़े समाचार-पत्रों के दबावों से भी मुक्त रहकर कार्य करना होता है। इन समाचार समितियों को राजनीतिक समाचारों के अतिरिक्त जनजीवन विषयक मानवीय सुरुचिपूर्ण संवादों की ओर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ-साथ बड़ी-बड़ी राजधानियों के समानान्तर स्थानीय और प्रादेशिक समाचार केन्द्रों का निर्माण करके ग्रामीण इलाकों के समाचारों को भी जनता के समक्ष रखना चाहिए और साथ ही भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक मान्यताओं और परम्पराओं को समुचित महत्त्व देना चाहिए। यदि ये समाचार समितियाँ इन तथ्यों को ध्यान में रखेंगी तो वास्तव में ये लोकतन्त्रीय समाज में एक विशेष भूमिका निभाती हुई जीवन्त संस्था तो बनेंगी ही साथ ही अपने ग्राहकों के प्रति भी पूरा न्याय करेंगी।

भारत में समाचार समितियों का उद्भव

19 वीं शताब्दी के प्रथम दशक में भारत में पायनियर, स्टेट्समैन, इंगलिश-मैन तथा इंडियन डेली न्यूज—चार प्रमुख अंग्रेजी पत्र प्रकाशित थे, जो ब्रिटिश सरकार के समर्थक थे। इन चारों में हैसमैन के व्यक्तित्व के कारण पायनियर अधिक प्रभावशाली था। अतः स्टेट्समैन के कार्डेम, इंगलिशमैन के बक तथा इंडियन डेली न्यूज के डालस ने मिलकर 'एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इण्डिया' (ए.पी.आई.) के नाम से सन् 1905 में समाचार समिति की स्थापना की। इन्हें भारत के प्रमुख पत्रकार केशवचन्द्र राय का पूरा सहयोग मिला। लेकिन जब राय को इस समिति का निदेशक बनाने से इंकार किया गया तो इन्होंने उपानाथ सेन के सहयोग से "प्रेस ब्युरो" का गठन किया जिसके फलस्वरूप इन्हें निदेशक बनाना पड़ा। इस प्रकार राय ए.पी. आई. को पूरी तरह सशक्त बनाने व विकसित करने में जुट गए। राय को भारत में "समाचार समितियों का जनक" कहा जाता है।

धीरे-धीरे ए. पी. आई. की कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में शाखाएँ स्थापित हुईं पर उसकी हालत काफी खस्ता थी। अतः सन् 1915 में इसको राइटर ने अधिग्रहण कर लिया। इस अनुबन्ध के बाद इस समिति ने अंग्रेजों को समर्थन देना शुरू कर दिया जिससे भारतीय पत्रकारों व समाचार-पत्रों को काफी चिन्ता हुई।

अत इस स्थिति से निपटने के लिए 1927 में सदानन्द ने "फ्री प्रेस एजेन्सी ऑफ इण्डिया" का गठन किया।

राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के कारण एफ. पी. आई. को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मई, 1930 के प्रेस अध्यादेश द्वारा जो भी समाचार-पत्र इनके समाचार लेते थे उन्हें दण्डित किया जाता रहा। एजेन्सी के तार भी सेन्सर किए जाते थे। पर सदानन्दजी ने हिम्मत न खोकर जून, 1930 में बम्बई से "फ्री प्रेस जरनल" नाम का दैनिक आरम्भ किया। अनेक कठिनाइयों में जूझती हुई अन्त में 1935 में एफ पी. आई. बन्द हो गई।

1. सितम्बर, 1933 में कलकत्ता से बी. सेन गुप्ता ने यूनाईटेड प्रेस ऑफ इण्डिया की स्थापना की। प्रारम्भ में ही इस समिति को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। परन्तु धीरे-धीरे स्वतन्त्रता के बाद सन् 1948 में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने इसकी टेलिप्रिन्टर लाइन का उद्घाटन किया। यू. पी. आई प्रथम समाचार समिति थी जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की हत्या का समाचार प्रकाशित किया था पर दुर्भाग्यवश आर्थिक कठिनाईयों के कारण सन् 1958 में यू पी. आई. बन्द हो गई। 15 अगस्त, 1947 से भारत में समाचार समितियों का लगातार विकास होता गया। इस समय भारत में मुख्यतः निम्नलिखित समाचार समितियाँ काम कर रही हैं—

प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया (पी. टी आई.)

पी टी. आई का मुख्यालय 357, प्रो. दादाभाई नारोजी रोड, बम्बई–3 में स्थित है। यह भारत की ही नहीं वरन् एशिया की सबसे बड़ी समाचार समिति है जो अंग्रेजी में समाचार प्रेषित करती है। सरदार बल्लभ भाई पटेल के अथक प्रयासों से पी. टी. आई. ने सितम्बर, 1948 में रायटर से अनुबन्ध कर लिया तथा 1949 में भारत के प्रमुख समाचार-पत्रों ने एसोसिएटेड प्रेस (ए. पी. आई.) को खरीद लिया क्योंकि स्वतन्त्रता से पूर्व काम कर रही ए पी. आई ब्रिटिश समाचार एजेन्सी रायटर की शाखा मात्र थी और भारतीय समाचार-पत्र इसे विदेशी प्रभाव से मुक्त कराना चाहते थे। इस संस्था का पंजीकरण तो अगस्त, 1947 में हुआ था पर इसने 1 फरवरी, 1949 से कार्य करना प्रारम्भ किया। पी टी. आई. का रायटर से अनुबन्ध 3 वर्ष तक के लिये किया गया था अत. 1951 से इस संस्था ने स्वतन्त्र रूप से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया।

अब पी. टी. आई रायटर से विदेशी समाचार खरीदती है तथा रायटर को भारत के अन्तर्देशीय समाचार देती है। समाचार के इस आदान-प्रदान की व्यवस्था पी. टी. आई ए एफ पी. (फ्रांस की प्रेस एजेन्सी) और अमेरिका की एसोसिएटेड प्रेस की सहायता से करती है। पी टी आई निर्गुट आन्दोलन से सम्बद्ध देशों के

समाचारों का भी वितरण करती है। इसके साथ-साथ ये विदेशी समाचारों को सीधे उपग्रह सचार सेवा से निर्गुट एजेन्सी पूल और एशियन न्यूज एजेन्सी के सगठन के सदस्य के रूप में प्राप्त करती है। समाचार सेवा के आदान-प्रदान के लिए बल्गारिया (बी टी. ए), हगरी (एम. टी. आई.), पौलैण्ड (पी ए पी.), जर्मन जनवादी गणराज्य (ए. डी. एन) एव सोवियत रूस (तास) सवाद समितियो से भी जुडी हुई है तथा एशियन प्रेसिफिक न्यूज एजेन्सीज का प्रमुख सदस्य है। समाचार-पत्रों के अतिरिक्त पी टी आई. की सेवाएँ आकाशवाणी तथा अन्य सस्थानो द्वारा भी ली जाती है। पी टी. आई ने सर्वप्रथम 1980 मे आम चुनावों के समाचार देने के लिए कम्प्यूटरो का उपयोग किया और 1980 से ही इसने फोचर सेवा प्रारम्भ की। पी. टी. आई द्वारा अग्रेजो के अलावा हिन्दी सेवा शुरू करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। 1982 से इसने 'स्कैन' सेवा भी शुरू करके पत्रकारिता के क्षेत्र मे महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है। स्कैन सेवा मे एक टी वी नुमा परदे पर खामोशी से 15-15 लाइनो के समाचार हर डेढ़ मिनट पर आते-जाते रहते है। इस प्रकार के रिसीवर सेट कई होटलो, मत्रालयो, हवाई अड्डों पर रोजमर्रा की देश-विदेश, वाणिज्य विज्ञान और खेल जगत की खबरें दिन-रात देते रहते हैं।

उपलब्ध आँकडो के अनुसार इस संस्था के देश भर मे 120 कार्यालय हैं जिन्हें 70,000 कि मी. लम्बी टेलीप्रिन्टर लाइन पर पी. टी आई. समाचार प्राप्त करने के लिए 100 नगरो मे सवाददाताओ के अलावा 350 जिलो व कस्बो से भी अशकालीन सेवायें प्राप्त करती है। यह एक दिन मे करीब 100,000 शब्दों के समाचार देती है जिसमे से 40 प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रीय समाचार है। इसके साथ-साथ इसके अपनी रिपोर्ट व विशेषो से पत्राचार भी है।

पी. टी. आई ने विश्व के महत्त्वपूर्ण नगरो मे पूर्णकालीन सवाददाता समाचार प्राप्त करने के लिए विदेशी कार्यालय स्थापित कर रखे है — न्यूयार्क, (राष्ट्र संघ) लदन, मास्को, बीजिंग, कुआलालम्पुर, नैरोबी, इस्लामाबाद, काठमांडू, कोलम्बो, ढाका और बहरीन तथा 19 विदेशी केन्द्रो मे अशकालीन सवाददाता पत्राचार के लिए अनुबन्ध कर रखे हैं जो निम्न है—

ओटावा, बॉन, ब्रूसेल्स बर्लिन, बेलग्रेड, बुडोपस्ट, स्टाकहोम, वियाना, पेरिस, लागोस, हेरेयर, डर्बन, दुबई, दोहा, रंगून, बेकॉक, हांगकांग, सियोल और टोकियो। इस प्रकार 35 देशों की राजधानियो में इसके सवाददाता नियुक्त हैं। इस सस्था के द्वारा राजनैतिक, आर्थिक, व्यापारिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास सम्बन्धी समाचारों को उपलब्ध कराया जाता है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया को सक्षेप मे प्रेट्र या पी टी आई लिखा जाता है। दूरदर्शन के लिए समाचार रील बनाने के क्षेत्र में भी प्रेस ट्रस्ट पदार्पण कर चुका है। आज प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया

में समाचार कम्प्यूटर की सहायता से भेजे जा रहे हैं। कागज कलम का स्थान कम्प्यूटर द्वारा संचालित 'वीडियो डिस्पले ईकाईयों' ने ले लिया है। ऐसी लगभग दर्जन इकाईयां प्रेस ट्रस्ट के दिल्ली केन्द्र में कार्य कर रही हैं। समाचार सम्पादन के बाद टेलिप्रिन्टर पर जाने के लिए तैयार समाचार केवल एक बटन दबाने से केन्द्रीय कम्प्यूटर में दर्ज हो जाता है। अपना समय आने पर ये समाचार स्वतः ही टेलिप्रिन्टर पर अंकित हो जाते हैं।

यूनाईटेड न्यूज ऑफ इण्डिया (यू एन आई)

यू एन आई. का मुख्यालय—9, रफी मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है। पी. टी. आई के बाद यह भारत की दूसरी बड़ी एजेन्सी है जो अंग्रेजी में समाचार देती है। प्रथम प्रेस के आयोग के सुझावानुसार इस समिति का गठन किया गया क्योंकि देश भर में एक ही उच्चस्तर की न्यूज एजेन्सी थी जिसका समाचार संकलन व वितरण पर एकाधिकार था। ऐसी स्थिति में समाचारों का निष्पक्ष होना संदिग्ध था और जब दो समाचार समिति काम करेंगी तो दोनों में एक से बढ़ कर एक समाचार देने की होड़ लगेगी। फलस्वरूप समाचार-संकलन-वितरण की व्यवस्था स्तर, शिल्प और तकनीकी आदि में सुधार की बात सोचकर सन् 1961 में इसका गठन किया गया।

यू एन आई ने यू पी. आई जो धनाभाव के कारण बन्द हो गई थी उसी की टेलिप्रिंटर मशीनों पर 12 मार्च, 1961 से विधिवत कार्य प्रारम्भ किया। इस संस्था का पंजीकरण 10 नवम्बर, 1959 को हुआ था। समिति का कार्य संचालन एक महाप्रबन्धक की देख-रेख में होता है।

आज यह संस्था 80,000 कि. मी लम्बी टेलिप्रिंटर लाईन से जुड़ी हुई है तथा देशभर में इसके लगभग 100 केन्द्र हैं, 550 से अधिक पत्र ग्राहक हैं जो इसे देश की सबसे बड़ी न्यूज एजेन्सी बना रहे हैं। ये समाचार पत्र विभिन्न भाषाओं से सम्बन्धित हैं। विश्व की 15 संवाद समितियों से इसने समाचारों के आदान-प्रदान की व्यवस्था की है जैसे—ए. पी. आई, तास (रूस), डी. पी. ए. (प. जर्मनी), एगर प्रेस (रूमानिया), सी. टी. के. (चेकोस्लोवाकिया), जी जी. प्रेस (जापान), तानजु ग (युगोस्लाविया), ए. एन. एस. ए. (इटली). आई. एन. ए. (बांगला देश), और रा. स. स. (नेपाल) आदि। यू. एन. आई. अंग्रेजी में ऊर्जा, आर्थिक वृद्धि फोकस सेवा स्पोर्ट्स फीचर सन्दर्भ सेवा आदि तो देती ही है, साथ ही सामयिक महत्त्व के विषय पर पृष्ठभूमि के लेख जारी करती है।[1] राष्ट्रसंघ उपग्रह संचार व्यवस्था के द्वारा अपनी समाचार-सेवा को खाड़ी देशों को भी देती है। जिसमें कुवैत

---

1. देश और दुनिया (समाचार भारती वार्षिकी) पृ. 142.

रेडियो व टेलिविजन तथा आबू धाबीका खलीजी टाइम्स सम्मिलित है। यह अपनी समाचार सर्विस को तार द्वारा प्रेषित करती है, जिसमे इसकी वित सम्बन्धी सर्विस भी है। इस सर्विस को यह 120 बाजार भारत मे तथा 45 बाजार विदेशों के टेलिप्रिंटर के द्वारा नियमित सूचना प्रसारित करती है। यू एन. आई ने कुछ विशिष्ट सेवाएँ भी प्रारम्भ की हैं जैसे —वाणिज्य सेवा, सदर्भ सेवा, कृषि सेवा तथा फोरम सेवा।

यूनीवार्ता

"पहली बार इस बात की कोशिश की गई कि हिन्दी और भारतीय भाषा-भाषी पत्रों की एक-एक ऐसी समिति हो जो सब दृष्टि मे परिपूर्ण हो अर्थात् उसमें राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय प्रादेशिक राजनीतिक, सामाजिक, खेलकूद, व्यापार, मनोरंजन आदि सभी क्षेत्रो के समाचार उपलब्ध हो।" इस आधार पर यू एन आई. ने 1 मई, 1982 मे हिन्दी मे यूनीवार्ता नाम से सेवाएँ देना प्रारम्भ किया है। इसे सक्षेप मे "युवा" लिखा जाता है। हिन्दी प्रदेशो मे इस सहथा के करीब 105 कार्यालय हैं और करीब 225 पत्र इसकी सेवा का लाभ उठा रहे है। पिछले आठ वर्षो मे देश व विदेशो मे जितनी भी महत्त्वपूर्ण घटनाएं घटी जैसे —सातवां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन, नवाँ एशियाई खेल, लेबनान पर इजराइल आक्रमण या भारत पाक और भारत वेस्टइंडीज क्रिकेट श्रृंखला, राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन आदि के बारे में "यूनीवार्ता" ने जो भी समाचार प्रेषित किए वे खूब छापे गए।

यूनीवार्ता का ध्येय वाक्य—"छोटे समाचार पत्रों को कम व्यय मे हिन्दी मे देश विदेश के समाचार उपलब्ध कराना।"

आज यह समाचार समिति इतनी विविधता लिए हुए समाचार प्रेषित कर रही है जिसकी सहायता से सम्पूर्ण समाचार-पत्र निकाला जा सकता है और जो अग्रेजी की सवाद समितियो से स्पर्धा कर सकती है। यूनीवार्ता की सेवा केवल हिन्दी पत्र ही नही ले रहे बल्कि मराठी का 'आन्दोलन' दैनिक पत्र 'जालना' (महाराष्ट्र) ले रहा है। पूर्व मे कलकत्ता से लेकर पश्चिम मे बीकानेर और जोधपुर तथा उत्तर मे चण्डीगढ से लेकर दक्षिण मे नर्मदा तक 'यूनीवार्ता' फैली हुई है।

हिन्दुस्तान समाचार

"हिस" का कार्यालय—कनाट लेन, नई दिल्ली मे स्थित है। यह भारत की सबसे पहली समाचार समिति है जो भारतीय भाषाओ मे समाचार और लेख पत्र-पत्रिकाओ को भेजती है जबकि पी टी आई और यू एन आई अग्रेजी मे। इस समिति के कुछ कर्मठ व्यक्तियो ने खासकर एस एम. आप्टे की प्रेरणा व प्रयासो से दिसम्बर, सन् 1948 मे स्थापना हुई। जिस समय यह समिति बनी उस समय हिन्दी दूर-

मुद्रक मशीनें भी नही बनी थी। समाचारों को हाथ से लिखकर पहुँचाया जाता था। प्रारम्भ में इस समिति ने दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, पटना, नागपुर, जयपुर एवं लखनऊ मे अपने केन्द्र स्थापित किए। हिन्दुस्तान समाचार का श्रीगणेश प्राइवेट लिमिटेड के रूप मे हुआ था पर जून, 1957 मे यह सहकारी समिति के रूप में परिणित हो गई।

इस समिति ने सबसे पहले विभिन्न राज्यो मे क्षेत्रीय खबरों को सकलित करके राज्य स्तर पर वितरित करने की पहल की। परन्तु यह सब कार्य डाक द्वारा ही होता था क्योकि हिन्दी के दूरमुद्रको के बिना विभिन्न केन्द्रो के बीच समाचारो का आदान-प्रदान सम्भव नही था। अत: राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के सुझाव पर तत्कालीन संचार मन्त्री रफी अहमद किदवई के प्रयासो से चार अंग्रेजी की "क्रीड" मशीनों को जबलपुर वर्कशाप में देवनागरी में बदला गया और इस समिति ने यह मशीनें ले ली तथा सबसे पहले सन् 1954 मे दिल्ली पटना के मध्य नागरी दूरमुद्रको का प्रयोग समाचार प्रेषण के लिए किया गया। यह हिन्दी पत्रकारिता की अत्यन्त उल्लेखनीय प्रगति थी।

इसके बाद से "हिन्दुस्तान समाचार" हिन्दी, मराठी, बंगला, उर्दू, पंजाबी, तेलुगू, कन्नड, मलयालम, गुजराती, नेपाली, असामिया, उडिया, बगला, इगलिश आदि भाषाओ मे समाचार देती है। यह विभिन्न भाषाओ मे समाचार एकत्रित करके राष्ट्रीय देवनागरी टेलिप्रिन्टर के द्वारा 80 समाचार-पत्रो, रेडियो के 20 और 6 टेलिविजन केन्द्रो को समाचार प्रसारित करती है। इस एजेन्सी ने तास, प्रना और पाकिस्तानी, प्रेस इन्टरनेशनल संस्थाओ से विदेशी समाचारो के आदान-प्रदान के लिए सम्पर्क कर रखा है। इसके अलावा यह समाचारो का आदान-प्रदान काठमाडु धिप्पू, पोर्ट के स्टेशनो को भी करती है। इस समिति की यह विशिष्टता रही है कि इसने सदैव प्रादेशिक समाचारो के सकलन की ओर विशेष ध्यान दिया है जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, राजनैतिक समाचारो के अतिरिक्त सांस्कृतिक आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आदि गतिविधियों से सम्बद्ध समाचारो का भी यह संकलन करके वितरित करती है।

आज देश भर मे इस समिति के 50 के लगभग केन्द्र है तथा भारतीय भाषाओ के 130 से अधिक पत्र इसके ग्राहक हैं। 1968 से "युगवार्ता" शीर्षक से "हिन्दुस्तान समाचार" ने एक प्रसंग लेख सेवा भी शुरू कर रखी है। यह एजेन्सी प्रति दिन 16 घण्टो मे औसत 50,000 शब्दो के समाचार प्रेषित करती हैं। परन्तु वर्तमान मे इस समाचार समिति की आर्थिक स्थिति नाजुक है।

समाचार भारती

"समाचार भारती" का मुख्यालय—नई दिल्ली मे हैं। 2 अक्टूबर, 1966 मे स्थापित समाचार भारती भारतीय भाषाओ की दूसरी बडी समिति है। इस समिति

की स्थापना यह कहकर की गई थी कि एक ही हिन्दी समाचार समिति होने से उस पर विशेष राजनीतिक विचार-धारा का प्रभुत्व है, अतः इस समिति की स्थापना से यह समिति प्रतिस्पर्धा में आ गई। समिति के गठन के पीछे मूल प्रेरणा धर्मवीर गाँधी की थी जिन्हें लाला फिरोजचन्द्र, जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी और प्रधान मन्त्री लाल बहादुर शास्त्री का सक्रिय सहयोग मिला।

यह समिति बहुभाषी है तथा दस प्रमुख भाषाओं के 150 से अधिक समाचार-पत्र इसकी समाचार सेवा से लाभ उठाते हैं। देश की राजधानियों तथा प्रमुख नगरों में इसके केन्द्र हैं जो लगभग 30,000 किलोमीटर लम्बी टेलिप्रिन्टर लाइन से इनको जोड़े हुए हैं। भारत के अनेक समाचार-पत्रों, रेडियो तथा टेलिविजन के समाचार बुलेटिनों में 'भारती' के समाचार प्रकाशित व प्रसारित होते हैं। विदेशी समाचार सेवाओं के लिए इस समिति ने तास तथा तीसरी दुनिया के देशों की प्रमुख सवाद समिति आई. पी एस के साथ अनुबन्ध कर रखा है, इनसे इसे उपग्रह संचार व्यवस्था से समाचार प्राप्त होता है। मई, 1979 से भारती ने अपनी विशेष फीचर सेवा प्रारम्भ की जिसका मुख्य उद्देश्य साप्ताहिक समाचार-पत्रों की आवश्यकता को पूरा करना है। समाचार भारती "देश और दुनिया" नाम से एक वार्षिकी भी प्रदान करती है। वर्तमान समय में इस समाचार समिति की भी आर्थिक स्थिति डांवाडोल है।

समाचार

24 जनवरी, 1976 को आपातकाल के दौरान चारों समाचार समितियों (पी टी आई, यू एन. आई, हिन्दुस्तान समाचार व समाचार भारती) को "समाचार" नाम से समिति बनाकर विलय कर दिया गया। ये एक प्रकार से समाचारों के स्रोतों पर सरकार के नियन्त्रण का द्योतक था। तब भारत में केवल यही एक मात्र समाचार समिति रह गई थी जिसे सरकार से अधिक मात्रा में आर्थिक सम्बल मिला। जिससे सवाद समितियों को आर्थिक योगदान एवं जीवनदान तो मिला ही साथ ही वित्तीय कठिनाई न रहने से सभी कर्मचारियों को वेतन आदि की सुविधा भी पूर्ण रूप से मिलने लगी। एक फरवरी, 1976 से इसकी क्रेडिटलाइन प्रकाशित होना शुरू हुई और 1 अप्रेल, 1976 से इसकी प्रबन्ध समिति ने कार्य करना शुरू किया। पर सन् 1977 में सत्ता परिवर्तित होने के साथ ही 14 अप्रेल, 1978 को समाचार पुन विघटन करके पुनः चार समितियों में परिणित कर दिया गया।

"समाचार" का विघटन करने के बाद सरकार ने कुलदीप नैयर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और उसे समितियों की संरचना पर सुझाव देने के लिए कहा गया। आज यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठा हुआ है कि देश में एक ही समाचार समिति हो या एक से अधिक। एक ही समाचार समिति के समर्थक कहते

है कि आर्थिक अभाव के कारण देश में एक ही समाचार समिति हो । यही नहीं, एक समिति होने से समाचार प्रेषण में पुनरावृत्ति भी नहीं होगी । ये समर्थक प्रतिस्पर्धा को कोई महत्त्व नहीं देते हैं क्योंकि सभी समाचार पत्र इस बारे में स्वतन्त्र हैं कि वे चाहे समाचार छापें या न छापें । इन लोगों का कहना है कि एक ही समिति होने पर बड़े समाचार-पत्रों या किन्हीं स्वार्थी तत्त्वों का भी इस पर दबाव नहीं पड़ेगा ।

जबकि एक से अधिक समाचार समिति के समर्थकों का मानना है कि भारत जैसे विकासशील देश में क्षेत्र, जनसंख्या, भूगोल, भाषाओं आदि की विपुलता को देखते हुए यहाँ एक से अधिक समाचार समितियों का विकास किया जा सकता है क्योंकि प्रतियोगिता रहने से देश का विकास होता है । अतः देश की उन्नति के लिए एक से अधिक समाचार समितियाँ होनी चाहिए ।

नैयर समिति का सुझाव है कि देश में केवल दो समितियाँ हों—(1) वार्ता और (2) संदेश और यह दोनों समितियाँ अन्तर्राष्ट्रीय समाचार के लिए न्यूज इण्डिया नामक समिति बना लें । इस समिति के अनुसार "वार्ता" पूर्ण रूप से भारतीय भाषाओं में समाचार दे और सन्देश पूर्ण रूप से अंग्रेजी में । परन्तु इसके आलोचकों का कहना था कि ऐसा होने से इनमें प्रतियोगिता व प्रतिस्पर्धा का नितान्त अभाव रहेगा साथ ही इनमें सन्तुलन व सामंजस्य भी नहीं रह सकता क्योंकि सन्देश अंग्रेजी के कारण व्यापक है तो "वार्ता" बहुभाषी होने से श्रम-साध्य हो जायेगी । इस प्रकार यह गुत्थी अभी अधर में ही है ।

प्रश्न कितने भी हों कैसी भी समाचार समिति हो आज इन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । सबसे पहली कठिनाई है "वित्तीय समस्या" । दूसरी समस्या है "भाषा" आज हिन्दी के विभिन्न राज्यों से सम्बन्धित पत्रों में अलग-अलग भाषा और शैली देखने को मिलती है जैसे इन्दौर में मराठी भाषा और संस्कृति की झलक तो दूसरी ओर जालन्धर के हिन्दी पत्रों में उर्दू का प्रभाव है । इसी प्रकार मध्य प्रदेश में सरल हिन्दी तो वाराणसी में संस्कृत-निष्ठ हिन्दी का प्रयोग किया जाता है । ऐसी स्थिति में यह निश्चित करना कठिन है कि समिति किस भाषा या शैली को अपनायें ।

भाषा

पी०टी०आई० ने 18 अप्रैल, 1986 को हिन्दी समाचार सेवा "भाषा" का प्रारम्भ करके हिन्दी पत्रकारिता के उज्जवल भविष्य की ओर एक महत्त्वपूर्ण कदम बढ़ाया है । कुछ ही वर्षों में उसने जो प्रगति की है वह उल्लेखनीय है । "भाषा" अनुवाद एजेन्सी न होकर मूल खबरों की ऐजेन्सी बनने की दशा में प्रयत्नशील है । यह पहली समाचार समिति है जो समाचारों के वाक्य-विन्यास, भाषा-शैली, वर्तनी और नामों के सही उच्चारण के लिए ठोस रचनात्मक कार्य कर रही है । भाषा के

सम्पादक डॉ० वेद प्रताप वैदिक की मान्यता है कि 'विदेशी नामों के उच्चारण के लिए कई विदेशी भाषाओं की "उच्चारण तालिकाएँ" बनाई गई हैं। देश के लगभग 11000 शहरों और कस्बों के सही नामों की प्रमाणिक सूची "भाषा" की डेस्क पर रखी है। समाचार लेखन में उसी का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे वर्तनी में एक रूपता हो। हम अपनी वर्तनी किसी पर थोपना नहीं चाहते।"

भाषा की विशेषता पर धर्मयुग 9 नवम्बर, 1986 में प्रकाशित लेख की पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं—"भाषा की खबरों में अगर रीगन, राजीव, गोर्बाच्योव भाषण देते दिखाई पड़ते हैं तो कुमार गन्धर्व गाते हुए, जैनेन्द्र बोलते हुए, अमृत लाल नागर लिखते हुए, नागार्जुन काव्य पाठ करते हुए और मकबूल फिदा हुसैन चित्र रचते हुए भी दिखाई पड़ते हैं। इसलिए पी०टी०आई० देव है तो भाषा महादेव"। इस प्रकार "भाषा" राजनीतिक खबरों पर जोर देने के बजाय साहित्य, कला, विज्ञान, संस्कृति आदि विविध क्षेत्रों की खबरों को व्यापक रूप से स्थान दे रही है।

वर्तमान समय में भाषा खबरों के लगभग 300 टेक रोज भेज रही है। संसद सत्रों में यह अनुपात और भी बढ़ जाता है। इस प्रकार भाषा एजेन्सी हिन्दी पत्रकारिता को नया आयाम देने की कोशिश कर रही है। डॉ० वेद प्रताप वैदिक का तो कहना यह है कि 'भाषा भी खबर उसी के नाम से बिकनी चाहिए जैसे स्टील टाटा की, जूते बाटा के और खबर भाषा की।"

आज समाचार समितियों से यही अपेक्षा की जाती है कि उन्हें वस्तुनिष्ठता, पूर्णता तथा स्वतन्त्रता से कार्य करना चाहिये तथा सभी प्रकार के निहित स्वार्थों— धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक, व्यापारिक दबावों से मुक्त रहना चाहिये और भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक मान्यताओं और परम्पराओं को यथास्थान देना चाहिये तभी ये जन-संचार के सशक्त माध्यम के रूप में उभर कर सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं।

प्रेस इन इण्डिया[1] के अनुसार भारत में कार्यरत प्रमुख समाचार समितियाँ इस प्रकार हैं—

1. एसोसिएटेड न्यूज सर्विस, हैदराबाद,
2. भारत न्यूज सर्विस, हैदराबाद,
3. बुन्देल खण्ड न्यूज एजेन्सी, सागर
4. कॉन्टीनेण्टल न्यूज सर्विस
5. सेन्ट्रल न्यूज लेटर, भोपाल
6. करंट न्यूज, हैदराबाद
7. सेन्ट्रल न्यूज एण्ड फीचर्स, भोपाल
8. कमर्शियल न्यूज एण्ड फीचर सर्विस, नई दिल्ली

---

1 प्रेस इन इण्डिया—1980–24 एनुअल रिपोर्ट ऑफ दि रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज पेपर्स फॉर इण्डिया पृ 144–145

9. इकोनोमिक्स सर्विस, बम्बई
10. एक्सप्रेस न्यूज सर्विस, नई दिल्ली
11. हिन्दुस्तान समाचार को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, बम्बई
12. हिन्दुस्तान समाचार, नई दिल्ली
13. इण्डियन न्यूज एण्ड फीचर अलायन्स, नई दिल्ली
14. आई. पी. ए., वाराणसी
15. इण्डीपेन्डेन्ट न्यूज सर्विस, लखनऊ
16. जे. एन. एफ., जम्मू
17. जे. के. न्यूज
18. जे ए के.
19. कौमुदी न्यूज सर्विस
20. केरल प्रेस सर्विस
21. मध्य प्रदेश समाचार
22. नेशनल न्यूज सर्विस, दिल्ली
23. नेशनल प्रेस एजेन्सी, नई दिल्ली
24. नेशनल प्रेस, लखनऊ
25. एन एफ. के.
26. उड़ीसा न्यूज
27. पी टी. आई.
28. प्रेस एशिया इन्टरनैशनल
29. प्रेस इन्फोरमेशन ब्यूरो
30. पब्लिकेशन सिंडीकेट
31. पंजाब प्रेस सर्विस
32. पंजाब न्यूज सर्विस
33. राजस्थान समाचार, जयपुर
34. समाचार भारती
35. सर्वोदय विहार सेवा
36. साक्षी समाचार सेवा, इन्दौर
37. यूनाइटेड न्यूज ऑफ इण्डिया
38. यूनीवर्सल न्यूज सर्विस
39. यू. पी. एफ., जम्मू कश्मीर
40. उर्दू न्यूज सर्विस
41. युग वार्ता

विदेशी समाचार समितियाँ

1. एसोसिएटेड प्रेस, लन्दन
2. एजेन्सी फ्रांस प्रेस
3. एसोसिएटेड प्रेस ऑफ अमेरिका
4. अन्सा, इटली
5. ए. डी. एन. पूर्वी जर्मनी
6. एन्टारा, इण्डोनेशिया
7. एल्जीरियाई प्रेस सर्विस, एल्जीरिया
8. अरब रिवोल्यूशनरी न्यूज एजेन्सी, लीबिया
9. बिरनामा, मलेशिया
10. बंगला देश संवाद सेवा, बांगला देश
11. ब्रिटिश इन्फोरमेशन सर्विस
12. सी ई. टी ई. के. ए. चेकोस्लोवाकिया
13. डी पी. ए., प. जर्मनी
14. इथोपिया न्यूज एजेन्सी
15. फार ईस्टर्न इकोनोमिक रिव्यू
16. घाना न्यूज एजेन्सी

9. इकोनोमिक्स सर्विस, बम्बई
10. एक्सप्रेस न्यूज सर्विस, नई दिल्ली
11 हिन्दुस्तान समाचार को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, बम्बई
12. हिन्दुस्तान समाचार, नई दिल्ली
13. इण्डियन न्यूज एण्ड फीचर अलायन्स, नई दिल्ली
14. आई. पी. ए., वाराणसी
15. इण्डीपेन्डेन्ट न्यूज सर्विस, लखनऊ
16. जे एन. एफ., जम्मू
17. जे. के. न्यूज
18 जे ए के.
19. कौमुदी न्यूज सर्विस
20. केरल प्रेस सर्विस
21. मध्य प्रदेश समाचार
22. नेशनल न्यूज सर्विस, दिल्ली
23 नेशनल प्रेस एजेन्सी, नई दिल्ली
24. नेशनल प्रेस, लखनऊ
25 एन एफ. के.
26. उड़ीसा न्यूज
27. पी टी. आई.
28. प्रेस एशिया इन्टरनेशनल
29. प्रेस इन्फोरमेशन ब्यूरो
30. पब्लिकेशन सिंडीकेट
31. पंजाब प्रेस सर्विस
32. पंजाब न्यूज सर्विस
33. राजस्थान समाचार, जयपुर
34. समाचार भारती
35 सर्वोदय विहार सेवा
36. साक्षी समाचार सेवा, इन्दौर
37. यूनाइटेड न्यूज ऑफ इण्डिया
38. यूनीवर्सल न्यूज सर्विस
39. यू. पी. एफ, जम्मू कश्मीर
40. उर्दू न्यूज सर्विस
41. युग वार्ता

विदेशी समाचार समितियाँ

1 एसोसिएटेड प्रेस, लन्दन
2. एजेन्सी फ्रांस प्रेस
3. एसोसिएटेड प्रेस ऑफ अमेरिका
4. अन्सा, इटली
5. ए. डी. एन. पूर्वी जर्मनी
6. एन्टारा, इण्डोनेशिया
7. एल्जीरियाई प्रेस सर्विस, एल्जीरिया
8. अरब रिवोल्यूशनरी न्यूज एजेन्सी, लीबिया
9. बिरनामा, मलेशिया
10. बंगला देश संवाद सेवा, बांगला देश
11. ब्रिटिश इन्फोरमेशन सर्विस
12 सी ई. टी. ई के. ए. चेकोस्लोवाकिया
13 डी पी. ए., प. जर्मनी
14. एथोपिया न्यूज एजेन्सी
15. फार ईस्टर्न इकोनोमिक रिव्यू
16. घाना न्यूज एजेन्सी

रहे। यह प्रक्रिया प्रमाणित करती है कि पत्रकारो की स्वतन्त्र्य चेतना और दायित्व-बोध भावना ने जनजीवन व राष्ट्रीय जीवन को प्रेरित किया है। बाबूराव पराडकर, अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी, गणेशशंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, कृष्णकान्त मालवीय, बालकृष्ण शर्मा "नवीन", श्रीराम शर्मा, कृष्णदत्त पालीवाल, रामवृक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मित्र, श्रीनाथसिंह, व अन्य बीसियों पत्रकारो को जेल की हवा खानी पडी। यह सब अकारण नही था इनके सामने देश स्वाधीनता, सामाजिक बदलाव, सांस्कृतिक पुनर्जागरण जैसे महान और व्यापक उद्देश्य थे। इसके लिए सतत सक्रियता, जनसेवा, त्याग और बलिदान मे पत्रकार संघर्ष की हरावल मे रहे। स्वतन्त्रता से पूर्व मुख्य ध्येय राष्ट्र तथा राष्ट्र की समस्याओ का समाधान करना ही था। राष्ट्र प्रेम, अहिंसा के सिद्धान्त का प्रचार, समाज सुधार, भाषा-प्रेम आदि प्रमुख विषय उनके सम्मुख थे, परन्तु 1947 मे स्वतन्त्रता मिलने पर पत्रों के समक्ष स्पष्ट दिशाबोध नहीं रह गया। देश के विकास, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एव राजनीतिक संरचना की कोई स्पष्ट या सर्वांगीण कल्पना अभी उभर कर सामने नहीं आई थी।

इसी प्रकार पराधीनता काल मे पत्रकारिता का जो आदर्श था वह टूटने लगा, उसकी तेजस्विता धूमिल हो चली। इसी को लक्ष्य करके गणेशशकर विद्यार्थी ने कहा है कि "जिन लोगो ने पत्रकारिता के पवित्र कार्य को अपना काम बना रखा है, उनमे बहुत कम ऐसे लोग है जो अपने चित्त को इस बात पर विचार का अवसर देते है कि हमे सच्चाई की लाज रखनी चाहिए, केवल अपनी मक्खन-रोटी के लिए दिनभर मे कई रग बदलना ठीक नही। इस देश मे भी दुर्भाग्य से समाचार-पत्रों और पत्रकारो का यही मार्ग बनता जा रहा है—यहाँ भी अब बहुत से समाचार-पत्र सर्वसाधारण के कल्याण के लिए नही रहे, सर्वसाधारण उनके प्रयोग की वस्तु बनते जा रहे है....।"[1] वास्तव मे यह परिभाषा आज सही उतरती है। आजादी के बाद सभी वस्तुओ के मूल्य तेजी से बदलने लगे। सच्चाई एव ईमानदारी, जीवन मे सादगी, भारतीयता, मद्य एवं धूम्रपान निषेध ये सभी संकीर्णतावादी, प्रतिक्रियावादी, रूढ़िवादी बातें बन गयी। नवसम्भ्रातो के लिए धूर्तता, अवसरवादिता, ठाठ-बाट, मद्य एव धूम्रपान प्रगति के पर्यायवाची बन गये। ऐसे मे देश-भक्ति से पूर्ण हिन्दी पत्रकारिता ने भी पलटा खाया। कुछ पत्र यद्यपि काल कवलित हो गए थे और कुछ पत्रो के मालिकों ने उन्हें अपने कब्जे मे कर लिया और पत्रकारिता को भी एक नया आर्थिक मोड दिया। अब पत्रकारिता मिशन नही व्यवसाय बन गया। सेठ पत्रो के मालिक बन गये, सम्पादक व उसके सहयोगी मजदूरो की श्रेणी मे आ गये। राज-

1. गणेशशकर विद्यार्थी का मत—डॉ कृष्णबिहारी मिश्र की पुस्तक हिन्दी पत्रकारिता : मे उद्धृत पृ. 413.

अध्याय-8

स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी पत्रकारिता : परिचय एवं वर्गीकरण

शताब्दियों की दासता के पश्चात् स्वतन्त्रता प्राप्ति किसी भी राष्ट्र के लिए निविड़तम अन्धकारपूरित रात्रि की समाप्ति पर हुए अरुणोदय के समान होती है। तमस रुद्ध नेत्रों से जब राष्ट्र स्वतन्त्रता सूर्य के दर्शन करता है तो जाने कितनी आशा-आकांक्षाएँ उसके हृदय के हर कोने में मचलने लगती हैं। हमारे देश के प्रखर स्वतन्त्रता संग्राम ने राष्ट्र में जहाँ एक ओर प्रचण्ड आत्मविश्वास जगाया, वहाँ दूसरी ओर भविष्य के प्रति गहन आस्था भाव भरे, उत्साह को भी जन्म दिया। राष्ट्र बहुमुखी विकास के पथ पर अग्रसर हुआ—औद्योगिक, तकनीकी, शिल्पविद्या, व्यवसाय आदि विभिन्न क्षेत्रों में नये-नये आयामों की स्थापना हुई। इसकी एक सहज परिणिति हुई, स्वाधीनता के बाद अनेक नये-नये विषयों की पत्रिकाओं के प्रकाशन के रूप में।[1]

हिन्दी पत्रकारिता के अतीत का इतिहास राष्ट्रीय पुनर्जागरण और स्वाधीनता संग्राम का इतिहास रहा है। दासता की जिस जंजीर में "बूढ़े भारत" को 1857 में जकड़ लिया था उस जंजीर को तोड़ फेंकने की उद्दाम भावना से प्रेरित होकर हिन्दी के पत्रकार संघर्ष की भूमिका में उतरे थे। सांस्कृतिक नवोत्थान और राष्ट्रीय चेतना के विकास में समाचार-पत्रों व पत्रकारों का योगदान रहा है वह भुलाया नहीं जा सकता। बालमुकुन्द गुप्त की नौकरी इसलिए छुड़ाई गई थी कि उनके मालिक को यह आशंका थी कि गुप्तजी मालिकों की गैर-हाजिरी में गवर्नमेंट के खिलाफ लेख लिखेंगे। बालकृष्ण भट्ट को अपने पद से इसलिए त्यागपत्र देना पड़ा कि उन्होंने किसी की तारीफ एक सार्वजनिक मीटिंग में कर दी थी। इसी प्रकार द्वारिका प्रसाद चतुर्वेदी को भी अपने स्वाधीनता प्रेम के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी थी। हिन्दी के ख्यातिनामा पत्रकार अंग्रेजी हुकूमत के जमाने में जेलों में बन्द

---

1. डॉ. रामचन्द्र तिवारी : पत्रिका सम्पादन कला : अपनी ओर से, पृ 5

रहे। यह प्रक्रिया प्रमाणित करती है कि पत्रकारों की स्वतन्त्र चेतना और दायित्व-बोध भावना ने जनजीवन व राष्ट्रीय जीवन को प्रेरित किया है। बाबूराव पराड़कर, अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी, गणेशशंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, कृष्णकान्त मालवीय, बालकृष्ण शर्मा "नवीन", श्रीराम शर्मा, कृष्णदत्त पालीवाल, रामवृक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र, श्रीनाथसिंह, व अन्य बीसियों पत्रकारों को जेल की हवा खानी पड़ी। यह सब अकारण नहीं था इनके सामने देश स्वाधीनता, सामाजिक बदलाव, सांस्कृतिक पुनर्जागरण जैसे महान और व्यापक उद्देश्य थे। इसके लिए सतत सक्रियता, जनसेवा, त्याग और बलिदान में पत्रकार संघर्ष की हरावल में रहे। स्वतन्त्रता से पूर्व मुख्य ध्येय राष्ट्र तथा राष्ट्र की समस्याओं का समाधान करना ही था। राष्ट्र प्रेम, अहिंसा के सिद्धान्त का प्रचार, समाज सुधार, भाषा-प्रेम आदि प्रमुख विषय उनके सम्मुख थे, परन्तु 1947 में स्वतन्त्रता मिलने पर पत्रों के समक्ष स्पष्ट दिशाबोध नहीं रह गया। देश के विकास, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक संरचना की कोई स्पष्ट या सर्वांगीण कल्पना अभी उभर कर सामने नहीं आई थी।

इसी प्रकार पराधीनता काल में पत्रकारिता का जो आदर्श था वह टूटने लगा, उसकी तेजस्विता धूमिल हो चली। इसी को लक्ष्य करके गणेशशंकर विद्यार्थी ने कहा है कि "जिन लोगों ने पत्रकारिता के पवित्र कार्य को अपना काम बना रखा है, उनमें बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने चित्त को इस बात पर विचार का अवसर देते हैं कि हमें सच्चाई की लाज रखनी चाहिए, केवल अपनी मक्खन-रोटी के लिए दिनभर में कई रंग बदलना ठीक नहीं। इस देश में भी दुर्भाग्य से समाचार-पत्रों और पत्रकारों का यही मार्ग बनता जा रहा है—यहाँ भी अब बहुत से समाचार-पत्र सर्वसाधारण के कल्याण के लिए नहीं रहे, सर्वसाधारण उनके प्रयोग की वस्तु बनते जा रहे हैं....।"[1] वास्तव में यह परिभाषा आज सही उतरती है। आजादी के बाद सभी वस्तुओं के मूल्य तेजी से बदलने लगे। सच्चाई एवं ईमानदारी, जीवन में सादगी, भारतीयता, मद्य एवं धूम्रपान निषेध ये सभी संकीर्णतावादी, प्रतिक्रियावादी, रूढ़िवादी बातें बन गयी। नवसम्भ्रान्तों के लिए धूर्तता, अवसरवादिता, ठाठ-बाट, मद्य एवं धूम्रपान प्रगति के पर्यायवाची बन गये। ऐसे में देश-भक्ति से पूर्ण हिन्दी पत्रकारिता ने भी पलटा खाया। कुछ पत्र यद्यपि काल कवलित हो गए थे और कुछ पत्रों के मालिकों ने उन्हें अपने कब्जे में कर लिया और पत्रकारिता को भी एक नया आर्थिक मोड़ दिया। अब पत्रकारिता मिशन नहीं व्यवसाय बन गया। सेठ पत्रों के मालिक बन गये, सम्पादक व उसके सहयोगी मजदूरों की श्रेणी में आ गये। राज-

1. गणेशशंकर विद्यार्थी का मत—डॉ. कृष्णबिहारी मिश्र की पुस्तक : हिन्दी पत्रकारिता : में उद्धृत पृ. 413.

नैतिक स्वाधीनता मिलते ही हमारा जोश ठण्डा पड़ा गया और हमारे सामने गति-रोध आ गया। हमारा आदर्श बदल गया और राष्ट्र की ओर से उदासीन होकर हम निजी-अस्तित्व रक्षा की चिन्ता में डूब गए। दीर्घ पराधीनता से उबरने के बाद राष्ट्र निर्माण की जिस आकुल-आकांक्षा और कर्मठता की अपेक्षा थी वह दिखाई न पड़ी और हम इस तरह आश्वस्त हो गए जैसे हमारा दायित्व शेष न रहा हो। स्वातंत्र्योत्तर साम्प्रदायिक परिवेश ने भी भारतीय पत्रकारिता को प्रभावित किया और पत्रकारिता के पुराने आदर्श टूटकर बिखर गए। व्यावसायिक प्रलोभनों की मार ने भी पत्रकारिता के आदर्श को कमजोर किया।

देश में स्वतन्त्रता के बाद पत्र-पत्रिकाओं की बाढ़ सी आ गयी है। लाख दो लाख की आबादी वाले शहरों से कई-कई दैनिक-पत्र व पत्रिकाएँ निकल रही हैं। परन्तु स्वतन्त्रता के बाद ये पत्र व पत्रिकाएँ शासन पर अधिक निर्भर होती जा रही हैं क्योंकि अधिकांश का अस्तित्व शासकीय विज्ञापनों पर निर्भर है जबकि आजादी से पहले समाचार-पत्र मालिकों और कर्मचारियों, विशेष रूप से पत्रकारों के बीच विवाद के मौके प्रायः नहीं आए। इसके मुख्य रूप से दो कारण थे। पहली बात तो यह थी कि उस समय, समाचार-पत्र उद्योग का आकार बहुत छोटा था और दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि उस समय समाचार-पत्रों का मूल उद्देश्य किसी भी तरह से अंग्रेजों को निकाल कर देश को आजाद कराना था। अतः पत्रकारिता का कार्य सेवा-भाव से किया जाता था और उसमें व्यक्तिगत समस्याओं के उभरने का अधिक मौका नहीं आ पाता था। बड़े-बड़े व्यापारी और उद्योगपति चन्दे के रूप में समाचार-पत्रों की सहायता करते थे, पर आज स्थिति इसके विपरीत है। आज समाचार-पत्रों ने उद्योग का रूप ले लिया है। विभिन्न प्रकार के स्वामित्व इस उद्योग में भी नजर आने लगे हैं। सगठन व प्रबन्ध की समस्याएँ भी नये रूप से सामने आई हैं। पत्रों को औद्योगिक समस्याओं और परिवर्तनों का भी सामना करना पड़ रहा है। स्वतन्त्रता के बाद जिस तरह काव्य, कला और संगीत आदि व्यवसाय बन चले, उसी प्रकार पत्रकारिता भी। आज भारत में पत्रकारिता व्यवसाय है। स्वतन्त्र पत्रकारिता और सत्ता के बीच का संघर्ष अब शासन और पूँजीपतियों के बीच का संघर्ष बन गया है। निष्पक्ष पत्रकारिता की मांग आज पूर्वापेक्षा कहीं अधिक है। जो पत्र या पत्रिका आदर्शों-मुख होकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं उन्हें कई तरह के संकट का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार समाचार पत्रों का जो जन-देश सेवा का उद्देश्य था वह क्षीण होता गया और पत्रकारिता में औद्योगिक और व्यापारिक प्रवृत्तियाँ स्थानापन्न होती गईं।

स्वातंत्र्योत्तर वर्षों में समाचार-पत्रों का स्वरूप काफी बदल गया है। आज इसका मूल ध्येय राष्ट्रीयता के पुनःनिर्माण सम्बन्धी तत्त्वों की ओर है। विशेष रूप से ये प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं—देश का आर्थिक विकास, समाज का आधुनिकीकरण

और प्राचीन तकनीकों को आधुनिक तकनीकों में बदलना ।[1] आज पत्रों ने देश के सुनियोजित आर्थिक विकास की जरूरतों और उसकी समस्याओं पर ध्यान देना शुरू किया है। साथ ही सामाजिक परिवर्तनों को सामने लाते हुए अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को भी उभारने लगे हैं।

आज पत्रकारिता में सबसे बाधक तत्त्व इन पत्रों के सम्पादकों को वेतनभोगी नौकर के रूप में रखना है। अतः पत्रकार चाहते हुए भी अपनी स्वतन्त्रता का उपयोग नहीं कर सकते तथा सत्य का पक्ष लेकर अनौचित्य का विरोध करना उनके लिए कठिन है। बदलते समय के साथ हिन्दी पत्रकारिता में चाटुकारिता भी बढ़ी है जबकि आजादी से पूर्व नितान्त प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हिन्दी पत्रकार अपनी अस्मिता और तेजस्विता को कायम रखने में पूर्ण सफल थे। निर्भीकता, स्वाभिमान और अपने प्रति उद्देश्यों के विरुद्ध उन्होंने कभी भी कोई समझौता नहीं किया और न ही मालिकों की व्यावसायिक प्रवृत्ति के आगे नतमस्तक हुए। पहले पत्रकारिता देश-सेवा की भावना से ओतप्रोत थी साथ ही उसका सीधा सम्बन्ध समाज से भी था। इनकी पहुँच जन-साधारण तक थी। पत्रकारिता को राष्ट्रीय समाज का अंग समझा जाता था। समाचारों से अधिक सम्पादकीय टिप्पणी पर जोर रहता था। जन-साधारण के लिए सम्पादक उनका नेता हुआ करता था। वह जन-साधारण के जीवन से घुला-मिला था। वह देश सेवा के आदर्शों से प्रेरित था। परन्तु वेतन-भोगी होने के कारण आज के सम्पादक को आदर्श की चिन्ता के बजाय उन्हें अपने ही स्वार्थ की चिन्ता है, वे व्यवसाय-बुद्धि से चालित हैं।

स्वाधीनता के बाद लिजलिजेपन से भरी जिस पीली-पत्रकारिता ने जन्म लिया है, वह देश के युवा वर्ग, बौद्धिक वर्ग में व्याप्त असन्तोष का कारण बनी। वह सेठाश्रयी पत्रों की मानसिकता और व्यावसायिकता के खिलाफ नये क्रान्तिकारी विचारों का मंच नहीं बन पाई है। इन्हीं नये मंच की आवश्यकता अनुभव किये जाने के फलस्वरूप छोटी-छोटी पत्रिकाओं का प्रादुर्भाव हुआ और छोटी पत्रिकाओं के प्रकाशन से बड़े-बड़े लेखक भी बड़ी पत्रिकाओं में लिखने के बजाय छोटी पत्रिकाओं में लिखने लगे। इस प्रकार इन छोटी पत्रिकाओं ने समग्र देश के युवचेता बुद्धिजीवियों को अपनी ओर आकृष्ट किया। साथ ही इसने साहित्य में "आम आदमी" को प्रतिष्ठित करने की दिशा में पहल की तथा स्वस्थ, स्वतन्त्र, मौलिक और प्रखर चिन्तन की नींव डाली। किन्तु कुछ अधकचरे, महत्त्वाकांक्षी, दृष्टिहीन पत्रकारों व सम्पादकों ने छोटी पत्रिकाओं के स्वरूप को भ्रष्ट भी किया है।

इतना होते हुए भी आज पत्रकारिता प्रगति की ओर अग्रसर है। आज समाचार-पत्रों के बीच तीव्र प्रतियोगिता है। चाहे पत्रकारिता पहले जैसी ठोस न हो,

1 डॉ. सुकमाल जैन . भारतीय समाचार-पत्रों का संगठन और प्रबन्ध, पृ. 27.

पर व्यापक अवश्य हुई है। इसका समस्त श्रेय श्रमजीवी पत्रकारों को ही है। अभाव के कारण इनमें समन्वय या मता-भाव नहीं है। फिर भी प्रगति आशाजनक है। आज पत्रों के विविध स्वरूप के कारण वह केवल समसामयिक सन्दर्भों से ही जुड़ी हुई नहीं रही वरन् विश्व की कोई भी घटना इनसे छूटी हुई नहीं है। आज की पत्रकारिता राजनैतिक, सामाजिक, सास्कृतिक, कृषि, बाल, महिला, विज्ञान, खेलकूद साहित्यिक आदि विभिन्न रूपों में सक्रिय दिखाई देती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी पत्रकारिता पूर्वापेक्षा अधिक वैविध्यमयी अधिक विस्तृत और अधिक समाज, सस्कृति और जीवन-सापेक्ष हो गई। सही अर्थों में वह जीवन की निर्मात्री और विश्लेषिका बन गई है। यद्यपि यह सत्य है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में इस बीसवीं सदी के आठवें दशक मे कुछ खामियाँ और पक्षधरता की द्योतक प्रवृत्तियाँ पनप रही हैं किन्तु इतने पर भी इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि पत्रकारिता अपने विशाल और व्यापक कलेवर में जीवन के स्थूल और सूक्ष्म सभी सन्दर्भों को समेटे हुए है। इस व्यापक वैविध्य ने पत्रों का सहज वर्गीकरण किया है।

वर्गीकरण के तात्पर्य सम्बन्धित विषय के उस विभाजन से है जो उसके स्वरूप के नीरक्षीर विश्लेषण करने में सहायक हो सके। यद्यपि वर्गीकरण का कोई एक प्रतिमान या निष्कर्ष अपने-आप में पूर्ण और अन्तिम नहीं हो सकता है किन्तु इससे यह सुविधा अवश्य मिल जाती है कि विषय को भली प्रकार से समझा जा सके। स्वातन्त्र्योत्तर वर्षों में हिन्दी पत्रकारिता का वैविध्यपरक विकास और विविध पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन इस बात का द्योतक है कि वह लकीर की फकीर नहीं है। उसके अनेक रंग हैं और अनेक रूप हैं। ऐसी स्थिति में पत्रकारिता के वैविध्यमय स्वरूप को वर्गीकृत करना भी आवश्यक प्रतीत होता है। यह वर्गीकरण सुविधापरक होना चाहिए न कि अन्तिम सत्यपरक। वर्गीकरण के अनेक आधार हो सकते हैं, किन्तु यहाँ पत्रकारिता को विषय के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। विषयपरक वर्गीकरण से अभिप्राय उस पत्रकारिता से है जो इस क्षेत्र में आये वैविध्यपरक पत्रों से सम्बन्ध रखती है।

वर्गीकरण : विषय के आधार पर

समाचार एवं सामयिक सन्दर्भ—समाचार-पत्रों का तो मूल उद्देश्य ही समाचार तथा तात्कालिक घटनाओं से पाठकों को परिचित कराना होता है। सभी दैनिक इस उद्देश्य से प्रकाशित होते ही हैं, अधिकांश साप्ताहिक पत्रों की विषय-वस्तु भी समाचार तथा तात्कालिक घटनाएँ होती हैं।

यह पत्रकारिता समाज की अन्तःकरण भी होती है और उसकी दैनिक घटनाओं का इतिहास भी। जब समाज में कोई हलचल होती है, कोई नई सूचना आती है, कोई ताजी घटना घटती है, तो पत्रकारिता उन सबसे अवगत कराती हुई

उसे पूरे विश्व से जोड़ देती है। सुबह होते ही व्यस्त मानव को विश्व भर से जोड़ देना ही इन पत्रों की विशेषता है। समाचार व सामयिक सन्दर्भों से सम्बन्धित निम्न मुख्य पत्र व पत्रिकाएँ हैं—

आन्ध्र प्रदेश से "दैनिक हिन्दी मिलाप"
आसाम से 'अकेला' (असम, 1947)
बिहार से 'प्रदीप' (पटना, 1947)
'आवाज' (धनबाद, 1947)
'बिहार मेल' (मुजफ्फरपुर, 1969)
'जाएतंत्र' (पटना, 1975)
'हमारा सदेश' (चम्पारन, 1968)
'मनु दा' (पटना, 1971)
'नवबिहार' (1969 पटना)
'बसन्त बिहार' (1978, पटना)
गुजरात से 'पन्द्रह अगस्त' (1963, अहमदाबाद)
हरियाणा से 'करनाल टाइम्स' (1958, करनाल)
'अशोक महान्' (1971, गुड़गांव)
हिमाचल प्रदेश से 'हिम केसरी' (1960, शिमला)
'हिम प्रताप' (1971, शिमला)
मध्यप्रदेश से 'दैनिक मध्यप्रदेश' (जागरण–1950 इन्दौर) (1966, भोपाल लश्कर)
'देश बन्धु' (1969, जबलपुर 1959, रायपुर)
'इन्दौर समाचार' (1946 इन्दौर)
'लोक भाषा' (1970, कटनी)
'नई दुनिया' (1947, इन्दौर)
'नवभारत' (1950, जबलपुर)
'स्वदेश' (1966, इन्दौर)
'युगधर्म' (1956, जबलपुर)
'साप्ताहिक सूनमिक' (1958, भोपाल)
महाराष्ट्र से 'नवभारत टाइम्स' (1950, बम्बई)
'क्षितिज' (1962, बम्बई)
'धर्मयुग' (1950, बम्बई)
पंजाब से 'हिन्दी मिलाप' (1929, जालन्धर)
'पंजाब केसरी' (1965, जालन्धर)
'वीर प्रताप' (1955, जालन्धर)

राजस्थान से 'राजस्थान पत्रिका' जयपुर, जोधपुर, उदयपुर।
'राष्ट्रदूत' (1951 जयपुर, कोटा, बीकानेर)
'दैनिक नवज्योति' (1936, अजमेर, जयपुर, कोटा) 'यगलीडर' (1964 जयपुर)
'अणिमा' (1972, जयपुर)
'जननायक' (1973, कोटा)
'उदयपुर एक्सप्रेस' (1972, उदयपुर)
नगानगर पत्रिका 'जलते दीप' (1966, जोधपुर)
उत्तरप्रदेश से 'आज' (1920, वाराणसी)
'अमर उजाला' (1948, आगरा, बरेली)
'भारत' (1928, इलाहाबाद)
'गदिवा'
'दैनिक गाथा' (1970, कानपुर)
'जागरण' (1947, कानपुर)
'सैनिक' (1925, आगरा)
'नवजीवन' (1947, लखनऊ)
'स्वतन्त्र भास्कर' (1928, झांसी)
'सन्मार्ग' (1946, वाराणसी)
'भारत' (1947, लखनऊ)
'वीर भारत' (1925, कानपुर)
'विश्वामित्र (1948, कानपुर)
वेस्ट बंगाल से 'छपते-छपते' (1972, कलकत्ता)
'सन्मार्ग' (1948, कलकत्ता)
'विश्वामित्र' (1971, कलकत्ता)
दिल्ली से 'हिन्दुस्तान' (1936, दिल्ली)
'नवभारत टाइम्स' (1950, दिल्ली)
'वीर अर्जुन' (1954, दिल्ली)
'दिशा भारती' (1972, दिल्ली) ('साक्षी' 1964, दिल्ली)
'दिनमान' (1965, दिल्ली)
चण्डीगढ 'दैनिक ट्रिब्यून' (1978, चण्डीगढ़)

धर्म एवं दर्शन

साहित्य और संस्कृति से जुड़ा हुआ एक पहलू भारतीय धर्म और दर्शन का है। भारत हमेशा से ही धर्मप्राण ऋषि-मुनियों का देश रहा है। यहां विभिन्न धर्मों व सम्प्रदायों को मानने वाले मतावलम्बी हैं जो अपने धर्मों के प्रचार-प्रसार में रुचि

रखते हैं। पत्रकारिता भी इस दिशा में अपवाद नहीं हो सकती। विभिन्न धर्मों से सम्बन्धित अनेक पत्र व पत्रिकाएँ तो निकलती ही हैं, साथ में सभी पत्र व पत्रिकाओं में धर्म व दर्शन से सम्बन्धित सामग्री निहित रहती है, परन्तु इन पत्रिकाओं का उद्देश्य अधिकांशतः व्यापारिक नहीं होता वरन् अपने धर्म और दर्शन का प्रचार करना होता है। हिन्दी के प्रथम पत्र 'उदन्त मार्तण्ड' से ही धर्म सम्बन्धी लेख प्रकाशित होने लगे और आज तक हो रहे हैं। धर्म सम्बन्धी पत्र-पत्रिकाओं में 'विधवा विवाह' पर सारगर्भित लेख 'मूर्ति-पूजा', 'छुआछूत', 'श्राद्ध', अवतारवाद', आदि का विरोध मठाधीशों, साधुओं, पोंगितों तथा धर्म का जामा पहन कर जाति व धर्म को कलंकित करने वालों के विरुद्ध सामग्री भी निहित रहती है। इन पत्रों में रामायण, गीता, महाभारत, पुराण, वेद और उपनिषद् कुरान, बाइबिल आदि की प्रेरक कथाएँ तो होती ही हैं साथ ही ईश्वर-भक्ति, भगवन्नाम सकीर्तन का प्रचार, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म व सदाचार की शिक्षा देने वाले रोचक प्रसंग भी होते हैं।

स्वतन्त्रता से पूर्व धर्म सम्बन्धी कई पत्रिकाएँ निकलती थीं, जिनमें काशी से 'धर्म प्रचारक', 'गौ-सेवक', 'सनातन धर्म', 'गोरक्षण', बम्बई से 'वेंकटेश्वर समाचार', दिल्ली से 'गोपाल' आदि प्रमुख हैं।

काशी से अगस्त, 1926 को श्रावण कृष्ण एकादशी को 'कल्याण' मासिक निकला। यह सब में अनूठा था तथा पूर्णतया शुद्ध आध्यात्मिक रंग में रंगा हुआ था और यह आज तक हिन्दू धर्म व दर्शन से सम्बन्धित सामग्री दे रहा है। उसके विशेषांक इतने प्रसिद्ध हुए हैं कि उन्हें कई बार पुनर्मुद्रित करना पड़ा है।

यद्यपि आजकल लोगों की दिनोदिन धर्म के प्रति उदासीनता बढ़ रही है, पिछली पीढ़ी को छोड़कर नयी पीढ़ी धर्म-कर्म का सम्बन्ध पाखण्ड और रूढ़ियों से जोड़कर उसके प्रति उपेक्षा दर्शाती है। आजकल व्यस्ततापूर्ण जीवन में जबकि मनुष्य को अपने काम से ही फुरसत नहीं है तो वह धार्मिक क्रियाकलापों के लिए कहाँ से समय निकाल सकता है, फिर भी इसके बावजूद धर्म से सम्बन्धित मुख्य पत्र-व पत्रिकाएँ निकल रही हैं और विशेषतः पुरानी पीढ़ी के लोगों को अधिक रुचिकर लगती है। धार्मिक पत्र-पत्रिकाओं में निम्न पत्रिकाएँ प्रमुख हैं—

बिहार से—'सतवाणी' (1955 परगना)
'सुधवीर' (1957 पटना)
'निशकलका' (1921 राँची)

हरियाणा से—
'गीता-ज्योति' (1970 कुरुक्षेत्र)
'गीता उपदेश' (1962 अम्बाला)

मध्यप्रदेश से—
'आनन्द संदेश' (1953 गुना)
'धर्म सूर्य' (1972 भोपाल)
महाराष्ट्र से—'मानक'
राजस्थान से—
'आर्यमार्तण्ड' (1960 जयपुर)
'जनकामी'
तमिलनाडु से—'भक्तमर'
उत्तर प्रदेश—
'अखण्ड-ज्योति' (1940 मथुरा)
'कल्याण' (1926 गोरखपुर)
रामायण वेदान्त सन्देश' (1970 कानपुर)
'सुधा-निधि'
'ज्ञान शक्ति'
दिल्ली से—
'भाई समाचार-पत्र'
'ज्ञान अमृत'
'सम्मति सन्देश'
पाण्डिचेरी से—'पुरोधा' (1966)

इसके अतिरिक्त 'अणुव्रत', 'आध्यात्म', 'आर्य मित्र', 'चिन्मय', 'धर्मदूत', 'भगवत दर्शन', 'भागवत पत्रिका', 'श्रीकृष्ण सन्देश', 'श्री सर्वेश्वर' आदि पत्रिकाएँ निकल रही हैं।

साहित्यिक एवं सांस्कृतिक

भारत में साहित्य सृजन की प्रकृति आदि कवि वाल्मिकि से मानी जाती है, पर अतीत में मुद्रण प्रथा न होने से यह साहित्य केवल एक कण्ठ से दूसरे कण्ठ होता हुआ आम आदमी तक पहुँचता था या ताम्रपत्र, भोजपत्र और हस्तलिखित ग्रन्थों के रूप में सामने आता था। मानव-ज्ञान की जिज्ञासा की पूर्ति में छापाखाने व मुद्रणकला की व्यापक भूमिका रही। मुद्रित पुस्तकों ने साक्षरता में बड़ा योगदान दिया और सर्व-साधारण को लाखों की संख्या में पुस्तकें व पत्र-पत्रिकायें उपलब्ध कराईं। समाचार-पत्र साहित्यिक पिपासा शान्त करने में पूर्ण समर्थ नहीं हो सके, उनका क्षेत्र दैनिक घटनाओं तक सीमित रहा। इसी कारण शनैः-शनैः साहित्यिक पत्रिकाओं ने जन्म लिया। मानावतजी का कथन है कि—"साहित्यिक पत्र-पत्रिकाएँ राजनीति के क्षुब्ध वातावरण से ऊपर उठाकर पाठकों को सांस्कृतिक-स्तर पर रस-विभोर कर देती हैं। दोनों का (समाचार-पत्र और साहित्यिक पत्र) अपना-अपना

मूल्य है। एक बाजार-भाव है तो दूसरा सामान्य मूल्य। एक समुद्र की लहर की तरह ऊपर उठती है तो दूसरी अन्तर तक पैठ कर मानस को शान्त और तृप्त करती है।"[1]

वर्तमान में साहित्य ने नये आयाम व मानदण्ड अपना लिये है। आज का साहित्य केवल कहानी और उपन्यास तक ही सीमित नही रहा, वह नई-नई विधाओं मे ढलकर सामने आया है।

आज का व्यस्त मानव बहुत ही सीमित समय मे बहुज्ञान उपलब्ध करना चाहता है और यह ज्ञान उसे सीमित समय मे पत्र-पत्रिकाएँ ही दे सकती है। अत. एक साहित्य-रसिक व्यक्ति की जिज्ञासा को शान्त करने के लिए साहित्यिक पत्रिकाएँ बडी उपयोगी सिद्ध हुई हैं। कला सामाजिक जीवन को सुलक्षण सवादो में मुक्तकर उसे नित्य नवीन और सम्पूर्ण बनाए रखती हैं। जीवन के सग्राम मे यदि मनुष्य निरुत्साहित होता है तो कला और साहित्य ही उसे उत्साहित करते है और व्यक्ति को पूर्णता प्रदान करते हैं। मनुष्यो की बोलचाल, खानपान, आचार-व्यवहार आदि सब सस्कृति के अग हैं। शादीगमी, उत्सव-समारोह, विभिन्न क्लबो, सास्कृतिक सस्थान, कलामण्डल, धार्मिक, आयोजन सभा-जुलूस, बैठक अभियान, प्रदर्शनियाँ, सत्सग आदि सभी हमारे जीवन के विभिन्न अग है और इन सबका पूर्ण विवरण भी इन पत्र व पत्रिकाओ मे होता है। साहित्यिक समीक्षा, पुस्तक समीक्षा आदि सबका इसमे उल्लेख होता है। समाचार-पत्रो के बाद सबसे ज्यादा सख्या इस विषय की पत्रिकाओं की है। इसमे साप्ताहिक व मासिक ज्यादा है। मुख्य पत्र व पत्रिकाएँ निम्न हैं—

आन्ध्रप्रदेश से—'साकल्य' (1974, हैदराबाद), 'आधे' (1969, सिकन्दराबाद), 'मधुवन्ती' (1964, हैदराबाद), बिहार से—'विपल्व' (1971, पटना), 'परिकल्पना' (मोतीहारी, 1969), 'ज्योत्सना' (1947, पटना), 'नारी जगत' (1965, पटना). 'नर-नारी' (1969, पटना), 'समीक्षा' (1967, पटना), हरियाणा से —'सर्वहितकारी' (1973, रोहतक), 'ज्ञानोदय' (1976, हिसार), हिमाचल प्रदेश से—'हिमाचल सौन्दर्य' (1968, शिमला), केरल—'केरल ज्योति' (1966, त्रिवेन्द्रम), मध्यप्रदेश से—'सप्तवर्णा' (1967, भोपाल), 'उषा' (1951, इन्दौर), मध्यप्रदेश से—'अमर चित्र कथा' (1970, बम्बई), राजस्थान से—'लहर' (1957, अजमेर), 'मनदर्शी' (1972, फालना), तमिलनाडु से—'हिन्दी प्रचार समाचार' (1939, मद्रास), उत्तर प्रदेश से—'मनोरमा' (1924, इलाहाबाद,) 'अरुण', 'हसादेश', 'मनोहर कहानियाँ (1940, इलाहाबाद), 'माया' (1929, इलाहाबाद), 'नीहारिका' (1962, आगरा), 'नूतन कहानियाँ' (1976,

---

1 हिन्दी साहित्य : पिछला दशक (स. विश्वनाथ) मे नरेन्द्र चानावत का लेख 'दशक की पत्र-पत्रिकाएँ' पृ. 170.

इलाहाबाद), 'साथी' (1960, मुरादाबाद), 'सत्यकथा' (1974, इलाहाबाद), वेस्ट बंगाल से—'परम्परा' (1961, कलकत्ता), 'रूप-लेखा', अण्डमान निकोबार और द्वीपसमूह 'द्वीप प्रभा' (1973), दिल्ली से—'दीवाना तेज साप्ताहिक' (1965 दिल्ली), 'साप्ताहिक हिन्दुस्तान' (1950, दिल्ली), 'मुक्ता' (1960), 'वामा' 'गृहशोभा', 'माधुरी', 'सुषमा' (1959), 'मधु मुस्कान', 'आजकल' (1965, दिल्ली), पाण्डीचेरी से—'अग्नि-सिखा' (1970)। इनके अतिरिक्त 'साहित्य संदेश' 'आलोचना' 'गवेषणा', 'वैचारिकी' 'शोध पत्रिका', 'शोध भारती', 'पुराकल्प' (वाराणसी), 'लोक संस्कृति' (जोधपुर), 'कला सुमन' (दिल्ली), 'संस्कृति' (दिल्ली) आदि।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा

"जान है तो जहान है" यह कहावत पूर्णतया सत्य है। चाहे मनुष्य पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़े अगर वह निरोग है तो वह मुसीबतों को हँसते-हँसते झेल जाता है। एक जमाना वह था जब मनुष्य का कोई अंग जख्मी होता था या किसी अंग पर फोड़ा या फुंसी होती थी वह अंग ही शरीर से अलग कर दिया जाता था। पर आज मनुष्य ने औषधि व स्वास्थ्य विज्ञान में पर्याप्त उन्नति कर ली है, आज उसने चिकित्सा के क्षेत्र में नये-नये आविष्कार करके दुनियाँ को चकित कर दिया है आज आपका कोई अंग बेकार हो जाता है तो वह अंग आपका दुबारा या कृत्रिम लगाया जा सकता है।

ऐसे समय में किस देश में कौन-कौन से रोगों की क्या-क्या दवा निकली? तथा उस पर क्या प्रयोग हुए व कितनी सफलता मिली आदि अनगिनत प्रश्न हैं जिनका हमारे स्वास्थ्य से सीधा सम्बन्ध है। आज स्वास्थ्य व औषधि सम्बन्धी अनेक पत्रिकाएँ प्रकाशित होती हैं। होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी आदि सभी विषयों पर पत्र-पत्रिकाएँ हैं जिनसे रोगों के विषय में नए-नए अनुसंधानों का पता चलता है। विश्व में कोई भी आश्चर्यजनक घटना घटित होती है तो ये पत्र-पत्रिकाएँ उसे बड़े ही जोर-शोर से छापकर लोगों की जिज्ञासा के उत्तर देती हैं। जैसे—चिकित्सा के क्षेत्र में 25 जुलाई, 1978 को ब्रिटेन में डॉ रार्बट एडवर्ड व उसके सहयोगी पैट्रीक स्टेप्टो ने एक अद्भुत चमत्कार किया, वह था 'टेस्ट ट्यूब बेबी' का विश्व में आना। इस आश्चर्यजनक घटना ने पूरे विश्व में तहलका मचा दिया और अनेकों प्रश्न खड़े कर दिए। *अनुवंशिकी के क्षेत्र में गुर्दे व हृदय के प्रत्यारोपण के* बारे में दैनिक पत्रों में समाचार छपे, परन्तु इस पर विशद व्याख्यात्मक लेख चिकित्सा-विज्ञान की पत्रिकाओं में छपे।

इस प्रकार आजकल कैंसर, मधुमेह आदि अनेक असाध्य रोगों पर अनु-

संधान हो रहे हैं। इन सबकी जानकारी चिकित्सा सम्बन्धी पत्रिकाओं में हमें पूर्ण रूप से मिलती है। इस चिकित्सा-विज्ञान से सम्बन्धित मुख्य पत्रिकाएँ निम्न हैं—

बिहार से—'डॉक्टर भाई' (1935 दीनापुर छावनी), होम्योवाणी' (1970 पटना), हरियाणा से—'आयुर्वेद विकास', मध्यप्रदेश से—'स्वास्थ्य और जीवन', महाराष्ट्र से—स्वास्थ्य और जीवन' (1950 पूना), पंजाब से—जीवन रक्षा' (1974 बटाला), उत्तर प्रदेश से—'होम्योपैथी जगत' (1973 हरिद्वार), 'आरोग्य' (1957 गोरखपुर), 'आयुर्वेद सन्देश' (1967 लखनऊ), दिल्ली से—'चिकित्सक', 'आरोग्य-संदेश' (1965 दिल्ली), 'औषध संसार' (1978), राजस्थान से—'शुचि' (1969 बीकानेर), 'आपका स्वास्थ्य' (वाराणसी), 'प्राकृतिक जीवन' (लखनऊ), 'धन्वतरी' (अलीगढ), 'चिकित्सक' (दिल्ली)।

विज्ञान पत्रकारिता

आज का युग विज्ञान का युग है। आज मानव चाँद पर पहुँच चुका है। विज्ञान पत्रकारिता एक ऐसी कड़ी है जो जन-जन को आकर्षित करती हुई मानव को विज्ञान से जोड़ देती है। आज विज्ञान विषयक पत्रकारिता का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक हो गया है—टेक्नोलोजी, मानव द्वारा चन्द्रमा पर अवतरण, मानव-रहित अन्तरिक्षयानों की सफलता, ऊर्जा के साधन, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, मकान, वातावरण की रक्षा, कृषि, ऊर्जा आदि सभी विषय विज्ञान से सम्बन्धित हैं।

विश्व-भर की पत्र-पत्रिकाओं में विज्ञान लेखन वर्षों से हो रहा है, परन्तु यह अपने सुगठित रूप में अब सामने आया है। देश विदेश में वैज्ञानिकों की गोष्ठियाँ सम्मेलन और अन्य उपलब्धियों आदि विषयों पर चर्चा होती रहती हैं। इन सबका लेखा-जोखा मानव तक विज्ञान पत्रकारिता ही पहुँचाती है।

भारतेन्दु काल में ही हमें विज्ञान-विषयक लेख मिलते हैं पर अब विज्ञान से सम्बन्धित पत्र-पत्रिकाएँ भी निकलने लगी हैं जैसे—'वैज्ञानिक बालक', 'विज्ञान मासिक', 'विज्ञान लोक', 'विज्ञान प्रगति', 'लोक-विज्ञान', 'आविष्कार', 'विज्ञान डाइजेस्ट', आदि। इन सबके अतिरिक्त दैनिक 'नवभारत टाइम्स' ने सबसे पहले 'विज्ञान और जीवन' नामक स्थायी स्तम्भ शुरू किया जो आज तक चला आ रहा है तथा 'साप्ताहिक धर्मयुग', 'हिन्दुस्तान', मासिक 'नवनीत' आदि पत्रों ने भी विज्ञान विषयक पत्रकारिता को विकसित करने में काफी सहयोग दिया है। परन्तु आज यह बड़े खेद का विषय है कि जितनी उन्नति विज्ञान की हुई है उतनी विज्ञान विषयक पत्रकारिता नहीं पनपी है। इन सबका कारण यही है कि वैज्ञानिकों के पठन व सोचने का माध्यम अंग्रेजी भाषा है।

आज हमारे दैनिक जीवन में बिजली, रेडियो, मशीनी उपकरणों, औद्योगिक संयन्त्रों का स्थान पहले की अपेक्षा अत्यन्त व्यापक हो गया है। यही कारण है कि

आज विज्ञान चर्चा उत्तरोत्तर अत्यन्त ही लोकप्रिय हो रही है। आज परमाणु विस्फोट केवल विनाश के लिए ही नहीं शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है, जैसे— भूमि में से तेल और खनिज-पदार्थ निकाले जाते हैं, बिजली पैदा करके कल-कारखाने चलाए जाते हैं और खेतों की सिंचाई की जाती है। इन सबकी जानकारी पत्रकारिता ही जन-जीवन को दे सकती है। स्वतन्त्रता के बाद इस क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है पर वह आज विज्ञान की उन्नति को देखते हुए बहुत कम है। विज्ञान से सम्बन्धित निम्न पत्र-पत्रिकाएँ निकल रही हैं—'वैज्ञानिक', मध्यप्रदेश से, महाराष्ट्र—1970 ''वैज्ञानिक' बम्बई, दिल्ली से—'*विज्ञान प्रगति*' *1952*, '*विज्ञान लोक*', *विज्ञान जगत*', 'लोक-विज्ञान', 'आविष्कार', 'विज्ञान डाइजेस्ट', 'बालस्पूतनिक' 1965 आदि 'विज्ञान वैचारिक', विज्ञानदूत', 'विज्ञान भारती' आदि।

खेल पत्रकारिता

एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण के लिए यह जरूरी है कि उसका हर नागरिक स्वस्थ हो। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग का सीधा सम्बन्ध होता है और खेल ही ऐसा माध्यम हैं जिसके द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन होता है। इस प्रकार खेलकूद हमारे जीवन का एक अनिवार्य अंग है। आज हमारे देश में ही नहीं देश-विदेश में काफी खेल खेले जाते हैं। खेलकूद का आनन्द लेना और खेल समारोहों का आयोजन करना मानव संस्कृति एवं सभ्यता का अभिन्न अंग रहा है। खेलों व खिलाड़ियों के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा खेल-प्रेमियों के मन में होती है उसी जिज्ञासा को ये पत्रिकाएँ पूरी करती हैं—आज खिलाडी लोग फिल्मी सितारों की तरह रोशन हो रहे हैं। जनता कमेंट्रियाँ सुनने व दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक आदि पत्र-पत्रिकाओं में खेल सम्बन्धी सामग्री को पढ़ने में गहरी रुचि ले रही है, विशेषकर नई पीढ़ी। यही कारण है कि आज एक पत्र-पत्रिका खेल सम्बन्धी सामग्री तो नित्य देते ही हैं वरन् वह इससे सम्बन्धित विशेषांक भी निकालने लगे हैं। खेलकूद सम्बन्धित कई पत्रिकाएँ भी निकलने लगी है। दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक तथा मासिक समाचार-पत्रों में खेल संवाददाता का विशेष महत्त्व है तथा उसे मात्र खेलों से सम्बन्धित सामग्री जुटाने व संजोने का कार्य करना होता है। समाचार-पत्रों में एक पूरे पृष्ठ पर खेल-जगत् के ही समाचार व लेख टिप्पणियाँ भरी रहती हैं। समाचार एजेंसियों तक में खेल संवाददाता नियुक्त होते है।

विदेशों और भारत की खेल पत्रकारिता में काफी अन्तर है। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे यहाँ खेल संवाददाता या खेल-कूद सम्पादक को प्रायः सभी प्रकार के खेल कवर करके उन पर लिखना पड़ता है जबकि विदेशों में स्थिति यह है कि हरेक खेल का विशेष संवाददाता रहता है। जैसे—ब्रायन ग्रेनविल और जान रैफ्टी फुटबाल पर, पैट्रिक राउली हाकी पर, जान रोज एथेलेटिक पर लिखते हैं। हमें यह जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि 'लन्दन टाइम्स' तथा 'न्यूयार्क

टाइम्स' जैसे सुप्रसिद्ध पत्रो के पाँच-पाँच खेल संवाददाता, केवल एथेलेटिक्स को कवर करने के लिए म्यूनिख मे सम्पन्न हुए ओलम्पिक खेलो मे पहुँचे थे। यही नहीं हमारे यहाँ खेल उद्घोषणों का भी यही हाल है कि उन्हे कई-कई खेलो की कमेन्टरी सुनानी होती है।

1951 में नयी दिल्ली मे हुए ऐशियाई खेलो की समीक्षा को कुछ समाचार-पत्रो ने विस्तार से स्थान दिया पर सही मानें मे 1960 मे इसकी विधिवत् शुरुआन हुई। अत 1960 मे ही खेल पत्रकारिता की शुरुआत मानी जाती है। आज शायद ही कोई ऐसा दैनिक, साप्ताहिक, मासिक होगा जो खेल-कूद से सम्बन्धित सामग्री न देता हो। नवभारत टाइम्स मे शुरू-शुरू मे एक-आध कालम पर खेल समाचार छप जाया करता था, पर बाद मे लोगो की रुचि देख कर पूरा एक पृष्ठ इसके लिए निर्धारित कर दिया गया। राजधानी से प्रकाशित होने वाले दैनिक 'हिन्दुस्तान' के अलावा उत्तर प्रदेश राज्य मे निकलने वाले 'आज,' 'स्वतन्त्र भारत,' 'दैनिक जागरण,' तथा राजस्थान से प्रकाशित होने वाले 'राष्ट्रदूत,' 'राजस्थान पत्रिका,' इन्दौर की 'नई दुनियाँ' तथा मध्य प्रदेश और अन्य राज्यो मे प्रकाशित होने वाले दैनिको मे इसे काफी स्थान मिलने लगा है। इसमे सर्वश्री सुशील जैन, आनन्द दीक्षित, शिवशंकर सिंह, केशव झा, अजमत हाशमी, सुरेश गावडे, अशोक कुमार, अजय मुखर्जी जैसे खेल लेखकों का नाम गिना जा सकता है। हिन्दी मे खेल पत्रिकाओ का अभाव सा है। दुःख की बात है कि खेल पत्रिकाओं की माग भी है, पाठक है और लेखक भी पर आज तक कोई भी उच्च स्तर की खेल पत्रिका हिन्दी मे नहीं है फिर भी हिन्दी मे प्रतिष्ठित साप्ताहिक 'धर्मयुग' 'साप्ताहिक हिन्दुस्तान' 'दिनमान' ने भी अनेको खेल विशेषाक निकाले। जैसे—ओलम्पिक विशेषाक, क्रिकेट विशेषाक, एशियाई खेल विशेषाक। साथ ही इनमें स्थायी खेल-स्तम्भ भी आते हैं। 'रविवार' (कलकत्ता), 'अवकाश' (वाराणसी) आदि पत्रिकाओ ने भी खेल-स्तम्भ शुरू कर रखे हैं। इनमे हरिमोहन शर्मा, प्रमोद शंकर भट्ट, योगराज थानी, देवेन्द्र भारद्वाज, अजय कुमार भूषण, नरहिन्दी, मनोहर श्याम जोशी, प्रशान्त कुमार, सुशील कुमार दोषी, नरोत्तम मित्र, अरविन्द चवकरे आदि लेखक सामने आए। आजकल तो बाल-पत्रिकाओ मे भी खेल-कूद से सम्बन्धी सामग्री छपने लगी है ताकि बच्चो मे शुरू से ही खेल के प्रति रुझान पैदा हो। फिर भी यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि नवें एशियाई खेलो के बाद थोडे से समय मे ही खेल पत्रकारिता ने काफी उन्नति की है। पंजाब-'खेल-खेल' (1976 जालन्धर)। 'क्रीडा जगत' (जयपुर से पाक्षिक), 'भारतीय कुश्ती,' 'क्रिकेट सम्राट' (1929 दिल्ली), 'खेल-खिलाड़ी' (1970 दिल्ली), 'खेल सम्राट' (1976) 'स्पोर्टस वर्ल्ड' (1976) 'क्रीड़ालोक' 1976, 'स्पोर्टस सिटी 1973, 'खेल भारती' काफी लोकप्रिय है।

उद्योग व्यवसाय पत्रकारिता

देश की उन्नति के साथ-साथ नित नए-नए उद्योग-धन्धों का श्रीगणेश हो रहा है। बाजार में माग और सप्लाई के अनुसार भावों में उतार-चढ़ाव होता रहता है। शासन का बजट जब आता है तो सामान्यत नागरिक को यह जानने की उत्सुकता होती है कि किन-किन चीजों में कमी हुई है ? किन-किन चीजों का दाम बढ़ा है ? उत्पादन शुल्क का उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा ? बाजार में अचानक साबुन-तेल आदि चीजें अक्सर क्यों गायब हो गई ? ऐसा क्यों हुआ ? अमुक विदेश से व्यापार शुरू हो रहा है, ऐसे मे कौनसी चीज सस्ती या तेज होगी ? इन सब प्रश्नों का समाधान पत्र-पत्रिकाओं में नियमित रूप से छपने वाले उद्योग व्यवसाय या व्यापारिक पृष्ठ से होता रहता है अत. यह पत्रकारिता काफी उपयोगी है। इस पत्रकारिता में विभिन्न प्रतिष्ठानों की उतरती-चढ़ती शेयर मार्केटिंग कीमतें, कम्पनी रिपोर्ट, भावी विस्तार की योजनाएँ, प्रतिदिवसीय बाजार भाव, मण्डी समीक्षायें व औद्योगिक गतिविधियाँ निहित है।

उद्योग व्यापार पत्रकारिता से देश के योजना-बद्ध आर्थिक विकास में अच्छी-खासी सहायता मिलती है। अर्थ-व्यवस्था से सैंकड़ों लोगों की रोजी-रोटी जुड़ी होती है। समाज का एक वर्ग विशेष अर्थात् वणिक-व्यापारी, साहूकार, बैंक, दुकानदार, शेयर होल्डरों या लेन-देन का काम करने वाले लोग मण्डी समाचारों के बिना एक दिन भी अपना काम नहीं चला सकते। उन्हें प्रतिदिन और हर समय मण्डियों की दरों और भावों के उतार-चढ़ाओं और माल की मांग और पूर्ति के बारे में पूरी और अद्यतन जानकारी की आवश्यकता होती है। उनकी लाखों-हजारों की हानि-लाभ इसी पर निर्भर करती है। वासुदेव झा ने कहा है कि—' सभी लोकतन्त्री देशों में जन-जीवन के राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक पक्षों पर प्रकाश डालने वाले पत्रों में वाणिज्य व्यवसाय विषयक समाचारों का महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। व्यापार पृष्ठों को देश की आर्थिक गतिविधियों का दर्पण कहा गया है''[1] यथार्थ में औद्योगिक विकास के बिना आज का राष्ट्र न तो अपने देशवासियों को जीवन के प्रचुर साधन प्राप्त करा सकता है और न ही ऐसा राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी भूमिका भली-भांति निभा सकता है। यह औद्योगिक विकास अब एक युग धर्म बन चुका है।

उद्योग-व्यवसाय विषयक पत्रकारिता में दैनन्दिन बाजार-भाव, उनकी निष्पक्ष समीक्षा, विभिन्न उद्योगों एवं व्यवसायों की गतिविधियाँ और दस, निहीत सम्भावनाएँ अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय उत्पादनों की जानकारी, उनका परिचय, देश-

---

1. वेद प्रताप वैदिक . पत्रकारिता विविध आयाम . पृ. 336

विदेश की बैंकिंग तथा अर्थ व्यवस्था व मुद्रा सम्बन्धी समस्याएँ, बाजार का दैनिक उतार-चढ़ाव कराधीन अधिनियम, वाणिज्य-व्यवसाय से सम्बन्धित लेख आदि सामग्री का प्रकाशन होता है। यही नहीं किसी विशेष औद्योगिक घराने अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठान से प्रकाशित होने वाले समाचार बुलेटिनों का प्रसारण आदि सभी इसी पत्रकारिता के अन्तर्गत आते है। सभी व्यापारी देश-विदेश की तमाम आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों का दैनिक विवरण प्राप्त करने मे समर्थ होता है और वह दैनिक उतार-चढ़ाव के बारे में नियमित जानकारी प्राप्त करके अपनी योजना बनाते है।

भारत मे उद्योग व्यवसाय पत्रकारिता पुरानी नहीं है। सबसे पहले इससे सम्बन्धित पत्रिका कलकत्ता से 1886 मे "कैपिटल" नाम की निकाली। पर इसके बाद 50 वर्षो तक इसका कोई अन्य विकास नहीं हुआ। बाद मे बम्बई से 1910 मे 'सम्प्रति,' 1928 मे कलकत्ता मे 'इण्डियन फाइनेंस,' 1943 मे दिल्ली मे 'साप्ताहिक इस्टर्न इकनामिस्ट' का आरम्भ हुआ। दैनिक पत्रो में सबसे पहले 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' ने उद्योग व्यवसाय को पृथक स्थान दिया।[1] स्वतन्त्रता के पश्चात् कई पत्र-पत्रिकाओं मे दैनिक बाजार भाव, बाजार रुख और आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण छपने लगा। हिन्दी पत्रो मे कलकत्ता का 'विश्वमित्र' पहला दैनिक पत्र है जिसने उद्योग वाणिज्य से सम्बन्धित समाचारो को नियमित रूप देना आरम्भ किया।

बिहार से-'उद्योग बन्धु' (1974 पटना), 'ग्राम श्री' (1959 पूर्वी पटना), महाराष्ट्र-'जागृति' (1956 बम्बई), 'खादी ग्रामोद्योग' (1954 बम्बई), 'उद्यम' (1945 नागपुर), उत्तर प्रदेश-'अलीगढ़ उद्योग समाचार' (1978), 'व्यापार सदेश,' 'उद्योग विकास,' पश्चिमी बंगाली से-'इन्डस्ट्रीयल गजट,' दिल्ली मे 'व्यापार उद्योग समाचार' (1974), 'स्टेशनरी टाइम्स' (दिल्ली), 'सुपर बाजार पत्रिका' (दिल्ली), 'आर्थिक चेतना' 'आर्थिक जगत,' 'उत्पादकता' 'योजना, सम्पदा' आदि उद्योग सम्बन्धी पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही है।

फिल्म पत्रकारिता

वर्तमान मे चलचित्रो से बढ़कर दूसरा जन-संचार का माध्यम नहीं है। आज आम लोगो का रुझान फिल्मो की तरफ काफी बढ़ गया है क्योंकि आज के व्यस्त व मँहगाई के जमाने मे फिल्म से बढ़कर सस्ता व सरलता से प्राप्त होने वाला मनोरंजन का साधन और कोई नही है। जैसे-जैसे लोगों का आकर्षण फिल्मो की तरफ बढ़ रहा है वैसे-वैसे फिल्मी पत्रकारिता का भी विकास होता जा रहा है। फिल्मी

---

1. वेद प्रताप वैदिक : पत्रकारिता : विविध आयाम - पृ 337.

पत्रकारिता से तात्पर्य उस पत्रकारिता से है जिसका कार्य फिल्म विषयक, आधुनिकतम जानकारी देना है। इन पत्रिकाओं में फिल्मों की समीक्षा, फिल्मी सितारों के नाम, फिल्मी पूर्वकथा, चित्रकथा, फिल्मी कार्टून तथा तकनीकी कार्यकर्त्ताओं का परिचय, फिल्मी दुनिया से सम्बन्धित लोगों की जीवन की अन्तरंग झाँकियाँ, रंगपट पर घटने वाली रोचक बातें निहीत रहती हैं।

"शुरू-शुरू में फिल्मों से सम्बन्धित सामग्री मासिक पत्रों में ही दिखाई देती थी। पर धीरे-धीरे इससे सम्बन्धित पृथक से साप्ताहिक, मासिक पत्र पत्रिकाएँ निकलने लगी। 1931 में जब बम्बई में आलम आरा में मूक कलाकारों ने बोलना चालू किया तो लोग चौंक उठे और लोगों पर फिल्मों का जादू चढ़ गया। कुछ जागरूक लोगों ने 1932 में 'रंगभूमि' का प्रकाशन करके फिल्मी पत्रकारिता की शुरूआत की। इस पत्रिका के प्रथम सम्पादक थी लेखराम थे तथा इनका मूल्य दो पैसे था। इसके आवरण पर किसी अभिनेत्री का रंगीन चित्र रहता था। भीतर फिल्मों से सम्बन्धित फिल्मों का विवरण समीक्षा, फिल्म बनाने वालों का परिचय, फिल्मों के गीत, कहानियाँ, कविताएँ, शेरो-शायरी हुआ करती थी। तब से निरन्तर इस क्षेत्र में उन्नति होती रही और काफी संख्या में पत्रिकाएँ निकली। यही नहीं, आज फिल्मों से सम्बन्धित प्रकाशन संस्थाएँ भी बन गयी है। जैसे दिल्ली में 1962 में फिल्म क्रिटिश एसोसिएशन, फिल्म एडीटर्स एसोसिएशन, 1973 में बम्बई में फिल्म जर्नलिस्ट्स सोसायटी का निर्माण हुआ। लेखराज, ऋषभचरण जैन, करूणा शंकर, परशुराम नौहियाल, धर्मपाल गुप्ता, सत्येन्द्र श्याम, आदि ने स्वाधीनता से पूर्व तथा अब तक फिल्मी पत्रकारिता को ऊँचा उठाने में सक्रिय सहयोग दिया है।

फिल्म निर्माण, वितरण, प्रदर्शन इन तीनों ने आज की फिल्मी पत्रकारिता को अपने में समेटा है। आज अनेक विद्वान, साहित्यकार और कलाकार फिल्मों की ओर आकर्षित हुए हैं। इतना सब होते हुए भी आज फिल्मी पत्रकारिता एक सम्मानित पत्रकारिता नहीं मानी जाती है परन्तु व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो इसका योगदान अन्य पत्रकारिता से कम नहीं बल्कि अधिक ही है। सांस्कृतिक रूप से इसे अग्रणी विद्या समझी जानी चाहिए, फिल्मी पत्रकार उस विद्या का टिप्पणीकार है, समालोचक है, परिचायक है जिसका समाज पर रेडियो, टेलीविजन और समाचार-पत्रों से भी अधिक प्रभाव पड़ता है। वह उन रचनाओं पर लिखता है जिन्हें प्रतिदिन एक करोड़ लोग सिनेमाघरों में देखते हैं वह उन लोगों को जनता से परिचित कराता है जो इस देश के सबसे बड़े पाँचवें उद्योग से सम्बन्ध रखते हैं। वह उस उद्योग का लेखा-जोखा देता है, जिसमें 200 करोड़ रुपये की पूँजी लगी हुई है लगभग सवा दो लाख लोग अपनी जीविका उपार्जन करते हैं।[1]

---

1. वेद प्रताप वैदिक : हिन्दी पत्रकारिता : विविध आयाम : पृ. 321.

दैनिक पत्रों ने आरम्भ में तो फिल्मों के प्रति उपेक्षा का वर्ताव किया पर शनै-शनै फिल्मी पत्रकारिता को महत्त्व मिलता गया। 'नवभारत टाइम्स' ने आरम्भ से ही फिल्मी पत्रकारिता को स्थान दिया। 'हिन्दुस्तान' ने प्रारम्भ में थोड़ी सामग्री दी पर बाद में उसने भी सप्ताह में एक बार एक पृष्ठ फिल्मी समाचारों पर देना शुरू किया। इस तरह धीरे-धीरे 'वीर प्रताप', 'पजाब केसरी', 'हिन्दी मिलाप', 'आज', 'नवजीवन', 'स्वतन्त्र भारत', 'नवभारत', 'जागरण', 'नई दुनिया' आदि ने फिल्मों से सम्बन्धित सामग्री का प्रकाशन शुरू किया। सरिता' एक मात्र ऐसी पत्रिका है जिसने शुरू से ही श्रेष्ठता के आधार पर फिल्मों के वर्गीकरण की परिपाटी प्रारम्भ की। धीरे-धीरे 'साप्ताहिक हिन्दुस्तान', 'धर्मयुग', साप्ताहिकों ने भी फिल्मी-जगत् पर गम्भीर सामग्री देनी शुरू की। हिन्दी पाठकों में फिल्मों के प्रति रूझान तो था ही, साथ ही फिल्मों ने भी राष्ट्र-निर्माण में अपनी भूमिका अदा करनी शुरू की। सरकार ने भी इसे प्रोत्साहन दिया। [कुछ अखबार तो सप्ताह में एक फिल्म संस्करण भी निकालते है। जैसे 'पजाब केसरी', 'हिन्दी-मिलाप', तथा 'वीर प्रताप' आदि। आज कई साप्ताहिक, पाक्षिक व मासिक प्रमुख फिल्मी पत्र-पत्रिकाएँ निकल रही है जैसे—महाराष्ट्र से—'उर्वशी' (1959 बम्बई), रजनी गधा' (1975 बम्बई), 'चित्रावली' (1959 बम्बई), 'चित्रा', 'माधुरी' (1964 बम्बई), 'रग नटराज' (1963 बम्बई), राजस्थान से—'सिनेपत्र' (1974 अजमेर), उत्तर प्रदेश में—'सिने समाचार', 'फिल्म ससार (1970 मेरठ), पश्चिमी बगाल में—'सिने एडवान्स' (1971 कलकत्ता), 'स्क्रीन' (1960 कलकत्ता), दिल्ली से—'छायाकार' (1976 दिल्ली), चित्रलेखा' (1948 दिल्ली), 'फिल्म रेखा' (1968), 'फिल्मी सजोग' (1976), 'मनोरजन', 'मेनका', 'नव चित्रपट' (1947), 'प्रिया' (1962), 'रगभूमि' (1941), 'युगछाया' (1977), 'सिने दर्पण' (1979 दिल्ली), 'मायापुरी' (1974 दिल्ली), 'फिल्मी दुनिया (1958), 'पालकी', 'फिल्मी कलियाँ' (1968), 'सिने एडवाइजर' (1974), 'फिल्मी ऐरा' (1979), 'फिल्में ही फिल्में' (1975), 'मूवी', 'प्रिया', 'सुचित्रा', 'राधिका' आदि।

बाल-पत्रकारिता

बच्चों का मन व मस्तिष्क बड़ा ही कोमल होता है। इस कच्ची उम्र में बच्चे जो कुछ सीखते है या ज्ञात करते है उनका प्रभाव स्थायी होता है। बचपन में सीखा गया पाठ मस्तिष्क मे इतना गहरा घुस कर बैठ जाता है कि जिन्दगी भर उसे याद रहता है। बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है उसके मस्तिष्क में सदैव क्या, क्यों, कैसे, कहाँ आदि प्रश्न रहते है। इस सब प्रश्नों का वह समाधान चाहता है। चाहे यह समाधान उसे किसी से प्राप्त हो, या वह देख-सुन कर समझ जाता हो। अगर बाल-सुलभ मन के प्रश्नों का समाधान न किया जाए तो उसका मानसिक

विकास अवरुद्ध हो जाएगा। यह ध्यान रखने योग्य बात है कि आज का बालक ही कल का सुयोग्य नागरिक है अत उसके मस्तिष्क को खाद देकर पुष्ट बनाने मे बाल पत्रकारिता का अपना विशेष महत्त्व है। बच्चों की साहित्य के प्रति प्रेम जगाने, उनकी रुचि को परिष्कृत करने तथा उनके सोचने के ढग को वैज्ञानिक रूप देने में बच्चों की पत्र-पत्रिकाएँ काफी योग देती हैं। आज विश्व ने बाल पत्रकारिता के क्षेत्र मे आशातीत सफलता प्राप्त की है।

भारतेन्दु युग मे "बाल दर्पण" से बाल पत्रकारिता प्रारम्भ होती है। भाषा व विषय की दृष्टि न सही पर आज भी इसका अपना ऐतिहासिक महत्त्व है। द्विवेदी युग मे 'मुन्नू-मुन्नू' पत्रिका का विशेष महत्त्व है। इसके बाद पटना से 'किशोर' तो अहिन्दी भाषी मद्रास प्रान्त से हिन्दी मे 'चन्दामामा', 'गुडिया' निकली। भारत मे सबसे पुरानी व उल्लेखनीय पत्रिका थी "शिशु"। यह करीब 35 वर्ष तक चली। इसका कवर तो तिरगे आकर्षण का केन्द्र होता ही था भीतरी पृष्ठो पर भी सदैव बच्चों के मन को भाने वाले लुभावने तथा सुन्दर-सुन्दर चित्र हुआ करते थे। साथ ही इसमे कविताएँ, कहानियाँ, चुटकले और कार्टून कथाएँ तथा विभिन्न ज्ञानवर्द्धक लख व ज्ञानवर्द्धक प्रतियोगिताएँ हुआ करती थी। इस पत्रिका के बाद काफी बच्चो की पत्रिकाएँ निकली। इन सब पत्रिकाओ की कथावस्तु भिन्न-भिन्न प्रकार की होती थी। साथ ही पत्रिकाओ मे रगीन साजसज्जा, रगीन रेखाचित्रो, कार्टूनो, पौराणिक कहानियाँ, दैनिक जीवन मे घटित होने वाली घटनाओ पर आधारित कहानियाँ, धारावाहिक कथाएँ, जातक कथाएँ, राजा, रानी और परी से सम्बन्धित कल्पित कहानियाँ, जानवरो की कहानियाँ होती हैं। इस सब पत्रिकाओ का यही उद्देश्य रहता था कि बच्चो का सहज ही मानसिक व बौद्धिक विकास हो। बच्चो की कोमल कल्पना विकसित हो तथा उनकी शक्ति को तेज करना ही इनका एकमात्र उद्देश्य था और है। अर्थात् ये पत्रिकाएँ ऐसी सामग्री बच्चो को देती हैं कि जो मनोवैज्ञानिक ढग से उनकी रुचि को संवारती चले ताकि उनका जिज्ञासु मन शान्त हो सके। ये पत्रिकाएँ अधिकतर तो मासिक होती हैं।

मासिक पत्रो के अतिरिक्त साप्ताहिक पत्रो मे "बाल स्तम्भ" के अन्तर्गत सुरुचिपूर्ण सामग्री दी जाती है। बाल दिवस पर 'साप्ताहिक हिन्दुस्तान', बाल विशेषाक अच्छे निकलते हैं। 'धर्मयुग' भी हमेशा बाल स्तम्भ देता है। इसी प्रकार दैनिक पत्रो में 'नवभारत टाइम्स', 'हिन्दुस्तान', 'आज', 'नई दुनियाँ', 'नवभारत', 'विश्वमित्र', 'जागरण', 'वीर अर्जुन' आदि दैनिक पत्र रविवार के दिन प्रचुर मात्रा मे बाल सामग्री देते हैं। आज बच्चों की पत्रिकाएँ काफी अच्छी तरह मुद्रित और चित्रित होकर निकलने लगी हैं। प्रमुख रूप से ये पत्र-पत्रिकाएँ निम्न है—

महाराष्ट्र—'इन्द्रजाल कामिक्स' (1964 बम्बई), राजस्थान मे 'वैज्ञानिक बालक', बिहार से—'बालक' (1926 पटना), 'उभरते सितारे' (1977 नालन्दा),

किशोर, तमिलनाडु मे—'चन्दामामा' (1949 मद्रास), 'गुडिया' (1973 मद्रास), दिल्ली से—'लोटपोट' (1969), 'चम्पक' (1968), 'राजा भैया' (1959) 'बाल भारती' (1948), 'नन्दन' (1964), 'पराग' (1958) इन्द्रजाल कामिक्स (दिल्ली) 'मधु मुस्कान' (1960 दिल्ली), 'मिलिन्द' (1965) 'सुमन सौरभ' (दिल्ली), 'बाल हस' (राजस्थान, जयपुर)।

कृषि पत्रकारिता

प्रारम्भ मे कृषि को केवल पेट भरने का साधन ही माना जाता था पर आज कृषि का कार्य प्रत्येक देश मे सर्वोत्तम कार्य समझा जाता है। कृषि कार्य एक व्यावसायिक व धन्धे के रूप मे विकसित होने लगा है अत कृषि से सम्बन्धित हो रहे नए नए अनुसधान, नयी जानकारियाँ, खेती के उन्नत तरीकों की खोज आदि को जन-जन तक पहुँचाने के लिए कृषि पत्रकारिता की आवश्यकता हुई। जिन समाचार-पत्रो मे अधिक से अधिक सामग्री गाँवो के बारे मे, कृषि, पशुपालन, बीज व कीटनाशक, पचायती राज, सहकारिता, साक्षरता, परिवार-नियोजन, समाज-शिक्षा, लघु या घरेलू उद्योग आदि विषयो से सम्बन्धित सामग्री होती है—उसे कृषि पत्रकारिता के अन्तर्गत लिया जा सकता है। गावो मे निवास कर रहे कृषको के पास कृषि सम्बन्धी नयी-नयी जानकारी पहुँच सके, यही इस पत्रकारिता का महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है।

कृषि सम्बन्धी विविध विषयो तथा फसलो, उनके बुवाई कटाई के मौसम, खाद, बीज-पानी, सिचाई के साधन, खेती के पोषक पदार्थ, नए नए औजार से सम्बन्धित ये पत्रिकाएँ लेख छापती है साथ ही ग्राम्याचलो मे रहने वाले किसानो की रूढ़ियादिता को दूर करने मे भी सहायक होती है। यही नही, इसी पत्रकारिता के जरिए वह सरकार द्वारा सचालित कृषि फार्मो, कृषि सस्थानो और कृषि विभागो से सम्बन्धित जानकारी से परिचित होता है।

भारत मे कृषि पत्रकारिता का इतिहास काफी पुराना नही है। सबसे पहले 1914 मे 'कृषि सुधार' पत्र निकाला तथा 1918 मे आगरा से 'कृषि पत्र' छपा। इसके बाद इस क्षेत्र मे दिन-प्रतिदिन उन्नति होने लगी। पर आशा के अनुसार इसमे उन्नति नही हुई।

कृषि विकास के साथ-साथ भारतीय कृषि पत्रिका सघ आदि सस्था बनी। यही नही, अब तो इनसे सम्बन्धित सरकारी प्रदर्शनियां भी लगने लगी है तथा लोगो मे उत्साह जगाने के लिए पुरस्कार भी वितरण किए जाते है। आज कृषि से सम्बन्धित काफी पत्र-पत्रिकाएँ निकलती है, पर ज्यादातर मासिक है।

सरकारी प्रयत्नों के साथ-साथ रासायनिक उर्वरक उत्पादन करने वाली कम्पनियो, पौध सरक्षण की दवाइयाँ बनाने वाली कम्पनियो एव अन्य कृषि सस्थानो

ने भी कृषि सामग्री की संकलन व प्रकाशन पेम्फलेट, बुलेटिन एव पत्रिकाओं के माध्यमे मे कृषि पत्रकारिता मे वृद्धि की है। यही नही, हर राज्य के आकाशवाणी से भी देहाती रेडियो, गोष्ठी, किसान-वार्ता आदि शीर्षको से कृषि पत्रकारिता की शिक्षा दी जाती है। दूरदर्शन भी प्रतिदिन अपने स्टेशनो से कृषि से सम्बन्धित सामग्री देता है जैसे जयपुर से शनिवार व इतवार को छोडकर प्रतिदिन 'चौपाल' के कार्यक्रम के अन्तर्गत किसानो को कृषि से सम्बन्धित सामग्री को चित्रों के माध्यम से समझाया जाता है।

दैनिक पत्रो मे 'आज', 'नवभारत', 'अमर उजाला', 'देश-बन्धु', 'नयी दुनियां', नवज्योति', 'राजस्थान पत्रिका', 'राष्ट्रदूत', 'आर्यावर्त' आदि मे खेती के साप्ताहिक स्तम्भ देने शुरू हो गए हैं। 'नवभारत' व 'हिन्दुस्तान' आदि शीर्षस्थ अखबारो ने इस स्तम्भ को निरन्तर जीवित रखा है। आज देश मे हरित-क्रान्ति व श्वेत-क्रान्ति की बात होती है। भारत मे लाखो गांवो मे करोड़ो ग्रामीणो के पास यह पत्र-पत्रिकाएँ आधुनिक व नई तकनीकी ज्ञान का संदेश लेकर पहुँचती है। इन पत्रिकाओं का इतना महत्त्व होते हुए भी आज भी इनकी दशा अत्यन्त शोचनीय है। इन पत्रिकाओं के सामने कई चुनौतियां है। विज्ञापन की कमी, कागज की महँगाई, रेल, बस व डाक की कोई विशेष सुविधा का न होना, उत्तर व रोचक सामग्री का अभाव, ब्लाक बनाने की सुविधा न होते हुए भी आज मुख्य रूप से निम्नलिखित उल्लेखनीय पत्र-पत्रिकाएँ निकल रही है—

हिमाचल प्रदेश से—'हिमाचल कृषि सूचना' (1961 शिमला), पंजाब—'हार्टिकल्चर बुलेटिन' (1963 पटियाला), 'युवा रिश्मा' (1975 लुधियाना), राजस्थान से—'कृषि विकास' (1977), उत्तर प्रदेश—'कृषि केतु' (1978 सुल्तानपुर), 'खेती किसानी' (1972 फैजाबाद), 'किसान भारती' (1969 नैनीताल), बिहार से—'कृषक मित्र' (1970 पटना), 'ग्रामीण दुनियां', 'सेवा ग्राम', 'गोसवर्द्धन', 'कृषि चयनिका', 'भू-भारती', 'खेत और किसान', 'खेती', 'कृषि दर्शन', 'धरती', 'चौपाल', 'गाँव की बात', 'कृषक क्रान्ति', 'देहाती' आदि।

ब्रेल-पत्रकारिता

चक्षुहीन लोगों को पत्रकारिता के जरिए लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से ब्रेल पत्रकारिता की शुरुआत एक शुभ घटना है। ठाकुर विश्वनारायण सिंह के सम्पादन मे नवम्बर, 1975 मे पहली ब्रेल पत्रिका 'आलोक' (त्रैमासिक) प्रकाशित हुई। 1978 मे यह मासिक हो गई और इसका नाम 'नयन रश्मि' रखा गया। इसी प्रकार दृष्टि हीन बच्चो के लिए 1971 मे देहरादून से 'शिशु आलोक' का प्रकाशन हुआ। यह त्रैमासिक पत्रिका है।

उपर्युक्त विवेचन इस बात का प्रमाण है कि हिन्दी पत्रकारिता किसी एक सीमा मे बन्धी हुई नही है, उसे अनेक वर्गों मे विभाजित किया जा सकता है क्योकि पत्रकारिता का कोई एक विषय नही रहा है। एक ओर तो सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक और सास्कृतिक पत्र-पत्रिकाएं हैं दूसरी ओर साहित्यिक, वैज्ञानिक और खेल-कूद व व्यवसाय से सम्बन्धित पत्रकारिता का भी अपना महत्त्व है तथा तीसरी ओर फिल्मी पत्रकारिता, कृषि पत्रकारिता और बालोपयोगी पत्रकारिता, ब्रेल पत्रकारिता आदि का भी समुचित विकास हुआ है। यह वर्गीकरण जहाँ हिन्दी पत्रकारिता की विकसित स्थिति को सूचित करता है वही उसकी विविधात्मकता को भी प्रमाणित करता है।



अध्याय—9

स्वातंत्र्योत्तर पत्र-पत्रिकाओं का योगदान

सामान्य रूप से पत्र-पत्रिकाएँ दैनिक जीवन की गतिविधियाँ, राजनैतिक घटनाचक्र और सामाजिक जीवन के विविध पक्षों को प्रस्तुत करती रहती हैं किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि ये पत्रिकाएँ साहित्य की उपेक्षा करके चलें। स्वातंत्र्योत्तर भारत में हिन्दी पत्रकारिता का जो दौर आरम्भ हुआ है उसमें साहित्य की विधाओं का पर्याप्त स्थान है। साहित्य समाज की समृद्ध चेतना की शाश्वत धरोहर है और पत्र-पत्रिकाएँ दिनानुदिन की गतिशीलता की लेखा हैं। साहित्य के विकास में दैनिक-पत्रों से लेकर त्रैमासिक पत्रिकाओं की वर्तमान स्थिति यह स्पष्ट कर देती है कि पत्रकारिता साहित्य को पोषण दे रही है।

यद्यपि कुछ पत्र-पत्रिकाएँ पूर्णतः साहित्यिक हैं किन्तु जो साहित्यिक नहीं हैं, वे भी साहित्य के विकास का मार्ग अपने-अपने ढंग से प्रशस्त कर रही हैं। साहित्य से तात्पर्य केवल कविता, कहानी, नाटक और उपन्यास से ही नहीं है अपितु गद्य की वे विविध विधाएँ भी साहित्य के अन्तर्गत विशिष्ट स्थान रखती हैं जो स्वातन्त्र्योत्तर भारत में बड़ी तीव्रता से विकसित हुई हैं। ऐसी विधाओं में निबन्ध के अतिरिक्त रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्ताज, फीचर, यात्रावृत्त, आत्मकथा, डायरी लेखन आदि को भी महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है।

स्वातन्त्र्योत्तर भारत में कदाचित् ही ऐसा कोई पत्र मिलेगा जिसने इन विधाओं को प्रकाशित कर साहित्य की श्री-वृद्धि न की हो। विविध पत्र-पत्रिकाओं ने साहित्य को कई तरह से समृद्ध और विकसित किया है, इसमें दैनिक-पत्रों, साप्ताहिक-पत्रों, और मासिक व त्रैमासिक पत्रों के साहित्यिक योगदान का पृथक-पृथक मार्ग रहा है।

---

1 सं. डॉ. रत्नाकर पाण्डेय, इन्द्रबहादुर सिंह तथा रामव्यास पाण्डेय हिन्दी पत्रकारिता . मणिमय प्रकाशन, पृ 292.

साहित्यिक अभिरुचि का विकास

साहित्यिक अभिरुचि तभी विकसित होती है। जबकि लेखक सरल शब्दों में अपने मानस की अनुभूतियों को सरल व सुस्पष्ट भाषा में कहे। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि पाठक की संवेदना में लेखक द्वारा कहा गया सब कुछ समा जावे। तात्पर्य यह है कि लेखक और पाठक दोनों के बीच सम्बन्ध बना रहे। यह तभी सम्भव हो सकता है जब लेखक के पास प्रेषणीय क्षमता हो और पाठक के पास ग्राहिका शक्ति। प्रसिद्ध अंग्रेजी समीक्षक रिचर्ड्स ने श्रेष्ठ और सफल लेखक की चर्चा करते हुए लिखा है कि "प्रेषणीयता का गुण प्रत्येक लेखन की सफलता की पहचान है।" इसी तथ्य को स्वर्गीय रामधारीसिंह दिनकर ने अपनी काव्य की भूमिका में इस प्रकार स्पष्ट किया है, "कोई भी श्रेष्ठ रचना तभी सफल हो सकती है जबकि उसमें कहा गया तत्व पाठक की चेतना में सीधे प्रविष्ट कर जाए।" लेखक और पाठक के बीच रचना एक सशक्त कड़ी का काम करती है यदि यह कड़ी मजबूत होती है तो लोगों में साहित्यिक अभिरुचि जागृत हो सकती है।

स्वातन्त्र्योत्तर पत्र-पत्रिकाओं में जो लेख आदि छपते हैं यदि उनमें यह उपर्युक्त गुण अर्थात् प्रेषणीयता न होती तो साहित्यिक अभिरुचि का विकास नहीं हो सकता था। साहित्य मात्र प्रबुद्ध-वर्ग की वस्तु नहीं है उसका सम्बन्ध सामान्य व्यक्ति से भी है और होना ही चाहिए। साहित्यिक रचनाओं के स्तर हो सकते हैं किन्तु साहित्य का स्तर तो उसकी साहित्यिकता में ही छिपा हुआ है। कहानी, कविता उपन्यास और संस्मरण आदि के अन्तस में छिपी रोचकता और सरसता हमारे उदास मन को शान्ति व सुख देती है। जब कभी किसी पत्रिका या किसी दैनिक-पत्र के रविवारीय परिशिष्ट में हमें कोई कविता, कहानी, संस्मरण या विशेष लेख पढ़ने को मिलता है तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि राजनीतिक दुनियां में दिन-रात घटित होने वाले षड्यन्त्रों, सामाजिक दुनियां में होने वाले फेर-बदल और वैज्ञानिक उपलब्धियों के नीरस, उबाऊ और एक से परिवेश से निकल कर हम राहत की सांस लेते हैं।

स्वातन्त्र्योत्तर पत्र-पत्रिकाओं में से अधिकांश का उद्देश्य भले ही व्यावसायिक रहा हो किन्तु उससे साहित्य का विकास अवश्य हुआ है। राजस्थान के प्रमुख दैनिक समाचार-पत्र राजस्थान पत्रिका, राष्ट्रदूत को ही ले लीजिए। सामान्य रूप से राजस्थान पत्रिका देश की, समाज की और हमारे जीवन की गतिविधियों का व्याख्याता पत्र है किन्तु इसके रविवारीय-परिशिष्ट और पारिवारिक परिशिष्ट इसके अपवाद है। पारिवारिक परिशिष्ट पत्रिका में कहानी, कविता, सत्यकथा, दो प्रेरक, लघु कथाएँ, मुस्कानें आदि को स्थान दिया जाता है जो कि मनुष्य की साहित्यिक अभिरुचि को जागृत करती हैं। राजस्थान पत्रिका तो मात्र उदाहरण है, आप कोई भी दैनिक पत्र देख लीजिए सभी में साहित्य से सम्बन्धित सामग्री निहित रहती है।

ये पत्र न केवल सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति निष्ठा जगाते हैं अपितु साहित्यिक अभिरुचि को भी जागृत करते हैं। प्राय. देखने में आता है कि समाचार-पत्रों के रविवारीय-परिशिष्ट में बहुधा कुछ अच्छी कविताएँ, कुछ गजलें, कम से कम एक कहानी, और एकाध रोचक संस्मरण तो प्रकाशित होते ही हैं। इस प्रकार के प्रकाशन दैनिक पत्रों के पाठकों की साहित्यिक रुचि को विकसित व परिष्कृत करते हैं। कभी-कभी पुस्तक समीक्षा के अन्तर्गत रिव्यू भी छपते हैं जो इस बात के प्रमाण हैं कि दैनिक-पत्र भी एक साहित्यिक मंच बना रहे हैं और अपने पाठकों की साहित्यिक अभिरुचि को परिष्कृत कर रहे हैं। उदाहरण के लिए—हिन्दुस्तान, नवभारत टाइम्स, अमर उजाला, राजस्थान पत्रिका, राष्ट्रदूत, दैनिक नवज्योति, आज, विश्वमित्र, अमृत बाजार पत्रिका आदि को लिया जा सकता है।

यद्यपि दैनिक पत्रों की अपनी सीमाएँ हैं किन्तु फिर भी यह निश्चित है कि दैनिक पत्र अपनी सीमाओं के बावजूद साहित्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। साप्ताहिक पत्रों की स्थिति दैनिक पत्रों की तुलना में कुछ अधिक स्पष्ट व सुलझी हुई है। साप्ताहिक हिन्दुस्तान, धर्मयुग जैसे पत्रों में नियमित रूप से कविता, कहानी, संस्मरण, धारावाहिक उपन्यास, रेखाचित्र आदि प्रकाशित होते रहते हैं। ऐसे प्रमुख साप्ताहिकों की संख्या भी कम नहीं है। प्राय. देखने में आता है कि जो व्यक्ति साहित्य से सम्बन्धित नहीं हैं वे भी प्रमुख साप्ताहिकों को इसलिए पढ़ते हैं कि उनमें उन्हें कोई सुन्दर कहानी, कोई मन को बाँधने वाली कविता और कोई अच्छा धारावाहिक उपन्यास पढ़ने को मिल जाता है। वर्तमान युग में लेखक की स्थिति बड़ी विचित्र है। पहली बात तो यह है कि लेखक लिखे तभी लेखक है। दूसरी बात यह है कि जो वह लिखे वह किसी अच्छे पत्र में छपे और तीसरी बात यह है कि जो वह लिखे व छपे सुन्दर प्रतीत हो और पाठक को ग्राह्य हो। इतनी क्षमता प्रत्येक लेखक में नहीं होती है कि वह पुस्तक के रूप में अपने लिखे हुए को प्रकाशित करवा सके। अत नये उभरते हुए लेखक इसी कारण पत्र-पत्रिकाओं का सहारा लेते हैं। आज कितने ही ऐसे लेखक हैं जो पत्र-पत्रिकाओं में छपते-छपते अपना एक प्रतिष्ठित स्थान बना चुके हैं। आधुनिक हिन्दी साहित्य के अधिकांश प्रतिष्ठित लेखक, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में पत्रकार भी रहे हैं। यह परम्परा भारतेन्दु हरिश्चन्द्र से लेकर सच्चिदानन्द वात्स्यायन अज्ञेय तक स्पष्ट दिखाई पड़ती है। यह कहना अनुचित न होगा कि गद्य के निर्माण का अधिकांश श्रेय हिन्दी पत्रकारों को है जिन्होंने पत्रों के माध्यम से हिन्दी भाषा को एक व्यवस्था, समृद्ध और परिनिष्ठित रूप दिया।[1] इससे यह स्पष्ट होता है कि साप्ताहिक और मासिक पत्र उन लेखकों को भी स्थान देते हैं जो किसी कारणवश स्वतन्त्र रूप से अपनी रचनाएँ प्रकाशित नहीं कर पाते। अनेक

1. हिन्दी पत्रकारिता : कृष्ण बिहारी मिश्र, पृ. 4.

वार साप्ताहिक और मासिक पत्रों में बहुत ही अच्छी, स्तर की साहित्यिक रचनाएँ पढ़ने को मिलती है। स्वातन्त्र्योत्तर भारत में जो पत्र व पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही है उनमें साहित्य को उचित स्थान प्राप्त है। यह स्थान इसलिए और भी महत्त्वपूर्ण है कि इन पत्र-पत्रिकाओं ने लोगों के जन-मानस को परिवर्तित किया और वे किसी न किसी रूप में साहित्य से जुड़े रहे हैं।

हास्य-व्यग्य दैनिकों, साप्ताहिकों तथा मासिकों में निरन्तर प्रकाशित होता रहता है। व्यग्य को पकड़ना और समझना तथा समझकर उसका आनन्द लेना इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति की साहित्यिक रुचियाँ विकसित हो रही हैं। स्वातन्त्र्योत्तर पत्र-पत्रिकाओं ने साहित्यिक अभिरुचि का विकास करके ही साहित्य सृजन और पाठन-पठन दोनों को विकसित होने की प्रेरणा प्रदान की है। इस तरह जहाँ इन पत्र-पत्रिकाओं ने जीवन के विविध पक्ष प्रस्तुत करके सामाजिक जीवन का यथार्थ प्रस्तुत किया है, वहीं विभिन्न साहित्यिक गतिविधियाँ, विकास-प्रक्रिया और गतिशीलता को भी प्रस्तुत किया है।

सांस्कृतिक अभिरुचि का विकास

आधुनिक युग में विशेषकर स्वातन्त्र्योत्तर वर्षों में हिन्दी पत्र-पत्रिकाएँ जीवन का एक अंग बन गयी हैं। वे अनेक साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की प्रसारक व विश्लेषिका है। स्वातन्त्र्योत्तर वर्षों में अनेक ऐसी पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाश में आई है जिन्होंने जन-जीवन में सांस्कृतिक छवि को विकसित किया है।

सांस्कृतिक शब्द संस्कृति से जुड़ा हुआ है और संस्कृति मनुष्य की संस्कारशील अवस्था का नाम है। इतना ही नहीं संस्कृति वह है जो हमारी आन्तरिक रुचियों को प्रकट करती है तथा हमारे मन व मस्तिष्क को परिष्कृतियों की ओर ले जाती है। उदाहरण के लिए डाली पर खिला हुआ फूल कितना ही आकर्षक क्यों न हो किन्तु उसका बाह्य विकसित रूप उसकी सभ्यता का प्रतीक है और उस पुष्प के भीतर रहने वाली सुगन्ध उसकी संस्कृति है। स्पष्ट शब्दों में सभ्यता बाहरी उपकरण है और संस्कृति आन्तरिक गुण और शक्ति है। जब हम सांस्कृतिक विकास की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य बाह्य की अपेक्षा आन्तरिक गुणों के विकास से होता है। आज के भौतिक और व्यावसायिक-जगत में आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने आन्तरिक गुणों का विकास करें। यह विकास पत्र-पत्रिकाओं से किया जा सकता है। भारतीय पत्रकारिता ने आरम्भ से ही समाज में व्याप्त रूढ़िवादी परम्पराओं का विरोध करते हुए सांस्कृतिक धरोहर को सभी तरह के बाह्य आक्रमणों से उनकी रक्षा की ओर उसे सजाया-सँवारा तथा उसे निखार कर राष्ट्रीय जीवन के महत्त्वपूर्ण अंग बनने में योग दिया और विश्व-स्तर पर भारतीय संस्कृति

को शिल्प, कला, साहित्य, नृत्य, संगीत योग और आत्मिक उत्कर्ष के प्रमुख माध्यम की तरह प्रस्तुत किया।

पत्र पत्रिकाओं ने हमारी सांस्कृतिक अभिरुचियों को विकसित किया है। सांस्कृतिक अभिरुचि के अन्तर्गत धर्म, नीति, दर्शन समाज-साहित्य और खेलकूद अथवा मनोरंजन के साधन आते हैं। जो पत्र-पत्रिकाएँ इस दिशा में कार्यरत हैं, उनमें प्रमुखतः कादम्बिनी, दिनमान, पुरोधा, श्रीकृष्ण सन्देश, कल्याण, सरिता, मुक्ता, धर्मयुग, नवनीत, भारती, ज्ञानोदय आदि का प्रमुख योगदान है। ये वे पत्र-पत्रिकाएँ हैं जिनका योगदान विशेष रूप से सांस्कृतिक है। इन पत्र-पत्रिकाओं ने बौद्धिक, भौतिक और वैज्ञानिक चेतना को सांस्कृतिक आवरण में लपेट दिया है।

भारती, नवनीत ऐसी पत्रिकाएँ हैं इनमें जो कहानियाँ, कविताएँ, लेख और परिसंवाद प्रकाशित होते हैं, वे हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को विकसित करने में सहायक होते हैं। ये पत्रिकाएँ हमारे आत्मिक परिष्कार के लिए तो उपयोगी हैं ही वहाँ एक ओर जहाँ सेक्सी कथाएँ चमक-दमक वाली पत्रिकाएँ और अश्लील पत्रिकाएँ प्रकाशित होती हैं अथवा आधुनिक सभ्यता का भौंडापन दरसाने वाली पत्रिकाएँ निकलती हैं वहीं इन सुविचापूर्ण पत्रिकाओं के माध्यम से स्वस्थ सांस्कृतिक सन्दर्भ हमारे जीवन से जुड़ जाता है।

नैतिक और धार्मिक मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए भी कुछ पत्र-पत्रिकाएँ सामने आई हैं। ऐसी पत्र-पत्रिकाओं में कल्याण, अखण्ड-ज्योति आदि प्रमुख हैं। ये वे पत्र-पत्रिकाएँ हैं जिनमें धर्म, ईश्वर तथा अध्यात्मवाद की चर्चा होती है कि किस तरह श्रद्धा, भक्ति, पूजा और आराधना जीवन की बहुत ही महत्त्वपूर्ण आवश्यकताएँ हैं। कल्याण पत्रिका में अनेक धार्मिक लोगों ऋषि-मुनियों से सम्बन्धित प्रसंग, पौराणिक प्रसंगों पर आधारित त्याग, तपस्या, आदर्श द्योतक लेख छपते रहते हैं। कल्याण में अक्सर 'पढ़ो समझो और करो' के अन्तर्गत धर्म पर घटित छोटी-छोटी घटनाओं का विवरण होता है जो मनुष्य को धार्मिक ज्ञान देती हुई पूजा, उपासना का महत्त्व बताती हैं। अखण्ड ज्योति पत्रिका भी कल्याण का ही एक रूप है। इनमें भी सांस्कृतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए अनेक उपयोगी एवं मूल्यवान लेख रहते हैं।

उपर्युक्त पत्र-पत्रिकाओं के अलावा कुछ ऐसी पत्र-पत्रिकाएँ भी हैं जिन्हें हम प्रमुखतः बाल पत्रिकाएँ कह सकते हैं जैसे वात्सल्य, नन्दन, चम्पक, पराग, चन्दामामा, बालक, वैज्ञानिक बालक, बाल भारती, गुड़िया आदि। नन्दन में जो कहानियाँ और लेख प्रकाशित होते हैं वह बच्चों की सांस्कृतिक अभिरुचियों को तो विकसित करने में सहायक हैं, ऐसे कुछ लेख भी होते हैं जो नैतिक आदर्शों के प्रति निष्ठा जगाते हैं। कुछ ऐसे हैं, जो क्रियाशीलता का पाठ पढ़ाते हैं जो लोभ, स्वार्थ,

ईर्ष्या, द्वेष अन्य प्रवंचकारी मनोवेगों से मुक्ति दिलाते हैं। अनेक लघु कथाएँ भी ऐसी प्रकाशित होती हैं जो आत्मिक विकास के लिए नया नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए मार्गदर्शन करती हैं। यही स्थिति पराग व चन्दामामा की है।

चम्पक बहुत छोटे-बच्चों की पत्रिका है जो बहुत ही सरल व सुबोध भाषा में बच्चों में प्रेम, साहस जगाती हुई उनमे व्याप्त रूढ़िवादिता, वहम, अन्धविश्वास को दूर करती है। नन्दन, पराग व चम्पक तथा चदामामा का कोई भी अंक उठाकर देखा जा सकता है जो बच्चों मे त्याग सद्भावना, प्रेम, दया, ममता आदि का पाठ पढाती हुई उनमे नैतिक गुणों को भरती हैं। इसी प्रकार बच्चों की और भी कई पत्र-पत्रिकाएँ हैं जो बच्चों में सास्कृतिक अभिरुचि को परिष्कृत करती है।

जैसे बालसखा, पराग, नन्दन, चम्पक, चदामामा जैसी बालोपयोगी पत्र-पत्रिकाओं मे सरल भाषा व सरल भावों मे पचतन्त्र व हितोपदेश की शैली में कहानियों के जो रूप है वह बच्चों के मानसिक विकास मे सहायक होती हैं तथा पत्रिकाएँ सचित्र कथाओं के माध्यम से बालकों में साहस, सूझबूझ व वैज्ञानिक चितन की प्रवृत्ति जागृत करती हैं।

भाषा शिल्प का विकास

स्वातन्त्र्योत्तर पत्र-पत्रिका ने जहाँ सास्कृतिक अभिरुचि को प्रोत्साहित किया, नवचेतना का विकास किया और सामाजिक जीवन को सुधार परिष्कार और जागृति की राह दिखाई है वही, शैल्पिक क्षेत्र मे भी उल्लेखनीय योगदान दिया है। पत्रकारिता का अन्तस कलात्मक है और उसका शरीर अपनी सज्जा के लिए कभी-कभी विज्ञान का मुखापेक्षी रहता है। सर्वप्रथम तो समाचार-पत्रों ने बोल-चाल व सामान्यजन की भाषा को परिष्कृत जनभाषा का शिल्पायन करने का सफल प्रयत्न किया। आज जिसे अखबारी भाषा कहा जाता है वह इसी की देन है। भाव व्यक्त करने में जनजीवन की भाषा ही उनके लिए सर्वाधिक उपयोगी हो सकती है। बोलचाल के शब्दों का प्रयोग, नित नवीन शब्दों का निर्माण और दिन-प्रतिदिन घटित होने वाला विविध प्रकार की घटनाओं के परिप्रेक्ष्य मे निर्मित नयी शब्दावली का प्रयोग पत्रकारिता के अन्तर्गत प्रयुक्त होने वाली भाषा की अन्यतम विशेषताएँ है।

भाषा की सरलता को अधिकाधिक प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दीर्घ वाक्यावली के स्थान पर छोटे-छोटे किन्तु आकर्षक वाक्यों का प्रयोग करके पत्रकारिता ने जिस शैल्पिक क्षमता का विकास कर हिन्दी को सँवारा है उससे भाषा व्यक्ति से और व्यक्ति भाषा से जुड गया है। अर्थात् स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी पत्रकारिता का भाषिक स्वरूप सरल, बोधगम्य और सम्प्रेषण की क्षमता से युक्त है।

हिन्दी पत्रकारिता ने व्याकरण के उसी स्वरूप को स्वीकार किया है जो बोधगम्य बनाए रख सके। व्याकरण की अवाछित स्थिति को हिन्दी पत्रकारिता ने

छोड़ दिया है। एक छोटे से उदाहरण से इस बात को स्पष्ट किया जा सकता है— वाक्य पूरा होने पर प्रायः हम हिन्दी व्याकरण के हिसाब से पूर्णविराम लगाते है और जहाँ अर्धविराम की आवश्यकता है वैसा चिन्ह लगाते है परन्तु हिन्दी के कुछ प्रमुख पत्रो मे विराम चिन्ह मे परिवर्तन किया गया है। पूर्णविराम (।) के स्थान पर धर्मयुग व साप्ताहिक हिन्दुस्तान, सरिता जैसी प्रसिद्ध पत्रिकाओ मे बिन्दु (.) से काम चलाया जाता है। कुछ लोग कह सकते है कि यह अग्रेजी का प्रभाव है और हमारी देवनागरी लिपि के अनुकूल नही है किन्तु पत्रकारिता किसी एक ही लिपि के अनुकूल तथा किसी अन्य लिपि की थाती भी नही है इसलिए उसने अपने स्वरूप को आकर्षक बनाने के लिए तथा स्थानाभाव के कारण इस तरह के प्रयोग आरम्भ कर दिए हैं। वस्तुस्थिति यह है कि मुद्रण सुविधा के लिए पूर्णविराम के स्थान पर चिन्हित बिन्दु ( ) सर्वथा उपयुक्त व सुविधाजनक सिद्ध हुआ है। इसी आशय व एकरूपता के लिए हिन्दी पत्रकारिता ने अक रोमनलिपि से ग्रहण किये गये है। सुविधा, सरलता और बोधगम्यता के कारण ही पत्रकारिता ने ऐसा किया है। इसी प्रकार हिन्दी के किन्तु, परन्तु, लेकिन जैसे दो वाक्यो को जोडते हैं। अतः इससे पूर्व (,) का प्रयोग आवश्यक होता है, किन्तु हिन्दी पत्र-पत्रिकाओ मे अनेक स्थानों पर ऐसा देखने को नही मिलता। बहुत से लेखक किन्तु, परन्तु से पूर्व पूर्णविराम लगा देते है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दी पत्रकारिता मे ही नही अपितु अनेक साहित्यिक कृतियो मे भी व्याकरण की शक्तियों का और उनसे निर्मित नियमो का पालन नही किया जा रहा है। यह इस बात की द्योतक है कि हिन्दी पत्रकारिता ने व्याकरण के अनावश्यक बन्धन को छोड दिया है।

पत्रकारिता ने साहित्यिक शैलियों की अपेक्षा रोचक, सरस और कौतुहल-वर्धक शैलियो का प्रयोग करना आरम्भ कर दिया है। प्रायः अखबारो मे या साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक पत्रो मे ऐसी शैलियाँ विकसित हुई है जो पाठक की ऊब को भी समाप्त करती हैं और शैलीगत जडता को भी तोडती है। पत्र-पत्रिकाओ मे छपने वाले लेख पूरी तरह सरस और कौतूहलवर्धक शैली मे ही लिखे जाते है। इस प्रकार की शैलियों के प्रयोग से न केवल भाषा सरल हो गयी है अपितु शैली भी रोचक हो गयी है। शैली के ये गुण इतने अधिक विकसित हुए हैं कि इनसे छोटे-छोटे वाक्यों को लिखने की और रुचि बढी है। इस प्रकार सरस और रोचक शैली केवल उपन्यासो तक ही सीमित नही रही। वरन् उसे पत्र-पत्रिकाओ में भी देखा जा सकता है।

पत्रकारिता ने जहाँ अनेक शैलियाँ विकसित की है वहाँ सूत्र-व्याख्या शैली को भी महत्त्व दिया है। इस शैली का प्रयोग प्रायः दैनिक समाचार-पत्रो मे अधिक देखने को मिलता है। पहले सूत्र रूप मे बात कह दी जाती है और फिर विस्तार से

उस सूत्रात्मक बात को विश्लेषित कर दिया जाता है। प्राय यह सूत्रात्मक वाक्य शीर्षकों के रूप मे दे दिये जाते हैं। जैसे—

मुख्य चुनाव आयुक्त शकधर द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा

सातवीं लोकसभा के लिए मतदान 3 व 6 जनवरी को

नामांकन पत्र	नाम वापसी	चुनाव परिणाम
3 दिसम्बर से	1 से 3 दिसम्बर	7 जनवरी

(नवभारत टाइम्स)

कांग्रेस और लोकदल का गठजोड़ बना रहेगा

सैद्धान्तिक मतभेद बरकरार

अलग-अलग घोषणाओं की सम्भावना

(जनयुग)

नयी दिल्ली, 25 अक्टूबर (जस, यून्यू, ना) राजधानी में आज के राजनीतिक घटनाक्रम से इस बात के आसार प्रबल हुए हैं कि कांग्रेस और लोकदल के गठजोड़ को टूटने से बचा लिया जाएगा तथा केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल से कांग्रेस के मन्त्री त्याग-पत्र नहीं देंगे।

ये सब सूत्रात्मक वाक्य गहरी शीर्षक के रूप मे स्याही तथा मोटे मुद्राक्षरों मे छापे जाते हैं ताकि प्रमुख घटना के महत्व की ओर पाठक का ध्यान शीर्षक पढ़ते ही आकर्षित हो। सूत्रात्मक वाक्य शैली से स्पष्ट है कि खबर देने वाला क्या कहना चाहता है। इससे लाभ यही हुआ है कि अगर मनुष्य के पास पूरा समाचार-पत्र पढ़ने का वक्त नहीं है तो वह इस शीर्षक को पढ़कर पूरा अर्थ लगा सकता है। यही नहीं, यदि पढ़ने वाले को अगर सूत्र पढ़कर इस समाचार को विस्तृत जानने में रुचि होगी तो वह उसको पूरा पढ़ेगा अन्यथा शीर्षक देखकर ही दूसरे समाचार की ओर आगे बढ़ जाएगा। किसी भी दैनिक पत्र को उठाकर इस शैली को देखा जा सकता है।

वस्तुत. विज्ञापन की नयी-नयी शैलियों को भी पत्रकारिता ने विकसित किया है। किसी भी एक विज्ञापन के लिए अलग-अलग शैलियाँ काम मे ली गयी हैं। जैसे—वाह जीवन का आनन्द एम्प्रो के संग एम्प्रो ग्लूको बिस्कुट पूर्ण नाश्ता एक ही पैक मे।

इसी प्रकार
खून के रिश्ते कितने गहरे
मिनाडेक्स का भी आपके खून के साथ गहरा रिश्ता है।
रक्त शक्तिदायक

मिनाडेक्स

एक अन्य विज्ञापन है—

बिछोना सनग्लास से घिर जाए
भीगी हवा चले, सिरहन भर जाए
यादो के सीप खुलें, नादेसहला
लाली ढले, सोना गले, रात जवां हो जाए
ऐसे मे दूर कही बासुरी लहराए
फिर मैं न रहूँ, एक सपना रह जाए

सनग्लास सजावटी लेमिनेट, खूबसूरती कहलाए जो साथ निभाए

विज्ञापन शैली का यह नमूना कितना आकर्षक है। "अग अग ताजगी की तरग अनोखा खिलता निराला लिरिल"

हरा लहरिया, निम्बुओ की सनसनाती ताजगी वाला
गहरी सुगध, ताजगी की तरग लिरिल
तुझे बनाए निखरी-निखरी नार नवेली लिरिल

बच्चो की पत्रिका मे छपे एक विज्ञापन का नमूना यह भी है—

लूटो जेम्स का मजा
जीतने के लिए 101 मजेदार पुरस्कार
जल्दी करो
चाकलेट से भरे रगीन केडबरिज जेम्स

विज्ञापन शैली के अतिरिक्त पत्र-पत्रिकाओं मे अनेक बार विविध व्यजन बनाने की विधियाँ, सिलाई-कढाई और बुनाई के नमूनो की विभिन्न पद्धतियो के विवेचन और स्पष्टीकरण के लिए गणितीय शैली का प्रयोग किया गया है। यह एक ऐसी शैली है जिसका साहित्य से कुछ भी लेना देना नही है। जैसे कि

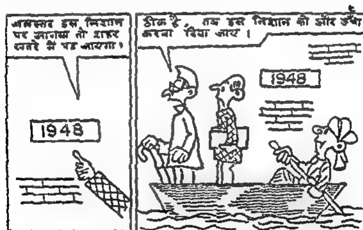
एक बुने, 5 उल्टे बुने, 2 उल्टे इकट्ठा बुने, 4 उल्टे ही बुने, अन्त तक 7 बार दोहराएँ, 2 उल्टे इकट्ठा बुने, 4 उल्टे बुने, 1 सीधा बुने, इन 76 फन्दो को अतिरिक्त सिलाई पर उतार लीजिए।

चटपटे—व्यजन के स्तम्भ में—

सामग्री—एक किलो पालक, एक किलो मटर, आधा किलो हरी मेथी आदि 250 ग्राम छोटे कच्चे केले, 250 ग्राम उड़द की दाल, छोटा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच हल्दी, एक छोटा चम्मच भुना हुआ स्याह जीरा, आधा छोटा चम्मच सफेद जीरा, आधा छोटा चम्मच राई के दाने, आधा चम्मच पीसी हुई राई।

इस प्रकार आप कोई भी साप्ताहिक या मासिक पत्र-पत्रिकाएँ उठाकर देख लीजिए आपको महिला स्तम्भ में यह शैली अधिकतर दृष्टिगोचर होगी । महिलाओं से सम्बन्धित पत्रिकाओं में तो यह शैली भरी ही रहती है ।

बाल जगत और महिला जगत से सम्बन्धित पत्रिकाओं अथवा इनसे सम्बन्धित सभी स्तम्भों के माध्यम से व्यग्य शैली, विनोद शैली और उपदेशात्मक शैली का भी विकास किया गया है । प्रायः सभी पत्र-पत्रिकाओं में व्यग्य शैली रहती है । कुछ स्थायी स्तम्भों के रूप में कादम्बिनी में 'आयाराम-गयाराम', सरिता में, 'ये पति-पत्नियाँ,' मुक्ता में 'ये लड़के—ये लड़कियाँ,' धर्मयुग में 'व्यग्य परिहास, अपने आसपास' साप्ताहिक हिन्दुस्तान में 'मुसीबत' है, आदि । सभी पत्र-पत्रिकाओं में कोई न कोई पृष्ठ व्यग्य व विनोद से सजे रहते हैं । इस प्रकार हिन्दी पत्रकारिता ने न केवल व्यग्य-शैली को विकसित किया है अपितु कार्टून शैली को भी विकसित किया है । आज सभी पत्र व पत्रिकाएँ कार्टून देती हैं जो सम-सामयिक होता है और उसमें छिपा व्यग्य अपने आप में अनूठा होता है जैसाकि निम्न चित्र से स्पष्ट है ।



बच्चों की पत्रिकाओं में बच्चों के अनुरूप कार्टून आते हैं ।

इस प्रकार स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी पत्रकारिता ने संस्कृति, धर्म, दर्शन, चिन्तन, भाषा शैली, साहित्य, विज्ञान और व्यग्य-विनोद के क्षेत्र में अनूठी प्रगति की और नये स्वरूपों को विकसित किया है ।

जन जागृति, नवोन्मेष और सुधार

पत्रकारिता वास्तव में एक ऐसी आँख है जो अपने गोलक में सम्पूर्ण समाज और उसमें व्याप्त स्थितियों को एक साथ देख लेती है और प्रतिबिम्बित करती है ।

भारतीय पत्रकारिता ने आरम्भ मे तद्युगीन जीवन को नवचेतना का मन्त्र दिया। इस नव-चेतना मे सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक और दैनिक जीवन ने अगडाई ली और सोई हुई चेतनाएँ जागृत हो आई जिसने साहसिक सघर्षो को प्रेरणा दी और राष्ट्र को स्वाधीनता दिलाई।

स्वतन्त्रता के पश्चात् पत्र-पत्रिकाएँ एक आवेग के साथ सामने आने लगी और उनमे छपे हुए समाचार जीवन को एक दूसरी दिशा की ओर ले जाने मे सक्षम हुए। मनुष्य का व्यक्तित्व एक बन्द कमरे के समान होता है और पत्रकारिता वह हवा है जो उस बन्द कमरे को झटके से खोल देती है। स्वातन्त्र्योत्तर पत्रकारिता ने यह काम और भी अधिक तीव्रता से किया है एक ओर जहाँ उसने सुप्त मानव चेतन्य को आगे बढाया है वही दूसरी ओर अन्धविश्वास कम हुए हैं। पुरानी मान्यताएँ धीरे-धीरे समाप्त हो रही है। नित्य प्रति समाचार-पत्रो मे ऐसी खबरे छपती है जो न केवल सडी-गली मान्यताओ के प्रति अविश्वास पैदा करती है अपितु विद्रोह की आग भी भडकाती हैं। स्वातन्त्र्योत्तर पत्रकारिता की यात्रा एक क्रान्ति की यात्रा की तरह है जिसमे समाज को न केवल बाहर से बदला गया है अपितु भीतर से भी बदलने का क्रम जारी है। पिछले 36 वर्षों मे भारतीय जनमानस नवोन्मेष, नवजागृति और नवचेतना से भर उठा है।

स्वातन्त्र्योत्तर पत्रकारिता ने प्रत्येक मनुष्य के मन मे स्वाभिमान, आत्मरक्षा का भाव, अस्तित्व के प्रति चिन्ता और बौद्धिक-क्षमता जैसी भावनाओ को विकसित किया है। पत्रकारिता ने यह काम सीधी और सरल भाषा मे कर दिखाया। एक वार के लिए कुछ पुराने और प्रज्ञाशील व्यक्ति भले ही पत्रकारिता की भाषा को अखबारी भाषा कहकर टाल देते है किन्तु यह बात भी भुलाई नही जा सकती है कि भारत का आम आदमी यदि कोई भाषा समझ सकता है तो वह समाचार-पत्रो की भाषा ही हो सकती है।

स्वातन्त्र्योत्तर पत्रकारिता ने जहाँ जनजागरण का सन्देश दिया है वही सुधार और परिष्कार का काम भी किया है। समानता, भातृत्व, स्वतन्त्रता और उन्मुक्तता की नीव पर निर्मित मानवता समाज का ढाँचा खडा करने और उसे मजबूत बनाने मे स्वातन्त्र्योत्तर पत्रकारिता ने विशेष योगदान दिया है। ऐसी शायद ही कोई पत्रिका हो जिसमे मानवता, स्वतन्त्रता और मानवीय सम्बन्धो को सुदृढ और यथार्थ स्थिति को किसी न किसी रूप मे विश्लेषित न किया जाता हो। विभिन्न विचारो के प्रगतिशील पत्र आज भी मानव जीवन को नई धारा की ओर उन्मुख करने मे लगे हुए हैं। वस्तुत: पत्रकारिता ने आज समाज मे फैली हुई अनेक बुराइयो के विरुद्ध अपना सशक्त अभियान चलाया है। शिशु हत्या, बाल विवाह, वैधव्य का दु:ख, दहेज प्रथा, वेश्यावृत्ति और छुआछूत जैसी कुप्रथाओ को दूर करने मे हिन्दी पत्रकारिता ने

उल्लेखनीय योगदान दिया है। पत्रकारिता ने सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा साहित्यिक अर्थात् समग्र राष्ट्रीय चेतना को गहन रूप में परिवर्तित किया है।

भारतीय जनजागरण का अनुभव सर्वप्रथम बंगभूमि ने किया, इसलिए स्वाभाविक रूप से भारतीय पत्रकारिता जिस नव-जागरण और सुधार परिष्कार की भावना को लेकर चली उसका क्रम आज भी जारी है। 19वीं शताब्दी के अन्तिम दशक में ही हिन्दी पत्रकारिता ने इस दिशा में नवीन चेतना को जागृत किया। फलस्वरूप स्वातन्त्र्योत्तर भारत में विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति मिल गई। सभी कुप्रथाओं के कुपरिणामों और भयंकर परिणामों का विवेचन बड़े-छोटे सभी पत्र-पत्रिकाओं ने खूब लिखा है। दैनिक पत्रों में रविवारीय परिशिष्टों में तो आए दिन दहेज प्रथा, विधवा विवाह आदि कुप्रथाओं पर लेख छपते ही रहते हैं। बड़ी पत्रिकाएँ ही नहीं वरन् बच्चों की पत्रिकाएँ भी कहानी व लेख माध्यम से नवजागृति के सन्देश देकर उन्हें अंधविश्वासों से छुटकारा दिलाते हैं। चंदक ने तो बच्चों के लिए एक अन्धविश्वास कथा विशेषांक भी निकाला। जिसमें बच्चों के मन को गहराई से छूने वाली कहानियाँ जैसे—देवी का वरदान, अपशकुन, गंगा-स्नान, भविष्यवक्ता, साधु आदि सभी कहानियाँ अन्धविश्वासों को लेकर ही लिखी गयी हैं। हिन्दी पत्रकारिता ने नवजीवन में अनेक प्रकार से नवचेतना का मंच तैयार किया है। स्वतन्त्रता के पूर्व में पत्रिकाओं का मुख्य ध्येय राष्ट्रीय स्वाधीनता का संघर्ष और प्रजा की समस्याओं का समाधान करना ही था किन्तु स्वातन्त्र्योत्तर वर्षों में हिन्दी पत्रकारिता ने जहाँ देश और समाज का सर्वांगीण विकास करने का प्रयास किया वहीं जन-जागृति नवोन्मेष और समाज सुधार व परिष्कार के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किया है। स्वातन्त्र्योत्तर पत्रकारिता युगीन चेतना की अभिव्यक्ति है उसमें लोक मानस प्रतिरूपित हुआ है और यही युगधारा स्वातन्त्र्योत्तर पत्रिकाओं की प्राणधारा बन गई है।

स्वस्थ मनोविनोद

वर्तमान युग जिस संक्रान्ति से गुजर रहा है, उसमें मनुष्य का व्यक्तित्व अव्यवस्थित हो गया है। ऐसा इसलिए कि निखिल वास्तविकताएँ और विडम्बनाएँ प्रश्नमुखी होकर मनुष्य के सामने आ खड़ी हुई हैं। परिणामतः मुख्य रूप से मनुष्य जो सोचता है वह होता नहीं, जो होता है, उसे सोचा नहीं जाता। कई बार ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं कि मनुष्य व्यस्त जीवन की आपाधापी में यह निर्णय नहीं कर पाता कि क्या किया जाए और क्या न किया जाए। सुबह से शाम तक वह जिस जीवन को जीता है वह जीवन न केवल व्यस्तता का पर्याय है अपितु अनेक समस्याओं, विडम्बनाओं और विकृतियों का प्रतिरूप भी है। जब व्यस्त जीवन की विवशताएँ मानवीय व्यक्तित्व को घेर लेती हैं तो वह तनाव से

आक्रान्त हो जाता है। आमद परिवेश और व्यस्त जीवन की प्रश्नाकुल स्थितियों से मुक्ति पाने के लिये मनुष्य मनोरजन का सहारा लेता है। सिनेमा, खेलकूद, पारस्परिक गपशप हल्के मनोरजन के साधन हैं जब कि स्वस्थ मनोरजन अथवा मनोविनोद का सशक्त माध्यम हास्य-व्यग्य पत्रकारिता है। स्वातन्त्र्योत्तर वर्षों मे जिस तेजी से पत्रकारिता का विकास हुआ है उसमे शुद्ध और स्वस्थ मनोरजन वाली हिन्दी पत्रकारिता की भूमिका भी महत्त्वपूर्ण है। मनोरजन की प्रतीक बनी पत्रकारिता की अनिवार्यता बढती जा रही है। यदि हम जीवन को भरपूर बनाये रखना चाहते है तो हास्य-व्यग्य की सामग्री से भरी पत्र-पत्रिकाओ को जीवन मे स्थान देना होगा। विनोद जीवन की आवश्यकता है और हास्य उस आवश्यकता की पूर्ति का एक साधन है। चुटीले व्यग्य मे वह क्षमता है कि वह चिन्तातुर मनुष्य को कुछ समय के लिए मानसिक राहत दे सकता है। आज जितनी भी पत्रिकाएँ निकलती है जिसमें से अधिकाश ऐसी है जो पूरी तरह भले ही हास्य-व्यग्य को महत्त्व न देती हो किन्तु उनमे ऐसे स्तम्भ अवश्य होते है। यह स्तम्भ हास-परिहास, व्यग्य-विनोद, प्रश्नोत्तर फुलझडी, चुटकले, कहकहे आदि के रूप में देखे जा सकते हैं। धर्मयुग, साप्ताहिक हिन्दुस्तान, कादम्बिनी, इतवारी पत्रिका, मायापुरी, लोटपोट, दीवाना आदि कितनी ही पत्र-पत्रिकाएँ इसका उदाहरण है। प्राय. बडे प्रसिद्ध अखबारो अथवा प्रमुख पत्र-पत्रिकाओ मे रविवारीय परिशिष्टो में यह सब देखा जा सकता है। होली भारत में हास्य-व्यग्य का रगीला त्यौहार है। लगभग सभी पत्र-पत्रिकायें इस उत्सव पर विशेष हास्य-विनोद सामग्री देते हैं। यह एक परम्परा-सी चल पड़ी है जो स्वस्थ पत्रकारिता का लक्षण है।

व्यग्य-विनोद दैनिक पत्रो मे तो कार्टून या व्यग्य-चित्र के द्वारा प्रकाशित किये ही जाते हैं। अलग-अलग पत्र-पत्रिकाओ मे व्यंग्य-विनोद अलग-अलग शीर्षक लिए होते हैं जैसे—'कादम्बिनी' मे चुटकियाँ, किस्से खोजा फकीर के, हु हा, 'नन्दन' मे चटपट, तेनालीराम चीटू-नीटू आदि। 'नवनीत' मे दो क्षण तो हँस लें, 'मुक्ता' मे शाबास, दास्तानें, दफ्तर में लडकियाँ, ये शिक्षक, 'जाह्नवी' मे अब थोडा हँस लें, 'चम्पक' मे देखो हँस न देना, 'सारिका' मे कबिरा खड़ा बाजार मे, साप्ताहिक हिन्दुस्तान' मे ताल-बेताल, धर्मयुग' मे बैठे-ठाले आदि हास्य-व्यग्य के प्रमुख स्तम्भ है। इसके साथ ही यह भी स्मरणीय रखना चाहिए कि कुछ पत्रिकाएँ तो पूरी तरह हास्य व्यग्य विनाद से भरी होती हैं जैसे—'लोटपोट', 'दीवाना', 'तेज साप्ताहिक', 'मधु-मुस्कान', आदि।

स्वातन्त्र्योत्तर वर्षो मे विकसित पत्रकारिता ने घर बैठे स्वस्थ मनोरजन के साधन सुविधाएं जुटाई है, व्यक्ति की पाठकीय सवेदना को भीतर तक छुआ है, उसकी बुद्धि को प्रखर और सूक्ष्म बनाया है तथा उसके हृदय को मुक्तता प्रदान की है। वहाँ सांस्कृतिक अभिरुचियो का विकास किया है, साहित्यिक अभिरुचियो को

बढ़ावा दिया है, जन-जीवन में जागृति पैदा की है, वहीं हास्य-व्यंग्य विनोद के नये-नये रूप भी प्रस्तुत किए है। शैली का चुटीलापन भाषा की सरलता और कथन भंगिमा के कारण यह पत्रकारिता एक ऐसी स्थिति में आ गयी है जिसे देखकर यही लगता है कि आधुनिक व्यस्त जीवन में कुछ रमक्षणों की वर्षा करने का काम पत्रकारिता ने बखूबी किया है और कर रही है।

वैज्ञानिक क्षेत्र

यह एक सामान्य सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति वैज्ञानिक नहीं हो सकता है किन्तु वह विज्ञान द्वारा प्रदत्त सुविधाओं द्वारा लाभ उठा सकता है। हमारे समाज में यो तो अनेक वर्ग है जो विधिवत विज्ञान का अध्ययन करते है और दूसरा वर्ग वह है जो इस अध्ययन से लाभ उठाता है। इसी क्रम में उस वर्ग को भी नहीं भुलाया जा सकता है जो वैज्ञानिक गतिविधियों से परिचित होना चाहता है और इस जिज्ञासा का शमन वैज्ञानिक पत्र-पत्रिकाएं ही करती है। जो वैज्ञानिक तथ्य आम आदमी के काम आते है वे हमें पत्र-पत्रिकाओं में ही मिलेंगे। हिन्दी पत्रकारिता ने जन-सामान्य के परम्परागत और संस्कारजन्य मानस में नित्य प्रति उपलब्ध और आविष्कृत वैज्ञानिक अनुसंधानों को प्रवेश करा दिया है। हिन्दी में आज अनेक ऐसी पत्र-पत्रिकाएँ हैं जो वैज्ञानिक दुनियाँ, वैज्ञानिक अनुसंधानों और विज्ञान द्वारा आविष्कृत दैनिक उपभोग की वस्तुओं और साधनों से परिचित कराती है।

हिन्दी समाचार-पत्रों ने ज्यादातर रविवारीय संस्करण या मासिक पत्रों में ऐसी वैज्ञानिक सामग्री होती है जिन्हें आम बोल-चाल की भाषा में प्रस्तुत किया जाता है ताकि साधारण मनुष्य की समझ में भी वैज्ञानिकता से भरे जटिल प्रश्नों का समाधान किया जा सके। परन्तु दैनिक पत्रिकाएँ भी इसके अपवाद नहीं है। सर्व-प्रथम 'नवभारत टाइम्स' में नियमित वैज्ञानिक स्तम्भ 'विज्ञान और जीवन' शुरू किया और आज तक यह स्तम्भ पाठकों को नई-नई जानकारी देता आ रहा है। प्रथम स्पुतनिक जब छोड़ा गया तो सभी समाचार पत्रों ने इसे प्रमुखता देकर स्थान दिया था, नवभारत टाइम्स ने इससे सम्बन्धित एक चित्र देकर विज्ञान के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा की और उसे समझने में जनसाधारण को कठिनाई भी नहीं हुई। ऐसे स्तम्भ से सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि वैज्ञानिक गोष्ठियाँ, सम्मेलन, विज्ञान विषयक जानकारी हिन्दी में पाठकों को मिलती रही।

वैज्ञानिक पत्रकारिता आज इतनी विकसित इसलिए नहीं है, क्योंकि सभी वैज्ञानिक प्राय. हिन्दी में न लिखकर अंग्रेजी में लिखते है। डॉ. यू. आर. राव तथा डॉ. शिवप्रसाद कोस्टा ने जब हिन्दी साहित्य सम्मेलन में अन्तरिक्ष व आर्यभट्ट के बारे में हिन्दी में समझाया तो लोगों ने उनकी प्रशंसा की क्योंकि आम जनता को वह समझ में आ गया। इसी प्रकार 'धर्मयुग' ने भी समय-समय पर विज्ञान लेख-मालाएँ प्रस्तुत की है जैसे घर-गृहस्थी की छोटी-मोटी घरेलू उपकरणों की देखभाल

आदि विषयों पर लेखमालाएँ छपी थी जिससे कम पढ़ी-लिखी महिलाओं ने काफी जानकारी अर्जित की। समय-समय पर 'धर्मयुग', 'साप्ताहिक हिन्दुस्तान', 'चम्पक', 'पराग', 'कादम्बिनी', 'सरिता' आदि में बड़ों व बच्चों के अनुकूल वैज्ञानिक सामग्री प्रकाशित होती रहती है। छोटी छोटी कहानियों के आधार पर बच्चों को वैज्ञानिक शिक्षा दी जाती है। अभी हाल में घटित घटना टेस्ट ट्यूब बेबी को सभी दैनिक साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक सभी पत्र-पत्रिकाओं ने अपने में समेट कर लोगों को विज्ञान के करिश्मे से परिचित कराया। कादम्बिनी में प्रकाशित लेख, चमत्कारों की दुनियाँ और विज्ञान का बौनापन, सिद्धान्त टेस्ला का, बिना तारों के बिजली, सरिता में प्रकाशित टीके और बीमारियों की रोकथाम, मुक्ता में प्रकाशित कृत्रिम सूर्य, आणविक ऊर्जा संयन्त्र कैसे काम करता है। साप्ताहिक हिन्दुस्तान में प्रकाशित मौत के बाद दुनिया, स्वप्नों का रहस्यमय संसार, धर्मयुग से प्रकाशित वृहस्पति विज्ञान और कृषि यन्त्र, पावर टिलर, छोटा आकार बड़ा कारगर यह लेखमाला प्रकाशित की गई है तथा की जा रही है जिसमें इसके रख-रखाव, मरम्मत और सुरक्षा आदि का विवरण देकर आम आदमी को परिचित कराया गया है। इसी प्रकार बच्चों के लिए बाल जगत में वैज्ञानिक शिक्षा दी गई है जैसे-जादू के प्रकार, साप्ताहिक हिन्दुस्तान के फुलवारी स्तम्भ में वैज्ञानिक लेख व वैज्ञानिक खेल व वार्ताएँ भी प्रकाशित की जाती हैं। जैसे—बिजली के बल्ब और ट्यूब कैसे जलते हैं? इसी प्रकार बच्चों की बाल-पत्रिकाओं—'पराग' 'नन्दन', 'चम्पक' आदि में भी वैज्ञानिक लेख प्रकाशित किये जाते हैं। 'विज्ञान प्रगति' नामक पत्रिका तो पूर्णतया वैज्ञानिक सामग्री प्रस्तुत करती है।

इस प्रकार हिन्दी पत्रकारिता के जहाँ अनेक आयाम सामने आए है, वहीं विज्ञान पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कतिपय नवीनताएँ दृष्टिगोचर हुई है। विज्ञान दिन-प्रतिदिन लोकप्रिय होता जा रहा है और इसका रहस्योद्घाटन हिन्दी पत्रकारिता में ही छिपा हुआ है। आधुनिक समय में विज्ञान इतना अधिक आगे बढ़ गया है कि उसकी अहमियत हमारे जीवन का अंग बन गई है। हम चाहें तो भी उससे बच नहीं सकते। एक पत्रिका के माध्यम से हम नित्य प्रति जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं। वस्तुतः हिन्दी पत्रकारिता जैसे-जैसे विकसित होती जा रही है, वैसे-वैसे हम विज्ञान के अधिकाधिक निकट आते जा रहे हैं।

अन्त में कहा जा सकता है कि स्वातन्त्र्योत्तर पत्रकारिता आज हर क्षेत्र में अपना पदार्पण कर चुकी है चाहे वह क्षेत्र साहित्यिक हो, सांस्कृतिक हो, भाषा शिल्प हो, या विज्ञान हो सभी क्षेत्र में इसका योगदान अभूत है। आज हर देश पत्र-पत्रिकाओं के योगदान के कारण ही जनजागृति के द्वार खोलकर उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है।

अध्याय–10

स्वातंत्र्योत्तर पत्र-पत्रिकाएँ : एक मूल्यांकन

स्वतन्त्रता के बाद बड़ी तीव्र गति से पत्र-पत्रिकाओं का विकास और प्रचार हुआ। इस प्रसार और विकास के मूल में परिवर्तित परिस्थितियां, स्वातन्त्र्य भावना और अभिव्यक्ति की स्वाधीनता के मनोभाव प्रबल रहे हैं। स्वातन्त्र्योत्तर वर्षों में प्रायः यह धारणा प्रबल हुई है कि लेखकीय अभिव्यक्ति पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। लेखकीय स्वाधीनता और अभिव्यक्ति की निर्भीकता प्रेरक स्वाधीनता ने अनेक दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक पत्र-पत्रिकाओं को जन्म दिया। यदि दैनिक पत्रों को लें तो स्पष्ट होता है कि मूलतः राजनैतिक गतिविधियों, दैनिक जीवन की उथल-पुथल और सामाजिक घटनाक्रम को प्रस्तुत करती हैं। ये पत्र अपने शीर्षक में सूचित कर देते हैं कि दैनिक जीवन में जो गतिविधियां हैं, उनमें साहित्य का स्थान अपेक्षाकृत कम है। इस कमी की पूर्ति दैनिक पत्रों के विशेषांक, रविवारीय परिशिष्ट आदि में हो जाती है। ये परिशिष्ट और विशेषांक या तो वर्ष के अन्त में या सप्ताह के अन्त में प्रकाशित होते हैं।

साप्ताहिक-पत्र दैनिक सामयिक की तुलना में अधिक साहित्यिक होते हैं क्योंकि उनमें अधिक पृष्ठ व चिंतन प्रधान होने के कारण साहित्यिक, सामाजिक और विविध प्रकार की सामग्री को अधिक स्थान प्राप्त हो सकता है। यही स्थिति पाक्षिक और मासिक पत्रों की है। जो पत्र जितनी अधिक अवधि के अन्तराल से प्रकाशित होता है उसमें उतना ही अधिक वैविध्य होता है। स्वातन्त्र्योत्तर पत्र-पत्रिकाएँ साहित्यिक, सामाजिक राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि सभी प्रकार की सामग्री प्रस्तुत करते हैं। इन पत्रिकाओं की स्थिति, महत्ता, प्रसार संख्या, उपयोगिता और सामग्री के विशद अध्ययन से हिन्दी पत्रकारिता के वर्तमान स्वरूप को समझा जा सकता है तथा भावी विकास का दिशाबोध ग्रहण किया जा सकता है।

दैनिक-पत्र

हिन्दुस्तान

हिन्दी का राष्ट्रीय दैनिक हिन्दुस्तान सन् 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अवसर पर प्रकाशित हुआ। इसके प्रथम सम्पादक सत्यदेव विद्यालंकार

थे। विद्यालंकार के बाद सन् 1946 से 1963 तक मुकुटविहारी वर्मा ने इसका सम्पादन किया। उनके पश्चात् कुछ दिनों तक हरिकृष्ण त्रिवेदी ने स्थानापन्न सम्पादक के रूप में कार्य किया और इसके पश्चात् रतनलाल जोशी इसके सम्पादक बने। जोशी जी ने 1976 में अवकाश ग्रहण किया और इनकी जगह चन्दूलाल चन्द्राकर ने ये कार्य-भार सम्भाला। विनोद मिश्र भी इसके सम्पादक रहे। वर्तमान में हरिनारायण निगम सम्पादक हैं। इस दैनिक की प्रचार संख्या वर्ष 1987 में 1 लाख 36 हजार के लगभग है जिससे इसकी लोकप्रियता का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। यह हिन्दुस्तान टाइम्स लिमिटेड की ओर से डॉ. गौरीशंकर राजहंस द्वारा हिन्दुस्तान टाइम्स प्रेस, नई दिल्ली में मुद्रित व प्रकाशित होता है। इसका पटना से भी संस्करण निकलता है।

"यत्र तत्र." स्तम्भ के अतिरिक्त सप्ताह में एक बार क्रमशः पुस्तक समीक्षा, स्वास्थ्य-चर्चा, चित्रपट समीक्षा, शंका-समाधान आदि प्रकाशित होते हैं। पाठकों के पत्रों को भी यह दैनिक उचित स्थान देता है। राज्यों की राजधानियों में हिन्दुस्तान के अपने विशेष संवाददाता व कार्यालय संवाददाता नियुक्त हैं जो कि अपने-अपने जिलों के समाचार भेजते हैं। पत्र विभिन्न भारतीय संवाद समितियों की सेवाएँ भी लेता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में विशेष संवाददाता है—भवरसुराणा। यह पत्र अपना रविवारीय परिशिष्ट भी प्रकाशित करता है। यह दैनिक पत्र ए आई. एन ई सी/आई ई एन एस/ए. बी. सी.[1] का सदस्य है। हर रविवार को इसके रविवारीय परिशिष्ट में कला, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान कहानी, फिल्म-वार्ता, बच्चों की सामग्री, महिलापयोगी सामग्री आदि प्रकाशित होती है। इसका रविवारीय परिशिष्ट का प्रथम एवं अन्तिम पृष्ठ रंगीन होता है।

हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि घटनास्थल पर समाचार एकत्र करके उसे पूर्ण विवरण के साथ देना। 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध, राजस्थान व बंगाल में शरणार्थियों के आगमन के समय हिन्दुस्तान के सम्पादक तथा संवाददाताओं ने युद्ध मोर्चों पर जाकर जो समाचार दिए वे वास्तव में सराहनीय हैं और सभी अखबारों के लिए प्रतिस्पर्धा का विषय है। देवदास गांधी के मार्ग-दर्शन में इस पत्र ने उच्च आदर्शों को अपने समक्ष रखा और स्वस्थ परम्पराएँ स्थापित की। हिन्दुस्तान का संचालन प्रारम्भ से ही राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत लोगों के हाथ में रहा। यह स्वाधीनता आन्दोलन का ध्वजवाहक समझा जाता था। 1942

---

1. ए आई एन ई सी. — आल इण्डिया न्यूजपेपर्स एडीटर्स कान्फेंस
   आई ई. एन एस — इण्डियन एण्ड ईस्टर्न न्यूजपेपर्स सोसाइटी
   ए. बी. सी. — आडिट ब्यूरो ऑफ सरक्युलेशन लिमिटेड

कि 'भारत छोड़ो, आन्दोलन मे हिन्दुस्तान लगभग 6 महीने सेन्सरशिप के कारण बन्द रहा। क्योंकि एक लेख पर इससे 6 हजार रुपये की जमानत माँगी गई थी। गाँधी जी की प्रार्थना, भाषण, जवाहरलाल नेहरू और लोहपुरुष सरदार पटेल के ओजस्वी भाषण अविकल रूप से हिन्दुस्तान मे प्रकाशित होते रहे। यह भाषण इस तरह से छपते थे मानो, वक्ता माइक के सामने मौजूद हो। देश के स्वाधीन होने तक हिन्दुस्तान का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय आन्दोलन को बढावा देना था। इसे महात्मा गाँधी व कांग्रेस का अनुयायी पत्र माना जाता है। गाँधी-सुभाष पत्र-व्यवहार को हिन्दुस्तान ने अविकल रूप से प्रकाशित किया था। इसने प्रसिद्ध क्रान्तिकारी यशपाल की कहानियाँ कई सप्ताह तक छापी थी। कई बार हिन्दुस्तान अपनी उत्कृष्ट साज-सज्जा तथा छपाई के लिए भी पुरस्कृत हो चुका है। यह स्थिति इस अखबार को लोकप्रियता और कीर्ति की ओर ले जाती है।

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स बेनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी ने दिल्ली से 4 अप्रेल, 1947 को प्रारम्भ किया। 1950 से कलकत्ता व बम्बई से भी इसके सस्करण प्रकाशित किये गए पर 1953 मे कलकत्ता सस्करण बन्द कर दिया गया और बम्बई सस्करण अभी भी निकल रहा है। नवभारत टाइम्स के प्रथम सम्पादक हरिशंकर द्विवेदी थे। इसके बाद सत्यदेव विद्यालंकार, मातादीन भगेरिया, अक्षयकुमार जैन और प्रसिद्ध साहित्यकार सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन अज्ञेय ने भी इसका सम्पादन किया। वर्तमान मे इसके सम्पादक राजेन्द्र माथुर है। श्री मातादीन भगेरिया के समय मे नवभारत टाइम्स खूब बढा। इनके सम्पादकीय बडे तेज तर्रार होते थे। 1955 मे अक्षयकुमार जैन जब इसके सम्पादक बने तब यह पत्र दैनिक हिन्दुस्तान से काफी पीछे था पर इन्होने अपनी सूझबूझ से नये-नये शब्दो का पयोग, नये-नये विषयो का समावेश तथा नयी-नयी साज-सज्जा करके इसे आगे बढाया। इस पत्र में साहित्य, सस्कृति तथा आध्यात्मिक आयोजनो को सदैव महत्त्व दिया जाता है। इस पत्र मे चौथे पृष्ठ पर छपने वाले लेख, फीचर आदि अपनी अलग ही विशेषता लिए होते है। यह एक राष्ट्रीय दैनिक पत्र है। प्रारम्भ से ही इसका लक्ष्य था कि किसी भी तरह अग्रेजी सैनिको के एकाधिकार को खत्म किया जाए और यह काम उसने पूरी निष्ठा से किया। पत्र आठ पृष्ठीय है और रविवार को इसकी पृष्ठ संख्या बारह होती है जिसमे यह चार पृष्ठीय रविवारीय परिशिष्ट निकालता है, जिसका प्रथम व अन्तिम पृष्ठ रगीन होता है।

नवभारत टाइम्स में अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रादेशिक और स्थानीय समाचारो को बिना लाग-लपेट के नियमित रूप से उचित स्थान मिलता है। यही नही इसके नियमित कालम/शिक्षा, विज्ञान, आर्थिक जगत आदि से पाठको को सम्पूर्ण देश की

जानकारी से अवगत कराया जाता है। सभी हिन्दी भाषी प्रान्तों में इसने अपने संवाददाता नियुक्त कर रखे हैं। चौथे पृष्ठ पर छपने वाले लेख, फीचर इसकी अपनी विशेषता है। साज-सज्जा की दृष्टि से नवभारत टाइम्स हिन्दी दैनिक पत्रों में कई बार अखिल भारतीय पुरस्कार प्राप्त कर चुका है। जयपुर, पटना, लखनऊ से भी इसके संस्करण निकल रहे हैं।

अमर उजाला

दैनिक पत्रों की लम्बी शृंखला में अमर उजाला का भी अपना स्थान है। वर्तमान में आगरा, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मथुरा तथा बरेली अर्थात् पश्चिमी उत्तर-प्रदेश के प्रमुख जिलों में सबसे अधिक लोकप्रिय पत्र अमर उजाला ही है। इसका प्रकाशन व सम्पादन सन् 1948 में डोरीलाल अग्रवाल और मुरारीलाल माहेश्वरी के सम्पादकत्व में प्रारम्भ हुआ। वर्तमान में इसके सम्पादक अनिल कुमार अग्रवाल हैं। यह सर्वप्रथम आगरा से प्रकाशित हुआ, परन्तु सन् 1967 से इसका बरेली संस्करण भी शुरु हो गया है। यह पत्र नेशनल जर्नल प्रेस आगरा से मुद्रित होता है और अमर उजाला कार्यालय आगरा 3 से प्रकाशित होता है। यह छः पृष्ठों का समाचार और सामयिक विषय का दैनिक अखबार है। कभी-कभी यह 8 पृष्ठों का भी निकलता है और रविवार को इसकी पृष्ठ संख्या 10–12 पृष्ठ की होती है। यह ए बी सी /आई ई एन एस /आई एल एन ए./ए आई एन ई सी आदि संस्थाओं का सदस्य है और इनकी पूरी सहायता लेता है। बरेली, मेरठ, मुरादाबाद से भी इसके संस्करण निकलते हैं।

इस अखबार के सम्पादकों और व्यवस्थापकों ने बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास आदि शहरों में भी अपने संवाददाता नियुक्त कर रखे हैं। इसके स्थायी स्तम्भों में आज का भविष्य, वर्गीकृत विज्ञापन, सम्पादकीय, पत्र, कथा, गोष्ठी, सुझाव और शिकायतें, बाजार भाव आज के आयोजन, नगर का तापमान, खेलकूद, आगरा संक्षिप्त, अनशन धरना आदि हैं जो समय-समय पर थोड़े से हेर-फेर के साथ प्रकाशित होते रहते हैं। रविवारीय अंक में कुछ स्तम्भ और होते हैं-जैसे स्वास्थ्य चर्चा, काव्य सरिता, बच्चों का कोना आदि क्योंकि इस रोज अमर उजाला का साप्ताहिक परिशिष्ट अलग से निकलता है। अतः इसके स्तम्भ रोजाना से अलग हो जाते हैं।

रविवार को अमर उजाला किंचित परिवर्तित रूप लेकर सामने आता है। उसमें नित्य प्रकाशित होने वाले स्तम्भ तो होते ही हैं, अलग से 4 पृष्ठ विशेष साज-सज्जा लिए प्रस्तुत होते हैं। ये इसके रविवारीय परिशिष्ट के नाम से निकलते हैं। इस परिशिष्ट में लाल और काले दोनों रंगों के शीर्षक होते हैं तथा साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक सामग्री से यह भरा होता है। इसके पहले पृष्ठ

पर साहित्यिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक लेखमालाएँ होती हैं। दूसरे पृष्ठ पर इसी प्रकार के लेख होते है तो तृतीय पृष्ठ पर काव्य सरिता नामक स्तम्भ होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की कविताएँ, गजल आदि प्रकाशित होती हैं। ये कविताएँ दो कालम में रहती है। तीसरे ही पृष्ठ पर आश्चर्यजनक सत्य नामक स्तम्भ व बच्चों का कोना प्रकाशित होता है। बच्चों का कोना में कुछ कविताएँ, कहानियां, चुटकले, पहेलियाँ तथा एक रेखांकित कामिक्स रामू और श्यामू प्रकाशित होता है। चतुर्थ पृष्ठ फिल्मी मसालों से भरा रहता है। इसमें कुछ सफल अभिनेताओं, अभिनेत्रियों, सफल व सर्वोत्तम फिल्मी गानों आदि की रोचक चर्चा होती है।

दैनिक जागरण

कानपुर में जागरण का प्रारम्भ सन् 1947 में पूर्णचन्द्र गुप्त ने किया, पर आजकल इसका सम्पादन श्री नरेन्द्र मोहन कर रहे है। कानपुर के अलावा यह पत्र गोरखपुर, लखनऊ व इलाहाबाद में भी निकल रहा है। यह ए.आई.एल ई. सी / आई.एल.एन.ए. ए.बी.सी का सदस्य है। पत्र जागरण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड के लिए नरेन्द्र मोहन द्वारा सर्वोदय नगर, कानपुर से दैनिक जागरण प्रेस से छपकर प्रकाशित होता है। यह आठ पृष्ठ का दैनिक समाचार-पत्र है। प्रति रविवार 12 पृष्ठ का होता है।

दैनिक जागरण के स्थायी स्तम्भ में मुख्य है—भाईसाहब, कानपुर समाचार, कला संस्कृति, लोग, अर्थकौटिल्य, विज्ञान, स्वास्थ्य, देश चर्चा, महिला, व्यापार जगत, सिनेमा, खेलकूद, समाचार मौसम, दूर-दर्शन आदि। दैनिक जागरण के चतुर्थ पृष्ठ का अपना ही महत्त्व है। यह पृष्ठ सभी के लिए उपयोगी बनाया गया है जो हर बार को अपना अलग ही शीर्षक देकर लेख आदि प्रकाशित करता है। जैसे सोमवार को 'अर्थ-कौटिल्य' और 'लोग', बुधवार को 'खेलकूद' व 'देश चर्चा,' गुरुवार को 'स्वास्थ्य', शुक्रवार को 'कला संस्कृति' और शनिवार को 'महिला जगत्' रहते हैं।

पंजाब केसरी

लाला जगतनारायण ने 1965 में पंजाब से 'पंजाब केसरी' नामक दैनिक पत्र की नींव डाली। पंजाब केसरी के साथ उसका उर्दू दैनिक पत्र भी छपता है उसका नाम है दैनिक हिन्दी समाचार। पंजाब केसरी स्वतन्त्र नीति का समर्थक है और इसके निर्भीक सम्पादक थे श्री रमेशचन्द्र। अभी हाल ही पंजाब आन्दोलन में इसके सम्पादक श्री रमेशचन्द्र ने अपनी स्वतन्त्र नीति किसी भी प्रलोभन में आकर नहीं छोड़ी। इनके लिए उन्होंने अपने आप को भी बलिदान कर दिया। वर्तमान में इसके सम्पादक विजय कुमार है। यह पत्र स्वत्वाधिकारी हिन्द समाचार लिमिटेड के

लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक लाला जगतनारायण द्वारा हिन्दी प्रेस, पत्रकार बाग, जालन्धर से मुद्रित व प्रकाशित होता है। यह अब दिल्ली से भी अपना सस्करण निकालने लगा है। यह पत्र आई.ई.एन एस /आई.एल.एन ए /ए.बी सी का सदस्य है। यह पत्र प्रतिदिन आठ पृष्ठ का निकलता है पर रविवार को यह 10 पृष्ठ का होता है। इसकी प्रसार सख्या लगभग 176145 है।

आठ पृष्ठीय पजाब केसरी आठ कालमों मे विभक्त है। इसके नियमित स्तम्भो मे मुख्य है—चलते-चलते, सम्पादकीय, कल क्या होगा, आज का दिन, खेल-कूद, मण्डी आदि पर इन सब स्तम्भों के अतिरिक्त पंजाब केसरी अपने सस्करण भी निकालता रहता है जैसे व्यग्य विनोद सस्करण शनिवार को, कला संस्कृति सस्करण मंगलवार को, गुरुवार को कहानी सस्करण, सोमवार को महिला सस्करण, बुधवार को खेल-खिलाडी सस्करण निकलते है। इन सस्करणों का प्रथम पृष्ठ रगीन चित्रो से सुसज्जित रहता है।

पजाब केसरी का रविवारीय संस्करण का मुख पृष्ठ ज्यादातर सिनेमाओं आदि की घटनाओ व लेखो से भरा रहता है। द्वितीय पृष्ठ पर भी कुछ लेख, चित्र-कथा आदि प्रकाशित होते है और इसके बाकी 8 पृष्ठ जो दैनिक पत्र की तरह ही स्तम्भो से सुसज्जित रहते है।

पजाब केसरी अन्य दैनिको से कुछ पृथकता लिये है तथा जिसका हर बार किसी न किसी के लिए होता है। इसके जो सस्करण निकलते हैं उनमे रविवार को छोडकर सभी सस्करणो का मूल्य वही होता है जो कि साधारण प्रति का है।

सन्मार्ग

18 अप्रेल, 1948 को सनातन धर्म के प्रसिद्ध सन्त स्वामी करपात्री जी के आशीर्वाद से 'सन्मार्ग' का प्रकाशन वाराणसी मे हुआ। अनन्त मिश्र तथा चन्द्र-शेखर शास्त्री भी इस पत्र के सम्पादक रहे हैं। कुछ समय तक इसके सम्पादक आनन्द बहादुर सिंह रहे, पर इसके बाद सम्पादक बी एस गुप्त ने कार्य भार सम्भाला। वर्तमान मे इसके सम्पादक रामअवतार गुप्त है। सन्मार्ग प्रा लिमिटेड के लिए रामअवतार गुप्त द्वारा सन्मार्ग प्रेस 160/सी चितरजन एवेन्यू, कलकत्ता–7 से मुद्रित एव प्रकाशित होता है। यह आई ई एन एस /आई एल एन ए /ए आई एन.ई.सी / ए बी सी. का सदस्य है। यह छ पृष्ठीय दैनिक है पर हर रविवार को इसकी पृष्ठ सख्या 8 हो जाती है। यह अपने गणतन्त्र दिवस परिशिष्ट भी निकालता है। ऐसे अवसरो पर इसकी पृष्ठ सख्या 12 हो जाती है।

इस पत्र का मूल उद्देश्य सनातन धर्म के स्वरूप की रक्षा करना तथा हिन्दू धर्म के प्रति लोगो मे चेतना व जागृति की भावना भरना रहा है। राजनैतिक

समाचारों के साथ-साथ सन्मार्ग ने भाषा, साहित्य और संस्कृति की परम्परा को सामने लाने में भी भरपूर योगदान दिया है। अखिल भारतीय धर्म संघ इसका संचालन करता है। इसके स्थायी स्तम्भ 'सुनो भाई साधो' (व्यंग्य-चित्र) श्री रामचरित मानस, पंचांग राशिफल, लस्टम-पस्टम आज के कार्यक्रम, सभा संस्था, वाणिज्य एवं उद्योग, आज क्या होगा, नगर का मौसम आदि हैं। इन स्तम्भों के अलावा कलकत्ता और उपनगर, कृषिजगत, नाट्य जगत, स्वास्थ्य प्रश्नोत्तर आदि भी हैं जिनके कि क्रम बने हुए हैं।

हर शुक्रवार को यह पत्र छायाचित्र और रंगमंच, नाट्य जगत, सितारों की बातें, यादों के झरोखे से फिल्मी फुलझड़ियाँ, लाल बुझक्कड़ आदि शीर्षक देकर लेख लाता है। इन सभी शीर्षकों के अन्तर्गत चित्रपट सम्बन्धी जानकारी छपी रहती है। सिवाय लाल बुझक्कड़ और नाट्य जगत को छोड़कर। नाट्य जगत के अन्तर्गत नाटकों के प्रदर्शन समीक्षा आदि की बातें है और लाल बुझक्कड़ शीर्षक के अन्तर्गत प्रश्न व उत्तर निहित रहते है।

सन्मार्ग रविवार को अपना रविवारीय परिशिष्ट भी निकालता है। अतः इसका स्वरूप थोड़ा बदल जाता है। रविवार के दिन इसका तीसरा पृष्ठ, कहानियाँ, गजल, लेख आदि से भरा होता है तथा अग्रिम चौथा पृष्ठ, महिला जगत व बाल-मण्डल को समर्पित होता है। महिला जगत में महिलाओं से सम्बन्धित लेख-वार्ता व बाल-मण्डल में बालक के मन के अनुसार कहानियाँ, कविताएँ, चुटकले आदि प्रकाशित होते हैं। यही नहीं इस पृष्ठ पर उड़न खटोला नामक स्तम्भ के अन्तर्गत व्यंग्य, कविताएँ, तुकबन्दियाँ आदि प्रकाशित की जाती हैं और लस्टम-पस्टम नामक स्तम्भ भी इसी पृष्ठ पर सुशोभित होता है। पाँचवाँ पृष्ठ कहानी व उपन्यास, लघु-कथा, कविताओं से सम्बन्धित होता है और बाकी छठे पृष्ठ पर उपर्युक्त दैनिक शीर्षक ही सुशोभित होते हैं, पर यह शीर्षक थोड़े हेर-फेर के साथ प्रकाशित किए जाते हैं। इसका रविवारीय परिशिष्ट कई बार एक से अधिक रंगों में प्रकाशित होता है।

विश्वमित्र

1916 में हिन्दी समाचार-पत्रों की जननी बंगभूमि कलकत्ता में एक हिन्दी पत्र ने और जन्म लिया, वह था विश्वमित्र। इसके जन्मदाता बाबू मूलचन्द अग्रवाल थे। उन्होंने अपने अथक प्रयास व कठिन मेहनत से इस पत्र को सींचा और इसको स्थापित किया। धीरे-धीरे यह हिन्दी पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना स्थान बनाने लगा। वर्तमान में यह बम्बई, कलकत्ता कानपुर से प्रकाशित हो रहा है। इसका बम्बई संस्करण 1942 व कानपुर संस्करण 1948 में शुरू हुआ। इस पत्र में श्री कृष्ण चन्द्र अग्रवाल काफी समय तक सम्पादक रहे वर्तमान में इसके सम्पादक सुन्दरलाल

त्रिपाठी हैं। मारवाड़ी क्षेत्रों में विशेष रूप से यह पत्र लोकप्रिय है। यह इलस्ट्रेटेड इण्डिया प्रेस 74 लेनिन सारिणी से मुद्रित होता है। इसके सभी संस्करण छ पृष्ठ के निकलते हैं। परन्तु हर रविवार को चार पृष्ठ अतिरिक्त होते हैं। इन अतिरिक्त पृष्ठों में साहित्य व सांस्कृतिक सामग्री होती है तथा इसका साइज 62.5 × 44 से. मी. है। विश्वमित्र आठ कालम में विभक्त है। यह आई ई एन एस. का सदस्य है। दैनिक विश्वमित्र अपने विशेषांक भी निकालता है जैसे गणतन्त्र परिशिष्ट। दैनिक विश्वमित्र के स्थायी स्तम्भों में सतर्क दाताराम, कलकत्ते की हलचल, रमता योगी, नीति वचन, सम्पादकीय, चलते-चलते, राशिफल, सिनेमा जगत, बाजार का रुख, रेस के चुनाव, रोगियों के प्रश्नोत्तर, चौपाल आदि हैं। हर शुक्रवार को विश्वमित्र, सिनेमा जगत व दिल्ली हलचल लिए होता है तो सोमवार को धार्मिकता लिए होता है। इसके अतिरिक्त इसमें प्रतिदिन साहित्यिक व सांस्कृतिक चर्चा भी रहती है।

दैनिक विश्वमित्र हर रविवार को रविवारीय विश्वमित्र के नाम से निकलता है जिसमें छ पृष्ठों में तो रोजाना की ही सामग्री निहित रहती है पर इसके अतिरिक्त चार पृष्ठ विश्वमित्र चयनिका के नाम से निकलते हैं। प्रथम पृष्ठ पर कोई एक कथा सच्ची घटना पर आधारित रहती है तथा एक कहानी भी प्रकाशित होती है। द्वितीय पृष्ठ बाल मण्डल को समर्पित होता है जिसमें बच्चों के मनभावन कविताएँ, कहानियाँ, पहेलियाँ, ज्ञान-विज्ञान, क्या तुम जानते हो? बताओ तो जाने? खेल, बच्चों की कलम से, आदि चीजें प्रकाशित होती है। यह रचनाएँ इस प्रकार की होती हैं जो बच्चों को शीघ्र अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। तृतीय पृष्ठ महिलाओं के लिए होता है जिसे नाम दिया गया है—महिला-मण्डल। इस स्तम्भ के अन्तर्गत नारी से सम्बन्धित लेख मालाएँ व वार्ताएँ प्रकाशित होती हैं। विश्वमित्र चयनिका का चौथा व अन्तिम पृष्ठ पर कुछ स्वास्थ्य चर्चा तो कुछ फिल्मी चर्चा, कुछ लेख व कथाएँ प्रकाशित होती है।

नई दुनिया

स्वतन्त्रता के प्रभात से कुछ ही मास पूर्व 5 जनवरी, 1947 को नई दुनिया ने जन्म लिया। इसका जन्म श्री कृष्णचन्द मुद्गल तथा श्री कृष्णकान्त व्यास के प्रयत्नों से हुआ। आज की नई दुनिया जिस रूप में हमारे सामने हैं, वह उसका सौम्य और प्रौढ़ रूप है। पहले अपने प्रारम्भिक रूप में वह एक छोटा सा सायंकालीन दैनिक पत्र था। मध्यप्रदेश के गठन के पश्चात् नई दुनिया का प्रकाशन रायपुर एवं जबलपुर में ही प्रारम्भ हुआ पर 1971 में यह दोनों संस्करण बन्द कर दिये गये। 1967 में नई दुनिया ने अपना मुद्रण आफसेट रोटरी मशीन पर प्रारम्भ किया। इस प्रकार की मशीन भारत में पहली बार नई दुनिया के पास आई। यही नहीं नई दुनिया को इस बात का भी श्रेय प्राप्त है कि इसने सर्वप्रथम सम्पूर्ण मध्य-

प्रदेश में पहला टेलीप्रिंटर स्थापित करके वैज्ञानिक व तकनीकी पत्रकारिता की शुरुआत की। यह पत्र केवल मध्यदेश का ही पत्र नहीं है वरन् साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों और समाजसेवियों का सगम है—देश के प्रसिद्ध युवा साहित्यकार तथा विद्वान् जिसमे शरद जोशी, डॉ० श्याम परमार, डॉ० वेद प्रताप वैदिक, श्याम व्यास, मदन मोहन मदारिया, रणवीर सक्सेना, प्रभात जोशी, विष्णु खरे, बाल कवि वैरागी आदि प्रमुख हैं जो नई दुनिया से किसी न किसी रूप मे जुड़े रहे हैं।

इन्दौर से प्रकाशित नयी दुनिया आठ पृष्ठीय समाचार प्रधान समसामयिक दैनिक है। इसने अपने सवाददाता बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास आदि जगहों पर नियुक्त कर रखे है। यह पत्र आई ई एन एस/आई एल एन ए/ए बी सी ए आई एन ई एस का सदस्य है। यह पत्र आठ कालम मे विभक्त है। इसके मुख पृष्ठ पर करीब 60 से 80 से० मी० का एक चित्र सदा विद्यमान रहता है। यह नरेन्द्र तिवारी द्वारा नई दुनिया के लिए नई दुनिया प्रेस, केसरबाग रोड, इन्दौर से मुद्रित एव प्रकाशित होता है। पहले इसके सम्पादक राहुल बारपुते थे पर आज यह नरेन्द्र तिवारी के सम्पादन मे निकल रहा है। प्रबध सम्पादक बसती लाल साडिया है। अब यह भोपाल से भी सस्करण निकालने लगा है।

नई दुनिया के स्थायी स्तम्भो मे इन्दौर का मौसम, रात की धारणा, बेताल कदम, नगर के चलचित्र गृहो मे, आकाशवाणी, पत्र सम्पादक के नाम, 25 साल पहले, भविष्य फल, व्यापार व्यवसाय, खेलकूद, आज, आदि। यही नही, अलग-अलग स्तम्भ भी निकलते है जैसे सोमवार को साप्ताहिक भविष्य, खेल पहेली, बुधवार को घर की दुनिया, गुरुवार को खेत और खलिहान, शुक्रवार को सिनेमा आदि। नई दुनिया का छठा पृष्ठ शुक्रवार को 'सिनेमा पत्र एक्स्ट्रा के नाम' से पाठकों को फिल्मी दुनिया की सैर कराता है तो गुरुवार को खेत व खलिहान मे परिचित कराता हुआ बुधवार को घर की दुनिया मे ले जाता है। रविवार के दिन नई दुनिया का चौथा, पाँचवा व छठा पृष्ठ कुछ लेख, कहानियाँ, कविताएँ, बच्चों व महिलाओ से सम्बन्धित सामग्री लेकर प्रकाशित होता है।

नई दुनिया स्पष्ट व साफ-सुथरा सम्पादकीय, विशिष्ट साज-सज्जा व सरल भाषा से ओत-प्रोत, उत्कृष्ट व ताजा समाचार हमारे सामने लेकर उपस्थित होती है। इन्ही विशेषताओ के कारण नई दुनिया का हिन्दी मे अपना स्थान है। भारतीय भाषाओं के बड़े समाचार-पत्रो मे अपनी उत्कृष्ट छपाई के कारण 1980 का द्वितीय पुरस्कार नई दुनिया को मिला है। इसकी प्रसार संख्या 135479 है।

नवभारत

मध्यप्रदेश का लोकप्रिय दैनिक नवभारत सर्वप्रथम नागपुर से सन् 1938 मे प्रकाशित हुआ। मायाराम सुरजन इसके प्रथम सम्पादक होकर आए। इनके बाद

कालकाप्रसाद दीक्षित, मदनलाल माहेश्वरी इसके सम्पादक बने। वर्तमान में इसके सम्पादक रामगोपाल माहेश्वरी है। नवभारत ने धीरे-धीरे काफी ख्याति अर्जित की अतः 1950 मे जबलपुर से, 1956 में भोपाल से, 1959 में रायपुर से और 1960 मे इन्दौर बिलासपुर से भी इसके सस्करण निकलने लगे। जबलपुर संस्करण के स्थानीय सम्पादक प० कालिकाप्रसाद दीक्षित कुसुमाकर, भोपाल सस्करण के त्रिभुवर यादव, रायपुर सस्करण के श्री गोविन्दलाल वोरा, इन्दौर सस्करण के मदनलाल माहेश्वरी हैं। इन सभी सस्करणो के प्रधान सम्पादक श्री रामगोपाल माहेश्वरी हैं। यह आई ई एन एस/आई एल एन ए/ए आई एन ई सी/ए बी सी का सदस्य है तथा यह पी टी आई यू एन आई, समाचार भारती से समाचार सेवा लेता है।

आठ पृष्ठ का यह दैनिक आठ कालम में ही विभक्त है। समय-समय पर नवभारत अपने विशेषांक निकालता रहता है जैसे 26 जनवरी। नवभारत समय-समय पर बाल जगत, महिला जगत, कृषि ससार, सिनेमा आदि स्तम्भ भी प्रकाशित करता रहता है। इसकी प्रसार सख्या वर्ष 87 में 51698 थी।

नवभारत का रविवारीय परिशिष्ट हर रविवार को प्रकाशित होता है। इस परिशिष्ट में कहानी, गजल, कविताएं, व्यग्य, वार्ताएँ प्रकाशित होती हैं। बाल जगत भी इसमें स्थान प्राप्त करता है जिसमे बालक मन को भाने वाली छोटी-मोटी कविता, कहानी, अनमोल वचन, पहेलियां आदि प्रकाशित होती हैं। काव्य-कुज नामक स्तम्भ में व्यग्य व विनोद से भरपूर कविताएँ व क्षणिकाएँ प्रस्तुत की जाती है। साप्ताहिक राशिफल व विचार पूर्ण लेख वार्ता भी रविवारीय पृष्ठ पाठक के सम्मुख लाता है तो सिनेमा-प्रेमियो की जिज्ञासा भी शान्त करता है। इस प्रकार यह सस्करण सभी आयु-वर्ग के लिए होता है।

नवभारत स्वतन्त्र विचारधारा का दैनिक-पत्र है जो समाचार व सामयिक विषय के लिए होता है।

स्वदेश

1966 की विजयादशमी को इन्दौर से दैनिक हिन्दी स्वदेश प्रकाशित हुआ। इन्दौर से प्रकाशित होने के बाद स्वदेश 1971 में ग्वालियर से भी निकलने लगा। इन्दौर सस्करण के प्रथम सम्पादक गगाप्रसाद शर्मा थे फिर सत्यव्रत रस्तोगी रहे। माणिक चन्द इसके सम्पादक रहे है। यह पत्र अपनी स्पष्टवादिता के कारण या यो कहे कि शासन विरोधी नीतियो के कारण दो बार बन्द हो चुका है। स्वदेश 6 पृष्ठीय पत्र है जो कृष्णकुमार अष्ठाना द्वारा रेवा प्रकाशन लिमिटेड के लिए स्वदेश मुद्रणालय, 91 तिलक पथ से मुद्रित एवं प्रकाशित होता है। इसके सम्पादक प्रकाश बोहरा है। भोपाल से भी इसका सस्करण निकलने लगा है।

स्वदेश के स्थायी स्तम्भों मे जीवन दर्शन, रात की धारणा, यह इन्दौर है, नगर मे आज, सूक्ति सुधा, सम्पादकीय जनमानस, उद्योग व्यापार व्यवसाय, भाग्य-चक्र, खेल के मैदान से, महाकाल की नगरी आदि है। इसके अतिरिक्त स्वदेश ने अलग-अलग दिन अलग-अलग विषयों के लिए बना रखे है जैसे-अन्नपूर्णा धरती माँ केलिए-शुक्रवार, मगलवार-स्वास्थ्य रक्षा के लिए तथा बुधवार-वनिता, विश्व आदि।

इसके अतिरिक्त एक स्तम्भ स्वदेश का है-इन्द्र-धनुष। इसके अन्तर्गत विभिन्न अखबारो मे छुटीले समाचार व किसी नेता आदि द्वारा कही गयी बाते सक्षेप मे प्रकाशित की जाती है। यह आठ पृष्ठ का रविवारीय परिशिष्ट भी निकालता है। इस परिशिष्ट मे समसामयिक लेख, व्यग्य, कहानी, नाटक, लोककथाएँ, लघु कथाएँ, कविता, गजल, पुस्तक समीक्षा, चित्रकथा, गुदगुदी आदि शीर्षको से रचनात्मकता को प्रोत्साहित और प्रेरित किया जाता है। इसी दिन साप्ताहिक भविष्यफल भी अकित रहता है। यह पत्र 26 जनवरी, 15 अगस्त, दीपावली, होली आदि के विशेषांक भी समय-समय पर प्रकाशित करता रहता है।

राजस्थान पत्रिका

दैनिक राजस्थान पत्रिका आज प्रदेश के प्रमुख समाचार-पत्रो मे गिना जाता है। अभी 24 वें राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह मे सूचना व प्रसारण मन्त्रालय द्वारा बडे दैनिक समाचार-पत्रो मे (भारतीय भाषा मे) राजस्थान पत्रिका को मुद्रण मे प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। 80-81 मे 23वें राष्ट्रीय पुरस्कार मे भी मध्यम श्रेणी के पत्रो मे इसके जोधपुर सस्करण को प्रथम पुरस्कार दिया गया था। इस प्रसिद्ध अखबार को कुलिश जी ने 7 मार्च, 1956 को सायकालीन दैनिक के रूप मे शुरू किया और यह दैनिक 1956 से 1961 तक सायकालीन दैनिक के रूप मे ही चलता रहा। पहले यह चार पृष्ठ का दैनिक था। आज हमे यह 10 पृष्ठीय अखबार दिखाई देता है। राजस्थान मे राजस्थान पत्रिका पहला अखबार है जिसने छपाई मे स्टीरियो रोटरी मशीन का प्रयोग शुरू किया। यही नही, इसी ने पहली बार राज्य के मुख्य-मुख्य शहरो को टेलीप्रिंटर लाइन से जोडा। राजस्थान पत्रिका ने ही पहली बार सीधे ब्लाक बनाने के लिए इलेक्ट्रोनिक मशीन मगवाई और इसी ने लाइनो कम्पोज शुरू किया। भारत मे प्रथम बार इसी पत्र ने फेसीमल फोटो शुरू की। यह फेसीमल फोटो 19 11-82 को एशियाड खेल से शुरु की गई। इसकी सेवा जयपुर, उदयपुर व दिल्ली को प्राप्त हुई। राजस्थान पत्रिका पत्रो की स्वतन्त्रता का पूर्ण समर्थक है यही कारण था कि 3 सितम्बर, 1952 को इसने बिहार प्रेस बिल के विरोध मे पूर्ण हड़ताल रखी और 4 सितम्बर को अपना कोई भी अक नही निकाला। राजस्थान पत्रिका की पाठ्य

सामग्री भी इस प्रकार की है जो अन्यत्र देखने को नहीं मिलती। वर्तमान में इसके सम्पादक मिलाप कोठारी हैं।

राजस्थान पत्रिका के नियमित स्तम्भों में नीति-अनीति, योगायोग, अर्थचक्र, कर्मलोक, परिसर, मझधार में, मिडलची, नगर-परिक्रमा, चित्रकथा, प्रसंगवश, सुभाषित प्रदीप, लोकमत आदि आते हैं जो वार के हिसाब से प्रकाशित होते रहते हैं। राजस्थान पत्रिका का स्वरूप काफी बदल कर सामने आया है। 1 अक्टूबर, 1983 से इसने विशेष फीचर सेवा शुरू की जिसमें सोमवार को युवा जगत, मंगलवार को मनोरंजन, बुधवार को लोकपर्व, बृहस्पतिवार को विविध, शुक्रवार को गाँव-वाणी, शनिवार को अध्यात्म तथा, रविवार को रविवारीय परिशिष्ट। इसके अलावा समय-समय पर विभिन्न प्रदेशों की चिट्ठियाँ देकर विशेषताओं से परिचय कराना भी इसकी विशेषता है। विश्ववार्ता, शिक्षक जगत, शेष विशेष, अपने ही घर में, बात करामात, प्रसंगवश, नगर परिक्रमा, आकाशवाणी, दूरदर्शन, वादे-वादे जयतें पच्चीस साल पहले आदि इसके प्रमुख स्तम्भ हैं। बुधवार को पारिवारिक परिशिष्ट भी निकालने लगा है।

यह पत्र स्वत्वाधिकारी राजस्थान पत्रिका प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक श्रमरचन्द कोठारी द्वारा रोटरी प्रिंटर्स, केसरगढ़, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर 4 से मुद्रित एवं प्रकाशित होता है। इसका उदयपुर संस्करण 14 दिसम्बर, 1981 से प्रकाशित हुआ है। 14 सितम्बर, 1979 से इसका जोधपुर संस्करण भी आरम्भ किया गया है। इसने अपने संवाददाता, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास आदि जगहों पर भी नियुक्त कर रखे हैं। यह आई. ई. एल. एस /ए बी सी का सदस्य है। राजस्थान पत्रिका का अपना रविवारीय परिशिष्ट एक अलग छाप लिए होता है जो रंगीन होता है। कविताएँ, गजल, कहानी, लेख, समीक्षा आदि इसमें रहते हैं। इस प्रकार पाठ्य-सामग्री की दृष्टि से पत्रिका अपने आप में अनूठी है और अपना अलग विशिष्ट स्थान निर्धारित करती है। 1982 में इस पत्र को मातृश्री एवार्ड भी प्रदान किया गया। कोटा एवं बीकानेर से भी इसका संस्करण निकलने लगा है। वर्तमान में इसकी प्रसार संख्या 222510 है।

राष्ट्रदूत

हनुमान सहाय शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित राष्ट्रदूत दैनिक सन् 1951 में जयपुर से प्रकाशित हुआ। सन् 1975 में यह कोटा से भी निकलने लगा और वर्तमान में बीकानेर से भी प्रकाशित हो रहा है। यह दैनिक आठ पृष्ठीय है पर रविवार को इसकी पृष्ठ संख्या बारह होती थी। इसके स्थायी स्तम्भों में देश-विदेश प्रदेश, चलते-चलते राही, प्रादेशिक समाचार, विचार-बिन्दु, कटीले फूल, जनवाणी, विविध चर्चा, आज का भविष्य, बाजार भाव आदि

है। आज यह रविवारीय सस्करण न निकाल कर अपनी एक साप्ताहिक रंगीन पत्रिका निकालता है जो कि विविध प्रकार की छाप लिए होती है। छोटे शीर्षकों में खबरें देना इसका अपना अनूठा तरीका है।

राष्ट्रदूत का हर बुधवार को अपना एक भव्य साप्ताहिक परिशिष्ट निकलता है जो विविध प्रकार की सामग्री से ओत-प्रोत रहता है जिसमें तीसरे व चौथे पृष्ठ पर विभिन्न प्रकार की सामग्री रहती है जैसे 'विविधा' में चोरवी, अनोखी, रोचक सामग्री, 'विदेशाटन' में विदेशों के बारे में अद्यतन जानकारी, 'वैचारिका' में सम्पादकीय विचार प्रवाह, 'छिद्रान्वेषण' में बाल की खाल अर्थात् कटीले फूल का दूसरा रूप 'स्वास्थ्य चर्चा' में रोगियों के लिए उपचार, 'क्रीड़ा जगत' में खेल विषयक जानकारी, 'नई फिल्मों' के अन्तर्गत नई फिल्मों की समीक्षा आदि प्रकाशित की जाती है।

राष्ट्रदूत रविवार को अपना 'राष्ट्रदूत साप्ताहिक' नाम से परिशिष्ट निकालता है जिसमें सत्य कथा, कहानी, कविताएँ युवाजगत, शीर्षक प्रतियोगिता, खेल खिलाड़ी, बाल मण्डल, साप्ताहिक भविष्य, सिने संसार, चित्रकथा, ज्ञान विज्ञान, नारी लोक आदि शीर्षक देकर विभिन्न प्रकार की सामग्री प्रकाशित की जाती है। यही नहीं एक दो कार्टून भी इस परिशिष्ट में रहते हैं। *यह परिशिष्ट सभी आयु वर्ग के लिए उपयोगी होता है।*

राष्ट्रदूत के वर्तमान सम्पादक श्री राजेश शर्मा हैं। यह कोटा से भी प्रकाशित होने लगा है। इसकी प्रसार संख्या 19633 है।

दैनिक नवज्योति

राजस्थान में सबसे पुराना दैनिक पत्र दैनिक नवज्योति अजमेर में 1936 में प्रकाशित हुआ। 1960 में इसका जयपुर संस्करण भी शुरू किया गया। आज यह कोटा से भी प्रकाशित हो रहा है। दुर्गाप्रसाद चौधरी के सम्पादकत्व में यह पत्र निकला तथा आज भी उनकी देख रेख में अमर ज्योति प्रिंटिंग प्रेस, जोबनेर बाग, जयपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित हो रहा है। इसके सम्पादक दीनबंधु चौधरी है। यह दैनिक आठ पृष्ठ का है तथा आठ कालम में विभक्त है। इसने दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, उज्जैन आदि जगहों पर अपने संवाददाता नियुक्त कर रखे हैं। इसके स्थायी स्तम्भों में आमने-सामने, परदे के पीछे, विज्ञान, राष्ट्रीय घटनाचक्र, सामयिक चिन्तन, स्वास्थ्य, अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं का चक्र, रंगारंग, पड़ोसी देश, विविधा आदि है। यह पत्र सोमवार को विज्ञान, मंगलवार को आमने-सामने व खेल चर्चा, बुधवार व शनिवार को सामयिक चिन्तन व स्वास्थ्य, गुरुवार को राष्ट्रीय घटनाचक्र व शुक्रवार को अन्तर्राष्ट्रीय घटनाचक्र आदि विशेष सामग्री देता है।

दैनिक नवज्योति हर सप्ताह अपना रविवारीय नवज्योति भी निकालता है जिसमे यह लेख, लघु कथाएँ वार्ता, कहानी, संस्मरण, कविताएँ, गजल आदि प्रकाशित करता है। इसके अतिरिक्त फिल्म-समीक्षा व साप्ताहिक राशिफल को भी इसमे प्रकाशित किया जाता है। रविवार के रोज भी इसकी पृष्ठ संख्या आठ ही रहती है तथा इसका रविवारीय वार्ता तीन-चार पृष्ठ पर छपी रहती है बाकी पृष्ठ दैनिको की तरह ही रहते हैं।

जलते दीप

दैनिक 'जलते दीप' जोधपुर से 1969 मे प्रारम्भ हुआ। इसके संस्थापक स्व माणक मेहता थे। वर्तमान मे इसके सम्पादक पदम मेहता हैं। यह जलते दीप कार्यालय से प्रकाशित एवं प्रिन्टकोट इन्डस्ट्रीज जोधपुर मे मुद्रित होता है। इसके प्रबन्ध सम्पादक फारूक अफरीदी है और समाचार सम्पादक प्रकाश पुरोहित हे। आज इस पत्र का संस्करण प्रहलाद जोशी के सम्पादन मे जयपुर से भी निकल रहा है। जलते दीप के संवाददाता बम्बई, कलकत्ता, देहली व तमिलनाडू मे नियुक्त है। यह आई ई एन एस./ए आई. एन. ई. सी. का सदस्य है। इसकी प्रसार संख्या 30898 है।

चार पृष्ठीय यह दैनिक आठ कालम मे विभक्त होता है। इसके स्थायी स्तम्भ तीसरी नजर, दिनमान, व्यापार दशा, सम्पादकीय, गाधी उवाच, मामूलीराम, जनता की आवाज, देश के कोने-कोने से, विश्व समाचार, फिल्म, खेल जगत आदि है।

जननायक

कोटा शहर से प्रकाशित दैनिक पत्र जननायक सन् 1973 मे प्रकाशित हुआ। इसके वर्तमान सम्पादक भंवर शर्मा "अटल" है। यह जनता प्रिंटर्स, आनन्द भवन, स्टेशन रोड, कोटा 324001 से मुद्रित एवं प्रकाशित होता है। यह चार पृष्ठ का दैनिक है और आठ कालम मे विभक्त रहता है। विशेषाक के दिन इसकी पृष्ठ संख्या छ हो जाती है। राजस्थान का यह प्रथम पत्र है जो कि एक व्यग्य वार्ता "ऐसा क्यो" ? राजस्थानी भाषा मे प्रकाशित करता है। यह पत्र रविवारीय परिशिष्ट भी निकालता है। जिसमे राजनीतिक, साहित्यिक व सास्कृतिक लेख, कहानियाँ, कविताएँ, गजल आदि प्रकाशित की जाती है। जननायक 'नारी' नामक स्तम्भ सोमवार को प्रकाशित करता है तथा साथ ही रविवार के रोज स्थान न पाने वाले, लेख, कविताएँ, कहानियाँ आदि भी प्रकाशित की जाती है।

इस प्रकार जननायक एक चार पृष्ठो का दैनिक है और समय-समय पर यह अपने विशेषाक भी निकालता है जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, होली, दीवाली आदि पर।

वीर अर्जुन

दिल्ली से निकलने वाले 'वीर अर्जुन' का जन्म 1954 में हुआ। यह एक छोटा-सा चार पृष्ठीय दैनिक समाचार-पत्र था पर वर्तमान में यह 8 पृष्ठ का है। पर हर रविवार को यह अपना आठ पृष्ठीय साप्ताहिक और प्रकाशित करता है। किसी जमाने में महाशय कृष्णजी की लोह लेखनी इसमें आग उगलती थी। वीर अर्जुन का अपना एक विशेष पाठक-वर्ग है। आज इसकी सम्पादकीय टिप्पणियों के कारण ही इस पत्र की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। इसके सम्पादकीय किसी का न तो समर्थन करते हैं और न लगाव। इनके सम्पादकीय स्पष्ट व बिना लाग-लपेट के होते हैं। उनकी ओजस्वी शैली-पाठकों में स्फूर्ति तो भरती ही है, जिस प्रकार पहले प्राय हुआ करता था कि सम्पादक ही अखबार का मालिक भी होता था अर्थात्, पीर, बावर्ची, भिश्ती, खर, सब कुछ अखबार का सम्पादक ही होता था वही स्थिति वीर अर्जुन की भी है। वीर अर्जुन का द्वितीय पृष्ठ पाठकों में विशेष लोकप्रिय है क्योंकि इसी पृष्ठ पर इसका सम्पादकीय रहता है जो अपनी ओजस्वी शैली के कारण पाठकों को विशेष प्रिय है।

इस प्रकार इस छोटे से दैनिक की प्रसार संख्या लगभग 20,834 है। वीर अर्जुन हर रविवार को अपना एक आठ पृष्ठ का समाचार-पत्र साप्ताहिक भी निकालता है जिसमें लेख, वार्ता, फीचर, यात्रा-वृतान्त, साप्ताहिक भविष्य, कहानी, वीर बालक, ससद, कार्टून, नारी ससार, जीवनियां, पुण्य-तिथि, शूटिंग आदि प्रकाशित करता है। नारी ससार में नारी से सम्बन्धित रखने वाले लेख प्रकाशित किए जाते हैं तो शूटिंग कालम में फिल्मों की समीक्षा अर्थात् फिल्म सम्बन्धी सूचनाओं से भरा रहता है। वीर अर्जुन ज्यादातर राजनैतिक खबरों के अलावा और कुछ भी स्तम्भ नहीं देता है यही कारण है कि इसका एक विशेष पाठक-वर्ग है।

13 सितम्बर, 1973 को दिल्ली से 'जनयुग' प्रकाशित हुआ। जनयुग समा-समाचार व सामयिक खबरें प्रकाशित करने वाला दैनिक है। यह पत्र 8 पृष्ठ का निकलता है, पर रविवार या अन्य कोई त्योहार पर इसकी पृष्ठ संख्या दस हो जाती है। यह पत्र मुख्तार अहमद खान द्वारा न्यू ऐज प्रिंटिंग प्रेस, नई दिल्ली से मुद्रित व प्रकाशित होता है। इसके सम्पादक श्री हरिकृष्ण व्यास हैं पर वर्तमान में गौरीशंकर है। यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पत्र है। जनयुग में प्रकाशित लेख विचारपूर्ण तो होते ही हैं साथ ही इसमें भ्रष्टाचार विरोधी समाचारों को विशेष स्थान मिलता है। यह आई ई एन एस /ए. आई. एन. ई. का सदस्य है। संघर्ष ही इस पत्र की प्रवृत्ति है।

रविवार के साप्ताहिक परिशिष्ट के अन्तर्गत लेख, वार्ताएं, कविताएं तथा एक कहानी भी प्रकाशित की जाती है। बच्चों, आदि से सम्बन्धित कोई भी स्तम्भ

प्रकाशित नही किया जाता है और न इस दैनिक मे विज्ञान, साहित्य, कला, संस्कृति आदि के बारे मे स्तम्भ या रोचक लेख ही प्रकाशित किये जाते है। कम्यूनिस्ट पार्टी से सम्बन्धित समाचारो को ही यह पत्र प्रमुखता देता है।

स्वतन्त्र भारत

'स्वतन्त्र भारत' का 15 अगस्त, 1947 को अशोक जी के सम्पादन में लखनऊ से प्रकाशन शुरू हुआ। अशोक जी 1947 से 1953 तक इस स्वतन्त्र भारत को सँवारते रहे और इसके बाद वह भारत सरकार में आ गए। अशोक जी के बाद योगिन्द्रपति त्रिपाठी इसके सम्पादक बने और उन्होंने इसका सम्पादन अगस्त, 1971 तक किया। भारत सरकार से सेवा-निवृत्त होने पर अशोक जी पुन. 1972 मे इसके सम्पादक बन गए और 1978 तक इस पत्र को विभिन्न प्रकार की सामग्री देकर इसके स्तर को बढाते रहे। जनवरी 1979 से इसके प्रधान सम्पादक डॉ. के. पी. अग्रवाल बने व सम्पादक शिवसिंह सरोज है। उत्तरप्रदेश मे स्वतन्त्र भारत का अच्छा प्रभाव है। यह पायोनियर प्रेस लखनऊ से मुद्रित एव प्रकाशित होता है।

आठ पृष्ठीय यह दैनिक समाचार-पत्र पहले पाँच कालम मे निकलता था। इसके स्थायी स्तम्भ है—काव-काव, अग्रलेख टिप्पणी, कार्टून, (बड़ा-छोटा) देशचक्र, देश-देशान्तर, विदेश-चर्चा, आपके विचार, सुझाव शिकायत, राज्यो की चिट्ठियाँ आदि। स्वतन्त्र भारत विशेष अवसरो जैसे होली, दशहरा, दिवाली, 15 अगस्त, 26 जनवरी पर अपने विशेषाक भी निकालता है। इसका रविवारीय परिशिष्ट अच्छा होता है जिसमे सभी आयु वर्ग के लोगो के अनुसार सामग्री प्रकाशित होती रहती है।

यह पत्र प्रेस ट्रस्ट, हिन्दुस्तान समाचार, समाचार भारतीय, यू. एन. आई तथा पत्र-सूचना कार्यालय से समाचार लेता है। इसने प्रदेश के लगभग सभी प्रमुख नगरो दिल्ली, बम्बई, हैदराबाद, पटना, जालन्धर आदि स्थानो पर अपने सवाददाता नियुक्त कर रखे है।

समाचारों के अतिरिक्त समय-समय पर महत्त्वपूर्ण लेख प्रकाशित किए ही जाते हैं। उत्तरप्रदेश की राजनीति तथा उसके विकास कार्यों की विशद व्याख्या एव विश्लेषण प्रकाशित करना इस पत्र की अपनी एक विशेषता है। पाठको को राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सास्कृतिक, वैज्ञानिक आदि विषयो से निष्पक्ष और सही सूचनाएँ तथा उनकी रुचि को परिष्कृत करना ही इस पत्र का मुख्य ध्येय है।

आज

वाराणसी, कानपुर व पटना से प्रकाशित 'आज' आठ पृष्ठ का दैनिक पत्र है। सर्वप्रथम आज कलकत्ता से शिवप्रसाद गुप्त ने 5 सितम्बर, 1920 को आरम्भ

किया। इसके सम्पादक प्रसिद्ध पत्रकार व बाबूराव विष्णु पराड़कर थे। पराड़कर जी के साथ ही इसके सम्पादक व कमलापति त्रिपाठी भी बने। आज ने भारत के स्वाधीनता आन्दोलन में सक्रिय योगदान दिया और अंग्रेजी शासन की कटु आलोचना की। यही कारण था कि पराड़कर जी पर राजद्रोह का मुकदमा चला और आज से जमानतें माँगी गयीं। आज ने हिन्दी गद्य को एक नया स्वरूप प्रदान किया। सैकड़ों शब्द आज के माध्यम से हिन्दी में आए और उसके अंग बन गए हैं। जैसे मिस्टर के स्थान पर श्री तथा मैसर्स के स्थान पर सर्वश्री का प्रयोग।[1] बाबू श्री प्रकाश, रामकृष्ण रघुनाथ खाडिलकर व डॉ सम्पूर्णानन्द भी इसके सम्पादक रहे। सन् 1930 व 1940 में आज को अंग्रेजी सरकार का कोप-भाजन बनना पड़ा फलस्वरूप इसे अपना प्रकाशन बन्द करना पड़ा। ब्रिटिश अधिकारियों के अत्याचारों का भण्डाफोड करने पर 1925 में पराड़कर जी को जेल हुई और जमानत न देने का संकल्प कर उन्होंने पत्र प्रकाशन बन्द कर दिया।

आज ने अधिकांश ध्यान स्वतन्त्रता के पश्चात् उत्तरप्रदेश तथा समीपवर्ती क्षेत्रों की ओर अनेक जिलों के प्रमुख समाचार जिलों के शीर्षकों के नीचे प्रकाशित करने की नीति अपनाई। इसके रविवारीय संस्करण में राष्ट्रीय भावनाओं से ओत-प्रोत अच्छी सामग्री रहती है। 1975 से आज का कानपुर संस्करण भी प्रारम्भ कर दिया है। वर्तमान में इसके सम्पादक शार्दूल विक्रम गुप्त हैं। आज के माध्यम से हिन्दी के अनेक लेखक व कवि प्रकाश में आये हैं। डॉ भगवानदास, आचार्य नरेन्द्र देव और प्रसिद्ध कवि सुमित्रानन्दन पंत आज के नियमित लेखक व कवि रहे हैं।

आज के स्थायी स्तम्भ हैं, वाराणसी और आसपास, यह सप्ताह, दैनिक पंचांग, आप का आज का दिन, बिहार समाचार, सम्पादकीय, अमरवाणी, सम्पादक के नाम पत्र, मण्डी भाव, चित्रकथा, खेलकूद आदि। रविवार को इन स्तम्भों में कविता, लेख, संस्मरण, चलचित्र जगत्, दुनिया, बाल समद आदि जुड़ जाते हैं। यह पत्र अनेक समितियों की सहायता लेता है जैसे ए.पी.सी./आई ई एन एस, ए आई एन ई सी/ आई एल एन ए आदि। बम्बई, कलकत्ता, देहली, तमिलनाडु आदि जगहों पर आज के अपने संवाददाता नियुक्त किए हुए हैं। आठ पृष्ठीय यह पत्र आठ कालम में विभक्त है और वाराणसी से विद्याभास्कर द्वारा मुद्रित व प्रकाशित होता है। वाराणसी प्रकाशित आज सायंकालीन दैनिक रहा है। वर्तमान में वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर, पटना, इलाहाबाद, आगरा और राँची से इसके संस्करण निकलते हैं।

---

1. हिन्दी पत्रकारिता - विविध आयाम पृ 128

स्वाधीनता संघर्षकाल से प्रकाशित दीर्घजीवी यह दैनिक अनेक संघर्षों से जूझता हुआ आज तक विद्यमान है। इसके सभी स्तम्भ काफी लोकप्रिय हैं। समाचार प्रदर्शित करने का इसका अपना ढंग और शैली है। उत्तरप्रदेश में प्रकाशित दैनिक आज हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ पत्र है। आज का योगदान हिन्दी पत्रकारिता के क्षेत्र और महत्व की शृंखला में एक मजबूत कड़ी के रूप में है।

आर्यावर्त

आर्यावर्त का प्रकाशन पटना से दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने अंग्रेजी 'इण्डियन नेशन' के सहयोगी के रूप में 1940 किया था। इसके प्रथम सम्पादक पं. दिनेशदत्त झा थे। इसके बाद क्रमशः व्रजनन्दन आजाद और श्रीकान्त ठाकुर ने सम्पादक का भार ग्रहण किया। यह पत्र राष्ट्रवादी नीतियों का परिपोषक है। लगभग 20 वर्षों तक ठाकुर ने इस पत्र को अपने बुद्धि कौशल से आगे बढ़ाया और राज्य व राष्ट्र की समस्याओं के प्रति जन-मानस में जागरूकता पैदा की। 1968 में जयकान्त मिश्र ने इसका सम्पादन का भार सम्भाला। वर्तमान में इसके सम्पादक हीरानन्द झा शास्त्री हैं। आर्यावर्त दी न्यूज पेपर्स एण्ड पब्लिकेशन लिमिटेड की ओर से व इण्डियन नेशन प्रेस, पटना में गीरिन्द्र मोहन भट्ट द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित होता है। बिहार में प्रकाशित सभी समाचार-पत्रों में आर्यावर्त की प्रसार संख्या अधिक है। यह आई.ई.एन.एस./ए.बी.सी./ए.आई.एन.ई.सी. का सदस्य है। आर्यावर्त छः पृष्ठ का दैनिक है जो आठ कालम में विभक्त है। रविवार के दिन उसकी पृष्ठ संख्या आठ हो जाती है।

रविवार को सातवाँ व आठवाँ पृष्ठ आर्यावर्त साप्ताहिक परिशिष्टांक के रूप में प्रकाशित होते हैं जिनमें लेख, कहानियाँ, कविताएँ, निबन्ध, गजल आदि को तो स्थान मिलता ही है, इसके अतिरिक्त बाल जगत में बच्चों के लिए भी सामग्री प्रकाशित की जाती है। साप्ताहिक राशिफल भी रविवार को प्रकाशित किया जाता है। द्वितीय महायुद्ध (1939-45), भारत पर चीन आक्रमण (1962), भारत पाकिस्तान का संघर्ष (1965) और भारत व पाकिस्तान के युद्ध (1971) में ग्रामीण क्षेत्रों में भी समाचारों के प्रति उत्सुकता बढ़ी तो आर्यावर्त ने इसका पूरा लाभ उठाया। इस प्रकार आर्यावर्त अपने पाठकों को राज्य की समस्याओं से अवगत कराता हुआ उनमें स्फूर्ति भरता रहता है।

दैनिक भास्कर

दैनिक भास्कर विश्वम्भर दयाल अग्रवाल द्वारा नोविन प्रिण्टिंग प्रेस इब्राहिम-पुरा, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित होता है। इसका सर्वप्रथम प्रकाशन 1958 में हुआ। पहले इसके सम्पादक काशीनाथ चतुर्वेदी थे, वर्तमान में इसके प्रधान

सम्पादक महेशचन्द्र अग्रवाल है तथा श्यामसुन्दर ब्योहार सम्पादक है। यह आठ पृष्ठीय दैनिक आठ कालम में विभक्त होता है। दैनिक भास्कर भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन तथा झांसी से एक साथ प्रकाशित होता है। यह अखबार मध्यप्रदेश में दिन-प्रतिदिन लोकप्रियता प्राप्त करता आ रहा है। उत्तम छपाई व साफ फोटो देना इसकी अपनी विशेषता है।

युगधर्म

सन् 1951 में नागपुर से युगधर्म दैनिक का प्रकाशन हुआ। यह पत्र नरकेसरी मुद्रणालय नागपुर से प्रकाशित होता है। सन् 1956 में जबलपुर में व 1972 में रायपुर में भी इसके संस्करण प्रकाशित होने लगे। इन सभी संस्करणों के प्रधान सम्पादक भगवती प्रसाद बाजपेयी रहे पर वर्तमान में इसके सम्पादक दिवाकर प्रसाद देशपाण्डे हैं। नागपुर संस्करण के सम्पादक श्री सत्यपाल पटाइत, रायपुर संस्करण के सम्पादक बबनप्रसाद मिश्र व जबलपुर के सम्पादक राधेश्याम शर्मा हैं। छह पृष्ठीय यह दैनिक आठ कालम में विभक्त होता है। युगधर्म ए.आई.एन.ई.सी./आई.एल.एन.ए./आई.ई.एन.एस. का सदस्य है।

युगधर्म मध्यप्रदेश व महाराष्ट्र में हिन्दी-प्रेमियों की अच्छी सेवा कर रहा है। सभी तरह की सामग्री पाठकों को प्रदान करके यह दिन-प्रतिदिन अपना स्थान बना रहा है। सन् 1951 से यह दैनिक अनेक संघर्षों से जूझता हुआ अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तथा हिन्दी-प्रेमियों की सेवा का व्रत करने की ठाने हुए है।

नवजीवन

नेशनल हैराल्ड (अंग्रेजी) व कौमी आवाज (उर्दू) की प्रकाशन संस्था दि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड ने आजादी के उषाकाल में लखनऊ से नवजीवन दैनिक का सर्वप्रथम 1947 में प्रकाशन किया। यह कांग्रेस नीति का समर्थक है। शुरू से ही वरिष्ठ नेताओं का इस पर वरदहस्त रहा है जैसे पं. जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इन्दिरा गांधी, डॉ. युद्धवीरसिंह, उमाशंकर दीक्षित आदि। यह आठ पृष्ठ का दैनिक है। कोई विषय ऐसा नहीं है जो इससे अछूता हो। नेशनल हैराल्ड के एम. चलपतिराव जैसे प्रमुख सम्पादकों व पत्रकारों का पूर्ण सहयोग नवजीवन को मिलता रहा है। इस पत्र की अपनी अलग ही प्रकार की टाइप, लेआउट, मेकअप है। देश की राजनीति से सम्बन्धित खबरें प्रकाशित करना इस पत्र की विशेषता है। कांग्रेस की नीति का समर्थक होने के कारण यह पत्र उत्तरप्रदेश में अत्यन्त प्रभावशाली है। इसके प्रथम सम्पादक सत्यदेव शर्मा थे। वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मण नारायण गर्दे ने भी नवजीवन का सम्पादकीय भार सम्भाला है। उनके समय में नवजीवन में भाषा व वर्तनी के सम्बन्ध में काफी सुधार हुआ। वर्तमान में इसके सम्पादक कृष्णकुमार मिश्र हैं। इसकी सम्पादकीय टिप्पणी भी कांग्रेस की रीति-

नीति की ही समर्थक होती है। अगर इस दैनिक को पूर्णतया कांग्रेसी अखबार कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति न होगी।

प्रदीप

सर्चलाइट प्रेस, पटना से प्रकाशित दैनिक 'प्रदीप' काफी लोकप्रिय है। बिहार जर्नल्स लिमिटेड ने 15 अगस्त, 1947 को प्रदीप का प्रथम अंक का प्रकाशन किया। उसी समय अंग्रेजी मे दैनिक सर्चलाइट का भी प्रकाशन हुआ। इस पत्र के सम्पादक श्री रामसिंह भारतीया है। राष्ट्रीयवादी स्तर ही इसका मुख्य विषय है। यह आठ पृष्ठ का दैनिक है व आठ ही कालम में विभक्त है। सभी वर्ग के लोगों को इसमें अपनी इच्छित सामग्री प्राप्त हो जाती है। यह बनारसीदास झुनझुनू वाला द्वारा मुद्रित व पटना से प्रकाशित होता है।

वीर प्रताप

पजाब से प्रकाशित हिन्दी पत्रों मे वीर प्रताप काफी लोकप्रिय है। 26 जनवरी, 1955 को पजाब से दैनिक वीर अर्जुन का प्रकाशन हुआ पर यही वीर अर्जुन 1958 मे परिवर्तित होकर वीर प्रताप हो गया। यह जयहिन्द प्रिन्टिंग प्रेस, जालन्धर से वीरेन्द्र ललित मोहन व चन्द्रमोहन द्वारा मुद्रित व प्रकाशित होता है। यह छः पृष्ठीय दैनिक अखबार है पर रविवार व विशेष अवसरों पर इसके पृष्ठ कम हो जाते हैं। यह आठ कालम मे विभक्त होता है तथा सभी तरह की सामग्री यह अपने पाठक-वर्ग को देता है। इसके सवाददाता कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली आदि जगहों पर नियुक्त है। यह अपने साथ दैनिक प्रताप नाम से उर्दू पत्र भी रोज निकालता है। यह पत्र स्वतन्त्र नीति का समर्थक है।

तरुण भारत

लखनऊ से दैनिक तरुण भारत का प्रकाशन सन् 1974 मे हुआ। यह विनोदचन्द माहेश्वरी द्वारा राष्ट्रधर्म प्रकाशन लिमिटेड, स्वदेश प्रेस से मुद्रित एव प्रकाशित होता है। इसके सम्पादक वचनेश त्रिपाठी रहे है। वर्तमान में इसके सम्पादक वि. भा. धुमरे हैं। यह 4 पृष्ठ का दैनिक समाचार-पत्र है तथा आठ कालम में विभक्त हैं।

देशबन्धु

नवभारत जबलपुर सस्करण के सम्पादक मायाराम सुरजन ने अपने अथक परिश्रम से सन् 1959 में रायपुर से देशबन्धु का प्रकाशन किया। यह पत्रकार प्रकाशन, नई दुनिया प्रिन्टिंग प्रेस से मुद्रित एव प्रकाशित होता है। वर्तमान में भी इसके सम्पादक मायाराम सुरजन ही है। यह आठ पृष्ठ का दैनिक है तथा रायपुर, जबलपुर और भोपाल से एक साथ प्रकाशित हो रहा है। आठ कालम में विभक्त

इस दैनिक ने बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, देहली आदि स्थानों पर अपने संवाददाता नियुक्त कर रखे हैं।

जनसत्ता

दिल्ली से प्रकाशित जनसत्ता का नाम आज अग्रणी पत्रों में लिया जा रहा है। खोजपूर्ण पत्रकारिता को इसने नये आयाम दिए। खोज खबर, गपशप, किताबें, इस पत्र के सर्वाधिक लोकप्रिय स्तम्भ है। अपनी विशेष शैली, आम भाषा, तेज-तर्रार सम्पादकीय लेखों व प्रस्तुतीकरण के कारण अत्यन्त ही लोकप्रिय है। रविवारी रविवारी संस्करण भी यह निकालता है। इण्डियन एक्सप्रेस प्रा. लि. का यह प्रकाशन है। प्रभात जोशी इसके सम्पादक है। चण्डीगढ़ व बम्बई से भी प्रकाशित हो रहा है।

साप्ताहिक पत्र

धर्मयुग

धर्मयुग देश का सर्वश्रेष्ठ हिन्दी साप्ताहिक है। हिन्दी में सबसे अधिक बिकने वाला पत्र साप्ताहिक धर्मयुग ही है। धर्मयुग का प्रथम अंक 1950 में बम्बई से प्रकाशित हुआ। यह टाइम्स ऑफ इण्डिया द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसके प्रथम सम्पादक प्रसिद्ध साहित्यकार इलाचन्द्र जोशी थे। जोशी जी के बाद इसके सम्पादक हेमचन्द्र जोशी व सत्यदेव विद्यालंकार हुए। धर्मवीर भारती के बाद वर्तमान में इसके सम्पादक गणेश मन्त्री है। धर्मयुग ने हरेक सम्पादक के काल में एक नया मोड़ लिया और निरन्तर देश व साहित्य को नई दिशा देता हुआ आगे बढ़ता रहा। केवल भारत ही नहीं, दुनिया भर में हिन्दी-भाषी लोगों में यह विशेष प्रिय है। व्यावसायिक साप्ताहिक होते हुए भी यह एक साहित्यिक व सांस्कृतिक पत्रिका के रूप में पाठकवर्ग में विशेष लोकप्रिय है। इसने अनेक नये-नये लेखकों को तो जन्म दिया ही है इसके अतिरिक्त यह पाठकों को साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनैतिक सामग्री प्रदान करता रहा है। इस पत्रिका की एक सबसे बड़ी विशेषता यही है कि जैसी जनरुचि होती है, वैसी ही यह पाठकों को सामग्री देता है।

साज सज्जा से भरपूर बहुरंगी यह पत्र 60 75 पृष्ठ का है और तीन तथा चार कालमों में इसकी सामग्री होती है। इसका प्रस्तुतिकरण उत्कृष्ट है। मुख्य पृष्ठ रंगीन पारदर्शी, मन को मोहने वाला, ताजा घटनाओं के चित्रों से सजा रहता है। इसी मुख पृष्ठ पर रंगीन चित्र से सम्बन्धित आवरण कथा रहती है। इसमें रंगीन रेखांकन व सादे चित्र तो घटनाओं को प्रदर्शित करते हुए मुद्रित होते हैं है, साथ ही पैनापन लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व्यंग्य चित्र भी होते है। उपन्यास व कहानियों में विविध मन स्थितियों को चित्रित करने वाले चित्र रहते हैं तो बच्चों के पन्नों पर बच्चों के मन को छूने वाले चित्र कथानक रहते हैं।

यह साप्ताहिक उपन्यास कहानी, लेख, निबन्ध, साक्षात्कार, संस्मरण, रिपोर्ताज आदि तो देता ही है इसके अलावा घूमता आइना, खबरों के आगे-पीछे, देश देशांतर, हास-परिहास, मुस्कान, बात-बतगड, उड़ते-उड़ते, दूसरी आवाज, युवाओं के लिए तरुणमंच, आपकी लेखनी, सुर्खियों के पीछे, व्यंग्य चित्रकथा, ढब्बूजी तथा बच्चों के लिए चित्रकथा इसके स्थाई स्तम्भ हैं। जुलाई, 90 से यह पत्रिका पाक्षिक हो गई है।

धर्मयुग एक रंगीन चित्रकथा भी हरेक अंक में क्रमशः देता है। ये चित्र कथाएँ कभी वीरों की गाथाएँ कहती हैं, कभी इतिहास की झाँकी प्रस्तुत करती है तो कभी किसी विद्वान या नेता की जीवन गाथा से लोगों में प्रेरणा भरती है तो कभी प्रेम गाथा के रस से सराबोर करती हैं।

इन स्तम्भों के अतिरिक्त धर्मयुग हर सप्ताह घटित होने वाली घटनाओं को पूर्ण तथ्यों के साथ प्रकाशित करता है। ये घटनाएँ सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक होती हैं। विशेष अवसरों पर विशेष सामग्री पाठकों के पास पहुँचाना इसकी अपनी विशेषता है। होली, दिवाली, गणतन्त्र दिवस आदि के अवसरों पर यह अपने विशेष अंक निकाल कर पाठकों के पास पहुँचाता है और उनका भरपूर मनोरंजन करता है।

इन सब सामग्री के अतिरिक्त धर्मयुग में एक कहानी व एक धारावाहिक उपन्यास व कविताएँ भी होती हैं। विभिन्न भाषाओं से अनुदित सर्वश्रेष्ठ कविताओं की बानगी भी इसमें रहती है। इसके अतिरिक्त लेख, वार्ता, साक्षात्कार, रिपोर्ताज, संस्मरण आदि साहित्य की जितनी भी विधाएँ हो सकती हैं, सभी विधाओं पर यह सामग्री प्रकाशित करता है। धर्मयुग अपने विशेष आकर्षण के कारण हिन्दी के चोटी के पत्रों में गिना जाता है। इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि 1986 में इसकी प्रसार संख्या एक लाख 41 हजार थी।

साप्ताहिक हिन्दुस्तान

हिन्दुस्तान टाइम्स लि. द्वारा प्रकाशित साहित्यिक व सांस्कृतिक पत्रिका साप्ताहिक हिन्दुस्तान का प्रथम अंक 2 अक्टूबर, 1950 को निकला था। राजधानी से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिकों में यह प्रमुख साप्ताहिक पत्र है। इसके प्रथम सम्पादक मुकुटबिहारी वर्मा थे। मुकुटबिहारी वर्मा के बाद इसके सम्पादक बांके बिहारी भटनागर बने। अपनी लगन, निष्ठा व मेहनत से इन्होंने साप्ताहिक हिन्दुस्तान को दिन पर दिन लोकप्रिय बनाया। इस समय के सभी प्रसिद्ध साहित्यकारों, लेखकों, कवियों का जितना सहयोग ले सकते थे, इन्होंने लिया। इन्होंने अनेक विशेषांक निकाले जो काफी लोकप्रिय हुए। भटनागरजी के बाद इसके सम्पादक

मनोहर श्याम जोशी बन कर आए। इनकी सम्पादिका शीला झुनझुन वाला भी रही है। वर्तमान मे इसकी सम्पादिका मृणाल पांडे है।

56 से 64 पृष्ठ का यह साप्ताहिक तीन और चार कालम मे विभक्त है। साप्ताहिक हिन्दुस्तान का सम्पादकीय प्रमुख रूप से राष्ट्रीय होता है जिसमे सम-सामयिक समस्याओ, राजनीति, अर्थनीति की चर्चा होती है। इसका आवरण पृष्ठ बहुरगी चित्र लिये आकर्षक होता है। मुख-पृष्ठ के चित्र की कथा कलेवर मे दी जाती है। इसके स्थायी स्तम्भों में आपके पत्र, कसाटसौर, पुस्तक चर्चा, फिल्म, दूरदर्शन, बात बतगड, आपका पन्ना, फुलवारी मुख्य है। सुर्खियो मे, घर-घर की, व्यग्य चित्र कथा मुख्य है। स्थायी स्तम्भो के अतिरिक्त यह लेख, कहानी, उपन्यास सस्मरण, कविता तथा विशेष अवसरो पर विशेष सामग्री भी देता है।

साप्ताहिक हिन्दुस्तान के स्थायी स्तम्भो मे एक स्तम्भ चित्रकथा है। इसके अन्तर्गत प्राय कोई ऐतिहासिक, सास्कृतिक, तथा पौराणिक कथा को लेकर सचित्र कहानी कही जाती है। कथाओ के माध्यम से या तो कोई सन्देश दिया जाता है या कोई जीवनोपयोगी सकेत अथवा उपदेश देता है। वस्तुत. यह स्तम्भ रोचक सामग्री के साथ-साथ हमारी सास्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को भी प्रस्तुत करता है। इसके अन्तर्गत प्रकाशित होने वाली चित्र-कथाओ का शिल्प कथात्मक और गम्भीर एव सवेदनापूर्ण है। 'बोलती छाया' स्तम्भ के अन्तर्गत फिल्मी सितारो और फिल्मो का लेखा- जोखा रहता है। इसमे अभिनेताओ और अभिनेत्रियो के किसी न किसी विशेष पक्ष की जानकारी दी जाती है। साथ ही फिल्मो की समीक्षा भी प्रस्तुत की जाती है। समीक्षा बडी बेलाग और निष्पक्ष रहती है। 'आधी दुनिया' स्तम्भ के अन्तर्गत महिला जगत के लिए सौन्दर्य प्रसाधन, सिलाई, बुनाई, विविध प्रकार के व्यजन व महिलोपयोगी प्रसगो की चर्चा की जाती है।

'मन की उलझन' भी साप्ताहिक हिन्दुस्तान का एक उल्लेख स्तम्भ है। इस स्तम्भ के अन्तर्गत पाठको के स्वास्थ्य सम्बन्धी पत्र रहते हैं। इन प्रश्नो का समाधान किसी चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये प्रश्न अधिकतर मनोवैज्ञानिक होते हैं।

'ऐसा भी हुआ' स्तम्भ किसी अनहोनी घटनाओ का वर्णन करता है। ये घटनाएँ ऐसी होती हैं जिन पर विश्वास करना होता है।

साप्ताहिक हिन्दुस्तान मे 'फुलवारी' स्तम्भ बच्चो का पृष्ठ है। इस पृष्ठ पर बच्चो के अनुरूप सामग्री प्रकाशित होती है जिसमे, चित्र कथा, कविता, कहानी विज्ञान से सम्बन्धित बातें रहती है। विज्ञान के छोटे-छोटे प्रश्न व उत्तर द्वारा बच्चो मे यह स्तम्भ वैज्ञानिक भावना जगाता है।

इन सब स्तम्भो के अतिरिक्त साप्ताहिक हिन्दुस्तान 'ताल-बेताल' शीर्षक मे व्यग्य-वार्ता प्रस्तुत करता है। यह व्यग्य-वार्ता राजनैतिक, सामाजिक, सास्कृतिक विषय पर होती है। 'मुसीबत है' स्तम्भ मे कार्टून द्वारा चित्रित हास्य रहता है, तो 'तथ्य कथ्य' मे सच्ची घटनाओ को उदाहरण सहित प्रस्तुत किया जाता है। खेल-प्रेमी लोगो के लिए भी खेल-सामग्री प्रति सप्ताह प्रकाशित की जाती है। इसके अतिरिक्त इसने क्रिकेट विशेषाक व खेल विशेषाक भी समय-समय पर अपने पाठक-वर्ग को दिए हैं। केवल क्रिकेट विशेषाक ही नही, वरन् प्रत्येक खेल समारोह पर यह विशेष सामग्री प्रकाशित करता है। साप्ताहिक हिन्दुस्तान मे प्रकाशित लेखो की दुनिया विविधात्मक है। राजनीति, विज्ञान, इतिहास, धर्म, दर्शन, समाज, इतिहास, आर्थिक ससार आदि कितने ही विषयो पर सामग्री रहती है। इसमे कहानी, कविता, धारावाही उपन्यास, जीवन-कथा, गजल, साक्षात्कार, सस्मरण, साहस गाथाएँ आदि भी प्रकाशित की जाती है। ये सब विधाएँ एक प्रकार से इस पत्रिका को साहित्य जगत मे महत्व देने के लिए पर्याप्त है। श्रेष्ठ कवियो, कहानीकारो, उपन्यासकारो की रचनाएँ इस पत्र मे प्रकाशित होती रहती है।

दिनमान

हिन्दी-जगत मे साप्ताहिक पत्रो का योगदान महत्वपूर्ण है। ऐसे ही साप्ताहिको मे दिनमान का नाम सर्वोपरि है। यह वह पत्र है जिसने समाचार साप्ताहिको मे नया मानदण्ड स्थापित करने का कार्य किया है। इसका प्रारम्भ बहुमुखी प्रतिभा के धनी सच्चिदानन्द वात्स्यायन अज्ञेय के सम्पादकत्व मे जनवरी 1965 मे हुआ बाद मे रघुवीर सहाय काफी समय तक इसके सम्पादक रहे और उन्होने इसे सजाया व सवारा, कन्हैयालाल नन्दन भी इसके सम्पादक रहे है। सशक्त भाषा मे समाचार लिखने, उनकी पृष्ठभूमि और सम्बन्धित प्रवृत्तियो पर बेलाग विश्लेषण देने मे यह साप्ताहिक बेजोड है। इसका लेखन स्तर व विचार गम्भीर होते हैं। इसी से यह बौद्धिक वर्ग मे काफी लोकप्रिय है। दिनमान का सम्पादकीय तो सशक्त होता ही है, विषयो की प्रस्तुति भी उल्लेख्य इसके लेखो मे गम्भीरता और विषय की सूक्ष्म पैठ रहती है। यह टाइम्स आफ इण्डिया का प्रकाशन है और नेशनल प्रिन्टिग वर्क्स से मुद्रित होता है। पहले यह 48 पृष्ठ का समाचार व सामयिक खबरो का महत्वपूर्ण साप्ताहिक था जिसमे चित्र, रेखाचित्र, ग्राफ तथा व्यग्य आदि यथा-स्थान होते थे। दिनमान के स्थायी स्तम्भ थे—मत और सम्मत, पिछले सप्ताह देश-विदेश, पत्रकार ससद, राष्ट्र, प्रदेश, समाचार भूमि, विश्व खेल और खिलाडी, रगमंच, कला, फिल्म और आवरण पृष्ठ मुख्य है। दिनमान का आवरण दुरगा होता था। जिस पर रग-

तिरंगा चित्र अन्दर दी गयी घटना पर आधारित होता था। यही नहीं, आवरण पर दिनमान में समाहित घटनाओं को छोटे-छोटे व सशक्त शीर्षकों में भी दिया जाता था।

दिनमान के शीर्षक छोटे सटीक, टिप्पणीपरक और व्यंजना शक्ति से भरपूर होते थे। इनके गद्य लेखन में साहित्यिकता होती थी। लेख के साथ-साथ विषय से सम्बन्धित चित्र, व्यंग्य चित्र आदि भी दिए होते थे जो लेख को और भी सशक्त बना देते थे। पर आज दिनमान बड़े रूप में निकलने लगा है साथ ही रंग बिरंगा पृष्ठ लिए होता है। इसके स्थायी स्तम्भों में मुख्य है समाचार फलक, सारिका वामा, सबरंग खेल खिलाड़ी, आर्थिकी, कानों कान पर्दे, के पार आदि। आज यह दिनमान टाइम्स के नाम से निकलता है तथा इसके सम्पादक पंकज गोस्वामी हैं। आज यह 22 पेज के लगभग निकलता है।

दिनमान एक सशक्त, समृद्ध और प्रभावी साप्ताहिक पत्र है जो एक मिला-जुला सांस्कृतिक, राजनैतिक, साहित्यिक और समकालीन चेतना के रंगों में निखरा हुआ है। यह पत्र गाँव, देहात, कस्बाती जिन्दगी, शहरों के पिछड़े लोगों, पिछड़े अंचलों की जीवन व्यथा–कथा के जीवन्त रिपोर्ताज को सशक्त व पूर्ण तथ्यों के साथ प्रस्तुत करता है।

रविवार

आनन्द बाजार पत्रिका लिमिटेड का पब्लिकेशन रविवार साप्ताहिक 1977 से प्रकाशित हुआ। इतने कम समय में इसने अपना स्थान अच्छे साप्ताहिकों में बना लिया है। इसके प्रथम सम्पादक एम. जे. अकबर थे, पर वर्तमान में इसके सम्पादक उदयन शर्मा हैं। कलकत्ता से निकलने वाली यह पत्रिका समाचार व समसामयिक विचारों की सवाहिका है। तीन कालम में निकलने वाली इस पत्रिका ने अपनी विषय सूची को चार भागों में बाँट रखा है। आमुख कथा, देश-देशान्तर, साहित्य तथा विविध। इसकी प्रसार संख्या 48 हजार 312 है।

रविवार का मुखपृष्ठ दुरंगा होता है। इस पृष्ठ पर उस सप्ताह में घटित घटनाओं से सम्बन्धित व्यक्ति का चित्र दिया जाता है तथा मुखपृष्ठ पर आवरण कथा भी दी जाती है।

रविवार के शीर्षक आमुख कथा में उन विषयों को लिया जाता है जो मुख-पृष्ठ से तो सम्बन्धित होने ही हैं साथ ही उस सप्ताह के मध्य घटित सामाजिक, राज-नैतिक आदि घटनाएँ भी होती है। 'देश देशान्तर' में देश तथा विदेशों में घटित राजनीतिक खबरें स्थान पाती हैं। 'साहित्य' के अन्तर्गत कहानी, संस्मरण, उपन्यास कविता आदि होते हैं और 'विविध' में विविध प्रकार की सामग्री जैसे क्रीड़ा-जगत

फिल्मी जीवन, चित्रकथा, नाटक आदि होते हैं। लगभग 40 पृष्ठ की यह पत्रिका समसामयिक कार्टून भी निकालती है और बौद्धिक विचारणीय व मननयोग्य पठनीय सामग्री प्रस्तुत करने में बेजोड़ है। पत्र में धारावाहिक नवीन उपन्यास भी रहता है।

इतवारी पत्रिका

राजस्थान पत्रिका से जुडी है इतवारी पत्रिका। यो आज इसका स्वतन्त्र महत्त्व है पर परिचय के इतिहास लेखन में इसे राजस्थान पत्रिका से जोड़कर ही देखा जा सकता है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियों की विवेकपूर्ण व्याख्या करने वाली साप्ताहिक इतवारी पत्रिका का प्रारम्भिक प्रकाशन वर्ष 1973 है। इसका प्रकाशन 22×36 के आकार में चार पृष्ठों से आरम्भ किया गया था। वर्तमान में 16 पृष्ठों में निकल रही है तथा इसका आकार 18×22 है। प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों सी एल माथुर, श्री गोपाल पुरोहित और डॉ इन्दु चन्द्रशेखर ने इसको सवारने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। दो वर्ष तक राजेश रेड्डी इसके सम्पादकीय सहयोगी रहे। वर्तमान में कैलाश मिश्र सम्पादक हैं। इतवारी पत्रिका के स्तम्भों में लेख, राष्ट्र, कहानी, कविता, ललित कला, युवा-विश्व, महिला मंच, स्मृति पटना, खेल, विज्ञान, बालगोपाल, चित्रकथा, अटीक-सटीक, आंखन देखी-कागद लेखी, परत दर परत, राजस्थान, पुरातत्व, फीचर, रूबरू, सिनेमा, सगोष्ठी, मशीन आदि प्रमुख स्तम्भ हैं।

इतवारी पत्रिका समय-समय पर समसामयिक लेख प्रस्तुत करती ही है साथ ही प्रदेश की बुनियादी समस्याओ पर अधिकारी विद्वानो आदि के लेख, फीचर आदि भी देती है। प्रदेश की सभी वाम विधाओ और खेलकूद की गतिविधियों का जीवंत प्रस्तुतिकरण इसमें रहा है। खेती-बाडी सिंचाई, उद्योग-धन्धे, पेयजल, मरु विकास आदि कितने ही ऐसे लेख है जो लोगो को देश मे होने वाली हलचलो से परिचित कराते हुए है। यह पत्रिका प्रदेश की प्रतिभाओं को प्रकाश में लाई है। राजनेताओ के अलावा मिस्त्रियो, कारीगरो, कृषि पण्डितो, वैज्ञानिको, कलाकारो और समाज-सेवियों के व्यक्तित्व-कृतित्व का लेखा-जोखा भी इसमे दिया जाता है। ऐसी कोई भी विधा नहीं है जिसे समय-समय पर यह पत्रिका प्रकाशित न करती हो, प्रदेश के लेखक, कलाकारो को आगे लाने में इसका विशेष हाथ है। इस प्रकार राजस्थान से निकलने वाली इतवारी पत्रिका अपने आप में बेजोड है। इतने कम समय में अपना शीर्षस्थ स्थान बनाने का कारण इतवारी पत्रिका का विषय विध्य और विधा वैविध्य ही है। पत्रिका अपने नये-नये आयामो को शुरू करती हुई लोकप्रियता की ओर तेजी से अग्रसर है।

ब्लिट्ज़

साप्ताहिक हिन्दी पत्र ब्लिट्ज 17 फरवरी सन् 1962 मे प्रकाशित हुआ। इसे श्री आर के. करंजिया ने बम्बई से प्रकाशित किया। यह पत्र अंग्रेजी साप्ताहिक ब्लिट्ज का हिन्दी संस्करण है। इसके आकार-प्रकार व समाचारो मे अंग्रेजी का अनुसरण है। इसके प्रथम सम्पादक एम बी. मिस्त्री थे। मिस्त्री जी के बाद इसके सम्पादक बने श्री मुनीश सक्सेना। इसके बाद श्री नन्दकिशोर नौटियाल सम्पादक तथा आर के करंजिया इसके प्रधान सम्पादक है। हिन्दी मे इस प्रकार का अन्य पत्र न होने से इसका स्थान विशिष्ट हो गया है। यह सनसनी खेज समाचार प्रधान साप्ताहिक है। समाचारो का संकलन जिस विशेष रंगत के साथ होता है, उसी रंगत के साथ उसका प्रकाशन करना इसकी अपनी विशेषता है। सम्पादन, भाषा व प्रस्तुतिकरण का इसका अपना अलग ही स्थान है। ब्लिट्ज् 15 अगस्त व 26 जनवरी को अपने विशेषांक निकालता है।

बम्बई से प्रकाशित ब्लिट्ज 16 पृष्ठ का साप्ताहिक है जो प्रति शनिवार को निकलता है। इसके स्थायी स्तम्भो मे हवा का रुख, पता नही बेटा, राजधानी का रंगमंच, जन पंचायत, बकवास आदि है। 'हवा का रुख' देश मे प्रचलित राजनीतिक घटनाएँ 'पता नही बेटा' मे छोटी सी व्यंग्य वार्ता होती है वो 'राजधानी के रंगमंच' मे यह विभिन्न राजधानियो का लेखा-जोखा सामने लाता है और 'बकवास' चटपटी खबरें लेकर आता है। इसके अन्तिम पृष्ठ पर किसी रूपसी का चित्र रहता है। खोजखबर, आपके सवाल, राजधानी का रंगमंच जन, पंचायत, नयी किताब, यादें, रंगारंग, आजाद कलम इसके स्थायी स्तम्भ है।

साप्ताहिक पत्रो मे ब्लिट्ज का अपना विशेष स्थान है। यह समाचार व सामयिक पत्र है। इसने ए बी सी, आई ई एन एस/ए आई एन. ई सी की सदस्यता ले रखी है। वर्ष 1986 मे इसकी प्रसार संख्या एक लाख 68 हजार थी।

दीवाना तेज साप्ताहिक

दीवाना तेज साप्ताहिक एक हास्य व्यग्य पत्रिका है जो 1965 मे प्रकाशित हुई। इसके सम्पादक विश्व बन्धु गुप्ता है। यह डेली तेज प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली से प्रकाशित व मुद्रित होती है। 40 पृष्ठ की यह पत्रिका तीन कालम मे विभक्त होती है परन्तु इस पत्रिका मे लिखित सामग्री कम, चित्र अधिक है। चित्रो मे व्यंग्य, कार्टून, हास्य, कथा व्यग्य तो होता है पर हास्य बहुत अधिक होता है।

11 × साढे सात आकार की यह पत्रिका बच्चो मे अधिक लोकप्रिय है। इस पत्रिका का मुखपृष्ठ भी कार्टून लिये होता है जिसे देखकर बरबस ही हँसी फूटती है। समस्त सामग्री हास्य से भरी होती है। कुछ सामग्री बच्चो को शिक्षा

देने वाली भी प्रकाशित की जाती है। इसके स्थायी स्तम्भ साप्ताहिक भविष्य, आपके पत्र, उनसे मिलिए, काका के कारतूस, मोटू-पतलू, परोपकारी, बात-बे-बात की, आपस की बातें, फैन्टम, सिटीजन, स्पोर्ट्स प्रतियोगिता, क्यों और कैसे ? सिलबिल-पिलपिल, खेल-खेल में, बन्द करो, बकवास, जूडो कराटे कैसे सीखें ? सोचिए, हा हा हा । तुक्कम तुक्का, कार्टून प्रतियोगिता, शीर्षक प्रतियोगिता, पदहोश, तर्क-कुतर्क, सवाल यह है ? कविताएँ, दीवाना, फ्रेंड्स क्लब, गरीब चन्द की डाक, लल्लू और हड्डी आदि हैं ।

इन सब स्तम्भों के अतिरिक्त दीवाना समय-समय पर अनेक रोचक चित्र-कथाएँ, कार्टून, हास्य कहानियाँ, प्रतियोगिताएँ आदि भी प्रकाशित करता है। यहाँ तक कि दीवाना का मुखपृष्ठ तो हास्य लिए होना ही है पीछे के पृष्ठ पर भी हास्य लिए कोई चित्रकथा विद्यमान रहती है। अतः इस पत्रिका को हम हास्य-व्यंग्य विनोद की पत्रिका कह सकते है जो बच्चों व बड़ो को तो हास्य प्रदान करती ही है, साथ में नवयुवकों की मुस्कान भी उभार देती है। चित्रों के कारण छोटे बच्चों को यह विशेष प्रिय है क्योंकि इसके माध्यम से उन्हें हास्य समझने में कठिनाई नहीं आती।

लोटपोट

जैसाकि नाम से विदित है कि यह पत्रिका लोटपोट कर देने वाली है। इसमें हास्य-व्यंग्य और विनोद की प्रचुर सामग्री रहती है और यही इसके नामकरण की सार्थकता प्रदान करती है। इसके प्रथम पृष्ठ पर ही मुद्रित होता है हास्य-व्यंग्य की अनूठी पत्रिका लोटपोट। यही नहीं मुख पृष्ठ पर चित्र भी इस प्रकार का होता है कि उसे देखते ही बरबस हँसी फूटती है। यह पत्रिका अरोड़ा बस प्रेस, मायापुरी, नयी दिल्ली से मुद्रित होती है। इसके सम्पादक व प्रकाशक ए पी बजाज हैं। यह पत्रिका बच्चों के लिए है। 9 × 7 के आकार की यह पत्रिका तीन कालम में विभक्त होती है। 48 पृष्ठ की यह पत्रिका समसामयिकता को ध्यान में रखते हुए बच्चों के अनुरूप सामग्री देती है। समय-समय पर यह पत्रिका अपने विशेषांक भी प्रस्तुत करती है। जैसे इन्द्र धनुषी विशेषांक, तिरंगा विशेषांक आदि।

लोटपोट के स्थायी स्तम्भों में काका श्री, शेख चिल्ली चिप्पू, रेखा चित्र, यह भी चुनाव आदि है।

दीवाना हास्य पत्रिका है पर लोटपोट हास्य व व्यंग्य पत्रिका है। दीवाना वयस्कों के लिए है जबकि लोटपोट छोटे बच्चों के मन अनुरूप है। इसमें प्रकाशित सामग्री बच्चे आसानी से हृदयगम कर लेते हैं। स्थायी स्तम्भों के अतिरिक्त लोटपोट में व्यंग्य कथाएँ, हास्य कथाएँ, प्रश्नोत्तर, मसखरियाँ, चित्रहार, बाल की खाल, मन-

भुलैया, कार्टून, कोना रपट. आसपास की, परिचर्चा भी प्रकाशित करता रहता है। यही नही, खेल-खिलाडी सिने-तारिकाओ आदि लोगो से भी यह बच्चो की मुलाकात कराता है।

लोटपोट केवल हास्य-कथाएँ या कहानियाँ ही प्रकाशित करता हो, यह बात नही है, वरन् बच्चो को सीख देने वाले प्रसग भी यह प्रकाशित करता रहता है। बच्चो की पत्रिकाओ मे हास्य-व्यग्य तो छपते ही रहते है पर यह पूरी पत्रिका ही हास्य-व्यग्य से सराबोर रहती है। कविताएँ, चित्रकथाएँ सभी हास्य लिये होते है। हँसी भरे वातावरण के बीच बीच मे शिक्षाप्रद व रोचक वार्ताएँ, कहानियाँ आदि देना भी इसकी अपनी अनूठी विशेषता है।

इन्द्रजाल कामिक्स

दि टाइम्स ग्राफ इण्डिया का प्रकाशन इन्द्रजाल कामिक्स बाल कार्टून पत्रिका है। यह पत्रिका बेनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए माडर्न ग्रार्ट प्रिण्टिग वर्क्स बम्बई से मुद्रित एव प्रकाशित होती है। इन्द्रजाल कामिक्स सर्वप्रथम 1964 मे प्रकाशित हुई परन्तु इसकी स्याति कुछ ही साल मे काफी बढी और यह 1964 से पाक्षिक निकलने लगी। ग्राज अपनी लोकप्रियता के कारण यह साप्ताहिक हो गई। ग्रानन्द जैन तथा महावीर ग्रधिकारी तथा विनोद तिवारी इसके सम्पादक रह चुके है। वर्तमान मे मकुल शर्मा इसके सम्पादक है।

बच्चो को कहानी व चित्र के प्रति काफी प्रेम होता है और यह पत्रिका बच्चो के इस प्रेम को दोनो तरह से पूरा करती है। सम्पूर्ण पत्रिका ही चित्रो से भजी रहती है और चित्रो के माध्यम से ही यह कहानी को कहती है जो बच्चो को शीघ्र ही समझ मे आ जाती है। अग्रेजी मे चित्र प्रधान कथा कहने वाली ग्रनेक पत्रिकाएँ हैं पर हिन्दी मे यह पत्रिका अकेली पत्रिका रही है। इसके प्रत्येक ग्रक मे एक चित्रकथा होती है और बाद मे स्थान बचने पर छोटी-छोटी कथाओं को इसमे स्थान दिया जाता है। पर यह छोटी कथाएँ भी चित्र प्रधान होती है। इस पत्रिका की सारी सामग्री अनूदित होती है और इसके चित्र विदेशी होते हैं। अनुवाद मे भी पूरी तरह विदेशीपन झलकता है।

32 पृष्ठ की यह पत्रिका एक रहस्यमय कथा प्रकाशित करती है। यही कारण है कि बच्चो मे उस रहस्य को जानने की उत्सुकता बढती है और वह सम्पूर्ण पत्रिका को एक ही साँस मे ग्राद्योपात पढ डालता है। इस पत्रिका की कथाओ का नायक एक चलता-फिरता बेताल होता है या जादूगर मैण्ड्रक या कोई अन्य सूरमा। यह सभी नायक ऐसे-ऐसे काम करते है जो कि प्राय. असम्भव प्रतीत होते हैं। पर इसके लिए कुछ भी असम्भव नही होता। यह सब काम वह दूसरो की

भलाई के लिए ही करते हे । उनमे उनका कुछ भी स्वार्थ नही होता है । किसी कथा मे यह किसी दुखी व्यक्ति को बचाते है तो किसी मे किसी दैत्य का सफाया करते हैं। किसी में ठगो के गिरोह से लोगो को बचाते हैं। यही नही वेताल के मित्र द्वीप मे तो सभी पशु-पक्षी एक साथ रहते हैं चाहे वह हाथी हो या शेर या चीता या हिरण। कहने का तात्पर्य यही है कि इनका नायक हमेशा नेक काम करता है। इसी नेक काम को पढ़ने से बच्चो मे भी नेक काम करने की प्रेरणा जागृत होती है साथ मे इनकी वीरता भरी चित्र गाथा पढ-पढ कर बच्चो मे भी वीर भाव पैदा होता है। यह पत्रिका लोकप्रिय है, इसी कारण यह गुजराती, मराठी, अंग्रेजी, हिन्दी, तमिल भाषाओ मे भी प्रकाशित होती है। बच्चो को यह एक अच्छा साहित्य देती है और उनका मनोबल बढाती है। बच्चो को प्रकृति के सम्बन्ध मे जानकारी हो इसके लिए प्रगति प्रागण स्तम्भ उपयोगी है।

पाक्षिक पत्र

सारिका

साहित्यिक व सांस्कृतिक पत्रिका सारिका 1960 मे प्रकाशित हुई। इसके प्रथम सम्पादक रतनलाल जोशी थे। रतनलाल जोशी के बाद चन्द्रगुप्त विद्यालकार, स्वर्गीय मोहन राकेश इसके सम्पादक बने। सन् 1967 से 1978 तक कमलेश्वर ने इसका सम्पादन किया। कमलेश्वर ने सारिका को नए-नए आयाम देकर कहानी विधा की महत्त्वपूर्ण पत्रिका बनाया। रचनाधर्मी कहानीकारो को और भावना के स्तर पर पाठको को आन्दोलित कर उन्हे व्यवहारिक दिशा भी प्रदान की। इसके बाद कन्हैयालाल नन्दन ने इसको सजा-सवारकर आगे बढाया। वर्तमान मे इसके सम्पादक श्रवण नारायण मुद्‌गल हैं। समानान्तर कहानी का लेखक खुद तनावो आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक-समस्याओ के बीच जीता है और उसे ही कहानी के रूप मे अभिव्यक्त करता है। इसी प्रकार की कहानी को सारिका मे स्थान मिलता है। सारिका की कहानियो मे आदमी की दारुण स्थितियो का सजीव चित्रण किया जाता है। सारिका ने श्रेष्ठ कथा से ही पाठको को परिचित नही कराया है वरन् विदेशो की उत्कृष्ट कहानियो से भी हिन्दी-जगत की श्रीवृद्धि की है।

$10\frac{3}{4}\times 8$ आकार मे छपने वाली यह पत्रिका प्राय 100 पृष्ठ की होती है तथा कही दो, कही तीन और कही चार कालम मे विभक्त रहती है। इसमे हर कहानी को सुसज्जित करने के लिए रंगीन व सादे चित्र रेखांकित रहते हैं। यह बैनेट कोलमैन कम्पनी द्वारा नयी दिल्ली से मुद्रित एव प्रकाशित होती है। पहले यह पत्रिका मासिक थी पर अपनी लोकप्रियता के कारण आज यह पाक्षिक निकल रही है। सारिका कहानियो और कथाजगत की जीवन्त पाक्षिकी है। इसमे कहानियाँ, कविताएँ, गजल, लघु-कथाएँ, साक्षात्कार, रिपोर्ताज आदि को स्थान पाते ही हैं,

इसके अतिरिक्त पाठकों का पन्ना, पखवारे की पुस्तकें, हलचल तस्वीर बोलती है, उसने कहा था आदि स्तम्भ भी प्रकाशित होते हैं। जरियाँ-नजरियाँ में सम्पादक के विचार सम्पादकीय रूप में रहते हैं। जिसमें समसामयिक जीवन की झलक होती है, साथ में राजनैतिक कुचक्र की खुलकर भर्त्सना की जाती है। 'उसने कहा था' स्तम्भ में किसी विद्वान या चित्रकारों के द्वारा कहे गये व्यंग्य वाक्य रहते है। 'हलचल' के अन्तर्गत प्रसिद्ध उपन्यासों, कहानियों आदि पर चर्चा की जाती है। 'पखवारे की पुस्तकें' शीर्षक में नव प्रकाशित चर्चित उपन्यासों व कहानियों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है तो 'गपपार्थ' में चुटकले होते हैं।

सारिका की कहानियाँ, लेख, लघु कथाएँ आदि को पढ़ने से लगता है कि इन सबके अन्तर्गत आज की जिन्दगी जुड़ी हुई है। यह वस्तुगत तथ्य लिए होती है। लघुकथाओं व्यंग्य चित्रों व चुटकुलों के द्वारा सारिका अवसरवादी व सुविधा-भोगी पर शब्द बाणों की बौछार करती है तो शासन की शिथिलता पर भी तीखा प्रहार करने से बाज नहीं आती। सारिका की लघु कथाएँ समस्त जीवन की सामग्री को अपने में समेटे होती है क्योंकि छोटी-छोटी कथाओं में इन्सान का वह यथार्थ जीवन चित्रित होकर सामने आता है, जिसे आज का आम आदमी भोगता है या भोग रहा है। ऐसा लगता है कि मानो सारिका की कहानी हमारी अपनी कहानी हो।

मुद्रण की दृष्टि से सारिका सुरुचिपूर्ण है। सारिका ने युवा-वर्ग की समान्तर कहानियों का समर्थन किया तथा उन्हें प्रकाश में लाई। साथ ही कहानी जगत में एक नयेपन का निर्माण किया। इस पत्रिका को सभी हिन्दी, अहिन्दी भाषी लोग बड़े चाव से पढ़ते है क्योंकि इसमें सभी भाषा साहित्यकारों की कहानियाँ प्रकाशित होती हैं। इसमें प्रकाशित सामग्री समयगत सच्चाई और यथार्थ चेतना बलयित साहित्य की शृंखला में आती है। सारिका बुद्धिजीवी, प्रबुद्धि वर्ग की चेतना को मुखर करने वाली सशक्त माध्यम सिद्ध हुई है।

सरिता

साहित्यिक एवं सांस्कृतिक पत्रिका 'सरिता' सन् 1945 में प्रकाशित हुई। जिस समय यह पत्रिका निकली उस समय यह मासिक थी। इसने समय-समय पर निष्पक्ष, निर्भीक होकर समाज में फैली हुई बुराईयों और कुरीतियों के विरुद्ध जनमत जगाने का सदा प्रयत्न किया। सन् 1964 में यह पाक्षिक बन गई। वर्तमान में इसके सम्पादक व प्रकाशन विश्वनाथ है। विशिष्ट सम्पादकीय लेकर चलने वाली यह पत्रिका अपने आप में बेजोड़ है। इसमें हमेशा पुरानी मान्यताओं को वैज्ञानिक कसौटी पर कसकर देखा जाता है। अवैज्ञानिक बातों पर इसने हमेशा चोट की है।

यही कारण है कि यह रूढ़िवादियों के आक्रोश का कारण भी बनी। पर इसकी लोकप्रियता में कमी नहीं आई। जीवन नये मार्गों पर चलता रहे—आगे बढ़ता रहे इस उद्देश्य को सरिता भली-भाँति पूरा कर रही है।

सरिता का मुख पृष्ठ रंग-बिरंगा होता है, जिस पर सदा ही किसी युवती का चित्र रहता है। सरिता में जगह-जगह दिए गए व्यंग्य चित्र प्रभावशाली चुटीले व सामयिक होते हैं। बीच-बीच में दुरंगी छपाई करके यह अपना आकर्षण और बढ़ा लेती है। साढ़े आठ×साढ़े पाँच आकार की यह पत्रिका 150 पृष्ठ से लेकर 200 पृष्ठ तक निकलती है और दो कालम में विभक्त रहती है। कविता, गजल, कहानी, लेखों के अतिरिक्त छोटे-छोटे शेरो-शायरी व स्वर्णिम वाक्य भी प्रकाशित करती है। इसके स्थायी स्तम्भों में—आपके पत्र, सरित प्रवाह, श्रीमतीजी, ये पत्नियाँ, दिन-दहाड़े, जीवन की मुस्कान, बच्चों के मुख से, यह भी खूब रही, चंचल-छाया आदि हैं।

'सरित प्रवाह' विशिष्ट सम्पादकीय लेकर आता है जिसमें अनेक ज्वलन्त समस्याओं पर चर्चा होती है। इसके अन्तर्गत यह किसी भी सरकार या संस्था की कमजोरियाँ उजागर करती है। 'श्रीमती जी' में एक व्यंग्य चित्र-कथा होती है। 'ये पत्नियाँ' शीर्षक के अन्तर्गत कुछ रोचक घटनाएँ दी जाती हैं और 'बच्चों के मुख से' स्तम्भ अनजान में कही गई बच्चों की बातें जो हास्य का कारण बनती हैं, प्रकाशित की जाती हैं। 'दिन-दहाड़े' स्तम्भ में चोरी, ठगी, बेईमानी की घटनाएँ और 'यह भी खूब रही' में अपने तथा सम्बन्धियों के अनुभव प्रकाशित किये जाते हैं। 'जीवन की मुस्कान स्तम्भ में ऐसी घटनाओं को प्रकाशित किया जाता है जिन्हें जीवन भर नहीं भुलाया जा सकता है। 'चंचल छाया' स्तम्भ फिल्मों का है। जिसमें अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। इसके लिए चार सितारे अति उत्तम, तीन तारे उत्तम, दो मध्यम, एक साधारण व शून्य का निशान बेकार के लिए निहित किया गया है। इसी के अन्तर्गत फिल्मों की समीक्षा भी होती है और 'पिछले बारह महीनों में' शीर्षक के अन्तर्गत चलचित्रों की गुणवत्ता के आधार पर वर्गीकरण होता है।

अन्याय, अत्याचार एवं ढोंग, पाखण्ड, कुप्रथा आदि के विरुद्ध प्रत्येक अंक में एक लेख अवश्य होता है। सरिता अपने पाठकों के मन पाखण्डों के प्रति विरक्ति की भावना पैदा करके उन्हें अच्छे व सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। सरिता मनुष्य को जनजागरण की ओर ले जाती है। इसमें समय-समय पर ऐसे लेख प्रकाशित होते रहते हैं जो मनुष्य की सोई हुई आत्मा को दूसरे शब्दों में कहें सोई आँखों को खोल देती है। समय-समय पर वैज्ञानिक लेख प्रकाशित करके यह विज्ञान की जानकारी भी पाठकों को देती है। पारिवारिक लेखों को सरिता हमेशा

उचित स्थान देकर छापती रहती है जिसमे सयुक्त परिवार को जोडने तथा पारिवारिक भ्रान्तियो का निराकरण, पारस्परिक प्रेम, सद्भाव और धैर्य की सीख सम्बन्धी लेख प्रकाशित करती है। इसके अतिरिक्त महिलाओं के लिए शिक्षाप्रद लेख भी प्रकाशित करती रहती है। धोखाधडी से सम्बन्धित लेख छापकर भी यह अपने पाठक वर्ग को धोखे में बचने के लिए प्रेरणा देती है, धर्म के नाम पर जनता की धार्मिक भावनाओ का लाभ उठाने वाले कामचोरो व निठल्लो के लिए साधु बनकर लोगो को बेवकूफ बनाने व मजे लूटने वालों का यह पत्रिका भण्डाफोड करती रहती है।

प्राचीन परम्परा का विरोध करने वाली पाक्षिक पत्रिका सरिता अज्ञानताजनित अन्धविश्वास एव रूढिवादिता पर तो लेख लिखकर पाठक को जागृत करती है ही पर साथ ही अत्याचार व कुरीतियो को दूर करने के लिए आत्मालोचन द्वारा आत्मशुद्धि का प्रयास भी करती है। यह केवल कहानी पाक्षिक पत्रिका नही है, वरन् यह नवीन मूल्यों की प्रसारक है तथा कई भारतीय परम्पराओ की विरोधी है। विशेषत यह पत्रिका भारतीय महिलाओं की सभी रुचियो की पूर्ति करने वाली अपने आप मे एक अनूठी पत्रिका है।

मुक्ता

साहित्यिक व सास्कृतिक पत्रिका मुक्ता विश्वनाथ द्वारा दिल्ली प्रेस से मुद्रित व प्रकाशित होती है। मुक्ता सन् 1960 में मासिक पत्रिका के रूप मे हमारे सामने आई। पर दिन पर दिन यह लोकप्रियता प्राप्त करती गई और सन् 1972 मे पाक्षिक बन गयी। लगभग 164 पृष्ठ की यह पत्रिका 21.5×13.7 मे मी आकार की है।

मुक्ता युवक व युवतियों को मनोरजन के साथ-साथ शिक्षा की भावना लेकर चलती है। समय-समय पर छपी कहानियाँ, लेख, वार्ता, प्रसग व इसके स्थायी स्तम्भ कुछ सोचने को मजबूर कर देते है। मुक्ता मे सादे चित्रो के साथ रगीन चित्रो की भी भरमार रहती है। कहानी के साथ कहानी के मूलभाव को भी अकित करता हुआ रेखाचित्र देना इसकी अपनी विशेषता है। व्यावहारिक सुझाव, हृदयस्पर्शी कहानियाँ, कविताएँ लेख, देश-विदेशो की जानकारी देकर यह मानसिक विकास मे सहायक बनती है।

मुक्ता का मुखपृष्ठ रग बिरगा तथा अपने मे आवरण कथा समेटे हुए होता है। इसके स्थायी स्तम्भो मे सम्पादक के नाम, मुक्त विचार, दास्ताने दफ्तर, धूपछाँव, चित्रावली, पसन्द अपनी-अपनी, चितचोर, परदे के आगे, पिछले छः महीनो में, पखवाड़े की फिल्में, सावधान, चुनावो की चुहल, ये लडकियाँ, ये शिक्षक, ये लडके, आपका भाषा ज्ञान, साहित्य सगम, शाबाश, खेल समीक्षा, विश्वविद्यालयो से है। इन स्तम्भो के अतिरिक्त यह लेख, कथा-साहित्य, कविताएँ आदि प्रकाशित करती

है। 'चित्रावली' में समाचारों को चित्रों के माध्यम से छापा जाता है। पसन्द अपनी-अपनी' में चुटकले प्रकाशित किए जाते हैं तो 'चितचोर' में व्यंग्य कथा कार्टून में दी जाती है। 'परदे के आगे,' स्तम्भ फिल्म के लिए निर्धारित है।'पिछले छः महीनों की फिल्मों' नामक शीर्षक में फिल्मों को उत्कृष्टता की दृष्टि से बांटा गया है। इसके चार शीर्षक रखे गये हैं। उन शीर्षकों के अन्तर्गत फिल्मों का बँटवारा किया जाता है। जैसे (1) उद्देश्यपूर्ण—अवश्य देखिए, (2) मनोरंजक—देख लें (3) समय काटिए—कामचलाऊ, चलाऊ, तथा (4) अपव्यय समय की बरबादी। पखवाड़े की फिल्मों में उस समय चल रही फिल्मों की समीक्षा की जाती है। 'सावधान' शीर्षक के अन्तर्गत धूर्तों, ठगों, बेईमानों आदि के किस्से जो समाचार-पत्रों में प्रकाशित होते हैं उनको प्रकाशित कर लोगों को सावधान किया जाता है। 'साहित्य संगम' में नई प्रकाशित कहानियों, उपन्यासों आदि की समीक्षा की जाती है। 'शाबास' शीर्षक में भी रोचक घटनाएँ प्रकाशित की जाती हैं और 'खेल-समीक्षा' में खेलों के बारे में बताया जाता है। 'विश्वविद्यालय के प्रांगण में' 'विश्वविद्यालयों में ही सम्बन्धित जानकारी प्रकाशित की जाती है।

यह पत्रिका दो कालम में विभक्त है। मनोरंजन के साथ-साथ मानसिक विकास इसका लक्ष्य है। सामग्री, मुद्रण तथा साज सज्जा की दृष्टि से यह अच्छी पत्रिका है जो हिन्दी डाइजेस्ट की पूर्ति करती है।

चम्पक

छोटी आयु वर्ग के बच्चों के लिए रंग बिरंगी पाक्षिक पत्रिका चम्पक है। चम्पक का सर्वप्रथम अंक 1968 में मासिक के रूप में निकला, परन्तु कुछ समय पश्चात् ही इसने पाक्षिक निकलना शुरू कर दिया। यह पत्रिका दिल्ली प्रेस से प्रकाशित होती है। इसके सम्पादक विश्वनाथ हैं। बच्चों में यह पत्रिका काफी लोकप्रिय है। 8 × साढ़े पांच आकार में निकलने वाली यह पत्रिका एक या दो कालम में विभक्त रहती है तथा लगभग 68 पृष्ठ की होती है। पूरी पत्रिका दो तीन रंगों में सजी रहती है। यह पत्रिका गुजराती, मराठी, अंग्रेजी, तमिल, मलयालम और तेलगू भाषाओं में भी प्रकाशित होती है।

चम्पक का मुखपृष्ठ किसी सुन्दर चित्र या आकर्षक कार्टून से सजा रहता है। बच्चों की समझ के अनुसार प्रेरक कविताएँ, कहानियाँ, लेख निबन्ध प्रकाशित करती है। इसकी विषय-सूची—सुनो कहानी, ज्ञान बढ़ाओ, जानो-बूझो, गाओ तथा गुनगुनाओ नामों में बँटी हुई है। 'सुनो कहानी' में आठ-दस कहानियाँ दी हुई होती हैं। ये कहानियाँ रोचकता तो लिए होती ही हैं, प्रेरक, व शिक्षाप्रद भी होती है। इन कहानियों के नायक या नायिकाएँ यह जरूरी नहीं है कि मनुष्य हों, अधिकतर पशु-पक्षियों के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाती है। इसके पशु पक्षी

आदमियों की तरह ही व्यवहार करते हैं तथा कपड़े भी पहने रहते हैं। यह कपड़े पहनना बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है। चम्पक की करीब प्रत्येक कहानी से बच्चों के गुणों का विकास होता है। भूत-प्रेत से डरने वाली कहानियाँ इसमें स्थान नहीं पाती। बच्चों के गुणों का विकास इसमें प्रकाशित कहानियाँ करती हीं पर साथ में अन्ध-विश्वास से सम्बन्धित कहानियों को प्रकाशित करके ये बच्चों में अन्ध-विश्वास के विरुद्ध जागरूकता पैदा करती है।

चम्पक में प्रकाशित कहानियाँ पढ़कर बच्चों में भूल का अहसास तो होता ही है साथ बदले की भावना भी मिटती है। 'ज्ञान बढ़ाओ' स्तम्भ बच्चों को सामान्य ज्ञान की शिक्षा देता है। इसमें किसी एक पशु व पक्षी के बारे में बताया जाता है और इसी स्तम्भ में हमेशा किसी देश का पूर्ण विवरण दिया जाता है। साथ में उस देश का चित्र व मानचित्र देकर भी बच्चों को उस देश से परिचित कराया जाता है और बच्चे ऐसे लेखों को पढ़कर सहज ही अन्य देश व नगरों से परिचित हो जाते हैं।

'गाओ गुनगुनाओ' स्तम्भ कविताओं के लिए है इसमें प्रकाशित कविताएँ छोटी-छोटी मनोरंजक होती है। बच्चा इन कविताओं को आसानी से याद कर लेता है। 'जानो बूझो' स्तम्भ में विविध सामग्री रहती है। इसमें 'ज्ञान बढ़ाओ पहेली' बच्चों के लिए बड़ी ही लाभदायक है। दस-पन्द्रह प्रश्न पूछे जाते है और अगले अंक में उनका उत्तर दिया जाता है। कभी-कभी इस स्तम्भ के अन्तर्गत केवल प्रसिद्ध चीजों के चित्र देकर भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि यह चित्र किसका है ? आदि। 'चित्रों को ढूँढो' स्तम्भ भी सामान्य ज्ञान को विकसित करता है। इसमें चम्पक में प्रकाशित कहानियों के बीच में आए चित्रों को दिया जाता है और उन्हें ढूँढने के लिए कहा जाता है। 'चीकू' 'चूँचूँ' और 'पिंटू मोती' स्तम्भ बच्चों के लिए रोचक चित्रकथाएँ लेकर आते हैं। 'देखो हँस न देना' बच्चों के लिए चुटकले तो 'नन्ही कलम से' में बच्चों के पत्र प्रकाशित किये जाते है। इन सभी स्तम्भों के अतिरिक्त चम्पक बच्चों के लिए छोटे-छोटे कार्टून भी प्रकाशित करता है।

चम्पक बच्चों की एक ज्ञानवर्धक पत्रिका है जो बच्चों को परी, राक्षसों की तिलिस्मी काल्पनिक दुनिया व अन्धविश्वास/के अज्ञान से निकालकर यथार्थ की दुनिया से परिचित कराती है। यह बच्चों के मानसिक विकास, मनोरंजन के साथ ज्ञानवर्धन करके उनके उत्तम गुणों को विकसित और प्रवर्धित करने वाली रचनाएँ प्रकाशित करती है।

मासिक पत्र

कल्याण

धार्मिक पत्रिकाओं में प्रमुख मासिक पत्र कल्याण का जन्म अगस्त, 1926 में हुआ। धार्मिक, नैतिक, पौराणिक, दार्शनिक, सामग्री को प्रकाशित करने वाली

यह पत्रिका अनूठी है। यह गीताप्रेस, गोरखपुर से मुद्रित एव प्रकाशित होती है। इसके सम्पादक हनुमान प्रसाद पोद्दार, चिमनलाल गोस्वामी, स्वामी रामसुखदास, मोतीलाल जालान रहे हैं। कल्याण दो कालम मे विभक्त है। यह पत्रिका प्रत्येक साल की जनवरी को अपना विशेषाक निकालती है। कल्याण के अन्तर्गत हिन्दू धर्म सम्बन्धी लेख, कहानियाँ, सस्मरण आदि तो होते ही है साथ ही मुद्राचरण, ईश्वर मे आस्था जगाने वाली कहानियाँ व सस्मरण भी प्रकाशित होते है। जनता को आध्यात्मिक शिक्षाप्रद, चारित्रिक सामग्री प्रदान करना ही इस पत्रिका का प्रमुख उद्देश्य है। कल्याण के मुखपृष्ठ पर किसी न किसी देवी-देवता का चित्र रहता है। इसमे विज्ञापन नही होते है। धार्मिक सास्कृतिक और नैतिकता का प्रचार-प्रसार करने वाली पत्रिका का भारतीय भाषाओ मे अपना विशिष्ट स्थान है। यह धर्म व दर्शन की पत्रिका है। इसके 'अमृत बिन्दु' स्तम्भ मे छोटे-छोटे सारगर्भित वाक्य दिए जाते है। कल्याण के 'पढो, समझो और करो' नामक स्तम्भ के अन्तर्गत जीवन मे घटित होने वाली ऐसी घटनायें वर्णित होती हैं जिन्हें पढकर मानव का सदाचरण की ओर रुझान बढता है।

नैतिक शिक्षा से सम्बन्धित पहलुओ का भी कल्याण बडी बारीकी से अध्ययन करके इस पर लेख, कहानी, सस्मरण प्रकाशित करती रहती है। पुराण, महाभारत व उपनिषदो पर प्रकाशित इसके विशेषाक सग्रहणीय रहे है।

कादम्बिनी

हिन्दुस्तान टाइम्स का मासिक प्रकाशन कादम्बिनी साहित्यिक व सास्कृतिक पत्रिका है। इसका प्रकाशन बालकृष्ण राव ने नवम्बर, 1960 मे इलाहाबाद से किया। बाद मे यह दिल्ली से प्रकाशित होने लगी। 1962 मे इसके सम्पादक रामानन्द दोषी बने और 1972 तक उन्होने इस पत्रिका को सवारा तथा इसके स्वरूप को उभारा और इसे स्तरीय पत्रिका बनाया। 1972 के बाद से इसके सम्पादक राजेन्द्र अवस्थी है। कादम्बिनी का प्रमुख आकर्षण इसकी सज्जा है। इसमे रगीन चित्र तो जगह-जगह सुशोभित होते ही है साथ मे स्थान-स्थान पर व्यग्य-चित्र अपने आप में एक अनूठा पैनापन लिए हुए होते है।

साढे सात × साढे पाँच आकार मे निकलने वाली यह पत्रिका दो कालम मे विभक्त है तथा करीब दो सौ पृष्ठो की भरपूर पठनीय सामग्री पाठको को देती है। इसमे निबन्ध, कहानियाँ, लेख, कविताएँ, गजल गीत सस्मरण, रेखाचित्र प्रकाशित होते ही है। अनेक बार साहित्यिक और चिन्तनपरक आलोचनात्मक लेख भी प्रकाशित होते हैं। हिन्दी की यह एक स्तरीय और विशिष्ट पत्रिका है। इस पत्रिका मे कतिपय स्तम्भ है—पैनी नजर, शब्द सामर्थ्य, समस्या पूर्ति, आस्था के आयाम, ज्ञान गगा, प्रतिक्रियाएँ, काल-चिन्तन, आइए चले जगल की ओर, बुद्धि-विलास, विधि विधान, तनाव से मुक्ति, वैद्य की सलाह आदि।

'आस्था के आयाम' स्तम्भ में कई छोटी-छोटी शिक्षाप्रद लघु कथाएँ दी जाती हैं। 'शब्द-सामर्थ्य' स्तम्भ भाषा का ज्ञान बढ़ाने के लिए है। काल-चिन्तन' सम्पादक का अपना पन्ना है जिस पर समसामयिक विषयों पर सम्पादकीय रहता है। 'वचन-वीथी' में विद्वानों द्वारा कहे गये आप्त वचन रहते हैं। 'बुद्धिविलास' के प्रश्न सामान्य ज्ञान लिए होते हैं। 'चुटकियाँ हा हा' में मनोरंजन, व्यंग्यपूर्ण चुटकले रहते हैं। 'विधि-विधान' स्तम्भ कानूनी सलाह के लिए निर्धारित किया है। आइए चलें जंगल की ओर में जंगल के पशु पक्षी के बारे में रोचक जानकारी दी जाती है 'गोष्ठी' पाठकों की समस्या का समाधान करता है। इसमें अधिकतर प्रश्न विज्ञान से सम्बन्धित होते हैं जिनका उत्तर इस गोष्ठी में दिया जाता है। कादम्बिनी विशेष अवसरों पर विशेष सामग्री प्रदान करती है तथा समयानुसार अपने स्तम्भों को बदलती रहती है। यह एक ऐसी पत्रिका है जो प्रकाशन की ओर से तो भारतीय भाषा की विशिष्ट पत्रिका कही जाती है किन्तु पाठकीय दृष्टि से भी इसे सांस्कृतिक चिन्तन की पत्रिका कहा जा सकता है।

नीहारिका

साहित्यिक व सांस्कृतिक पत्रिका निहारिका कहानियों की मासिक पत्रिका है। यह पत्रिका 1961 में प्रकाशित हुई। यह जगदीश मेहरा द्वारा मेहरा सेट प्रेस आगरा से मुद्रित व प्रकाशित होती है। इसके वर्तमान सम्पादक श्रीराम मेहरा है। यह पत्रिका पूर्णतया कहानी पत्रिका है। समस्त पत्रिका विभिन्न कहानियों से भरी रहती है।

साहित्यिक, सामाजिक, यौन अपराध आदि में सम्बंधित कहानियाँ ही यह अपने कलेवर में समेटे रहती है। नीहारिका जीवन के प्रत्येक पहलू पर बारीकी से विचार करती है उसी को आधार बनाकर कहानी के रूप में अपने पाठकों तक पहुँचाती है। सुरुचिपूर्ण आडम्बर रहित भाषा ही इसकी विशेषता है। इसका प्रत्येक वाक्य सीधा, सरल व स्पष्ट होता है। रोजमर्रा की जिन्दगी के बीच जो कुछ घटित होता है वही घटनाएँ इसमें स्थान पाती हैं।

नीहारिका में छपी रचनाएँ समाज को दिशा-बोध कराती हैं। इसमें प्रकाशित प्रत्येक कहानी के वर्णित भाव को व्यंजित करने वाला रेखाचित्र भी रहता है। भाव ही आवरण पर किसी तरुणी का आकर्षक मुद्रा में चित्र होता है। यह पत्रिका आठ × साढ़े पाँच के आकार में दो कालम में विभक्त है तथा इसमें लगभग 112 पृष्ठ होते हैं। स्थान-स्थान पर यह छोटे छोटे चुटकुले भी प्रकाशित करती है। पाठक के पत्रों को भी इसमें विशेष स्थान दिया जाता है। यह पत्रिका सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, यौन अपराध से सम्बन्धित कहानियों को प्रकाशित करने वाली पत्रिका है। कुछ महीनों से यह पत्रिका बन्द हो गई है।

नवनीत

हिन्दी डाइजेस्ट 'नवनीत' ज्ञानवर्धक, साहित्यिक व सांस्कृतिक पत्रिका है। इसको श्रीगोपाल नेवटिया ने बम्बई से 1952 मे प्रकाशित किया। इसके प्रथम सम्पादक रतनलाल जोशी व सत्यकाम विद्यालकार रहे। इसके बाद नारायण दत्त इसके सम्पादक बने। वर्तमान में गिरजा शकर तिवारी इसके सम्पादक हैं। यह पत्र वर्तमान में भारतीय विद्या भवन की मासिक पत्रिका भारती से सयुक्त हो चला है। यह नवनीत प्रकाशन द्वारा लिमिटेड वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई से मुद्रित व प्रकाशित होती है। साढ़े सात × पौने छ. आकार की यह पत्रिका दो कालम में विभक्त रहती है। इसके सम्पादकीय का मूल उद्देश्य प्राचीन व नवीन ज्ञान-विज्ञान की रोचक जानकारी देना है। इसमें प्रकाशित सामग्री जीवन में आस्याप्रद होती है। यह पत्रिका कहानियाँ, कविताएँ, गजल, लेख, निबन्ध, प्रेरक प्रसग आदि तो प्रकाशित करती ही है साथ ही विभिन्न भाषाओं की कहानियों व उपन्यासों का हिन्दी रूपान्तर भी देती रही है।

नवनीत के स्थायी स्तम्भो मे पत्रवृष्टि, बाल पत्रा, स्मृति के अकुर, दो क्षण हँस लें ग्रन्थ लोक आदि हैं। 'पत्र-वृष्टि' में पाठको के पत्र स्थान पाते है जो आलोचनाओं व प्रशसा से ओत-प्रोत होते है। 'बाल पत्रा' मे बालको के अनुसार ही कहानियाँ दी हुई होती है। 'स्मृति के अकुर' में जीवन मे घटित ऐसी घटनाओं को प्रकाशित किया जाता है जो हम कभी भी नही भूल पाते। 'दो क्षण हँस लें' में पाठको का तनाव दूर करने के लिए चुटकुले दिए जाते हैं और ग्रन्थ-लोक में चर्चित पुस्तको के बारे मे जानकारी रहती है।

नवनीत के लेखो मे आत्मबोध और अस्मिता की गध रहती है। विवेचनात्मक विश्लेषण समीक्षा भी यह पाठको को देती है। समान्तर कहानी को प्रोत्साहन देकर यह पाठकों को यथार्थ की जमीन पर लाती है। हर अक में यह पाठक को यथार्थ की धरती छूआने के साथ कभी किसी पशु-पक्षी के बारे में जानकारी भी देती है। विज्ञान की दुनिया मे भी यह अपने पाठको को परिचित कराती रहती है। नवनीत ऐसे प्रेरक प्रसग अपने पाठको को देता है जिससे अभिशप्त मानव उनसे प्रेरणा ग्रहण करके अपने मन मे व्याप्त कुठाएँ दूर करके जीवन को अच्छी प्रकार जिए।

भाषा की दृष्टि से भी नवनीत उपयोगी है। इसमे आध्यात्मिक लेख तो प्रकाशित होते ही हैं, साथ में मानवीय भावनाओं का यथार्थ चित्रण भी यह पत्रिका लेख, कहानी व कविता के माध्यम से करती है। इसमे प्रकाशित लेख विचारोत्तेजक तो होते ही हैं साथ में प्रकाशित कहानियाँ हृदयस्पर्शी होती हैं। नवनीत एक माने

में अंग्रेजी पत्रिका अंग्रेजी मासिक रीडर्स डायजेस्ट जैसी हिन्दी में अपने ढंग की अकेली पत्रिका रही है।

शिविरा

राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग से निकलने वाली मासिक पत्रिका शिविरा का जन्म 1966 में हुआ। पत्रिका शिक्षा-जगत से सम्बन्धित सामग्री व शिक्षण क्षेत्र में कार्यरत अध्यापकों के लेख आदि प्रकाशित करती है। यह पत्रिका शिक्षा विभाग के निदेशक कार्यालय बीकानेर से प्रकाशित होती है। शिविरा सामयिक विषयों पर रोचक तथा वैविध्यपूर्ण लेख प्रकाशित करती है। यह लेख शिक्षा की दृष्टि से उपादेय होते ही है साथ में शिक्षकों के चिन्तन में वृद्धि भी करते है। शिविरा विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं शिक्षा जगत से सम्बन्धित लोगों के लिए उपयोगी है।

शिविरा का सम्पादकीय समसामयिक ही होता है। शिविरा का एक स्तम्भ 'दिशा'-कल्प' है जो शिक्षकों में सम्मान प्राप्त करने के लिए सोचन-समझने एवं इसके अनुरूप विचार करने के लिए प्रेरित करता है। यही नहीं दिशाकल्प संघर्षमय स्थितियों के कारणों को समझने तथा उन संकटों से उबरने की अन्तर्दृष्टि प्रदान करता है। शिविरा के स्थायी स्तम्भ है—चतुर्दिक, जनसहयोग, आदेश परिपत्र, संस्थान समाचार, पाठक लिखते हैं, देश-विदेश-प्रदेश, पुस्तक चर्चा, निदेशक से सीधी बातचीत, जिला समाचार, पत्रवीथी, डायरियाँ, चिट्ठियाँ, व्यक्ति। इन स्तम्भों के अन्तर्गत शिक्षा से सम्बन्धित सभी घटनाओं का उल्लेख होता है। शिविरा में इन स्तम्भों के अतिरिक्त यात्रा संस्मरण, कला, नाट्यवृत्त, रेखाचित्र, रम्य रचना, टिप्पणी, साहित्य, विद्यालय स्वास्थ्य, चित्रकथा आदि पर लेख प्रकाशित होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें भिन्न-भिन्न स्थानों पर हो रही शिक्षा से सम्बन्धित हलचलों को स्थान दिया जाता है। शिक्षण सामग्री के कारण ही यह विद्यालयों के लिये विशेष उपयोगी है। प्रदेश की सरकारी पत्रिकाओं में यह लोकप्रिय मासिक है।

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय 467-कृषि भवन, नयी दिल्ली से निकलने वाली पत्रिका कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका है। यह सन् 1955 में निकली थी, इसके सम्पादक पी निवास थे। बाद में इन्द्रपाल सिंह इसके सम्पादक बने। वर्तमान में रामबोध मिश्र इसके सम्पादक हैं। कुरुक्षेत्र गावों के जीवन पर प्रभाव डालने के उद्देश्य को लेकर चलती है। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को जन-जन तक पहुँचाना ही इसका ध्येय है। इसमें ऐसे लेख छपते हैं जो पंचायती राज्य से व ग्राम विकास से सम्बन्धित

होते हैं। यह ग्राम जीवन का सशक्त वर्णन तथा ऐसे लेख भी प्रकाशित करती है जो लोगों को गांवों के रहन-सहन को जानने को प्रेरित करें। साथ ही यह लेख कृषि उद्योगों को बढ़ावा देती हुई कुटीर-उद्योग, लघु-उद्योगों को भी प्रकाश में लाती है। वस्तुतः यह ग्राम विकास की पत्रिका है।

साढ़े ग्यारह × साढ़े आठ आकार की यह पत्रिका प्रारम्भ तीन कालम में विभक्त थी। वर्तमान में दो कालम में विभक्त है। चित्रों, रेखाचित्रों के माध्यम से लेखों को सजीव बनाया जाना इसकी अपनी ही विशेषता है। इसके स्थायी स्तम्भ है—पहला सुख निरोगी काया, साहित्य समीक्षा, कहानी, केन्द्र के समाचार, कविताएँ आदि। एक कहानी भी प्रतिमास यह देती है तो कविताएँ भी प्रकाशित करती है। केन्द्र के समाचार के अन्तर्गत विभिन्न प्रदेशों के गांवों के लिए दिए जाने वाले कार्यों का पूर्ण विवरण देती है।

कुरुक्षेत्र का मुख पृष्ठ दुरंगा व आकर्षक होता है जिस पर ग्रामीण झाँकी अंकित रहती है। कुरुक्षेत्र का सम्पादकीय भी समसामयिक व गांव से ही सम्बन्धित होता है। कुरुक्षेत्र में लेख, कहानी, एकाकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र, चित्र आदि यथा स्थान होते हैं।

कुरुक्षेत्र 34 से 40 पृष्ठों में निकलने वाला प्रमुख मासिक पत्र है। इसका उद्देश्य ग्राम जीवन और संस्कृति का प्रचार प्रसार और पुनर्स्थापन है। इनमें जो साहित्यिक सामग्री प्रकाशित और समीक्षित होती है उसका आधार भी यही होता है।

विज्ञान प्रगति

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् दिल्ली की मासिक पत्रिका विज्ञान प्रगति भारतीय भाषा यूनिट द्वारा राष्ट्र-भाषा हिन्दी में प्रकाशित की जाती है। विज्ञान से सम्बन्धित यह मासिक पत्रिका अपने आप में बेजोड़ है। इस पत्रिका की स्थापना वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् ने 19 2 में की। रामचन्द्र तिवारी 1964 तक इसके सम्पादक बने रहे। उनके समय में पत्रिका में उपयोगी सामग्री तो होती ही थी साथ में साज-सज्जा भी बहुत अच्छी थी। इसके बाद आए सम्पादक श्याम सुन्दर शर्मा। इन्होंने अपने समय में इसके महत्त्वपूर्ण सम्करण निकाले जो अपने समय में सग्रहणीय हैं। स्वास्थ्य संकट, खनिज सम्पदा, ऊर्जा विशेषांक, विज्ञान कथा विशेषांक इत्यादि के नाम गिनाए जा सकते हैं। सम्पादक योगराज चड्ढा के बाद वर्तमान में इसके सम्पादक श्रीमती दीक्षा बिष्ट है।

48 पृष्ठ विज्ञान प्रगति पहले साढ़े आठ × साढ़े पांच में निकलती थी पर अब इसका आकार 11 × साढ़े आठ है। विद्यार्थियों के लिए यह पत्रिका अत्यन्त

ही उपयोगी है । इस पत्रिका को शिक्षा मन्त्रालय भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा स्कूलों के लिए स्वीकृत किया गया है । इसकी चित्र सज्जा तो उत्कृष्ट होती ही है साथ में इसकी प्रस्तुति भी अत्यन्त आकर्षक है । इसकी छपाई दुरंगी होती है तथा चित्रों व रेखाचित्रों द्वारा लेखों को पूरी तरह समझाया जाता है। विज्ञान प्रगति समय-समय पर अनेक पाठकों की सहायता से जटिल वैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत करती है। इसका 'हम सुझाएँ-आप बनायें' स्तम्भ एक ऐसा ही स्तम्भ है। इसी प्रकार यह गणित जैसे नीरस विषय को भी हल करने का सरल तरीका प्रकाशित करती रहती है और उसे मनोरंजक रूप में सामने लाती है। यह जोड़, बाकी, गुणा, भाग आदि को सरल तरीके से हल करने का वैज्ञानिक तरीका भी बताती रहती है । इन सब चीजों को यह 'गणित मनोरंजन' शीर्षक देकर प्रकाशित करती है । समय-समय पर पाठक वर्ग के लिए प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है । इतना ही नहीं इस पत्रिका में छपने वाले कार्टून तो विज्ञान से सम्बन्धित होते ही हैं साथ में दिए गए चुटकुले, व्यंग्य आदि भी वैज्ञानिकों से ही सम्बन्धित होते हैं ।

इसका मुखपृष्ठ बड़ा ही आकर्षक व मोहक होता है । विज्ञान प्रगति में कोई भी ऐसी सामग्री प्रकाशित नहीं होती जो विज्ञान से सम्बन्धित न हो । यह एक वैज्ञानिक पत्रिका है और वैज्ञानिक विषयों पर लोकोपयोगी सुरुचिपूर्ण तथा प्रमाणिक लेख प्रस्तुत करके पाठकों में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करती है । अपनी उत्कृष्ट छपाई व साज-सज्जा में यह 1960 में राजकीय पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है । इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य हिन्दी भाषा के माध्यम से देश-विदेश में हो रही वैज्ञानिक व तकनीकी उपलब्धियों, नवीन खोजों को जन साधारण, बुद्धिजीवियों तथा जागरूक विद्यार्थियों तक पहुँचाना है ।

मनोहर कहानियाँ

अपने को साहित्यिक व सांस्कृतिक कहने वाली पत्रिका मनोहर कहानियाँ के संस्थापक स्वर्गीय श्री क्षितीन्द्र मोहन मित्र थे । यह पत्रिका सर्व प्रथम 1940 में प्रकाशित हुई थी । वर्तमान में इसके सम्पादक आलोक मित्र है । यह वीरेन्द्रनाथ घोष द्वारा मित्र प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशित व माया प्रेस प्राइवेट लिमिटेड इलाहाबाद से मुद्रित होती है । इस पत्रिका में सामान्य जनरुचि के अनुरूप कथा सामग्री प्रकाशित की जाती है । साढ़े नौ × साढ़े सात आकार की यह पत्रिका दो और तीन कालम में विभक्त रहती है तथा सामान्यत 156 पृष्ठ की निकलती है । रोमांचकारी कारनामे जो समाचारपत्रों में सिर्फ शीर्षक देकर रह जाते हैं उनका पूर्ण विस्तृत विवरण यह पत्रिका देती है । यहाँ तक कि उन घटनाओं से सम्बन्धित फोटो भी यह प्रकाशित करती है । काले कारनामों का पर्दाफाश करने के लिए बड़े-बड़े अधिकारियों को भी नहीं छोड़ती । घटना से सम्बन्धित पत्र फोटो, प्रतिलिपियाँ

आदि देकर यह जनता को ठगों, धूर्तों, काला बाजारी लोगो से तो परिचित कराती ही है साथ मे अत्यन्त ही रहस्य भरी घटनाएँ भी प्रकाशित करती है। पूर्व मे यह पत्रिका विशुद्ध मनोरजक कहानी पत्रिका थी। कालान्तर मे इसने सस्ती रुचि की सामग्री प्रकाशित करना शुरू किया। यह पत्रिका सस्ती रुचि के पाठको के लिए है। इसमे प्रकाशित सामग्री साधारण पढ़े-लिखे लोगो को आकर्षित करती है। इसका आवरण रग-बिरगा होता है। आवरण पर किसी भी अपराध कथा का चित्र होता है। इसका सम्पादकीय समसामयिक घटनाओ को अपने मे समेटे रहता है। भीतरी दो पृष्ठो पर सिने तारिकाओ के चित्र रहते हैं। सम्पूर्ण पत्रिका, अपराध कथाएँ, डाके-हत्याएँ, विश्वविख्यात लोगों के चर्चे, यौन-अपराध, पुलिस विभाग की निष्क्रियता आदि से भरी रहती है। यह साहित्यिक पत्रिका की श्रेणी मे नही आती। साहित्य के नाम पर इसमे कुछ भी प्रकाशित नही होता। यह पत्रिका लोगों को आकर्षित करने के लिए रहस्य, रोमाच से भरी अपराध कथाएँ, यौन कथाएँ, डाके-हत्याएँ व बलात्कार जैसे जघन्य अपराधो से सम्बन्धित सामग्री प्रस्तुत करती है। लोगो को रहस्य जानने की उत्कृष्ट अभिलाषा होती है और यह पत्रिका उसकी पूर्ति करती है। यह हिन्दी मे सबसे अधिक बिकने वाली पत्रिका है। इसकी प्रसार सख्या दिसम्बर 87 मे 2 लाख 37 हजार 366 थी।

माया

मित्र प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद का एक और प्रकाशन मासिक माया है। इसके सस्थापक स्वर्गीय मितीन्द्र मोहन थे व वर्तमान सम्पादक आलोक मित्र हैं। साहित्यिक व सास्कृतिक पत्रिका माया शुरू मे शुद्ध व स्वस्थ दृष्टिकोण लेकर पाठक के सामने आई पर धीरे-धीरे इसने व्यावसायिक रूप धारण कर लिया और अपने दृष्टिकोण को बदलने लगी। लोकरुचि अधिकतर उन किस्सो, खबरो, व कहानियो मे होती है जो अधिकतर जो कुछ कहे बेलाग कहे तथा उनके कुण्ठित मनोवृत्ति को तृप्त करे और यही दृष्टिकोण माया ने अपनाया।

माया अधिकतर मनोहर कहानियो का ही दूसरा रूप लेकर सामने आई है। इसमे अधिकतर राजनीति से सम्बन्धित कच्चे चिट्ठे, अफसरो की विलासिता, भ्रष्टाचार की कहानियां ही स्थान पाती हैं। पूर्व मे यह पत्रिका साहित्यिक कहानियाँ प्रस्तुत करती किन्तु वर्तमान मे यह खोज सामग्री पत्रिका के रूप मे अपना विशिष्ट स्थान बनाये हुए है। यह सेक्स विशेषाक, प्रेम विशेषाक जैसे शीर्षकों से पाठकवर्ग को बाधे रखती है। प्रेम, घृणा सौतिया डाह, पर-पुरुष प्रेम, राजनीति कूटनीति आदि मनोवृत्तियो के दुष्चक्रो पर यह पत्रिका बेलाग लिखती रही है। राजनीतिक दलो के नापाक गठबन्धन, त्रिया चरित्र, राज ज्योतिषियो, तान्त्रिको

आदि से सम्बन्धित लेख प्रकाशित करके यह अपरिपक्व रुचि के पाठक-वर्ग की कुण्ठाओं को तृप्त करती है। इस पत्रिका को परिष्कृत रुचि वाले पाठक पसन्द नहीं करते हैं क्योंकि इसमें साहित्यिकता न होकर व्यावसायिकता के कारण जन-रुचि के अनुरूप ही सामग्री होती है।

अखण्ड ज्योति

धर्म व आध्यात्मिकता के क्षेत्र में कल्याण के बाद अखण्ड ज्योति पत्रिका प्रसिद्ध है। अखण्ड ज्योति उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर से प्रकाशित होती है। यह मासिक पत्रिका सर्वप्रथम सन् 1940 में निकली थी और आज तक निकल रही है। गायत्री यज्ञों के प्रणेता प. श्रीराम शर्मा आचार्य ने अध्यात्मवाद के प्रसार की दृष्टि से इस पत्रिका का प्रकाशन किया। आचार्य जी उसके सम्पादक थे तथा प्रो. रामचरण महेन्द्र सहायक सम्पादक। वर्तमान में इसकी सम्पादक भगवती देवी शर्मा हैं तथा सहायक सम्पादक बलराम सिंह परिहार हैं। यह पत्रिका मृत्युञ्जय शर्मा, *अखण्ड ज्योति संस्थान द्वारा जनजागरण प्रेस, मथुरा से मुद्रित व प्रकाशित होती* है। साढे नौ × साढे सात के आकार में निकलने वाली यह पत्रिका दो कालम में विभक्त है, 56 से 60 पृष्ठ में निकलती है। अखण्ड ज्योति पूर्णतया धर्म व दर्शन आध्यात्म *तथा सांस्कृतिक पत्रिका है। यह* पौराणिक कथाओं द्वारा शिक्षाप्रद व चारित्रिक सामग्री भी प्रदान करती है।

अखण्ड ज्योति अपने हर अंक में छोटी-छोटी प्रेरक कथाएँ भी प्रकाशित करती है जो मनुष्य को नैतिक व सदाचरण की शिक्षा देती है। जीवन के महान विकास के लिए केवल शिक्षा ही आवश्यक नहीं वरन् गुण, स्वभाव और चरित्र बल की नितान्त आवश्यकता है। अगर यह न होगा तो जीवन विकास के सारे प्रयास निर्बल, निस्तेज और निष्प्राण हो जायेंगे। ये सब बातें इसमें प्रकाशित लेख हमें बताते हैं।

इस प्रकार इस पत्रिका में प्रकाशित सामग्री विवेक-सगत, तर्क युक्त प्रक्रियाओं में मानसिक विकास को प्रेरणा देती है। पौराणिक चारित्रिक व शिक्षाप्रद सामग्री के साथ धर्म के सम्बन्ध में विचार प्रेरक सामग्री पाठकों को देना ही इस पत्रिका की अपनी विशेषता है।

सुषमा

शमा प्रकाशन से प्रकाशित व द इण्डियन प्रिन्टिंग प्रेस, दिल्ली से मुद्रित सुषमा का प्रकाशन 1959 में हुआ। इसके प्रथम सम्पादक करुणा शंकर थे। वर्तमान में इसके प्रधान सम्पादक युनुस देहलवी हैं। यह पत्रिका अपने आपको साहित्यिक व सास्कृतिक कहती है, परन्तु यह पत्रिका पूर्णतया फिल्मी पत्रिका है।

इसका सम्पादकीय भी फिल्मी समस्या को लिए हुए होता है। पत्रिका फिल्मी सितारो के परिचय भी देती है साथ मे आने वाली नयी फिल्मो की संक्षिप्त कहानी भी प्रस्तुत करती है। इसके अलावा एक दो कहानी व गजलें भी इसमे रहती हैं। सुषमा के अंक मे एक ऐसी कहानी भी होती है जिसका शीर्षक नही होता और वह शीर्षक पाठकों से पूछा जाता है। तीन कालम मे विभक्त व साढे नौ × साढे सात आकार की यह पत्रिका 97–100 पृष्ठ की निकलती है। कभी-कभी यह इससे अधिक पृष्ठ की भी प्रकाशित होती है। यह पत्रिका पूर्णतया फिल्मी पत्रिका है जो अपने पाठको को फिल्मी दुनिया की चकाचौंध से परिचित कराती है। हाँ, इसमें प्रकाशित गजलें व कविताएँ ऐसी है जिसके आधार पर इसे एक सीमा तक साहित्य के अन्तर्गत गिना जा सकता है।

नन्दन

हिन्दुस्तान टाइम्स का प्रकाशन नन्दन बच्चो के पत्रो मे सबसे श्रेष्ठ माना जाता है यह नवम्बर, 1964 को दिल्ली से प्रकाशित हुआ। इसके सबसे पहले सम्पादक राजेन्द्र अवस्थी बने। वर्तमान मे इसके सम्पादक जयप्रकाश भारती हैं। 9 × 7 आकार की यह पत्रिका दो कालम मे विभक्त है। इसका साधारण अंक 64 पृष्ठ का व वर्ष मे तीन विशेषांक प्रकाशित करता है, जिनमे दो विशेषांक 80 पृष्ठों के व एक विशेषांक 128 पृष्ठों का होता है। इस पत्रिका का हर पृष्ठ दुरगा-चौरंगा होता है जो बच्चो के मन को शीघ्र ही मोह लेता है। यह बाल मासिक अपनी छपाई व सज्जा के कारण कई बार राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं।

प्रसिद्ध कवियों व कहानीकारो की रचनाएँ इसमे प्रकाशित होती रहती है। इसकी सम्पादकीय टिप्पणी बाल विकास से सम्बन्धित होती है। इस पत्रिका के मुख्य स्तम्भ—एलबम, आप कितने बुद्धिमान है, तेनाली राम, चटपट, ज्ञान पहेली, चीटू-नीटू, पत्र मिला, पुरस्कृत कथा, चित्र पहेली, शीर्षक बताइये, बच्चो का अखबार, आदि हैं। 'एलबम नामक स्तम्भ प्रतिमास एक सुन्दर फोटो अपने पाठकों को देता है। यह फोटो किसी विद्वान, पण्डित, नेता, प्रसिद्ध स्थान, गुरु आदि की होती है। 'तेनालीराम' स्तम्भ मे एक चित्रकथा होती है जिसमे तेनालीराम की बुद्धि-चातुर्य दिखाकर बच्चो को शिक्षा दी जाती है। 'चटपट' बच्चो के लिए हँसी का खजाना लेकर आता हैं। 'पुरस्कृत कथा' इसका एक अच्छा स्तम्भ है जिसमे एक चित्र बच्चो को दिया जाता है और उस चित्र के आधार पर बच्चो को कहानी लिखने को कहा जाता हैं। पसन्द की गई कहानी पर पुरस्कार भी दिया जाता हैं जिससे नयी कलम को प्रोत्साहन मिलता है। 'बच्चों का अखबार' एक अनूठा स्तम्भ है जो किसी भी पत्रिका मे नही पाया जाता है। यह अखबार चार पृष्ठों का होता है। इसमें बच्चो के अनुसार ही समाचार रहते है। इसमे नीति शतक के दोहे भी प्रकाशित होते है

और नन्हें समाचार शीर्षक के अन्तर्गत छोटे-मोटे समाचार दिए होते हैं। सचित्र समाचार शीर्षक भी चौथे पृष्ठ पर रहता है जिसमें बच्चों में सम्बन्धित समाचारों का चित्रों सहित वर्णन किया जाता है।

नन्दन नयी कलम को प्रोत्साहन देती है। इसमें प्रकाशित कहानियाँ विविधता लिए होती है जिसमें पौराणिक, काल्पनिक, धार्मिक, ऐतिहासिक सामग्री रहती है। जिसमें ऋषि-मुनि, पशु-पक्षी, परी, राजा-रानी, सेठ-सेठानी आदि की सभी तरह की कहानियाँ होती हैं। जगह-जगह रंग बिरंगे पारदर्शी चित्र रहते हैं जो बच्चों को सहज ही आकर्षित कर लेते हैं, यह होली, दिवाली व जून में अपने विशेषांक निकालता है। हिन्दी के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को भी यह उचित सम्मान देकर उनकी रचनाएँ प्रकाशित करता है। देश के बड़े-बड़े नेता, खिलाड़ी, अभिनेता, वैज्ञानिक, साहित्यकार आदि सभी इस पत्रिका के लिए लिखते हैं।

नन्दन कहानी प्रेरक प्रसंग के माध्यम से नैतिक शिक्षा भी देता है। बाल-पत्रिकाओं में यह पत्रिका सबसे अच्छी है। यह सुचित्रित और अपनी आकर्षक साज-सज्जा के कारण बच्चों में विशेष लोकप्रिय है। मूलतः यह बच्चों और किशोरों की पत्रिका है। इसका मूल उद्देश्य भारतीय संस्कृति के शाश्वत मूल्यों से कथाओं को माध्यम बनाकर अपने पाठकों को परिचित कराना है।

पराग

पराग बच्चों की सम्पूर्ण पत्रिका है। यह टाइम्स आफ इण्डिया का प्रकाशन है। पराग मार्च, 1958 में निकला। इसके प्रथम सम्पादक श्री सत्यकाम विद्यालंकार थे। इनके बाद सम्पादक आनन्द प्रकाश जैन बने, वर्तमान में इसके सम्पादक कन्हैया लाल नन्दन हैं। आनन्दप्रकाश जैन ने मार्च, 1960 से इसे ऐतिहासिक महत्त्व का बनाया। उस समय नए व पुराने लेखकों ने इसमें काफी लिखा। इसमें बाल एकांकी व शिशु गीतों का प्रकाशन करके बाल साहित्य को प्रोत्साहन दिया गया। यह पहला बाल-पत्र था जिसने शिशु गीतों सरीखी अविकसित विधा की तरफ ध्यान दिया। पहले यह मासिक बम्बई से प्रकाशित होता था पर जब यह बम्बई से दिल्ली आया तो इसे किशोर पत्र बना दिया गया परन्तु इस रूप में यह ज्यादा लोकप्रियता हासिल नहीं कर सका और पुनः बाल पत्रिका बन गया। अब इसका सम्पादन कार्य कन्हैया-लाल नन्दन करने लगे। वर्तमान में डॉ. हरिकृष्ण देवसर इसके सम्पादक हैं। पराग इन दिनों रोचक व रंग-बिरंगे विशेषांक निकाल रहा है जैसे—होली विशेषांक, क्रिकेट विशेषांक, किस्सा विशेषांक, नववर्ष विशेषांक, ज्योति विशेषांक, स्वाधीनता विशेषांक। यह बैनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड द्वारा नेशनल प्रिंटिंग प्रेस, दिल्ली से मुद्रित व प्रकाशित होता है। 9 × 5½ आकार की यह पत्रिका दो कालम

मे विभक्त व 70 से 90 पृष्ठ मे निकलती है। पराग का आवरण एक सुन्दर पारदर्शी चित्र से सुसज्जित रहता है। इसकी पृष्ठ सख्या लगभग 100 होती है।

पराग बच्चो का मधुर मासिक है जो बच्चो के लिए प्रति मास कहानियाँ, कविताएँ, सस्मरण, एकाकी, चुटकुले, धारावाही उपन्यास, प्रतियोगिताएँ आदि लेकर आता है। इसके स्थायी स्तम्भो, सवाल तुम्हारे जवाब हमारे, पिटारा, नई पुस्तकें, ये रही तुम्हारी चिट्ठियाँ, विशेष लेखमाला, खेलकूद प्रश्नोत्तर, बिल्लू, छोटू और लम्बू, खबरो की दुनियाँ, शीर्षक प्रतियोगिता, नयी निगाहें, दूसरी पत्रिकाओं में इस महीने, प्रसग सुनो दोस्तो, हँसो हँसो, तुम डाल डाल हम पात पात, तुम्हारी-चौपाल, तुमने लिखा है, अक्ल बडी या ? पराग टाइम्स, तुम कितना जानते हो आदि हैं। इन स्तम्भो के अतिरिक्त यह समय-समय पर नये स्तम्भ भी चालू करता रहता है। विशेष लेखमाला के अन्तर्गत हमेशा बच्चो को एक नए शहर से परिचित कराया जाता है। चित्र कथा रोचक तथा हास्य भरी होती है। खबरो की दुनिया स्तम्भ बच्चो को देश-विदेश की रोचक कहानियों तथा घटनाओ से परिचित कराता है।

पत्रिका ने डाक टिकिटो से भी समय-समय पर बच्चो का परिचय कराया है। कभी डाक टिकट चिडियाघर लेकर आते है तो कभी नेता लोगो के चित्र आदि। पराग समय-समय पर रोचक, प्रेरक प्रसग देकर बच्चो को नैतिक शिक्षा भी देता है। इसकी कविताएँ सरस व रसभीनी होती है जो बच्चो को सहज ही आकर्षित करती है। पराग मे प्रकाशित कहानियाँ बच्चो के हृदय को छू लेने वाली होती है तथा धारावाहिक उपन्यास भी बच्चो के मन के भावो के अनुरूप ही होते है। ऐतिहासिक वैज्ञानिक, सामाजिक सभी तरह की कहानियाँ यह मासिक प्रकाशित करता है। पराग का सम्पादकीय भी बच्चो को शिक्षा देने वाला होता है।

चन्दामामा

चन्दामामा अहिन्दी भाषी तमिलनाडू से प्रकाशित एक मात्र ऐसी पत्रिका है जो तेरह भारतीय भाषाओं मे प्रकाशित होती है। यथा—हिन्दी, तेलगू, तमिल, मलयालम, कन्नड गुजराती, बगाली, मराठी, पजाबी, असमिया, उडिया, अग्रेजी, सिहली। चन्दामामा का प्रकाशन मद्रास से सितम्बर, 1949 मे हुआ। इसके सर्व-प्रथम सम्पादक पी वेंकटाचल शर्मा थे। इसके बाद क्रमश. रामानन्द शर्मा, आलूरी वैरागी, चौधरी अारिमपुडि, रमेश चौधरी व बाल शौरि रेड्डी आए। वर्तमान मे इसके सम्पादक चक्रपाणि है और सचालक नागिरेड्डी हैं। यह चन्दामामा पब्लिकेशन मद्रास से मुद्रित व प्रकाशित होता है।

64 से 96 पृष्ठ का चन्दामामा दो कालम मे विभक्त है तथा रग-विरगे चित्रो से भरा रहता है। इसका सम्पादकीय प्रमुख कथाओ तथा घटनाओ पर

आधारित होता है। जो वयस्क शिक्षा व अध्ययन की अभिरुचि को विकसित करता है। कभी-कभी सम्पादकीय मे अमरवाणी भी दे दी जाती हैं। इस पत्रिका मे धर्म कथाएँ, लोक-कथाएँ, पुराण-कथाएँ आदि को विशेष स्थान दिया जाता है। आधुनिकता इसे छू भी नही पाई है। धारावाही उपन्यास इसकी अपनी विशेषता है। न खत्म होने वाली वेताल कथाओं के माध्यम मे यह बच्चो को व्यावहारिक ज्ञान की शिक्षा देता है। यही नही, यह विचित्र जुड़वा भाई कारनामो मे ओत-प्रोत सामग्री भी प्रकाशित करता है। रामायण, महाभारत, वीर हनुमान, देवी भागवत् आदि की धार्मिक कथाएँ धारावाही दी जाती है। पुराण कथाओं के अतिरिक्त यह एक पेजीय लघु-कथाएँ भी प्रकाशित करता है। बच्चों को यह संसार के आश्चर्य शीर्षक से आश्चर्यजनक चीजो के बारे मे बताता है।

आजकल चन्दामामा ने भी अपने स्थायी स्तम्भ निकालना शुरु कर दिया है ये स्तम्भ है—'वह कौन था ?' इसके अन्तर्गत देश-विदेश की महान विभूतियों के जीवन के सम्बन्ध मे जानकारी होती है। क्या आप जानते हैं, "भारत कल और आज" के अन्तर्गत भारत के वर्तमान व अतीत शहरो के बारे मे जानकारी होती है। 'प्रकृति के अजूबे' नामक स्तम्भ बालकों को रोचक सामग्री तो प्रदान करता ही है साथ ही उनके ज्ञान मे वृद्धि भी करता है।

चन्दामामा धारावाही उपन्यास, पुराण, धारावाही कथाएँ, लघु-कथाएँ, बेतालकथाएँ, लोककथाएँ, जादू की कथाएँ, परी कथाएँ, नीति व व्यावहारिक ज्ञान की कथाएँ देकर इनके माध्यम से अपने पाठको को भारतीय संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, पुराण, लोक साहित्य, समाज व्यवस्था तथा मानव जीवन को प्रभावित करने वाली सभी स्थितियो का समग्र विवेचन करके परिचित कराता है। मूलत यह पत्र बच्चो का माना जाता है, पर यह एक पारिवारिक पत्र है जो बच्चो से लेकर बूढो तक पढ़ा जाता है।

गुड़िया

सन् 1973 मे मद्रास से एक और बच्चो का मासिक पत्र गुड़िया निकला। इसके सम्पादक वाग्नेिड्डु हैं। यह पत्रिका बच्चो की पत्रिका चन्दामामा से मिलती-जुलती है। सारी सामग्री करीब-करीब चन्दामामा की तरह ही प्रकाशित होती है। यह चार भाषाओं मे प्रकाशित होती है। हिन्दी, तेलगू, तमिल व कन्नड़। इसका सम्पादकीय प्रमुख कथा पर ही आधारित होता है। । इसमे चन्दामामा से कुछ सामग्री अलग है जो बच्चो को बाँधे रखती है। इसमे लोट-पोट व नोक-झोक भी हैं। इसके अन्तर्गत कार्टून कथा भी दी जाती है जो बच्चो को हंसते-हंसते लोट-पोट कर देती है। इसी प्रकार एक चित्रकथा भी प्रतिमास प्रकाशित की जाती है जिस पर ऐसे वाक्य लिखवाए जाते हैं जिन्हे पढ़कर हँसी छूट जाती है। गुड़िया प्रतिमास

बच्चों को एक गुडिया और देती है जिसे गुडिया परीक्षा पत्र नाम दिया गया है। इसके अन्तर्गत चित्रों व प्रश्नों के द्वारा पाठकों से हल पूछे जाते हैं और इनाम भी दिए जाते हैं। यह प्रश्न बच्चों के सामान्य ज्ञान को बढ़ाते है और उनकी बुद्धि को परिष्कृत करते हैं। प्रश्न और उत्तर देकर भी बच्चों का ज्ञानवर्धन कराया जाता है।

गुड़िया कुछ सामग्री को छोड़कर चन्दामामा का ही दूसरा रूप है।

गृहशोभा

दिल्ली प्रेस पत्र प्रकाशन प्रा. लि. ने दिल्ली से गृहशोभा (मासिक) का प्रकाशन किया। यह पत्रिका महिलापयोगी है। समाचारदर्शन, ये पड़ौसी, पति-पत्नी, उलझाव-सुलझाव, फुहार, हाय मैं शर्म से लाल हुई, फूल भी कांटे भी इस पत्रिका के स्थायी स्तम्भ है। इसके अतिरिक्त कथा साहित्य, स्वास्थ्य, सौन्दर्य, फिल्म, बागवानी, परिवार फैशन, सिलाई, पकवान, साज-सज्जा आदि पर भी सामग्री होती है। समय-समय पर अपने विशेषांक भी प्रस्तुत करती है जैसे फैशन विशेषांक, सिलाई-कढाई आदि जो कि संग्रह योग्य होते है।



अध्याय–11

प्रेस आयोग

प्रथम प्रेस आयोग

एक दायित्व पूर्ण प्रेस समाज व राष्ट्र को स्वस्थ दिशा मे गतिशील करने मे सक्षम है। पर स्वतन्त्रता पाने के बाद भारतीय पत्रकारिता अपने मिशन से हट कर वृत्ति की ओर अग्रसर होने लगी। उस समय अखबार में काम करने सम्बन्धी न तो कोई नियम थे न ही पत्रकारी सेवा सुरक्षित थी। जिसमे भारतीय भाषाओं के के पत्रकारो की हालत और भी दयनीय थी। पत्र सिर्फ अपने मालिकों के हित के लिए ही थे। ऐसी सकटपूर्ण स्थिति मे भारतीय श्रम जीवी पत्रकार सघ ने 12–13 अप्रेल 1952 मे कलकत्ता मे हुए अपने अधिवेशन मे समाचार पत्रो की वर्तमान दशा जानने तथा भविष्य के लिए दिशा निर्देश देने के उद्देश्य से प्रेस आयोग की स्थापना की मांग दृढ़तापूर्वक की।

प्रथम सशोधन विधेयक 1951 को ससद मे बहस के दौरान प्रधानमन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटेन के रायल कमीशन की तरह प्रेस आयोग गठन करने का सकेत दिया था कि प्रेस आयोग की स्थापना प्रेस और देश के हित मे होगी आगे चलकर ससद मे जब प्रेस एक्ट 1952 पर बहस चल रही थी, तब सदस्यो ने भारतीय प्रेस की असमानताओ, प्रेस कानूनो और पत्रकारो की स्थिति के सुधार के लिए कुछ सुझाव भी दिये थे। तब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने 16 मई, 1952 को ससद मे घोषणा की कि सरकार यथाशीघ्र ही प्रेस आयोग का गठन करेगी।

अन्तत. 23 सितम्बर, 1952 को सूचना व प्रसारण मन्त्रालय की ओर से न्यायमूर्ति जी. एस राजाध्यक्ष की अध्यक्षता में प्रेस आयोग के गठन की घोषणा की गई। इसकी विधिवत घोषणा 3 अक्तूबर, 1952 को सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशन से हुई। यह प्रेस आयोग जाँच कानून, 1952 धारा 3 (एल एक्न. 1952) के अन्तर्गत स्थापित हुआ। तत्कालीन भारत में प्रेस की स्थिति, लोकतान्त्रिक व्यवस्था में प्रेस की भावी भूमिका तथा प्रेस के विकास में विचार विमर्श करने हेतु आयोग सदस्य निम्न थे—

(1) श्री न्यायमूर्ति जी एस. राजाध्यक्ष (अध्यक्ष)
(2) डॉ सी.पी. रामस्वामी अय्यर
(3) आचार्य नरेन्द्र देव
(4) डॉ. जाकिर हुसेन
(5) डॉ. वी के वी आर.वी राव
(6) डॉ. पी.एच पटवर्धन
(7) श्री त्रिभुवन नारायण सिंह
(8) श्री जयपाल सिंह
(9) श्री ज नटराजन
(10) श्री ए.आर. भट्ट
(11) श्री एम चेलापति राव

आयोग के उद्देश्य—

प्रथम प्रेस आयोग को प्रेस से जुड़े जिन विशेष मुद्दों की छानबीन करके अपने सुझाव देने थे वे थे—

(1) लघु एव बड़े समाचार पत्र, पत्रिकाओं, समाचार समितियों और फीचर अभिषदो (सिंडीकेटो) के नियन्त्रण, प्रबन्ध, स्वामित्व तथा वित्तीय स्थिति ।

(2) एकाधिकार तथा शृ खला पत्रो का तथ्यात्मक समाचारो तथा निष्पक्ष विचारो के प्रस्तुतीकरण पर प्रभाव ।

(3) प्रेस की मालिकाना कम्पनियाँ, विज्ञापनो का वितरण और अन्य बाहरी दबाव जिसमें पत्रकारिता के स्वस्थ विकास मे बाधा उत्पन्न होती हो ।

(4) पत्रकारो की नियुक्तियाँ, प्रशिक्षण, वेतनमान, सेवा निवृत्तियाँ पर लाभ तथा रोजगार की अन्य शर्तो तथा उच्च व्यावसायिक मानदण्डो की स्थापना तथा सुरक्षा पर विचार ।

(5) अखबारी कागज की पूर्ति तथा वितरण, मशीन छपाई एव यान्त्रिक सयोजन के विभिन्न पहलु ।

(6) अखबारो के लिए उच्च आचार सहिता, प्रेस और सरकार के मध्य आपसी सम्बन्ध, प्रेस सलाहकार तथा सम्पादको और पत्रकारो के विभिन्न सगठन ।

(7) प्रेस की स्वतन्त्रता तथा उसकी स्वतन्त्रता के लिए आवश्यक कानूनो में सशोधन ।

प्रेम आयोग को अपनी रिपोर्ट 1 मार्च, 1953 देनी थी, लेकिन जांच पड़ताल मे दो वर्ष लग गये। आयोग ने अपना प्रतिवेदन के सर्वेक्षण के लिए सासदो, विधायकों, पत्रकारो व विभिन्न विशेषज्ञो आदि लगभग 1200 व्यक्तियो को प्रश्नावली भेजी परन्तु बहुत कम लोगो ने इस प्रश्नावली को भरकर भेजा। केवल 739 के उत्तर ही आयोग को प्राप्त हुये। इन सबके वावजूद नयी दिल्ली वम्बई, मद्रास, कलकत्ता, शिमला आदि स्थानो पर बैठकें आयोजित की गई तथा गवाहियाँ ली गई। प्रेस की पहली बैठक 11 व 12 अक्टूबर को नई दिल्ली में हुई। इस प्रकार प्रेस पर विभिन्न दृष्टियों से विचार करके इस प्रेस आयोग के सदस्यो ने अपनी अन्तिम बैठक 14 जुलाई, 1954 को बम्बई में की तथा प्रेस आयोग के प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर किये। प्रेस आयोग का प्रतिवेदन तीन खण्डो में है—

(1) प्रेस जगत की जाँच व सुझाव
(2) भारतीय पत्रकारिता का इतिहास (इसे जे नटराजन ने लिखा जो उस समय "ट्रिब्यून" (अंग्रेजी दैनिक अम्बाला) के सम्पादक थे।)
(3) प्रश्नावलियाँ, परिशिष्ट, ज्ञापन सर्वेक्ष तथा अर्थ व्यवस्था। समाचार समितियां, आकाशवाणी की गतिविधियाँ।

वरिष्ठ पत्रकार श्री एम. चेलापति राव के वे शब्द जो उन्होंने प्रथम प्रेस आयोग की महत्ता व उसके कार्यों का मूल्याकन करते हुऐ लिखे हैं। दृष्टव्य हैं—"प्रेस के बारे मे इसका प्रतिवेदन आप्त वाक्य के रूप मे काम कर रहा है। व्यापक सचार सम्बन्धी इस महत्वपूर्ण साधन के कार्यकरण के बारे मे अपनी किस्म की यह पहली जाँच थी। इस आयोग ने बड़ा ही शिक्षा-प्रद काम किया है। सत्यान्वेषक आयोग के नाते ऐसे उद्योग के लिये स्थायी महत्त्व का कार्य किया जो बिलकुल सगठित नही था। यह प्रयास इस उद्योग मे एक सुव्यवस्था पैदा करने वाली क्रान्ति के समानद है, जिसमें पहले न कोई कानून चलता था और न आत्म सयम।"[1]

यही नही एक जगह और स्व राव ने लिखा है "रिपोर्ट एक दस्तावेज थी जो न केवल सिद्धान्तो के बारे मे बल्कि तथ्यो के बारे मे एक मार्ग निर्देशिका बनी रही।"

उपर्युक्त कहे शब्द प्रेस आयोग की महत्ता को स्वत ही सिद्ध कर देते है।

मुख्य सुझाव—

(1) प्रेस आयोग की महत्त्वपूर्ण सिफारिश "प्रेस परिषद्" की स्थापना के सदर्भ में थी। (प्रेस की स्वतन्त्रता, विकास, पत्रकारो की बहिमुखी उन्नति, पत्र मालिको के दायित्व आदि का नियमन और पालन)।

---

1. समाचार-पत्र, पृष्ठ 166.

(2) पत्रो के निबन्धन के लिए प्रेस रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाए जो प्रेस से सम्बन्धित तथ्यो एव आँकड़ो को एकत्रित करके प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

(3) पृष्ठानुसार मूल्य का नियम लागू किया जाए। विज्ञापन मुद्रण के लिए निर्धारित स्थान से सप्ताह भर मे चालिस प्रतिशत से अधिक न हो।

(4) विज्ञापन परिषद् बनाई जाए जो विज्ञापनो के लिए आचार संहिता बनाए।

(5) प्रत्येक समाचार-पत्र को लाभ-हानि का सम्पूर्ण विवरण अलग-अलग करना होगा। यदि एक ही पत्र के अनेक सस्करण प्रकाशित किये जाते है तो प्रत्येक संस्करण का आय-व्यय का ब्यौरा अलग-अलग तैयार किया जायेगा।

(6) जिला पत्रकारिता को प्रोत्साहित किया जाए जिससे देश मे अधिक सख्या मे पत्रो का प्रकाशन हो।

(7) राज्य व्यापार निगम के माध्यम से ही अखबारी कागज बेचा जाए।

(8) समाचार समितियो पर किसी प्रकार का सरकारी नियन्त्रण न हो। उनके विकास के लिए निगम की स्थापना की जाए।

(9) समाचार पत्रो की एकाधिकार की प्रवृत्ति को रोका जाए इसके लिए प्रेस रजिस्ट्रार समाचार-पत्रो के प्रसार पर सूक्ष्म निगाह रखें।

(10) पत्रकार के हितो की रक्षार्थ उद्योगो पर लागू होने वाले नियम उन पर लागू हो। पत्रकारो के लिए नियमित वेतन तथा कार्य के घण्टे निर्धारित किए जाए।

(11) केन्द्र तथा राज्यो की राजधानियो मे प्रेस की सुविधाएँ बढाई जायें तथा समाचार पत्रों को अपने यहाँ कार्यरत पत्रकारो को देश के विभिन्न भागो मे भ्रमण की विशेष सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।

(12) आयोग ने विभिन्न कानूनो में संशोधन के प्रस्ताव भी रखे। इनमे प्रेस एण्ड रजिस्ट्रेशन एक्ट, विज्ञापन कानून, भारती आप्ता दिवानी और आप्ता फौजदारी, समुद्री चुंगी और तार कानून आदि उल्लेखनीय है।

(13) पत्रकारो के लिए आचार सहिता का गठन किया जाए।

(14) प्रेस उद्योगों पर से अन्य उद्योगों के मालिकों का नियन्त्रण तथा प्रभाव कम से कम किया जाए।

(15) पत्र-पत्रिकाओं मे ज्योतिषियों की राजनीतिक भविष्यवाणियां, अपराध, और कामुकता को बढ़ावा देने वाली कामिक-पट्टियों का प्रकाशन देश के हित मे नही है। अत. सरकार इसके विरुद्ध कदम उठाए।

(16) कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियन्त्रण के समस्त अधिकार सपादक में निहित करने की सिफारिश करते हुए सम्पादकीय विभाग में नियुक्ति के समय सम्पादक की राय लेने की आवश्यक्ता आयोग ने प्रतिपादित की। सभी कर्मचारियों की सम्पादकीय नेतृत्व में आस्था हो ताकि सम्पादकीय स्वतन्त्रता तथा गरिमा की सुरक्षा बनी रहे।

स्वीकृत सुझाव—

भारत सरकार ने प्रथम प्रेस आयोग के कुछ मुख्य सुझावों को स्वीकृति प्रदान की। वे सुझाव निम्न है—

(1) समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार का कार्यालय जुलाई, 1956 मे स्थापित किया गया। प्रेस से सम्बन्धित आंकड़े एकत्र करने का दायित्व तथा अखबारी कागज का वितरण प्रेस रजिस्ट्रार के माध्यम से होने लगा। जुलाई से दिसम्बर, 1956 की प्रथम प्रेस रिपोर्ट 30 अप्रैल, 1957 को प्रस्तुत की गई।

(2) 'प्रेस परिषद" की स्थापना प्रेस आयोग का महत्त्वपूर्ण सुझाव था। सन् 1965 मे प्रेस परिषद कानून पास हुआ और 4 जुलाई, 1966 को प्रेस परिषद का गठन किया गया।

(3) श्रमजीवी पत्रकार कानून 1955, 20 दिसम्बर, 1955 से लागू किया गया। इस कानून के अन्तर्गत मुख्य रूप से पत्रकारों के काम के घण्टें, वेतन तथा अन्य सेवा शर्तों आदि का नियमन हुआ। 1962 मे इसमें पुनः संशोधन हुए।

(4) भारत सरकार ने 1956 मे "पृष्ठानुसार मूल्य नियन्त्रण नियम" जारी किया। इसके विरुद्ध 1960 में पूना के "सकाल समूह" के पत्रों की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। फलस्वरूप 25 सितम्बर 1961 को सर्वोच्च न्यायालय ने उसे अमान्य ठहराया। अतः सरकार ने यह आदेश वापस ले लिया।

(5) 22 सितम्बर, 1962 को प्रेस सलाहकार समिति का गठन किया

गया। अपनी अवधि के दो वर्ष पूरा करने पर सितम्बर, 1964 में वह समाप्त कर दी गई।

(6) छोटे समाचार-पत्रों के विकास व उनकी स्थिति की जांच के लिए भारत सरकार ने आर.आर. दिवाकर की अध्यक्षता में एक जांच समिति नियुक्त की। उक्त समिति ने 9 मार्च, 1966 को संसद में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमे इस समिति ने "पृष्ठाधार मूल्य निर्धारण" करने की पुनः सिफारिश की। छोटे पत्रों को प्रोत्साहन देने के लिए वार्षिक पुरस्कार वितरण का सुझाव दिया। साथ ही समिति की यह भी सिफारिश थी कि छोटे-पत्रों को सजावटी विज्ञापनों का 50 प्रतिशत भाग दिया जाना चाहिए।

(7) वित्तीय संघर्षों से जूझते छोटे मध्यम कोटि के पत्रों की मदद के लिए सरकार ने "समाचार-पत्र वित्त निगम" की स्थापना का बिल 4 सितम्बर, 1970 को लोकसभा मे पेश किया था पर वह बिल पास न हो सका।

(8) समाचार-पत्रों और समाचार-समितियों की वित्तीय स्थिति की जानकारी के लिए तथ्यान्वेषण समिति की 14 अप्रैल, 1972 को नियुक्ति की गई। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट 14 जनवरी, 1975 को प्रस्तुत कर दी थी।

इस प्रकार स्वतन्त्र भारत मे प्रेस की स्थिति पर पहली बार गहन अध्ययन व विश्लेषण प्रथम प्रेस आयोग के कारण ही सम्भव हुआ। आयोग की संस्तुतियाँ प्रेस के विकास की दृष्टि से अत्यन्त ही महत्वपूर्ण थी। जिनमें से कुछ सिफारिशें स्वीकार की गई तो कुछ सिफारिशों पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया। समय-समय पर समाचार-पत्रों के विकास के लिए अनेक समितियों का गठन हुआ परन्तु उनकी सिफारिशें और प्रस्तावों को उचित ढंग से क्रियान्वित नहीं किया जा सका।

अतः प्रेस के स्वस्थ विकास तथा उसके समूचे परिवेश पर गहन अध्ययन की आवश्यकता को महसूस किया गया और जनता सरकार ने 29 मई, 1978 को द्वितीय प्रेस आयोग की स्थापना की।

द्वितीय प्रेस आयोग

29 मई, 1978 को भारत सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर द्वितीय प्रेस आयोग की स्थापना की। इस आयोग के अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश पी. के. गोस्वामी थे। अन्य सदस्य थे.—

(1) श्री अबू अब्राहम, कार्टूनिस्ट इंडियन एक्सप्रेस, दिल्ली
(2) श्री प्रेम भाटिया, सम्पादक, ट्रिब्यून, चण्डीगढ़
(3) श्री एस. एच वात्स्यायन, सम्पादक, नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली
(4) श्री वी. के. नरसिंहन, सम्पादक, डेकन हेरल्ड, बेंगलौर
(5) श्री मोइनुद्दीन हरीस, उर्दू पत्रकार
(6) श्री एस एन. द्विवेदी, भूतपूर्व सांसद
(7) श्री फाली एस. नरीमन, वरिष्ठ अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय
(8) प्रो रवि जे. मथार, प्रोफेसर भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद
(9) श्री यशोधर एन. मेहता, अधिवक्ता
(10) श्री अरुण शोरी, सीनियर फैलो, इण्डियन कौंसिल ऑफ सोशल साइन्स रिसर्च (सितम्बर 1978 तक)
(11) श्री निखिल चक्रवर्ती, सम्पादक, मेन स्ट्रीम, दिल्ली (अरुण शोरी के त्यागपत्र देने के बाद दिसम्बर, 1978 में नियुक्ति)।

सातवें लोकसभा चुनावों में नई सरकार के गठन के बाद श्री पी के गोस्वामी ने 14 जनवरी, 1980 को त्यागपत्र दे दिया फलस्वरूप श्री के के मैथ्यू (जो कि उच्चतम न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश थे) को अध्यक्ष बनाकर आयोग का पुनर्गठन किया गया। 21 अप्रेल 1980 को गठित इस आयोग के सदस्य इस प्रकार थे:—

(1) श्री शिशिर कुमार मुखर्जी, कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश।
(2) श्री पी वी. गाडगिल, पत्रकार
(3) श्री ईशरात अली सिद्दिकी, सम्पादक, कौमी आवाज, लखनऊ
(4) श्री राजेन्द्र माथुर, तत्कालीन सम्पादक, नई दुनियाँ, इन्दौर
(5) श्री गिरिलाल जैन, सम्पादक टाइम्स ऑफ इण्डिया, बम्बई।
(6) श्री रणवीर सिंह, सम्पादक, मिलाप, दिल्ली
(7) श्री के. आर. गणेश, भूतपूर्व केन्द्रीय राज्यमन्त्री
(8) श्री मदन भाटिया, अधिवक्ता उच्चतम न्यायालय
(9) श्रीमती अमृता प्रीतम, उपन्यासकार
(10) प्रो एच के. पराजपे, अर्थशास्त्री।

श्री मदन भाटिया के त्यागपत्र देने के बाद अखिल भारतीय लघु एवं मध्यम समाचार पत्र संघ के अध्यक्ष श्री प्रेम चन्द वर्मा को इस आयोग का सदस्य बनाया गया। इसी समय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवा-निवृत्त न्यायाधीश श्री ए. एन. मुल्ला को भी आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया, जिससे आयोग के सदस्यों की

सख्या 11 हो गई, परन्तु 29 जनवरी, 1981 को अमृता प्रीतम का त्यागपत्र स्वीकार कर लेने के बाद आयोग की सदस्य सख्या फिर 10 हो गई।

विचार के प्रमुख बिन्दु

द्वितीय प्रेस आयोग को विभिन्न विषयो पर विचार करके अपने सुझाव देने थे, जिससे प्रेस के विकास और स्तर मे सुधार लाया जा सके। विचार के कुछ प्रमुख बिन्दु निम्न थे —

(1) विकासशील तथा लोकतान्त्रिक समाज मे प्रेस की भूमिका।

(2) वाक् एव अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के सन्दर्भ मे वर्तमान सवैधानिक सरक्षणों की उपयुक्तता और कमिया।

(3) नागरिकों के वैयक्तिकता के अधिकार को सवैधानिक तथा कानूनी सरक्षण।

(4) प्रेस की स्वतन्त्रता की आर्थिक, राजनैतिक तथा मालिको एव प्रवन्धको के दबावो से सुरक्षण के उपाय।

(5) विकासशील नीतियो मे प्रेस की भूमिका एवं दायित्वो को स्वीकार करना चाहिए।

(6) प्रेस उद्योग के रूप मे, सामाजिक सस्था के रूप मे तथा सार्वजनिक कार्यों की तथ्यपूर्ण बहस के मच के रूप मे।

(7) सम्पादकीय स्वतन्त्रता, व्यावसायिक ईमानदारी और वस्तुनिष्ठ समाचार पाने के पाठको के अधिकार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रेस के घटको के स्वामित्व का स्वरूप तथा उनका वित्तीय ढाचा।

(8) समाचार पत्रो की निरन्तरता, उद्योग से सम्बन्ध, प्रतियोगिता तथा पाठक का प्रामाणिक समाचार पाने तथा स्वतन्त्र टिप्पणियो के अधिकार पर उनका प्रभाव।

(9) समाचार पत्र उद्योग की आर्थिक व्यवस्था, अखबारी कागज, मुद्रण मशीनें तथा समाचार पत्र मे अन्य निवेश।

(10) विज्ञापन सरकारी एव निजी, शैक्षणिक तथा व्यावसायिक

(11) सरकार और प्रेस में सम्बन्ध तथा राजकीय सस्थानो की भूमिका

(12) प्रेस के विभिन्न घटको, प्रकाशको, मैनेजरो, सम्पादको तथा व्यावसायिक पत्रकारो एव अन्य के मध्य स्थित आपसी सम्बन्ध।

(13) छोटे एव मध्यम मावायी पत्रो का विकास।

(14) नियतकालीन तथा विषय विशेष पत्रिकाओ का विकास।

(15) समाचार समितियों, फीचर समितियों की संरचना, समाचार सीमा क्षेत्र तथा समाचारों का आदान-प्रदान ।

(16) व्यावसायिक कर्मियों को प्रशिक्षण, व्यावसायिक स्तर एवं निष्पादन के विकास के उपाय, पत्रकारिता और जनसंचार में अनुसंधान ।

(17) *पत्रकारिता की नयी अन्तर्राष्ट्रीय सूचना व्यवस्था* के संदर्भ में परस्पर सद्भाव के श्रेष्ठतर साधन के रूप में ।

(18) समाचार पत्र विकास के लिए नये परिदृश्य ।

आयोग की मुख्य सिफारिशें

(1) प्रेस की भूमिका

आयोग प्रेस से इस बात की अपेक्षा करता है कि उसे न तो सरकार का "अविचारित विरोध" करना चाहिए और न ही उसका अन्ध समर्थन । उसे रचनात्मक आलोचना के मार्ग का चयन करना चाहिए । लोकतान्त्रिक तथा विकासशील राष्ट्र में प्रेस की भूमिका सरकार के प्रति न तो शत्रुतापूर्ण हो और न ही मित्रतापूर्ण । वस्तुतः समाज निर्माण एवं जनमत को दिशा निर्देश देने का महत्वपूर्ण दायित्व प्रेस पर है । अत. प्रेस व सरकार के मध्य सद्भावपूर्ण सम्बन्ध कायम किए जाने के प्रयास हों ।

(2) समाचार पत्र विकास आयोग

प्रेस आयोग ने छोटे एवं मध्यम समाचार पत्रों के प्रसार प्रचार और विकास के लिए समाचार पत्र विकास आयोग के गठन का सुझाव दिया । प्रस्तावित समाचार पत्र विकास आयोग छोटे तथा मध्यम वर्गों के पत्रों को सस्ती दरों पर दूर मुद्रण सेवाएं उपलब्ध कराने, समाचार पत्रों को अखबारी कागज उपलब्ध कराने, समाचार पत्रों की दूर मुद्रण लाइनें दूर दराज क्षेत्रों तक फैलाने और छोटे एवं मध्यम समाचार पत्रों के छपाई एवं छापाखाना तकनीक के विकास में सहयोग करेगा । इस प्रकार यह आयोग छोटे एवं मध्यम समाचार पत्रों को आत्म निर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है ।

(3) विदेश सम्बन्ध और सुरक्षा

राष्ट्रीय संकट के समय प्रेस अत्यन्त ही सशक्त ढंग से अपनी भूमिका निर्वाह कर सकती है । अत. आयोग का मानना है कि सत्ताधारी दल की सरकार की विदेश नीति का मात्र समर्थन ही हमारा अभिष्ट नहीं है । विदेश नीति के किसी भी मसले पर समाचार पत्र सरकारी रुख से भिन्न मत रखने को स्वतन्त्र है और इसे अराष्ट्रीय नहीं कहा जा सकता । साथ ही आयोग ने ऐसे संवेदनशील मामलों में प्रेस से पूर्ण

उत्तरदायित्व तथा नियन्त्रण की अपेक्षा की है जिनके प्रकाशन अथवा टिप्पणी से शत्रु राष्ट्रों को युद्ध के समय लाभ होने की सम्भावना हो।

(4) पृष्ठानुसार मूल्य एवं विज्ञापन समाचार अनुपात

आयोग ने समाचार पत्रों के पृष्ठों तथा मूल्य के मध्य उचित अनुपात लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करने का सुझाव दिया, ताकि समाचार पत्रों के मध्य स्वस्थ प्रतियोगिता पनप सके। आयोग ने निश्चित आकार के अनुरूप पृष्ठों की संख्या तय करके न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने की सिफारिश की है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए समाचारों और विज्ञापनों के मध्य एक निश्चित अनुपात करने का विचार रखा। यह अनुपात बड़े समाचार पत्रों के लिए 60:40, मध्यम समाचार पत्रों के लिए 50 50 और छोटे समाचार पत्रों के लिए 40.60 रखा गया है। समाचार पत्रों की पृष्ठ संख्या और उनके दाम तथा समाचार और विज्ञापन के अनुपात निर्धारित किया जाए या नहीं इसके लिए विशेषज्ञों की समिति बनाई जा रही है।

(5) चित्र कथाएं तथा भविष्यवाणियां

आयोग को यह सुझाव दिया है कि चूं कि अपराध एवं जासूसी की प्रवृत्ति की चित्रकथाएँ हमारे सांस्कृतिक चिन्तन एवं परम्पराओं के सर्वथा प्रतिकूल है अतः इनका स्वरूप इस प्रकार निर्धारित किया जाए जो हमारे सांस्कृतिक जीवन को सुरुचिपूर्ण ढंग से प्रतिबिम्बित तो करे ही साथ ही स्वस्थ मनोरंजन को प्रोत्साहित करें। इसके लिए भारतीय कथाओं, ऐतिहासिक महापुरुषों की जीवनियों व घटनाओं को प्रस्तुत किया जाए।

आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि अन्धविश्वास और भाग्यवादिता के प्रतीक पत्रों में प्रकाशित "भविष्यवाणियां", "राशिफल" आदि का प्रकाशन बन्द कर देना चाहिए।

(6) विज्ञापनों में नारी तथा विज्ञापन नीति

विज्ञापनों में महिलाओं की छवि के दुरुपयोग की आयोग ने कड़ी भर्त्सना की है। आयोग ने सेक्स तथा सिनेमा की पत्रिकाओं को रियायती मूल्य पर अखबारी कागज नहीं देने की भी सिफारिश की है।

आयोग ने सरकार की निश्चित विज्ञापन नीति तय करने का सुझाव दिया है। समाचार पत्रों में दिए जाने वाले विज्ञापनों की देन में किसी प्रकार की गोपनीयता नहीं बरती जाए। दृश्य व श्रव्य प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी.पी.) का विभाजन कर देना चाहिए तथा सरकारी विज्ञापन का भार स्वायत्तशासी संस्था को

सार्वजनिक क्षेत्र मे दिया जाए । केन्द्र द्वारा गठित स्वायत्तशासी सगठन के अनुरूप ही राज्य सरकारों को भी ऐसे सगठन का गठन करना चाहिए ।

(7) पत्र सूचना कार्यालय का पुनर्गठन

छोटे एव मध्यम समाचार पत्रो के हितो को ध्यान मे रखते हुए तथा उनकी सुविधा के लिए आयोग ने पत्र सूचना कार्यालय के पुनर्गठन की सिफारिश की है । उसका मानना है कि पत्र सूचना कार्यालय का स्वरूप "सूचना एव समाचार कार्यालय" के रूप मे परिवर्तित कर देना चाहिए जो रात-दिन कार्य करता रहे । इसकी सेवाएं जिला और ग्रामीण क्षेत्रो से प्रकाशित समाचार पत्रो व पत्रिकाओ को बराबर मिलती रहे । आयोग का यह भी कहना था कि एक ऐसी सलाहकार समिति का गठन किया जाये जो समय-समय पर इनके कार्यों का मूल्याकन करती रहे और अपने सुझाव देती रहे ।

(8) भारतीय प्रेस मे विदेशी धन

आयोग ने समाचार पत्र प्रतिष्ठानो पर से विदेशी धन के प्रभाव को समाप्त करने के कारगार कदम उठाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कानूनों में भी सशोधन करने की सिफारिश की । इस हेतु निम्नलिखित पाच सुझावो का उल्लेख किया :—

(1) कानूनो मे ऐसा प्रावधान रखा जाए कि जिससे किसी भी समाचार घटाने पर शेयर होल्डर्स या ऋण के रूप मे स्वामित्व न रहे ।

(2) विदेशी स्त्रोतो मे विज्ञापन अथवा मुद्रण अनुबन्ध उसी प्रकार किये जाएं जिस प्रकार दूसरो से किये जाते है ।

(3) विज्ञापन की दर प्रतिवर्ष अथवा उनके पुनर्निधारण पर उन्हें प्रकाशित किया जाए तथा विदेशी विज्ञापन दाताओ से किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए ।

(4) विदेशी तथा भारतीय स्त्रोतो का पूरा उल्लेख करते हुए प्रतिवर्ष एक बार समाचार पत्रो द्वारा अपने आय व्यय का पूरा लेखा जोखा प्रकाशित किया जाए ।

(5) प्रत्येक समाचार पत्र को प्रथम सौ शेयर होल्डर के नाम, उनकी राष्ट्रीयता, पत्र तथा शेयर्स की कुल सख्या एव अनुपात की पूर्ण जानकारी, विदेशी स्त्रोतो का राष्ट्र के अनुसार विज्ञापन या मुद्रण अनुबन्धों आदि की पूरी सूचना प्रेस परिषद् को देनी होगी ।

(9) समाचार समिति

आयोग ने अधिक से अधिक समाचार समितियों के गठन करने का सुझाव दिया है ताकि इनके द्वारा समाचार पत्रों को समाचार व विचार व्यापक व विभिन्न आयामों में तो दिए ही जा सकें। साथ ही इनके माध्यम से फोटो, नक्शे आदि भी भेजे जा सकें। आयोग समिति में यह भी अपेक्षा करता है कि वह ग्रामीण जीवन तथा उनकी समस्याओं से जुड़कर अज्ञात एवं अनछुए स्थलों के समाचारों को समुचित स्थान दें।

प्रेस आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया है कि हिन्दी सहित सभी भारतीय भाषाओं की एक प्रथम श्रेणी की समाचार समिति का गठन शीघ्र किया जाए। आयोग ने पी टी आई तथा यू एन आई से यह अपेक्षा की है कि वे भारतीय भाषाओं की आधुनिक व उच्चस्तरीय समाचार समिति के गठन में पहल करें। आयोग की इसी सिफारिश के आधार पर यू एन आई ने 1 (एक) मई सन् 1982 से हिन्दी समाचार समिति "यूनीवार्ता" और पी टी आई ने 18 अप्रैल, 1986 से "भाषा" प्रारम्भ कर दी है।

प्रेस आयोग ने अंग्रेजी समाचार समितियों को ज्यों की त्यों रखने की सिफारिश की है। पी.टी.आई. से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर समाचार एकत्र करने तथा भारत के समाचारों को विदेशों में प्रसारित करने और यू एन.आई. की भूमिका को पड़ोसी राष्ट्रों तक सीमित रखने की सिफारिश की है।

(10) पत्रकारों को आवास सुविधाएं

आयोग ने श्रमजीवी पत्रकारों को दी जाने वाली सरकारी आवास सुविधा समाप्त करने की सिफारिश की है। उनका कहना है कि पत्रकारों को सरकारी आवास सुविधाएं उपलब्ध है। उनके लिए सरकार को पत्रकारों से बिना रियायती दर पर किराया वसूल किया जाना चाहिए। पत्रकार द्वारा सरकारी मकान खाली कर देने पर यह व्यवस्था समाप्त कर देनी चाहिए।

(11) उद्योगों से मुक्ति तथा न्यायाधिकारियों की नियुक्ति

प्रेस आयोग का सबसे महत्वपूर्ण एवं विवादास्पद प्रस्ताव समाचार-पत्रों को अन्य उद्योगों से अलग करने से है। आयोग का मानना है कि समाचार पत्र प्रकाशक के दस प्रतिशत से अधिक हित अन्य व्यवसायों व उद्योगों में निहित नहीं होने चाहिये। ना ही समाचार पत्र प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यवसायिक हितों द्वारा नियंत्रित हों अर्थात समाचार पत्र प्रकाशक के दस प्रतिशत से शेयर अधिक अन्य क्षेत्र में नहीं होने चाहिये। क्योंकि बड़े समाचार पत्रों की ईकाईयां पत्र प्रकाशन के अतिरिक्त अन्य विभिन्न उद्योगों से काफी धन नियोजित करती है।

प्रेस आयोग ने पत्र के मालिकों को लिखित रूप से अपनी पत्र की नीतियां निर्धारित करने की स्वतत्रता प्रदान की है। पत्र मालिकों तथा पत्र सम्पादकों के मध्य न्यायाधिकारियों के गठन का सुझाव दिया। बोर्ड पत्र की नीतियों की परिपालना पर ध्यान देगा। पत्र के स्वामियों और सम्पादकों के मध्य पैदा हुए किसी भी प्रकार के विवाद, मतभेद का समाधान भी किसी के द्वारा किया जायेगा।

(12) प्रेस परिषद्

आयोग ने प्रेस परिषद् द्वारा सवैधानिक सीमाओं में अब तक किये गये कार्यों की प्रशसा की और उसे उपयोगी बनाते हुए इस सस्था को जारी रखने का सुझाव दिया।

पत्रकार आचार सहिता पर आयोग का मानना था कि समाचार-पत्रों के लिए किसी भी प्रकार की आचार सहिता तैयार करना वाछनीय नहीं है।

(13) प्रेस कानूनों में संशोधन

प्रेस आयोग ने सरकारी गोपनीयता कानून व्यक्तिगत गोपनीयता न्यायालय की अवमानना तथा ससद के विशेषाधिकार आदि कानूनों में कुछ आवश्यक सशोधन करने की सिफारिश की।

14 मई 1986 को राज्य सभा में पूर्व सूचना व प्रसारण मन्त्री श्री गाडगिल ने घोषणा की कि सरकारी गोपनीयता कानून प्रेस की आजादी में बाधक नहीं है, अत इसमें कोई सशोधन नहीं होगा।

आयोग का मत है कि पत्रकार को अपने स्रोत का उल्लेख सामान्य परिस्थितियों में नहीं करना चाहिये। लेकिन उसे इस सम्बन्ध में पूरी स्वतन्त्रता नहीं दी जा सकती है। आवश्यकता पड़ने पर किसी भी पत्रकार को अपने स्रोत की जानकारी देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। पाँच सदस्यों ने इस राय से अपनी असहमति प्रकट की। उनका कहना था कि पत्रकार को अपने स्रोत की जानकारी न देने का पूरा अधिकार होना चाहिये।

आयोग ने यह भी अपेक्षा की है कि प्रेस को अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिये तथा समाचारों को सनसनी खेज बनाने की प्रवृति से दूर रहना चाहिये।

आयोग ने ससद तथा विधान सभा के लिए यथाशीघ्र "विशेषाधिकारों" का निश्चित "नियमशास्त्र" बनाने पर बल दिया। उनका कहना है कि "विशेषाधिकार" का सामान्य अर्थ जनता में विशेषाधिकार प्राप्त सदस्य से लिया जाता है। अत इस शब्द के स्थान पर अधिकार तथा सुविधाएं शब्द प्रयोग किया जाए।

आयोग की 91 सिफारिशें स्वीकृत

पूर्व सूचना व प्रसारण मंत्री श्री वी. एन. गाडगिल ने 14 मई 1986 को राज्य सभा में घोषणा की कि सरकार ने द्वितीय प्रेस आयोग की 278 सिफारिशों में से 91 सिफारिशों को सिद्धांततः स्वीकार कर लिया है तथा आयोग की 77 सिफारिशों को सरकार ने नोट किया है तथा उन्हें राज्य सरकारों तथा प्रेस से सम्बन्धित संगठनों को भेजने का फैसला किया है, ताकि वे इन सिफारिशों पर विचार करके उपयुक्त कार्यवाही कर सकें।

द्वितीय प्रेस आयोग की 26 सिफारिशें ऐसी हैं जिनका गहराई से अध्ययन करने के लिए सरकार ने विशेषज्ञ समिति गठित करने का फैसला किया है तथा 48 सिफारिशों को सरकार ने नामंजूर कर दिया है। प्रेस की आजादी के प्रति वचनबद्धता और उनके कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करने की नीति के अन्तर्गत ही इस सम्बन्ध में दिये सुझावों के बारे में सरकार ने हस्तक्षेप न करने का निर्णय लिया है, और विश्वास व्यक्त किया है कि भारतीय प्रेस परिषद् ऐसे सिद्धांत बना सकेगी ताकि अपने लिए आचार संहिता स्वयं बना सकें।



अध्याय–12

वर्तमान के सन्दर्भ में : हिन्दी पत्रकारिता

स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी पत्रकारिता के समग्र मूल्यांकन के पश्चात् सहसा यह प्रश्न उठता है कि वर्तमान युग में पत्रकारिता अप्रत्याशित महत्व की भागीदार क्यों हो गई है और यदि ऐसा हो भी गया तो उसकी उपलब्धियाँ और सम्भावनाएँ क्या हैं ? इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि वर्तमान भौतिक और वैज्ञानिक जगत इतना अधिक विस्तृत और अनुसंधान बाहुल्य हो गया है कि विश्व के किसी भी कोने में घट रही घटनाएँ और नई उपलब्धियों और गवेषणाओं को पत्रकारिता के अभाव में समझा और जाना नहीं जा सकता है। वास्तविकता यह है कि पत्रकारिता न केवल वैचारिक सम्प्रेषण का माध्यम है अपितु दिन-प्रतिदिन घटित होने वाली स्थितियों और परिस्थितियों से उत्पन्न सन्दर्भों का सम्प्रेषण है।

स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी पत्रिकारिता के महत्व के विश्लेषण के सिलसिले में सबसे पहले यह तथ्य उल्लेखनीय है कि यह वह शक्ति है जो वैश्विक घटना-चक्र का सही मंच बनी हुई है। पत्रकारिता सामाजिक जीवन की मार्गदर्शिका है और जनसेवा एवं कलात्मक अभिरुचि के साथ-साथ ज्ञान-वैविध्य के विस्तार और विकास का शीर्षस्थ स्थान रखती है। इतना ही नहीं, पत्रकारिता अतीत के गर्भ में छिपे हुए रहस्यों को अनावृत करती हुई वर्तमान की हर सांस और धड़कन का इतिहास और भूगोल प्रस्तुत करती है। जहाँ तक स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी पत्रिकारिता की उपलब्धियों का प्रश्न है, उन्हें इस प्रकार विश्लेषित किया जा सकता है—

इसने समस्त देश को और उसके विभिन्न दूरवर्ती भागों को एक-दूसरे से जोड़ दिया है। यदि पत्रकारिता न होती अथवा उसका इतना विकास न हुआ होता तो हम अपने देश में घटित घटनाओं, अनुसंधानों, सामाजिक और सांस्कृतिक सन्दर्भों से वंचित रह गए होते। निश्चय ही यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसने एक सामाजिक सम्बन्ध को निर्धारणा में बड़ी भूमिका निभाई है।

स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी पत्रिकारिता केवल राजनैतिक घटना-चक्र तक ही सीमित नहीं रही, उसका विकास साहित्य, विज्ञान, मनोविज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, इतिहास, भूगोल, खेलकूद, संगीत, नृत्य, नाटक, कृषि एवं फिल्म आदि-आदि क्षेत्रों तक हुआ

है। आज की पत्रकारिता संकीर्ण दुनियाँ को छोड़कर संसार के बहुयामी क्षेत्रों तक व्याप्त हो गयी है।

तीसरी उपलब्धि एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि इसने देश की राजनीति को जनता से जोड़ दिया है। यही कारण है कि आज राजनैतिक मंच पर घटित होने वाली घटनाएँ न केवल जन मानस को प्रभावित करती है अपितु जनरुचि को भी निर्धारित करती है। पिछले दशक का राजनैतिक घटना-चक्र इस बात का साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि सत्ता में हुए विकास, आकस्मिक परिवर्तनों और उखाड़-पछाड़ की राजनीति को जनसमुदाय में अच्छी तरह समझाया है।

इसने अनेक प्रकार से जन-जीवन को जाग्रत किया है। यह पत्रकारिता की ही देन है कि आज हम अपने शासन-तन्त्र, प्रशासन-वर्ग और मन्त्री परिषद् के क्रिया-कलापों की सही स्थिति से परिचित हैं और यह भली-भाँति समझने लगे हैं कि कौन नेता, शासक या प्रशासक कितने पानी में है। अब तक तो यह भी सुनिश्चित-सा है कि जब-जब हमारे सत्ताधीश जनता को भ्रम और धोखे में रखने का प्रयास करेंगे तब-तब जनता उसे अपने सुचिन्तित मताधिकार से बदल देगी। निश्चय ही इस स्थिति में पत्रकारिता का योगदान विशेष है।

पत्रकारिता समूचे घटना-चक्र को नियन्त्रित और निर्देशित करती है। सामान्य से सामान्य मनुष्य की मन शक्तियों को जागृत करने में पत्रकारिता ने उल्लेखनीय कार्य किया है। जागृति, नवोन्मेष, सुधार और सामाजिक परिवर्तनों को दिशा देने में स्वातन्त्र्योत्तर पत्रकारिता ने अभूतपूर्व कार्य किया है।

स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी पत्रकारिता ने राष्ट्रीयता, नव-जागृति का जो प्रयास किया है, वह एक अविस्मरणीय सन्दर्भ है। एक उल्लेखनीय परिवर्तन यह हुआ है कि पत्रकारिता व्यापक देश-हित की अपेक्षा क्षेत्रीय पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से प्रादेशिक समस्याओं और स्थिति को मुखरित करने लगी है। यद्यपि इन प्रादेशिक पत्र-पत्रिकाओं का लक्ष्य भी लोक-हितैषणा से अलग नहीं रहा है।

सामाजिक समस्याओं, गतिविधियों और विविध घटना-प्रसंगों के सम्प्रेषण के लिए पत्रकारिता ने जिस भाषा को अपनाया है, वह लोकोन्मुख भाषा है। जनता में प्रचलित शब्दावली का प्रयोग और वह भी कतिपय बहु-प्रचलित मुहावरों और लोकोक्तियों के साथ करके स्वातन्त्र्योत्तर पत्रकारों ने पत्रकारिता को आम आदमी से जोड़ दिया है। भाषा का सरलीकृत रूप, वाक्यों की स्पष्टता और शैली की रवानगी के कारण स्वातन्त्र्योत्तर पत्रकारिता की भाषा-शैली सुगम्य और सुबोध है। भाषा विषयक यह उपलब्धि स्वातन्त्र्योत्तर पत्रकारिता की प्रमुख उपलब्धियाँ हैं।

पत्रकारिता आज के व्यस्त जीवन में हमारी सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा का कार्य भी कर सकती है। नए मूल्यों तथा प्रतिमानों के निर्धारण का कार्य भी

पत्रकारिता ने किया है। स्वतन्त्रता के पश्चात् हिन्दी पत्रकारिता जिस दिशा मे अग्रसर हुई है वह दिशा क्षेत्रीय न होकर बहुक्षेत्रीय है। इससे उसमे संकीर्णता नहीं रही और व्यक्ति की अभिव्यक्ति विषयक स्वतन्त्रता के अधिकार की रक्षा हुई है। स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी पत्रकारिता ने यह भी प्रमाणित कर दिया है कि वह न केवल अतीत की सरक्षिका, वर्तमान की विश्लेषिका है अपितु भविष्य की नियामिका भी है। नवभारत के कार्यकारी सम्पादक सुरेन्द्रप्रताप सिंह के अनुसार "आज इस बात को दावे के साथ कहा जा सकता है कि हिन्दी पत्रकारिता अब न सिर्फ प्रसार की दृष्टि से बल्कि विश्वसनीयता, गुणवत्ता तथा प्रभाव की दृष्टि से भी अंग्रेजी से आगे निकल रही है।

अतीत आज हमारे सामने नही है और भविष्य हमारे लिए अनजान है। फिर भी यह बात जोर देकर कही जा सकती है कि मनुष्य स्वय जैसे भविष्य का निर्माता होता है, वैसे ही पत्रकारिता भी अपने भविष्य की निर्मात्री हो सकती है। पत्रकारिता को भविष्य की निर्मात्री तभी माना जा सकता है जबकि वह कलात्मक रूप से विकसित हो, सास्कृतिक अभिरुचियो को विकसित करे, वास्तविकता का सम्यक उद्घाटन करती रहे, और वैज्ञानिक शिल्प को अपनाकर सतत सत्यान्वेषणी बनी रहे। बाबूराव विष्णु पराडकर ने वृन्दावन साहित्य सम्मेलन के अवसर पर हुए सम्पादकीय सम्मेलन मे जो भविष्यवाणी की थी वह आज बिल्कुल सत्य हो रही है। उन्होने कहा था "हम सम-सम्पादक पत्रों की उन्नति चाहते है, पर हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि इस उन्नति के साथ-साथ पत्र की स्वातन्त्र्य हानि अवश्यम्भावी है। उन्नति व्यापारी ढग से हो सकती है। इसके लिए पूंजी और व्यावसायिक सगठन की आवश्यकता है। इगलैण्ड अमेरिका के पत्रो मे स्पष्टत देखा जाता है कि उनके समाचार स्तम्भ, मनोरजन स्तम्भ और व्यापार स्तम्भ जितने ही अच्छे हो रहे हैं, उनके सम्पादकीय स्तम्भ उतने ही निकम्मे बनते जा रहे है। लन्दन के टाइम्स जैसे दो-तीन पत्र इसके अपवाद है। पर साधारण नियम वही है जो ऊपर बताया जा चुका है। एडीटर की अपेक्षा मैनेजिंग एडीटर का प्रभाव और क्षमता अधिक दृढ हो गई है। भावी हिन्दी समाचार-पत्रों मे भी ऐसा होगा। पत्र निकालकर सफलतापूर्वक चलाना बडे-बडे धनियो अथवा सुसगठित कम्पनियो के लिए ही सम्भव होगा। पत्र सर्वांग सुन्दर होगे। आकार बड़े होगे। छपाई अच्छी होगी। मनोहर, मनोरजक और ज्ञानवर्धक चित्रों से सुसज्जित होंगे, लेखो मे विविधता होगी, कल्पना होगी, गम्भीर गवेषणा की झलक होगी और मनोहारिणी शक्ति भी होगी। ग्राहको की सख्या लाखो मे गिनी जाएगी। यह सब कुछ होगा पर पत्र प्राणहीन होंगे। पत्रों की नीति देशभक्त, धर्मभक्त अथवा मानवता के उपासक महाप्राण सम्पादको की नीति न होगी। इन गुणो से सम्पन्न लेखक विक्षिप्त मस्तिष्क समझे जायेंगे। सम्पादक की

कुर्सी तक पहुँच भी न होगी। वेतन भोगी सम्पादक मालिक का काम करेंगे पर आज भी हमे जो स्वतन्त्रता प्राप्त है वह उन्हे नही होगी।"

नवभारत के सम्पादक राजेन्द्र माथुर के शब्दो मे "हिन्दी पत्रकारिता का विकास भविष्य मे 'थ्रीटायर' विकास होगा। एक राष्ट्रीय, दूसरा प्रादेशिक और तीसरा जिला स्तरीय होगा।"

अतः वर्तमान में पत्रकारिता का जो स्वरूप है, वह हमें यह विश्वास दिलाता है कि हिन्दी पत्रकारिता तमसावृत नही है, एक ज्योतिष्यमान किरण दिखाई दे रही है जो हिन्दी पत्रकारिता के प्रति आशा जगाती है।



सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची

हिन्दी पत्रकारिता : विविध आयाम—डॉ. वेद प्रताप वैदिक

हिन्दी पत्रकारिता : डॉ. कृष्णबिहारी मिश्र

सवाद और सवाददाता : राजेन्द्र

समाचार सम्पादन : प्रेमनाथ चतुर्वेदी

सम्पादन कला : के. पी. नारायण

मुद्रण परिचय : प्रफुल्लचन्द ओझा

पत्रकारिता : सकट और सत्रास—हेरम्ब मिश्र

समाचार-पत्रो का इतिहास : अम्बिका प्रसाद वाजपेयी

पत्रकार कला : विष्णुदत्त शुक्ल

पत्र और पत्रकार : कमलापति त्रिपाठी

हिन्दी पत्रो के सम्पादक · बी एल. ठाकुर और सुशील कुमार पाण्डे

हिन्दी समाचार-पत्रो का इतिहास : राधाकृष्णदास

समाचार-पत्र कोश : डॉ. सत्य प्रकाश

हिन्दी साहित्यकारो की आत्मकथा : महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचन्द, अम्बिका प्रसाद वाजपेयी, कृष्णदत्त पालीपाल एव बालकृष्ण शर्मा : सम्पादक देवव्रत।

पत्रकार प्रेमचन्द और हस : डॉ. रत्नाकर पाण्डेय

पत्रकारिता के प्रतिमान . प्रेमचन्द गोस्वामी

आधुनिक पत्रकार : कला : रामकृष्ण रघुनाथ खाडिलकर

पत्रकार कला : पन्नालाल श्रीवास्तव

भारतीय पत्रकार कला : सम्पादक—रोलैण्ड ई. वूसले

हिन्दी समाचार-पत्रों की सूची : बकट लाल ओझा

पत्रकारिता के अनुभव : इन्द्र विद्यावाचस्पति

हिन्दी पत्रकारिता का उद्‌भव और विकास : रामरतन भटनागर

स्वातन्त्र्योत्तर राजस्थान की हिन्दी पत्रकारिता : डॉ. भँवर सुराणा

राजस्थान मे हिन्दी पत्रकारिता : डॉ मनोहर प्रभाकर

राजस्थान की साहित्यिक पत्र-पत्रिकाएँ : डॉ महेन्द्र मधुप

पत्रिका सम्पादन कला : डॉ रामचन्द्र तिवारी

प्रेस कानून और पत्रकारिता : सजीव भानावत
भारत में हिन्दी पत्रकारिता . डॉ रमेश जैन
हिन्दी पत्रकारिता का आलोचनात्मक इतिहास : डॉ. रमेश जैन
पत्रकारिता के विविध रूप : डॉ रामचन्द्र तिवारी
हिन्दी समाचार पत्रो का इतिहास : श्री बालमुकुन्द गुप्त
हिन्दी पत्रकारिता : मणिमय प्रकाशन—स. डॉ. रत्नाकर पाण्डेय, इन्द्र बहादुर सिंह तथा रामव्यास पाण्डेय।
समाचार-पत्र कला : पं अम्बिका प्रसाद वाजपेयी
पराडकरजी और पत्रकारिता . लक्ष्मीशकर व्यास
भारतीय समाचार-पत्रो का सगठन और प्रबन्ध : डॉ. सुकमाल जैन
हिन्दी गद्य साहित्य : डॉ. चन्द्रभानु सीताराम सोनवरो
भारतीय नेताओ की हिन्दी सेवा डॉ. ज्ञानवती दरबार
गणेश शकर विद्यार्थी के श्रेष्ठ निबन्ध : राधाकृष्ण
हिन्दुस्तान समाचार वार्षिकी
हिन्दी साहित्य का वृहत् इतिहास (हिन्दी साहित्य का उत्कर्ष) समालोचना निबन्ध-पत्रकारिता (1975–95 वि.) : डॉ. लक्ष्मीनारायण सुधाशु
समाचार-पत्र : एम. चलपति राव
स्वाधीनता के बाद हिन्दी पत्रिकाओं का विकास : रामचन्द्र तिवारी
पण्डित झाबरमल शर्मा अभिनन्दन ग्रन्थ : राजस्थान मच
हिन्दी शब्द सागर, छठा भाग · श्यामसुन्दर दास
मानक हिन्दी कोश : तीसरा भाग : रामचन्द्र वर्मा
भारत के समाचार-पत्र . 1980 (भारत के समाचार-पत्रो के रजिस्ट्रार का चौबीसवाँ प्रतिवेदन)
नागरी प्रचारिणी सभा का हीरक जयन्ती ग्रन्थ : कमलापति त्रिपाठी (परिशिष्ट)
"समर्पित अर्द्धशती" बांके बिहारी भटनागर
भारतीय प्रेस की वार्षिक रिपोर्ट
आंचलिक पत्रकार : विजयदत्त श्रीधर
INFA : Press and Advertisers Year Book 1982
India-Who's Who 1977–78
The Shorter Oxford English Dictionary : William Little Volume I
The Oxford English Dictionary
The Encyclopedia Americama–Volume XVI.

Encyclopedia Britanica–Volume XIII

Dictionary of Quotation–Bergen Evans.

Journalism and the Student Publication : Frederick W. Maguire and Richard M. Spong.

The Newspaper : Its Place in a Democracy · Duane Bradley

Daily Newspapers : Robert D. Murphy

Press in India : M. Chalapathi Rao

Introduction of Journalism · E. H Butter.

The Journalists Hand Book–M V. Kamath

Press Council · The Indian Experience–Gautam Adhibani

Media problems and Prospects by National Media Centre 1983

A B.C Certificate. Audit Period Ist January to 30 June, 1983.

IENS . Press Hand Book 1982.



DUE DATE SLIP

Govt. Autonomous College, Library KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

Borrower's No.	Due Date	Signature